V पूंजी और जोखिम प्रबंधन

5.1 बैंकिंग संस्थाओं के सामने कई प्रकार की बाजार और गैर-बाजार जोखिमें हैं। अपने स्वरूप में बैंकिंग बहुल एवं विरोधी प्रतीत होनेवाली जरूरतों के प्रबंधन का प्रयास है और यह प्रयास बैंकों को 'विशेष' बना देता है। बैंक चेक के जरिए जमाकर्ताओं को मांग पर चलनिधि प्रदान करने के लिए तैयार रहते हैं तथा ऋण व्यवस्था के जरिए अपने उधारकर्ताओं को ऋण एवं चलनिधि प्रदान करते हैं (कश्यप, राजन और स्टेन, 1999)। इस प्रक्रिया में बैंकों के सामने कई प्रकार की जोखिमें आती हैं जिनके लिए वे संरक्षणात्मक उपाय करते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे शोधनीय और तरल बने रहें। इस प्रकार अच्छा जोखिम प्रबंधन तथा पूंजी की सुदृढ़ स्थिति यह सुनिश्चित करने के लिए जरूरी हैं कि अलग-अलग बैंकिंग संगठन सुरक्षित और सुदृढ़ तरीके से कार्य करें, जो कि वित्तीय प्रणाली की स्थिरता बनाए रखने तथा आर्थिक वृद्धि के पोषण के लिए महत्वपूर्ण है।

5.2 वित्तीय क्षेत्र की नीतियों का प्रमुख उद्देश्य वित्तीय स्थिरता को बनाए रखना तथा वित्तीय सेवाओं तक पहुँच को बढ़ाना है। ये दोनों उद्देश्य परस्पर एक दूसरे को प्रबलित करते हैं। वित्तीय स्थिरता के लक्ष्य के जरिए नीतिनिर्माता बचतकर्ताओं, निवेशकों तथा अन्य आर्थिक अभिकरणों का आर्थिक विघटनों से संरक्षण करना चाहते हैं जिससे समाज के गैर-सुविधाप्राप्त वर्गों सहित अन्य लोगों तक वित्तीय सेवाएं पहुँचाने में मदद मिलती है। वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए प्रणाली में गुरुतर सुदृढ़ता तथा अधिक कारगर जोखिम प्रबंधन प्रथाओं की जरूरत पड़ती है। प्रणालीगत जोखिम को समझने एवं उनका प्रबंधन करने से तथा उनके लिए पर्याप्त पूंजी की व्यवस्था करने से प्रणाली की स्थिरता बढ़ जाती है। अधिक सामान्य तौर पर कहें तो, सुदृढ़ पूंजी से बैंकों को अप्रत्याशित आघात सहने और जमा बीमा के साथ जुड़े नैतिक खतरों को कम करने में मदद मिलती है।

5.3 परंपरागत रूप में, बैंकों ने दिवालियेपन के प्रति प्रतिरोधक के तौर पर पूँजी रखा तथा जमाकर्ताओं द्वारा अप्रत्याशित आहरण या उधारकर्ताओं द्वारा राशि निकालने से बचाव के लिए तरल आस्तियां - नकदी एवं प्रतिभूतियां - रखीं (सैडेनबर्ग तथा स्त्राहन, 1999)। प्रत्याशित तथा अप्रत्याशित दोनों घटनाओं में जोखिम की संभावना रहती है, जिनका बैंकों की पूँजी या आय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। पूँजी पर्याप्तता अनुपात का आशय यह सुनिश्चित करना है कि बैंक उनके सामने मौजूद जोखिमों की तुलना में न्यूनतम मात्रा में अपनी निधियां रखें ताकि वे अप्रत्याशित हानियों को बर्दाश्त कर सकें। इस प्रकार प्रत्याशित हानियों की रक्षा उत्पाद के मूल्यन, कारोबारी राजस्व एवं हानि के लिए प्रावधान द्वारा संयुक्त रूप में की जाती है; तथा अप्रत्याशित हानियों की रक्षा बैंक की पूँजी निधियों द्वारा की जाती है। पूँजी से यह सुनिश्चित किया जाता है कि बाजार की अप्रत्याशित स्थिति अथवा उधारकर्ता की ऋण गुणवत्ता में गिरावट से बैंक की शोधनीयता के लिए कोई गंभीर चुनौती उपस्थित न हो। तथापि, पूँजी से यह सुनिश्चित नहीं होता कि बैंक विफल[1] नहीं होंगे।

5.4 सिद्धांत यह सुझाते हैं कि संविभाग जोखिम तथा पूँजी संबंधी बैंकों के चुनाव परस्पर संबद्ध होते हैं। एक सुदृढ़ जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया बैंक की पूँजी की पर्याप्तता के कारगर आकलन का आधार होती है। अतः निक्षेपागार संस्थाओं के लिए यह जरूरी है कि जोखिम एक्सपोजर के आर्थिक तत्व की पूर्ण पहचान की जाए तथा उसे प्रणाली में समाविष्ट किया जाए। जोखिम के अनुमान सुदृढ़ पूंजी आकलन में रूपांतरित होने चाहिए।

5.5 पूंजी और जोखिम प्रबंधन में न सिर्फ पर्यवेक्षकों की, अपितु बैंकों के स्वामियों, कर्मचारियों तथा जमाकर्ताओं और उधारकर्ताओं सहित सभी पणधारियों की भी दिलचस्पी होती है। स्वामी अंतर्निहित तौर पर बैंक के बने रहने में इच्छुक होते हैं क्योंकि वे अपने निवेश पर उचित प्रतिलाभ की आशा करते हैं तथा पूंजीगत हानियों को टालना चाहते हैं। इसके अलावा, पुनर्जीवन में बैंक के कर्मचारियों, जमाकर्ताओं तथा उधारदाताओं की भी हिस्सेदारी होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि बैंक के विफल होने पर बैंक अपने जमाकर्ताओं एवं उधारदाताओं को पूरी रकम समय पर चुकाने में असमर्थ होता है, तथा ऐसी संभावना होती है कि इन पक्षकारों को हानि उठानी पड़े। इसी तरह, बैंक के विफल होने पर बैंक कर्मचारियों की विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा हो जाता है। इन समूहों के अलग-अलग हितों में संगति होना जरूरी नहीं है; तथापि सभी पक्षकारों की दिलचस्पी यह सुनिश्चित करने में होती है कि संस्था द्वारा ऐसी जोखिम न उठायी जाए, जिससे उसका अस्तित्व में रहना खतरे में पड़ जाए। पूंजी विनियमन का पंरपरागत उद्देश्य बैंक की विफलताओं को कम करना तथा बैंकिंग स्थिरता का संवर्धन करना रहा है। एक और महत्वपूर्ण उद्देश्य बैंक विफल होने पर जमाकर्ताओं एवं जमा बीमाकर्ताओं की हानियों को कम करना है। विनियामक जमा बीमा संबंधी हानियों के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील होते हैं क्योंकि सरकार न सिर्फ औपचारिक कार्यक्रमों के जरिए बीमा प्रदान करती है, अपितु विधिक व्याप्ति के अभाव में अंतिम आश्रय वाले बीमाकर्ता के रूप में भी कार्य करती है।

[1] पूंजी पर्याप्तता पर कार्य दल, बीआइएस, 2002, पृ. 2

5.6 यद्यपि पूरे विश्व के विनियामक बैंक पूंजी के बारे में चिंतित हैं, तथापि ऐसा कोई औपचारिक विनियमन नहीं था, जिसने बासेल-पूर्व की स्थिति में अर्थात 1988 में बासेल पूँजी समझौते पर हस्ताक्षर करने के पूर्व न्यूनतम पूंजी अनुपात विनिर्दिष्ट किया हो। 1980 के दशक के आरंभ में, विनियामक कई बैंकों के, विशेष तौर पर बड़े बैंकिंग संगठनों तथा बैंक धारक कंपनियों के, पूँजी अनुपात से अधिकाधिक असंतुष्ट होने लगे। फलस्वरूप, यूएस में विनियामकों ने 1981 में अपने क्षेत्राधिकार में आनेवाले सभी बैंकों के लिए आस्ति के प्रति पूँजी का न्यूनतम अनुपात विनिर्दिष्ट किया गया; शेष बैंकों से अपेक्षा की गई कि वे आस्ति के प्रति अपना पूँजी अनुपात बढ़ाएं तथा 1983 तक उन्हें सांख्यिकीय मानकों के तहत लाया गया (वाल, 1989)। 1981 के दिशानिर्देश अपना लिए जाने के बाद के वर्षों में यूएस में बैंकिंग उद्योग ने अपने पूँजी अनुपातों में अधिकाधिक वृद्धि की। तथापि, जोखिम मापने के लिए कुल आस्तियों के प्रति पूँजी अनुपात के सामान्य उपयोग पर सवाल उठाए गए क्योंकि बैंकों ने कम जोखिमपूर्ण से तथा अधिक जोखिमपूर्ण आस्तियों की ओर अपने संविभागों का समायोजन किया। तथापि, 1980 के दशक में, यूएस तथा पश्चिमी यूरोप में बैंकों ने उच्च तरलता, कम प्रतिलाभ वाली आस्तियों में अपने निवेश को कम किया तथा संभाव्य रूप से जोखिमपूर्ण तुलनपत्र - बाह्य लेनदेनों में अपना एक्सपोजर बढ़ा दिया। इस प्रकार कुल आस्तियों के प्रति पूँजी अनुपातों, जो 1980 के दशक के आरंभ में पर्याप्त था, का महत्व दशक के उत्तरार्ध में समाप्त हो गया। फलस्वरूप, कई देशों ने जोखिम-आधारित पूँजी मानक अपनाया, जिन्हें बीआइएस के संरक्षण में इस अवधि के दौरान लोकप्रिय बनाया गया।

5.7 जुलाई 1988 में 12 देशों (जी-10 के सभी देशों तथा लक्जेमबर्ग और स्विटजरलैंड) द्वारा बासेल समझौते पर हस्ताक्षर किया जाना पूँजी विनियमन के क्षेत्र में एक उल्लेखनीय घटना थी। बासेल समझौता, 1988 में अंतरराष्ट्रीय रूप से सक्रिय बैंकों के लिए पूँजी के न्यूनतम स्तर बनाए गए। यह इतना आसान था कि पूरे विश्व में 100 से अधिक देश न सिर्फ इस ढांचे को अपनाने के लिए अपितु अंतरराष्ट्रीय रूप से सक्रिय बैंकों तक इसे सीमित न रखते हुए समूचे बैंकिंग खंड पर इसे लागू करने के लिए प्रोत्साहित हुए। तथापि, 1990 के दशक की गतिविधियों ने 1988 के बासेल पूंजी समझौते की प्रभावशीलता को कम कर दिया। प्रौद्योगिकी तथा वित्तीय उत्पाद नवोन्मेषों में हुई उल्लेखनीय प्रगति ने ऋण प्रक्रिया में बैंकों द्वारा निभायी जानेवाली भूमिका को नया रूप दिया। मूल संस्थाएं परंपरागत 'खरीदो-और-रखे रहो' रणनीति से हटकर 'उत्पन्न करो-और-वितरित करो' या बाजार आधारित मॉडल की ओर झुकने लगीं।

5.8 वित्तीय क्षेत्रों को अविनियमित करने की विश्वव्यापी प्रवृत्ति ने कई देशों में बैंकिंग संबंधी व्यापक समस्याएं उत्पन्न कर दीं। इसके अलावा, वित्तीय प्रणाली के वैश्वीकरण में वृद्धि होने के साथ, बैंकों की सुदृढ़ता की चिंताओं का महत्व आम तौर पर अंतरराष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता के लिए तथा विशेष तौर पर बैंकिंग क्षेत्र की स्थिरता के लिए बढ़ गया (बीआइएस, 2000)। अतःबैंकिंग संगठनों के पूँजी अनुपात विनियामक और पर्यवेक्षणात्मक गतिविधियों के केन्द्र बन गए। हाल की बाजार की घटनाओं ने भी बैंकिंग प्रणाली के लिए उभरती नई जोखिमों पर प्रकाश डाला, जिसने जोखिम प्रबंधन की कुछ जटिल चुनौतियों को जन्म दिया है। चूंकि बैंकों ने अपने कार्यकलापों का दायरा मूल उधार देने से बढ़ाकर उसमें प्रतिभूतियां रखना, जटिल लिखतों की ट्रेडिंग, चलनिधि की सुविधाएं प्रदान करना, तुलनपत्र बाह्य लेनदेन तथा अन्य वित्तीय कार्यकलाप करना शामिल कर लिया है, तथा वे खुद नये बजारों से जुड़ गए हैं, अतः जोखिम प्रबंधन की चुनौतियां कई गुना बढ़ गई हैं। फलस्वरूप, बैंक पर्यवेक्षक भी बैंकिंग संगठनों के भीतर सुदृढ़ जोखिम प्रबंधन प्रथाओं के संवर्धन में तीव्र रुचि ले रहे हैं। जोखिम के आकलन, उस पर निगरानी रखने तथा उसके प्रबंधन के लिए बैंकों की प्रक्रियाओं की गुणवत्ता का मूल्यांकन समसामायिक बैंकिंग पर्यवेक्षण का केन्द्रबिंदु है। पर्यवेक्षकों ने भी आर्थिक पूँजी के निर्धारण के लिए बैंकों के आंतरिक मॉडलों का मूल्यांकन शुरू कर दिया है, जिससे बैंकिंग संगठनों की जोखिम को पूँजी से संबद्ध करने तथा विभिन्न व्यवसायों और स्थानों में जोखिम एवं प्रतिलाभ की तुलना करने में मदद मिलती है।

5.9 अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप भारत भी पूँजी पर्याप्तता ढांचे तथा बैंकों की जोखिम प्रबंधन प्रथाओं को सुदृढ़ बना रहा है। तथापि, विभिन्न बैंकिंग खंडों में उनके आकार तथा उनकी जटिलता के अनुसार ये अलग-अलग हैं। 1992 में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के लिए, जो बैंकिंग प्रणाली का सबसे बड़ा खंड है, बासेल I मानदंड लागू किए गए। बाद में इन मानदंडों को शहरी सहकारी बैंकों पर भी लागू किया गया। अंतरराष्ट्रीय रूप से सक्रिय देशी बैंक तथा विदेशी बैंक पहले ही देश-विशिष्ट की स्थितियों के अनुरूप बनाए गए बासेल II की ओर जा चुके हैं, जबकि अन्य अनुसूचित वाणिज्य बैंक बासेल II को अपनाने की प्रक्रिया में हैं। भारत ने वित्तीय स्थिरता बढ़ाने के लिए ऋण जोखिम, बाजार जोखिम तथा परिचालनात्मक जोखिम का खयाल रखने हेतु व्यापक जोखिम प्रबंधन प्रणाली शुरू की है।

5.10 इस अध्याय को सात खंडों में विभाजित किया गया है। परिचयात्मक खंड के बाद खंड II में जोखिम तथा पूँजी के बीच का संबंध बताया गया है। खंड III में पूँजी की माप तथा पूँजी मानकों की अंतरराष्ट्रीय अभिबिन्दुता पर ध्यान केन्द्रित किया गया है। खंड IV में बासेल II ढांचे के कार्यान्वयन संबंधी कई मसलों का वर्णन किया गया है, जिनमें इसके लाभ, सीमाएं, संभावित प्रभाव, कार्यान्वयन की चुनौतियां तथा प्रमुख देशों में इसके कार्यान्वयन की प्रगति शामिल हैं। भारतीय संदर्भ में पूँजी और जोखिम के प्रबंधन के क्षेत्र में नीतिगत गतिविधियों की चर्चा संक्षेप में खंड V में की गई है। इसके अलावा इस खंड में भारतीय संदर्भ में बासेल II जोखिम प्रबंधन प्रथाओं, आस्ति देयता प्रबंधन तथा कारपोरेट अभिशासन

के कार्यान्वयन में हुई प्रगति भी शामिल है। इस खंड में सुधारोत्तर अवधि में बैंकों द्वारा किस प्रकार पूँजी का प्रबंधन किया गया तथा अगले पांच वर्षों (2007-08 से 2011-12) में से प्रत्येक में पूँजीगत अपेक्षाओं के आकलन का विश्लेषण, सरकारी क्षेत्र के बैंकों पर विशेष ध्यान देते हुए, भी किया गया है। खंड VI में सुसंगत मुद्दे तथा भविष्य की चुनौतियां दी गई हैं। खंड VII में इस अध्याय को समाप्त किया गया है।

II. जोखिम और पूँजी

5.11 बैंकिंग सेवा प्रदान करने से संबंधित जोखिम प्रदान की गई सेवा के प्रकार के अनुसार अलग-अलग होती है। प्रत्याशित परिणाम से वास्तविक परिणाम में प्रतिकूल विचलन का खतरा ही जोखिम है। जोखिम की इस व्याख्या को संभाव्यता वितरण के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जिसमें भविष्य के परिणाम प्रत्याशित स्तर के आस-पास रहते हैं। इस प्रकार बैंक को वास्तविक जोखिम में इस बात की संभावना होती है कि यादृच्छिक घटबढ़ के कारण परिणाम प्रत्याशित मूल्य से ऋणात्मक रूप से विचलित होगा। बैंकिंग कारोबार में जोखिम अंतर्निहित होती है। जोखिम को टालने के सिद्धांत पर काम करनेवाले बैंक अर्थव्यवस्था की वैध ऋण अपेक्षाएं पूरी नहीं कर सकते। दूसरी ओर, अत्यधिक जोखिम उठाने वाले बैंकों को कठिनाई से गुजरना पड़ सकता है। ऋण जोखिम बैंकिंग की सर्वाधिक सामान्य जोखिम होती है और संभाव्य हानियों के रूप में यह संभवतः सबसे महत्वपूर्ण होती है। प्रमुख ग्राहकों में से कुछ के द्वारा चूक किये जाने पर बहुत बड़ी हानि हो सकती है तथा आत्यंतिक मामले में इससे बैंक दिवालिया हो सकता है। यह जोखिम इस संभावना से जुड़ी होती है कि बैंक को परिणामी हानि होने के साथ ऋणों की चुकौती नहीं होगी अथवा निवेश की गुणवत्ता खराब हो जाएगी या उसमें चूक होगी। ऋण जोखिम सिर्फ इस जोखिम तक सीमित नहीं होती कि उधारकर्ता चुकाने में असमर्थ होते हैं; अपितु इसमें परिपक्वता अवधि से ज्यादा देरी से होने वाले बिलों की अदायगी की जोखिम भी शामिल होती है तथा इससे भी बैंक के लिए समस्याएं आ सकती हैं। बैंकिंग उद्योग तथा वित्तीय बाजारों में परिवर्तन से बैंकिंग संस्थाओं के सामने आनेवाली बैंकिंग जोखिमों की जटिलता बढ़ गई है। अतः, कुछ परंपरागत जोखिमों के अलावा, बैंकों को कई नई जोखिमों का सामना भी करना पड़ा है (सारणी 5.1)।

5.12 जोखिमों की पहचान करने पर, एक वित्तीय संस्था में जोखिमों के प्रबंधन के तीन तत्व पाए जाते हैं - (i) जोखिम की सही माप तथा निगरानी; (ii) नियंत्रक और मूल्यन एक्सपोजर; तथा (iii) अप्रत्याशित हानियों को पूरा करने के लिए पर्याप्त पूँजी और आरक्षित निधि रखना। हाल के वर्षों में पर्यवेक्षणात्मक प्रवृत्ति यह है कि इनमें से प्रत्येक पहलू पर कार्य किया जाए।

5.13 सुसंगत जोखिम सीमाएं निर्धारित करने के लिए जोखिम उठाने की उपयुक्त सीमा को परिभाषित करना बैंक के लिए मूल परिचालनात्मक पूर्वापेक्षा है। जोखिम उठाने की सीमा को उपयुक्त संकेतकों द्वारा मापी गई(यथा बैंक की जोखिम सहने की रुख की माप के रूप में) वित्तीय जोखिम उठाने की बैंक की इच्छा के रूप में परिभाषित किया जाता है। जोखिम उठाने की सीमा की परिभाषा के आधार पर, बैंक के वास्तविक जोखिम ढांचे के विहगावलोकन से इसके लक्ष्य जोखिम ढांचे की परिभाषा के लिए शुरुआती स्थल की जानकारी हो जाती है। बैंक के वास्तविक जोखिम ढांचे में समग्र बैंक के स्तर पर विभिन्न प्रकार की जोखिमों (ऋण जोखिम, ट्रेडिंग बही में बाजार जोखिम, बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम, आदि) का वर्तमान सापेक्ष्य महत्व तथा अलग-अलग जोखिम प्रकार के बीच जोखिम सकेन्द्रण का वितरण शामिल होता है। बैंक की जोखिम स्थिति का आकलन करने के बाद, अगला महत्वपूर्ण कदम यह सुनिश्चित करना है कि जोखिम की स्थिति आने पर हानि को सहने के लिए पर्याप्त पूँजी उपलब्ध हो।

5.14 पूँजी बैंक के संसाधनों में से सबसे दुर्लभ तथा सर्वाधिक खर्चीला साधन है तथा इससे हानियों को प्रत्यक्ष रूप में तथा तत्काल कवर किया जा सकता है। जहाँ तक बैंकिंग कंपनी का संबंध है, पूँजी से कई प्रयोजन पूरे होते हैं। यह (i) बैंक के परिचालनों के निधीयन का स्थायी स्रोत है; (ii) आस्ति मूल्यों की हानियों और परिवर्तनों को अवशोषित करती है तथा इस प्रकार शोधनीयता बनाए रखने में मदद करती है; (iii) जमाकर्ताओं के विश्वास को बढ़ाती है; (iv) बैंक के अभिशासन में शेयरधारकों के हित को प्रोत्साहित करती है; (v) परिसमापन की स्थिति में उधारदाताओं को संरक्षण प्रदान करती है; तथा (vi) अनिश्चितता के प्रति बैंक का संरक्षण करती है। बैंक के शेयरधारकों द्वारा प्रदान की गई पूँजी, एक ओर, बैंकों को जोखिम उठाने की अनुमति देती है तथा, दूसरी ओर, इसकी यह अपेक्षा होती है कि ऐसी जोखिम के लिए उपयुक्त पारिश्रमिक हो। अतः यह जरूरी है कि पूँजी प्रबंधन को मूल्य के सृजन से जोड़ा जाए, जबकि साथ ही विभिन्न प्रकार की जोखिमों से उत्पन्न लागत (संभाव्य हानियों द्वारा अवशोषित पूँजी के रूप में) तथा लाभ (निवल लाभ के रूप में) पर सही रूप में और त्वरित निगरानी रखी जाए।

5.15 बैंक विनियमन के प्रति परंपरागत दृष्टिकोण पूँजी पर्याप्तता संबंधी अपेक्षाओं की सकारात्मक विशिष्टताओं पर बल देता है (देवात्रिपोंट तथा तिरोले, 1994)। पूँजी हानियों एवं इस प्रकार विफलता के प्रति प्रतिरोधक के रूप में कार्य करती है। पूँजी पर्याप्तता संबंधी अपेक्षाएं जमाकर्ताओं और अन्य ऋणदाताओं के साथ बैंक के मालिकों के प्रोत्साहनों को संरेखित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं (बर्गर आदि, 1995 तथा कीले एवं फरलांग, 1990)। दूसरी ओर, यह तर्क दिया जाता है कि पूँजी की अपेक्षाएं जोखिम उठाने के व्यवहार को बढ़ा सकती हैं। यदि जमाराशियां जुटाने की तुलना में इक्विटी पूँजी अधिक खर्चीली हो, तो जोखिम-आधारित पूँजी संबंधी अपेक्षाओं में वृद्धि होने से उधार देने की बैंकों की इच्छा कम होने की प्रवृत्ति होती है (ठाकोर, 1996)। यह भी देखा गया है कि पूँजी संबंधी अपेक्षाएं बढ़ाने से बैंक कम जमाराशियां रखने के लिए मजबूर होते हैं, जो बैंकों की चलनिधि-प्रदान करने की भूमिका को कम करता है (गॉर्टन तथा विंटन, 2000)।

सारणी 5.1: जोखिमों के प्रकार जिनका सामना बैंकों द्वारा किया जाता है

जोखिमों के प्रकार	परिभाषा
ऋण जोखिम	यह काउंटरपार्टी की ऋण गुणवत्ता में ह्रास हो जाने के कारण ऋण देने संबंधी निर्णीत संविदाओं में चूक अथवा उन्हें पूरा न करने के नकारात्मक परिणाम को संदर्भित करता है।
• काउंटरपार्टी चूक जोखिम	इस संभावना को संदर्भित करता है कि करार करनेवाली अन्य पार्टी द्वारा चूक होगी।
• इक्विटी जोखिम (सहभाग)	कंपनी-विशिष्ट कारकों के कारण इक्विटी के प्रतिकूल मूल्य के कारण स्टाक मार्केट में बैंकों के निवेश में मूल्यह्रास की संभावना को संदर्भित करता है।
• प्रतिभूतिकरण जोखिम	प्रतिभूतिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ऋण लिखतों को एक पूल में एकत्रित करके और तदनंतर पूल द्वारा समर्थित नई प्रतिभूतियों को जारी जोखिमों को बाँटा जाता है। प्रतिभूतिकरण के दो प्रकार हैं, जैसे कि 'परंपरागत' तथा 'संश्लिष्ट' (सिंथेटिक) प्रतिभूतियां। 'परंपरागत' प्रतिभूतिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें प्रवर्तक बैंक आस्तियों के समूह को विशेष प्रयोजन संस्था को अंतरित कर देता है जो उनसे दूरी बनाए रखती है। इसके विपरीत, 'संश्लिष्ट' प्रतिभूतिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें प्रवर्तक बैंक आस्तियों के समूहों का कानूनी स्वामित्व अपने पास रखता है और ऋण-संबद्ध नोटों अथवा क्रेडिट व्युत्पन्नियों के उपयोग के माध्यम से अंतर्निहित आस्तियों के पूल से संबद्ध केवल ऋण जोखिम को अंतरित करता है।
• संकेंद्रण जोखिम	संकेंद्रण जोखिम एक ऐसा एकल एक्सपोजर अथवा एक्सपोजरों का समूह है जो बैंक के स्वास्थ्य को अथवा उसके मुख्य परिचालनों को बनाए रखने की उसकी क्षमता को खतरे में डालने के लिए पर्याप्त हानि (बैंक की पूंजी, कुल आस्तियों अथवा समग्र जोखिम स्तर के संबंध में) उत्पन्न करने में सक्षम है।
बाजार जोखिम	बाजार जोखिम सामान्यतः मुद्रा तथा पूंजी बाजारों के मूल्य में हुए परिवर्तन के परिणामस्वरूप उत्पन्न जोखिम को संदर्भित करता है। खुली विदेशी मुद्रा विनिमय स्थितियों तथा (स्पष्ट अर्थों में) खुली मीयादी स्थितियों के कारण विदेशी मुद्रा विनिमय घट-बढ़ की संवेदनशीलता के परिणामस्वरूप भी बाजार जोखिम उत्पन्न होती है।
• ब्याज दर जोखिम (आइआरआर)	ब्याज दर जोखिम (आइआरआर) की व्याख्या इस प्रकार है - ब्याज दर घट-बढ़ के कारण बैंक के पोर्टफोलियो मूल्य में परिवर्तन। आइआरआर प्रबंधन प्रणाली ट्रेडिंग बही (अर्थात जिन आस्तियों की नियमित रूप से ट्रेडिंग की जाती है और जो तरल स्वरूप की होती हैं) तथा बैंकिंग बही (अर्थात जो आस्तियां सामान्यतया परिपक्व होने तक रखी जाती हैं और जिनमें शायद ही कभी ट्रेडिंग की जाती हो) दोनों में मौजूद जोखिम एक्सपोजरों की माप तथा नियंत्रण से संबंधित है। आइआरआर को चार वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है: पुनर्मूल्यनिर्धारण जोखिम (अर्थात ब्याज दर स्तरों में घट-बढ़ जिनका बैंक आस्तियों तथा देयताओं पर अलग-अलग प्रभाव पड़ता है), आय वक्र जोखिम (अर्थात आय वक्र के ढलान एवं आकार में अप्रत्याशित बदलाव द्वारा पोर्टफोलियो मूल्य में परिवर्तन), आधार जोखिम (अर्थात उसी तरह की परिपक्वताओं के लिए विभिन्न ब्याज दर बाजारों में सूचक दरों के बीच अपूर्ण सह संबंध) तथा विकल्पता (बैंक आस्तियों, देयताओं और तुलनपत्र बाह्य स्थितियों में दिए गए ब्याज दर विकल्पों से उत्पन्न जोखिम)
• इक्विटी मूल्य जोखिम	यह जोखिम सामान्य बाजार संबंधी कारकों के कारण इक्विटी के बाजार मूल्यों की घट-बढ़ के कारण उत्पन्न होती है।
• विदेशी मुद्रा विनिमय जोखिम	यह जोखिम विदेशी मुद्रा विनिमय दरों में घट-बढ़ के कारण उत्पन्न होती है।
परिचालनात्मक जोखिम	अपर्याप्त अथवा विफल आंतरिक प्रक्रियाओं, व्यक्तियों तथा प्रणालियों अथवा बाह्य घटना के परिणास्वरूप हुई हानि की जोखिम परिचालनात्मक जोखिम कहलाती है। इस परिभाषा में कानूनी जोखिम शामिल है, किंतु रणनीतिक तथा प्रतिष्ठा संबंधी जोखिम शामिल नहीं है।
• अनुपालन/कानूनी जोखिम	अनुपालन/कानूनी जोखिम में पर्यवेक्षणात्मक कार्रवाई तथा निजी समझौते के परिणामस्वरूप जुर्माना, दंड अथवा दंडात्मक हानियों के प्रति एक्सपोजर शामिल है, किंतु यह इस तक सीमित नहीं है। कानूनी/अनुपालन जोखिम यथोचित नीति, प्रक्रिया अथवा विधि, विनियम, संविदात्मक व्यवस्थाओं तथा अन्य कानूनी तौर पर बाध्यकारी करारों और अपेक्षाओं के अनुरूप नियंत्रण बनाने में संस्था की विफलता से उत्पन्न होती है।।
• प्रलेखीकरण जोखिम	अनुचित अथवा अपर्याप्त प्रलेखीकरण से भविष्य का अनुमान नहीं लगाया जा सकता तथा अनिश्चितता बनी रहती है, जो वित्तीय संविदा की विशिष्टताओं के संबंध में संदिग्धता उत्पन्न करती है, तथा इसे ही प्रलेखीकरण जोखिम कहते हैं।
चलनिधि जोखिम	चलनिधि जोखिम बैंक की दायित्व निभाने की असमर्थता से उत्पन्न होती है, और यह ऐसी स्थिति को संदर्भित करता है जिसमें पार्टी के इच्छुक होने के बावजूद आस्ति की ट्रेडिंग करने के लिए कोई काउंटरपार्टी नहीं मिलती है।
• सावधि चलनिधि जोखिम	यह जोखिम ऋण लेन-देन में पूंजी प्रतिबद्धता अवधि में अप्रत्याशित बढ़ोतरी (चुकौती में अप्रत्याशित देरी) हो जाने के कारण उत्पन्न होती है।
• आहरण/मांग जोखिम	अपेक्षा से अधिक ऋण का आहरण करने अथवा अधिक जमाराशि के आहरण से उत्पन्न जोखिम आहरण अथवा मांग जोखिम कहलाती है। इससे बैंक को यह जोखिम है कि कठिनाइयों के बिना वह अपने भुगतान दायित्व पूरे नहीं कर सकेगा।
• संरचानात्मक चलनिधि जोखिम	यह जोखिम आवश्यक निधि लेन-देन न कर पाने (अथवा केवल कम अनुकूल शर्तों पर कर पाने) की स्थिति में उत्पन्न होती है। यह जोखिम कभी-कभी निधीयन चलनिधि जोखिम भी कहलाती है।
• आकस्मिक चलनिधि जोखिम	आकस्मिक चलनिधि जोखिम एक ऐसी जोखिम है जो अतिरिक्त निधियों को जुटाने अथवा संभाव्य भविष्यकालीन दबावग्रस्त बाजार स्थितियों के अधीन परिपक्व हो रही देयताओं को पुनःस्थापित करने से संबंधित है।
• बाजार चलनिधि जोखिम	यह जोखिम तब उत्पन्न होती है जब विदेशी मुद्राओं को अपेक्षित समयावधि के दौरान नहीं बेचा जा सकता है अथवा केवल बट्टा दर पर बेचा जा सकता है (बाजार प्रभाव)। यह विशेष मामला अतरल बाजार में प्रतिभूतियों/व्युत्पन्नियों का होता है, अथवा जब बैंक ऐसी बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा अपने पास रखता है कि उसे आसानी से नहीं बेचा जा सकता। इन बाजार चलनिधि जोखिमों का हिसाब जोखिम की माप में धारण अवधि (उदा. जोखिम पर मूल्य (वीएआर) के लिए धारण अवधि) को बढ़ाकर अथवा अनुभव के अधार पर प्राप्त प्रत्याशित मूल्य लागू कर किया जा सकता है।
अन्य जोखिम	
• रणनीतिगत जोखिम	रणनीतिगत जोखिम कारोबार नीति निर्णयों, आर्थिक वातावरण में परिवर्तन, निर्णयों के अपूर्ण अथवा अपर्याप्त कार्यान्वयन अथवा आर्थिक वातावरण में हुए परिवर्तन को स्वीकार करने में विफलता के कारण पूंजी तथा अर्जन पर हुए ऋणात्मक प्रभाव से संबंधित है।
• प्रतिष्ठा संबंधी जोखिम	प्रतिष्ठा संबंधी जोखिम संभाव्य प्रतिकूल प्रभाव से संबंधित है, जो बैंक की प्रतिष्ठा में प्रत्याशित स्तर की तुलना में ऋणात्मक भिन्नता के कारण उत्पन्न होती है। बैंक की प्रतिष्ठा उसकी क्षमता ईमानदारी तथा विश्वसनीयता के प्रति जनता (निवेशक/ उधारकर्ता, कर्मचारी, ग्राहक आदि) की नजरों में बनी छबि पर निर्भर होती है।
• पूंजीगत जोखिम	पूंजीगत जोखिम बैंक के स्वरूप एवं आकार के संबंध में असंतुलित आंतरिक पूंजीगत संरचना से, अथवा यदि आवश्यक हुआ तो अतिरिक्त जोखिम व्याप्तिवाली पूंजी तुरंत जुटाने से संबंधित कठिनाइयों से उत्पन्न होती है।
• अर्जन जोखिम	अर्जन जोखिम बैंक की अर्जन संरचना में अपर्याप्त विविधता अथवा लाभप्रदता के एक पर्याप्त एवं अंतिम स्तर तक पहुंचने में बैंक की असमर्थता के कारण उत्पन्न होती है।
• आउटसोर्सिंग जोखिम	आउटसोर्सिंग जोखिम को वर्गीकृत करने के कई उपाय हैं, जिनमें से चार अत्यधिक सुविधाजनक उपाय हैं - परिचालनात्मक विघटन जोखिम, डेटा जोखिम, गुणवत्ता जोखिम और प्रतिष्ठा संबंधी जोखिम।

5.16 बनायी रखी जाने वाली पूँजी उनके जोखिम प्रोफाइल तथा परिचालनात्मक वातावरण के अनुरूप होनी चाहिए। इस उद्देश्य के अनुसरण में, बैंकों को पूँजी के साथ जोखिम को संबद्ध करने की ऐसी सुदृढ़ पद्धति बनानी चाहिए ताकि पूँजी उसके जोखिम प्रोफाइल के लिए पर्याप्त हो। जोखिम प्रबंधन में उस जोखिम की मात्रा और प्रकार का तय किया जाना, जिसे उठाने के लिए बैंक इच्छुक हो, ऐसी जोखिम को कवर करने के लिए पर्याप्त पूँजी संसाधन जुटाना तथा वांछित लाभ कमाने की स्थिति में मौजूद कारोबारी इकाइयों के लिए पूँजी का आबंटन अपेक्षित होता है। यह प्रक्रिया सिर्फ एक बार नहीं होती अपितु इसके लिए निरंतर समायोजन अपेक्षित होता है। अधिक विशिष्ट तौर पर कहें तो, लाभप्रदता का लक्ष्य पूरा न करने वाले कारोबारी क्षेत्रों का विश्लेषण, पुनर्विन्यास और अंततः उन्हें छोड़ दिया जाना अपेक्षित होता है। बैंक की पूँजी की एक विशिष्ट मात्रा को विभिन्न कारोबारों में (या इसकी कारोबारी इकाइयों में) स्पष्ट तौर पर आबंटित किया जा सकता है, जो बैंक के रणनीतिक निर्णयों पर निर्भर होता है। इसके अलावा, ये आबंटन कुछ समय में उदाहरण के लिए एक कारोबारी चक्र के भीतर अलग-अलग हो सकते हैं। एक विशेष क्षेत्र में कारोबार की स्थिति में सुधार के साथ उन्हें बढ़ाया या घटाया जा सकता है।

5.17 पूंजी प्रबंधन का संबंध मुख्यतः पूंजी की उस इष्टतम मात्रा को जो बैंक के पास होनी चाहिए (आर्थिक पूंजी) तथा इष्टतम विनियामक पूंजी संमिश्र को परिभाषित करने से है। इस प्रकार, अलग-अलग बैंक की पूंजी को विनियामक पूंजी और आर्थिक पूंजी के संमिश्र के रूप में देखा जा सकता है (बॉक्स V.I)। विनियामक और आर्थिक पूंजी दोनों से बैंकों के

बॉक्स V.1
आर्थिक पूंजी बनाम विनियामक पूंजी

विनियामक तथा आर्थिक पूंजी दोनों का असर बैंक की वित्तीय स्थिरता शक्ति पर पड़ता है; आर्थिक तथा विनियामक पूंजी का निर्धारण उन्हीं परिवर्तियों के आधार पर नहीं किया जाता है तथा साथ ही वे उन्हें प्रभावित करनेवाले सामान्य परिवर्तियों यथा ऋण की चूक संबंधी संभाव्यता तथा चूक में हानि में हुए परिवर्तनों के प्रति उसी रू प में रेस्पांड नहीं करते हैं। जहां तक आर्थिक और विनियामक पूंजी के निर्धारकों का संबंध है, जहां आर्थिक पूंजी (ईसी) मध्यस्थता मार्जिन और बैंक पूंजी की लागत पर निर्भर होती है, वहीं विनियामक पूंजी विनियामक द्वारा निर्धारित विश्वास के स्तर पर निर्भर होती है। अतः, इन दोनों पूंजी के स्तरों के बीच प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता है। आर्थिक और विनियामक पूंजी दोनों को प्रभावित करनेवाले परिवर्तियों यथा ऋण की चूक संबंधी संभाव्यता तथा चूक में हानि का इन परिवर्तियों के उचित मूल्यों के लिए दोनों पूंजी के स्तरों पर सकारात्मक असर पड़ता है, आर्थिक पूंजी पर उनका प्रभाव ऋणात्मक हो जाता है जिससे विनियामक पूंजी के साथ अंतर बढ़ जाता है (एलिझाल्डे तथा रेपुल्लो, 2007)।

ईसी निर्धारित करने की विभिन्न पद्धतियां हैं। एक सामान्य पद्धति ईसी को (सांविधिक) बर्बादी की संभाव्यता पर आधारित करना है, जो ऐसी संभाव्यता है कि दी गई भविष्य की मूल्यन तारीख को वर्तमान मूल्य के आधार पर देयताएं आस्तियों की तुलना में अधिक होंगी, जिसके फलस्वरूप तकनीकी दिवालियापन आ जाएगा। बर्बादी की संभाव्यता पर आधारित ईसी का निर्धारण प्रबंधन द्वारा विनिर्दिष्ट लक्ष्य के प्रति बर्बादी की संभाव्यता कम करने के लिए आवश्यक अतिरिक्त आस्तियों की मात्रा की गणना करके किया जाता है। यह लक्ष्य निर्धारित करते समय प्रबंधन द्वारा उन कई कारकों पर विचार किया जाता है जो प्राथमिक तौर पर पॉलिसी धारकों की शोधनीयता संबंधी चिंताओं से संबंधित होते हैं।

सिर्फ आर्थिक पूंजी को प्रभावित करनेवाले परिवर्ती, यथा मध्यस्थता मार्जिन और पूंजी की लागत, विनियामक पूंजी से बड़े परिवर्तनों के कारण होते हैं। आर्थिक और विनियामक पूंजी की सापेक्ष्य स्थिति का निर्धारण मुख्यतः बैंक पूंजी की लागत द्वारा किया जाता है: पूंजी की लागत कम (अधिक) होने पर आर्थिक पूंजी विनियामक पूंजी की तुलना में उच्चतर (निम्नतर) होती है (एलिझाल्डे तथा रेपुल्लो, 2007)।

निष्कर्ष के तौर पर, दोनों संकल्पनाएं विभिन्न प्राथमिक पणधारियों की चिंताएं दर्शाती हैं। आर्थिक पूंजी के लिए, बैंक के शेयरधारक प्राथमिक पणधारी होते हैं तथा उसका उद्देश्य अपने धन को अधिकतम करना होता है (अलेन, 2006)। हाल के वर्षों में विनियामक प्रवृत्ति के क्रेडिट जोखिम मॉडेलिंग के नजदीक आने के साथ तथा धारित की जानेवाली विनियामक पूंजी की मात्रा निर्धारित करने के लिए बैंकों को अपना खुद का मॉडल विकसित करने की अनुमति बैंकों को देने के लिए, भविष्य के विनियामक निर्णयों के लिए वर्तमान विनियामक और आर्थिक पूंजी की तुलना करना अंतर्दृष्टिपूर्ण प्रयोग बनता जा रहा है (झू,2007)।

संदर्भ :

अलेन,बी.2006 'इंटर्नल अफेयर्स,' रिस्क,19 जून, 45-49 ।

बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासेल समिति, 2004. इंटरनेशनल कनवर्जेंस ऑफ कैपिटल मेजरमेंट एण्ड कैपिटल स्टैंडर्डः ए रिवाइज्ड फ्रेमवर्क, बासेल ।

कैरी,एम.2001 'ऋण जोखिम के आयाम तथा आर्थिक पूंजी संबंधी अपेक्षाओं के साथ उनका संबंध' देखें एम. एस. मिष्किन संपादित), विवेकपूर्ण पर्यवेक्षणः व्हाई इज इट इंपार्टेंट एण्ड व्हाट आर द इश्यूज, शिकागो : शिकागो विश्वविद्यालय प्रेस तथा एनबीईआर।

करुणा, जे.2005. 'बासेल IIः बैक टू द फ्यूचर', http://www.bde.es/prensa/intervenpub/governador/040205e.pdf. पर उपलब्ध सातवां हांगकांग मौद्रिक प्राधिकारी विशिष्ट व्याख्यान।

एलिझाल्डे ए. तथा आर. रेपुल्लो, 2007 'बैंकिंग में आर्थिक और विनियामक पूंजीः क्या अंतर है?' इंटरनेशनल जर्नल ऑफ सेंट्रल बैंकिंग, 3(3), सितंबर ।

जोन्स,डी.,तथा जे.मिंगो. 1998. 'क्रेडिट रिस्क मॉडेलिंग तथा आंतरिक पूंजी आबंटनों में उद्योग प्रथाएं : मॉडेल आधारित विनियामक पूंजी मानक के लिए निहितार्थ '। एफआरबीएनवाइ इकोनॉमिक पालिसी रिव्यू, अक्तूबर।

झू,एच.2007. 'पूंजी विनियमन तथा बैंकों के वित्तीय निर्णय'. बीआइएस वर्किंग पेपर संख्या 232,जुलाई।

कारोबारी परिचालनों से होने वाली अप्रत्याशित हानियों को कवर किये जाने की आशा है। जहाँ विनियामक पूंजी को अनिवार्यतः राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के निदेशों के अनुसार विवेकपूर्ण विनियमनों के अनुपालन के अंग के रूप में रखा जाता है, वहीं आर्थिक पूंजी को बैंक की अपनी इच्छानुसार न्यूनतम अपेक्षित स्तर के आगे रखा जाता है। बैंक प्रबंधन द्वारा आर्थिक पूंजी को आंतरिक कारोबारी प्रयोजनों के लिए, बैंक के कार्यनिष्पादन द्वारा प्रस्तुत बाह्य जोखिम के संबंध के बिना, परिभाषित किया जाता है। इसके अलावा धारित आर्थिक पूंजी की मात्रा, इसका प्ररूप तथा इसके द्वारा समर्थित बैंक के कारोबार के क्षेत्र हर बैंक में अलग-अलग हो सकते हैं। इसके विपरीत, विनियामक पूंजी अपेक्षाओं को शोधनीयता के ऐसे मानक बनाने चाहिए, जो समग्र बैंकिंग प्रणाली या व्यापक अर्थव्यवस्था की सुरक्षा और सुदृढ़ता का समर्थन करे। यद्यपि, दोनों प्रकार की पूंजी की व्याप्ति और स्तर अलग-अलग हैं, वे परस्पर एक दूसरे को बहिष्कृत नहीं करते तथा गैर-योगात्मक हैं। विनियामक पूंजी मानकीकृत परिभाषाओं का अनुसरण करती है, जबकि आर्थिक पूंजी बैंक विशिष्ट पद्धतियों से प्राप्त होती है। इसके अलावा, यह देखते हुए कि जोखिम का सामना करने के लिए कितनी पूंजी अपेक्षित है (आर्थिक पूंजी) तथा पर्यवेक्षकों की अपेक्षाओं के अनुपालन के लिए कितनी पूंजी अपेक्षित है (विनियामक पूंजी), मूल्य सृजन के लक्ष्य का अनुसरण बैंक द्वारा संगृहीत पूंजी को संरचना को इष्टतम करके भी किया जा सकता है ताकि इसकी औसत इकाई लागत को न्यूनतम किया जा सके। इस प्रयोजन के लिए, शेयरधारकों की 'मूल' पूंजी के अलावा, सभी प्रकार के उन अभिनव तथा संकर पूंजी लिखतों (उदाहरण के लिए अधिमान शेयर, शाश्वत गौण ऋण, आकस्मिक पूंजी) का उपयोग किया जा सकता है, जो वित्तीय बाजारों में उपलब्ध होते हैं।

III. पूंजी पर्याप्तता संबंधी बासेल मानदंड

5.18 अंतरराष्ट्रीय रूप से, 1988 में बासेल I मानदंड लागू करने के पूर्व कोई व्यक्त पूंजी पर्याप्तता मानक नहीं थे। सर्वाधिक सामान्य दृष्टिकोण यह था कि बैंकिंग के संबंधित कानूनों में न्यूनतम पूंजी अपेक्षाएं निर्धारित की जाएं तथा बैंक की पूंजी स्थिति की सापेक्ष्य शक्ति का निर्धारण ऋण-इक्विटी अनुपात जैसे अनुपातों अथवा लीवरेज के स्तर को मापने के लिए उसके अन्य रूपों द्वारा किया जाए। यद्यपि 1988 के बासेल समझौते के पहले भी बैंकिंग में पूंजी विनियामक मौजूद था, विभिन्न देशों में इसे अपनाने की पद्धति और समय में व्यापक अंतर था। बासेल-पूर्व चरण में, न्यूनतम विनियामक अपेक्षाएं स्थापित करने के लिए पूँजी अनुपातों के उपयोग का परीक्षण एक सदी से अधिक समय से हो रहा था। अमरीका में 1864 तथा 1950 के दशक के बीच पर्यवेक्षकों ने (i) विभिन्न पूँजी पर्याप्तता उपायों के उपयोग का प्रयास किया, यथा प्रत्येक बैंक के सेवा क्षेत्र की आबादी पर आधारित स्थैतिक न्यूनतम पूँजी अपेक्षाएं, कुल जमाराशियों के प्रति पूँजी तथा कुल आस्तियों के प्रति पूँजी के अनुपात; (ii) जोखिम के लिए आस्तियों का समायोजन किया; तथा (iii) जोखिम आस्तियों के प्रति पूँजी अनुपात बनाया, परन्तु उस समय किसी को भी सार्वभौमिक रूप से स्वीकार नहीं किया गया। बैंकिंग क्षेत्र भी अधिक व्यक्तिनिष्ठ प्रणाली के पक्ष में था, जहाँ विनियामक इस बात का निर्णय ले सकते थे कि बैंक विशेष के लिए उसके जोखिम प्रोफाइल के कार्य के रूप में कौन सी पूँजी अपेक्षाएं उपयुक्त थीं (लारेंट, 2006)।

5.19 नया वित्तीय ढांचा विकसित करने के आरंभिक उपायों के चिह्न 1973-74 के तेल आघातों के साथ ब्रेटन वुड्स प्रणाली ध्वस्त होने में खोजे जा सकते हैं। लचीली विनियम दरें लागू होने, ब्याज तथा मुद्रास्फीति दरों में भिन्नता नयी प्रौद्योगिकी उन्मुख कंपनियों के उदय के फलस्वरूप परंपरागत 'ईंट-पत्थर वाली कंपनियां' कुछ सीमा तक ध्वस्त हो गईं, जिससे कई संस्थागत विफलताएं हुईं। इससे, बदले में सरकारी हस्तक्षेप तथा नये वित्तीय ढाँचे की मांग हुई (कॅपस्टीन, 2006)। जी-10 के केन्द्रीय बैंकर जून 1974 को मिले परंतु वे किसी बात पर सहमत न हो सके। अमरीका ने अंतिम आश्रयदाता उधारदाता सुविधा के व्यक्त संकेत के लिए तर्क दिया, जबकि जर्मन दूसरी ओर अधिदेश की कमी तथा नैतिक खतरे की समस्या बता रहे थे। तथापि बातचीत विफल होने से कई छोटे बैंक अंतर-बैंक बाजार से बाहर हो गए, जिससे सितंबर 1974 में पुनः मिलने का सुदृढ़ राजनैतिक दबाव केन्द्रीय बैंकरों पर पड़ा। इस बैठक में अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग के अपर्याप्त पर्यवेक्षण के बारे में चिंता प्रकट की गई तथा इस बात का आश्वासन दिया गया कि अस्थायी तरलता प्रदान करने के साधन उपलब्ध कराए जाएं, जिसका इस्तेमाल जरूरत पड़ने पर किया जा सके। 1974 के शरत्काल में, बैंक ऑफ इंग्लैंड ने बैंक पर्यवेक्षकों का जी-10 समूह बनाने की संकल्पना शुरू की, जिसके फलस्वरूप बैंकिंग विनियमन और पर्यवेक्षण प्रथाओं पर स्थायी समिति अथवा बासेल समिति का निर्माण दिसंबर 1974 में हुआ। समिति का आरंभिक अधिदेश विभिन्न देशों के पर्यवेक्षण में समन्वय लाने का व्यापक प्रयास करने के बजाय एक दूसरे के ज्ञान की साझेदारी तथा उसे लागू करने के लिए प्राप्त था। तथापि, इससे बाद में कल्पनातीत मात्रा में विनियामक समन्वय हुआ।

5.20 समिति द्वारा निर्धारित विनियमन के दृष्टिकोण में पर्यवेक्षणात्मक व्यवस्थाओं की बहुपक्षीय निगरानी के बजाय गृह देश के नियंत्रण पर ध्यान केन्द्रित किया गया, जिसमें कोई भी संस्था पर्यवेक्षण से बच नहीं सकती थी। गृह देश नियंत्रण के प्रति पहले कदम के तौर पर बासेल समिति ने 1978 में यह संस्तुति की कि अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग पर्यवेक्षण के लिए समेकित वित्तीय विवरण का उपयोग किया जाए। जहाँ समेकित बैंकिंग विवरण अमरीका एवं कुछ अन्य देशों में एक मानदंड था, यह यूरोप में इतना व्यापक नहीं था। उदाहरण के लिए, जर्मनी में, अपने बैंकों के विदेशी कार्यकलापों के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए इसके पर्यवेक्षकों की योग्यता पर कड़ी सीमाएं लगाई गई थीं। समष्टि आर्थिक कमजोरी आने, अधिक बैंकों के विफल होने तथा बैंक पूँजी में ह्रासमान प्रवृत्ति ने 1981 में विनियामक प्रतिसाद को उत्प्रेरित किया जब, पहली बार, अमरीका में

फेडरल बैंकिंग एजेंसियों ने व्यक्त अंकीय विनियामक पूँजी अपेक्षाएं शुरू कीं। अपनाए गए मानकों में औसत कुल आस्तियों के प्रति प्राथमिक पूँजी का लीवरेज अनुपात (जिसमें मुख्यतः इक्विटी तथा ऋण हानि रिज़र्व शामिल थे) लागू किया गया। तथापि, प्रत्येक विनियामक का इस बारे में अलग दृष्टिकोण था कि वस्तुतः बैंक पूँजी में क्या शामिल है। अगस्त 1982 के ऋण संकट के कारण चलनिधि का अंतर्वेश किया गया तथा न्यूनतम पूँजी मानक शुरू करने की तदनुरूप मांग हुई। जापानी बैंकों के अपर्याप्त पूँजीकरण तथा अलग-अलग बैंकिंग संरचनाओं (जर्मनी के सार्वभौम बैंक बनाम अमरीका के संकीर्ण बैंक) तथा अलग-अलग बैंकों के अलग-अलग जोखिम प्रोफाइल ने पूँजी मानकों पर करार को कठिन बना दिया।

5.21 अगले कुछ वर्षों में, विनियामकों ने एकरूप उपाय की ओर अभिमुख होने पर कार्य किया। अमरीकी कांग्रेस ने 1983 में कानून बनाकर फेडरल बैंकिंग एजेंसियों को निदेश दिया कि वे पूँजी पर्याप्तता का समाधान देते हुए विनियमन जारी करें। कानून के तहत 1985 में विनियामक पूँजी की सामान्य परिभाषा तथा अंतिम एकरूप पूँजी अपेक्षाओं के लिए जोर दिया गया। 1986 तक, अमरीकी विनियामकों को इस बात की चिंता थी कि प्राथमिक पूँजी अनुपात जोखिमों के बीच अंतर करने में विफल रहा तथा उसने नवोन्मेष और व्यापक हो रहे बैंकिंग कार्यकलापों, विशेष रूप से गुरुतर संस्थाओं में तुलनपत्र-बाह्य कार्यकलापों, से जुड़े जोखिम एक्सपोजरों का सही माप प्रस्तुत नहीं किया।

5.22 अमरीकी विनियामकों ने अन्य देशों के जोखिम-आधारित पूँजी ढांचे का अध्ययन शुरू किया - फ्रांस, यूके और पश्चिम जर्मनी ने क्रमशः 1979, 1980 और 1985 में जोखिम आधारित पूँजी मानक लागू किया था। इन एजेंसियों ने जोखिम आधारित पूँजी अनुपातों के पिछले अध्ययनों का भी पुनरावलोकन किया। उदाहरण के लिए, न्यूयार्क के फेडरल रिज़र्व बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव में ऋण जोखिम, ब्याज दर जोखिम और चलनिधि जोखिम कारकों पर आधारित आस्ति वर्ग बनाए गए। विनियामक इस बात पर सहमत थे कि बैंकिंग उद्योग की दो प्रमुख प्रवृत्ति के समाधान के लिए पूँजी पर्याप्तता की परिभाषा को बैंक द्वारा जोखिम उठाए जाने के ज्यादा अनुकूल बनाना होगा। पहला, बैंक सुरक्षित परंतु कम प्रतिलाभ वाली तरल आस्तियों से दूर जा रहे थे। साथ ही, वे अपने उन तुलनपत्र बाह्य कार्यकलापों का विस्तार कर रहे थे, जिनकी जोखिमों को उस समय के पूँजी अनुपातों द्वारा हिसाब में नहीं लिया गया था। विनियामक कुल आस्तियों के प्रति पूँजी के वर्तमान अनुपातों के अनुरूप उपयोग किये जाने वाले अनुपूरक समायोजित पूँजी अनुपात के रूप में कार्य करने के लिए एक नया 'जोखिम आस्ति अनुपात' चाहते थे। इसके पीछे उनका यह विश्वास था कि इससे पूँजीगत ढाँचा अलग-अलग बैंकिंग संगठनों की जोखिम प्रोफाइल के प्रति व्यक्त तथा व्यवस्थित रूप से रेस्पांड कर सकेगा तथा वह व्यापक जोखिमपूर्ण प्रथाओं के लिए जवाबदेह होगा। तथापि, 1987 में पहल की अगुवाई करते हुए, पूँजी पर्याप्तता पर द्विपक्षीय करार की घोषणा करने में अमरीका ने यूके का साथ दिया तथा शीघ्र ही जापान (पूँजी जुटाने में उछल रहे पूँजी बाजार से उत्साहित होकर) भी उसमें शामिल हो गया। बाद में दिसंबर 1987 में, 'पूँजी उपायों और पूँजी मानकों का अंतरराष्ट्रीय अभिसरण' अर्थात बासेल समझौता (अब बासेल I) हो गया। जुलाई 1988 में बासेल I पूँजी समझौता हुआ।

5.23 इस प्रकार बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासेल समिति (बीसीबीएस) अंतरराष्ट्रीय बैंकों की पूँजी पर्याप्तता को नियंत्रित करने वाले पर्यवेक्षणात्मक विनियमनों का अंतरराष्ट्रीय अभिसरण प्राप्त करने के लिए कई वर्षों से प्रयास कर रही है। परामर्शी प्रक्रिया के बाद, जिसके तहत प्रस्ताव न सिर्फ जी-10 देशों के केन्द्रीय बैंक गवर्नरों को अपितु पूरे विश्व में पर्यवेक्षणात्मक प्रधिकारियों को भी भेजे गए थे, समिति ने 1988 में बासेल पूँजी समझौते (जो बासेल I के रूप में लोकप्रिय है) को अंतिम रूप दिया। विनियामक अभिसरण संबंधी समिति के कार्य के दो मूलभूत उद्देश्य थे। पहला, इस ढाँचे को अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग प्रणाली की सुदृढ़ता तथा स्थिरता को मजबूत बनाने के लिए कार्य करना चाहिए। दूसरा, ढाँचे को स्वच्छ होना चाहिए तथा विभिन्न देशों के बैंकों पर इसके प्रयोग में उच्च स्तर की संगति होनी चाहिए ताकि अंतरराष्ट्रीय बैंकों के बीच प्रतिस्पर्धी असमानता के वर्तमान स्रोत को कम किया जा सके।

5.24 बासेल I ढांचे के तीन मुख्य घटक पूंजी, जोखिम भारांकन प्रणाली तथा लक्ष्य अनुपात थे। इस ढाँचे में मुख्यतः ऋण जोखिम पर तथा, ऋण जोखिम के अगले पहलू के रूप में, देश अंतरण जोखिम पर ध्यान केन्द्रित किया गया था। पर्यवेक्षणात्मक प्रयोजनों के लिए पूँजी को दो सोपानों में परिभाषित किया गया था। बैंक के पूँजी आधार का कम-से-कम 50 प्रतिशत मूल तत्व होना चाहिए था, जिसमें इक्विटी पूँजी तथा करोत्तर प्रतिधारित आय से प्रकाशित रिज़र्व शामिल है (टियर 1)। मूल पूंजी के बराबर राशि तक पूँजी के दूसरे तत्वों (अनुपूरक पूँजी)(टियर 2) की अनुमति थी। इन अनुपूरक पूँजी तत्वों तथा पूँजी आधार में उन्हें शामिल करने से जुड़ी विशेष शर्तों को ब्योरेवार निर्धारित किया गया था। टियर 2 या अनुपूरक पूँजी में अप्रकाशित या प्रच्छन्न आरक्षित निधियां, पुनर्मूल्यन आरक्षित निधियां, सामान्य प्रावधान/सामान्य ऋण हानि आरक्षित निधियां, संकर ऋण पूँजी लिखतें तथा गौण मीयादी ऋण शामिल हैं।

5.25 समिति ने जोखिम भारित आस्ति अनुपात की सिफारिश की, जिसमें पूँजी विभिन्न श्रेणियों की आस्ति या तुलनपत्र बाह्य एक्सपोजर से संबद्ध थी, जिसका भारांकन बैंकों की पूँजी पर्याप्तता के निर्धारण के लिए पसंदीदा पद्धति के अनुसार सापेक्ष्य जोखिमपूर्णता की व्यापक श्रेणियों के अनुसार किया गया था - पूँजी की माप की अन्य पद्धतियों को जोखिम - भार दृष्टिकोण का अनुपूरक माना गया। जोखिम भारित दृष्टिकोण को निम्नलिखित करारों से सामान्य गीयरिंग अनुपात दृष्टिकोण

की तुलना में तरजीह दिया गया (i) इसने उन बैंकिंग प्रणालियों के बीच तुलना करने के लिए अधिक आधार प्रदान किया, जिनकी संरचनाएं अलग-अलग थीं; (ii) इसमें तुलनपत्र बाह्य एक्सपोजरों की अनुमति दी गई, जिन्हें उपाय में आसानी से समाविष्ट किया जा सकता था, तथा (iii) इसने बैंकों को कम जोखिम वाली तरल या अन्य आस्तियां रखने से नहीं रोका। विभिन्न प्रकार की आस्ति पर लागू होने वाले भार के बारे में निश्चय करने में अनिवार्यतः कुछ स्थूल निर्णय थे तथा भार का ढाँचा यथासंभव आसान रखते हुए तुलनपत्र की मदों पर सिर्फ पाँच भारों अर्थात् 0,10,20,50 और 100 प्रतिशत का उपयोग किया गया। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी) के सदस्य देशों (जिनमें बासेल समिति के सभी सदस्य शामिल हैं) के सरकारी बांडों को शून्य जोखिम भार दिया गया, ओईसीडी देशों में मुख्यालय रखनेवाले बैंकों को दिए गए सभी अल्पावधि अंतरबैंक ऋणों तथा सभी दीर्घावधि अंतरबैंक ऋणों को 20 प्रतिशत जोखिम भार, घर बंधक को 50 प्रतिशत जोखिम भार, तथा अधिकांश अन्य ऋणों को 100 प्रतिशत जोखिम भार दिया गया। पूँजी पर्याप्तता अनुपात आठ प्रतिशत निर्धारित किया गया।

5.26 बासेल I में मूल रूप से ऋण जोखिम पर ध्यान केन्द्रित किया गया, जो अधिकांश बैंकों के लिए जोखिम का मुख्य स्रोत था। तथापि, बैंकों ने नए प्रकार के वित्तीय लेनदेन शुरू किए, जो निर्धारित मानकों में जोखिम भारों तथा ऋण संपरिवर्तन कारकों में भलीभांति फिट नहीं हुए। उदाहरण के लिए प्रतिभूतिकरण संबंधी कार्यकलापों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, जिसमें बैंक अंशतः विनियामक अंतरपणन अवसरों के रूप में शामिल हुए। उभरती हुई जोखिमों के प्रति रेस्पांड करने के लिए, बासेल समिति के सदस्यों ने 1996 में बाजार जोखिम संशोधन अपनाया, जिसके लिए बैंकों के ट्रेडिंग कार्यकलापों से उत्पन्न बाजार जोखिम एक्सपोजरों हेतु पूंजी अपेक्षित थी। इस प्रकार, इस संशोधन के जरिए उन मूल्य जोखिमों के लिए एक व्यक्त पूंजी कुशन प्रदान किया गया, जिनमें बैंकों का विशेष रूप से उनके ट्रेडिंग कार्यकलापों से उत्पन्न एक्सपोजर था। उक्त संशोधन में विदेशी मुद्रा, ट्रेडिंग वाली ऋण प्रतिभूतियों, ट्रेडिंग वाली इक्विटी, पण्य और ऑप्शन्स में बैंकों की खुली स्थितियों से उत्पन्न बाजार जोखिमों को कवर किया गया है। इस संशोधन की नवीनता इस तथ्य में है कि इसमें बैंकों को इस बात की अनुमति दी गई कि वे, मूलतः अप्रैल 1993 में प्रस्तुत मानकीकृत माप ढाँचे के विकल्प के रूप में, अपने आंतरिक मॉडलों का उपयोग कर बाजार जोखिम के लिए अपेक्षित पूंजी प्रभार निर्धारित कर सकें। मानक दृष्टिकोण में प्रत्येक स्थिति के साथ जुड़े जोखिम प्रभारों को परिभाषित किया गया तथा यह विर्निदिष्ट किया गया कि इन प्रभारों को समग्र बाजार जोखिम पूंजी प्रभार में किए प्रकार समेकित किया जाए। न्यूनतम पूंजी अपेक्षा को दो अलग-अलग परिकलित प्रभारों के रूप में व्यक्त किया गया, एक में प्रत्येक प्रतिभूति के लिए 'विशिष्ट जोखिम' को लागू किया गया, चाहे वह अल्पावधि या दीर्घावधि स्थिति हो तथा दूसरे में संविभाग में ब्याज दर जोखिम, (जिसे 'सामान्य बाजार जोखिम' कहा जाता है) लागू किया गया, जिसके तहत विभिन्न प्रतिभूतियों या लिखतों में दीर्घावधि और अल्पावधि स्थितियों को प्रतितुलित किया जा सकता था।

5.27 बासेल पूंजी समझौता 1988 की मुख्य उपलब्धि यह थी कि बैंकों की शक्ति की माप तथा त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) के तहत पर्यवेक्षकों के हस्तक्षेप के लिए प्रेरक उपाय दोनों के रूप में जोखिम-आधारित पूंजी मानक लागू करके अनुशासन लाया गया। तथापि, कुछ वर्षों में बासेल I ढांचे की अभिकल्पना में कई कमियां नजर आई हैं। बासेल I पूंजी पर्याप्तता मानदंडों की आलोचना एक ऐसे सरल 'सभी के लिए एक समान' दृष्टिकोण के रूप में की गई जिसने अलग-अलग जोखिम स्तर वाली आस्तियों के बीच पर्याप्त अंतर नहीं किया। इस मानक ने प्रतिभूतिकरण तथा तुलनपत्र बाह्य एक्सपोजरों के जरिए पूंजी अंतरपणन को प्रोत्साहित किया। बासेल नियमावली ने कुछ बैंकों को उच्च गुणवत्तावाली आस्तियां उनके तुलनपत्र से बाहर रखने के लिए प्रोत्साहित किया, इस प्रकार बैंक ऋण संविभाग की औसत गुणवत्ता में कमी आई। साथ ही, बैंकों ने ऐसे न्यूनतम ऋण पात्रता वाले उधारकर्ताओं के मामले में बड़ी ऋण जोखिम उठाई, जिनसे जोखिम-धारित वर्ग में सर्वाधिक प्रतिलाभ की आशा की जा सकती थी (क्यूपिएक, 2001)। इस दृष्टिकोण में गलत तरीके से यह माना गया कि प्रत्येक खंड के भीतर जोखिमें एक समान थीं तथा यह कि बैंक के संविभाग की समग्र जोखिम विभिन्न खंडों के बीच मौजूद जोखिमों के योग के बराबर थी। परंतु अधिकांश समय जोखिम-भार वर्गों का मिलान वसूल की गई हानियों से नहीं हुआ (फ्लड,2001)।

5.28 औद्योगिक देशों में बैंकों के ऋण संविभागों का प्रतिभूतिकरण व्यापक प्रवृत्ति बन गई। पहले, बैंकों ने अपना बंधक ऋण बेचना शुरू किया क्योंकि इस प्रकार के ऋण सही तरीके से मूल्यांकित जोखिमों का प्रतिनिधित्व करते थे। परंतु ई-फाइनेंस शुरू होने के बाद, छोटे व्यवसायों को दिए गए ऋण सहित अन्य प्रकार के ऋणों तक इसका विस्तार करना संभव हुआ। इस प्रकार के कार्यकलाप ने बैंकों को अधिक तरल ऋण-जोखिम संविभाग रखने तथा, सिद्धांत रूप में, बासेल समिति द्वारा निर्धारित अनुपात से चिपकने के बजाए पूंजी अनुपात को इष्टतम आर्थिक स्तर तक समायोजित करने की भी अनुमति दी।

5.29 इसके अलावा, पूंजी अनुपातों की गणना करते हुए बैंक के ऋण-जोखिम संविभाग के विशाखीकरण को हिसाब में नहीं लिया गया। बैंक की समग्र जोखिम उसकी अलग-अलग जोखिमों के योग के बराबर नहीं थी - जोखिमों को एकत्र कर किया गया विशाखीकरण बैंक की समग्र संविभाग जोखिम को उल्लेखनीय रूप से कम कर सकता था । वस्तुतः, वित्त का एक सुस्थापित सिद्धांत यह है कि विभिन्न जोखिम विशिष्टताओं वाली आस्तियों को एक संविभाग में मिलाने से अलग-अलग आस्तियों की जोखिमों को जोड़ने मात्र की तुलना में समग्र जोखिम कम हो सकती है। तथापि, उक्त समझौते में संविभाग विशाखीकरण के लाभ को हिसाब में नहीं लिया गया।

5.30 बासेल I में ऋण जोखिम कम करने की तकनीकों को सिर्फ सीमित मान्यता दी गई। इसके अलावा, बासेल I के बाद हुए उल्लेखनीय वित्तीय नवोन्मेषों ने यह सुझाया कि बैंक के विनियामक पूंजी अनुपात उसके अंतर्निहित जोखिम प्रोफाइल के हमेशा उपयोगी संकेतक नहीं हो सकते। 1990 के दशक के वित्तीय संकट, जिसमें अंतरराष्ट्रीय बैंक शामिल थे, ने बासेल मानदंडों में कई और कमजोरियां बताईं, जिसने अत्यधिक जोखिम उठाने तथा बैंक ऋण के दुरावंटन की अनुमति दी तथा कुछ मामलों में उन्हें प्रोत्साहित भी किया (व्हाइट, 2000)। बासेल I ने बैंकों के सामने मौजूद सभी जोखिमों यथा तरलता जोखिम, तथा परिचालनात्मक जोखिम, जो बैंकों के लिए अशोधनीयता एक्सपोजरों के महत्वपूर्ण स्रोत हो सकते हैं, का व्यक्त तौर पर समाधान प्रस्तुत नहीं किया।

5.31 1996 में मूल ढांचे में संशोधन के बावजूद, बासेल I का सरल जोखिमभार वाला दृष्टिकोण बड़े बैंकिंग संगठनों के अधिक उन्नत जोखिम माप दृष्टिकोणों के साथ नहीं चल सका। 1990 के दशक के उत्तरार्ध तक, विशेषतः उन्नत देशों के कुछ बड़े बैंकिंग संगठनों ने ऐसा आर्थिक पूंजी मॉडल विकसित करना शुरू कर दिया था, जिसमें एक संगठन की जोखिमों के विभिन्न तत्वों का समर्थन करने के लिए अपेक्षित पूंजी की मात्रा का अनुमान लगाने हेतु परिमाणात्मक पद्धतियों का उपयोग किया गया था। बैंकों ने जोखिम-समायोजित कार्यनिष्पादन मापने सहित अपने प्रबंधनात्मक कार्यकलापों की जानकारी देने, ऋणों एवं अन्य उत्पादों पर मूल्य तथा सीमाएं निर्धारित करने, तथा विभिन्न व्यवसायों एवं जोखिमों के बीच पूंजी आबंटित करने के साधनों के रूप में आर्थिक पूंजी मॉडलों का उपयोग किया। आर्थिक पूंजी मॉडल के तहत एक विनिर्दिष्ट अवधि में संभाव्य हानियों की संभाव्यता का अनुमान लगाकर तथा ऐतिहासिक हानि आंकड़ों का उपयोग करते हुए एक परिभाषित विश्वास स्तर तक जोखिमों की माप की जाती है। इन मॉडलों में बासेल I संबंधी विनियामक ढांचे, जो अधिकांशतः आस्तियों में अंतर्निहित जोखिम विशिष्टताओं के बजाए आस्ति प्रकार के आधार पर एक सीमित मात्रा तक जोखिम में अंतर करता है, की तुलना में जोखिम की अधिक सार्थक माप की जाती है।

5.32 स्वयं बासेल समिति ने बासेल I ढांचे की कमियों को स्वीकार किया। वित्तीय बाजारों ने नवोन्मेष की तीव्र दर तथा वित्तीय लेनदेनों में बढ़ रही जटिलता ने विशेष रूप से बड़े तथा जटिल बैंकिंग संगठनों के लिए जोखिम प्रबंधन ढांचे के रूप में बासेल I की प्रासंगिकता को कम कर दिया। विभिन्न कमियों ने भी बैंकों के व्यवहार को विकृत किया तथा उन पर निगरानी रखना अधिक जटिल बना दिया। बासेल I की कमियों को दूर करने की दृष्टि से, बीसीबीएस ने 2007 के वर्षांत तक 1988 के पूंजी समझौते को प्रतिस्थापित करने हेतु जून 2004 में पूंजी माप तथा पूंजी मानक के अंतरराष्ट्रीय अभिसरण के लिए एक नया पूंजी पर्याप्तता ढांचा (बासेल II) शुरू किया। बासेल II मानदंडों का उद्देश्य बैंकों के अंतर्निहित जोखिम प्रोफाइल के साथ न्यूनतम पूंजी अपेक्षाओं को संरेखित करना है। इस ढांचे की अभिकल्पना इस प्रकार की गई है ताकि बेहतर जोखिम माप और प्रबंधन के लिए भी प्रोत्साहन मिले। बासेल II ढांचे की मुख्य विशेषताएं नीचे दी गई हैं।

स्तंभ 1 : पूंजी पर्याप्तता

5.33 स्तंभ 1 के तहत, वाणिज्य बैंकों से अपेक्षा की गई है कि वे मोटे तौर पर दो तरह के दृष्टिकोणों - मानकीकृत और उन्नत - के तहत तीन प्रकार की जोखिमों (अर्थात ऋण जोखिम, बाजार जोखिम तथा परिचालनात्मक जोखिम) के लिए अलग-अलग पूंजी पर्याप्तता की गणना करें।

ऋण जोखिम के लिए पूंजी प्रभार

5.34 बासेल II ऋण जोखिम के मामले में बासेल I से इस मायने में अलग है कि एक ही प्रकार के प्रतिपक्षकारों यथा निजी फर्मों, सरकारी संस्थाओं आदि को दिए गए ऋण के लिए कुछ बाह्य रेटिंग एजेंसी द्वारा अथवा स्वयं बैंक द्वारा मूल्यांकित उनकी जोखिमों के आधार पर अलग-अलग पूंजी रक्षा अपेक्षित होती है। बासेल II में ऋण जोखिम के लिए कई दृष्टिकोणों का प्रस्ताव है। सरलतम पद्धति मानकीकृत दृष्टिकोण है जो विनियामक पूंजी अपेक्षाओं को अत्यधिक जटिलताएं टालते हुए जोखिम भारों में गुरुतर अंतर शुरू कर तथा ऋण जोखिम को कम करने संबंधी तकनीकों को गुरुतर मान्यता प्रदान कर बैंकिंग जोखिम के प्रमुख तत्वों के साथ अधिक घनिष्ट रूप में संरेखित करता है। इस पद्धति में, कुछ प्रकार के ऋण एक्सपोजर के लिए जोखिम भारों को प्राथमिक तौर पर रेटिंग एजेंसियों द्वारा प्रदान किए गए ऋण आकलनों के आधार पर परिभाषित किया जाता है। उसके बाद ऋण रेटिंग में प्रतिबिंबित डिफाल्ट जोखिम को परिणामी पूंजी अपेक्षाओं में परिणत किया जाता है (चार्ट V.1)।

5.35 तथापि, मानकीकृत दृष्टिकोण में प्रत्याशित तथा अप्रत्याशित हानियों के बीच अंतर नहीं किया जाता। ऋण अनुमोदन प्रक्रिया में प्रत्याशित हानियों की गणना मानक जोखिम लागतों के रूप में की जानी चाहिए। इस प्रकार 'संभाव्य आकस्मिक हानि' को संदर्भित करनेवाली वास्तविक ऋण जोखिम के तहत सिर्फ ऐसी अप्रत्याशित हानि शामिल होती है जो मानक जोखिम लागतों में परिकलित प्रत्याशित हानि के बाहर हो। यह सुनिश्चित करने के लिए कि इन आंकड़ों की तुलना की जा सकें और इन्हें अन्य जोखिमों (उदाहरण के लिए, बाजार जोखिमों) के साथ जोड़ा जा सके, अप्रत्याशित हानि का उपयोग जोखिम माप के एकसमान के आधार के रूप में किया जा सकता है। प्रत्याशित और अप्रत्याशित हानि के बीच अंतर किया जा सकता है या नहीं, पर जोखिम माप पद्धतियों के चयन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानदंड उनका जोखिम अभिमुखीकरण है (अर्थात बढ़ी हुई जोखिम के लिए अधिक पूंजी अपेक्षित है)।

5.36 आंतरिक रेटिंग आधारित (आइआरबी) दृष्टिकोण के तहत, पर्यवेक्षणात्मक अनुमोदन प्राप्त करनेवाले बैंक एक दिए गए एक्सपोजर के लिए पूंजी की अपेक्षाएं निर्धारित करने में जोखिम घटकों का अपना आंतरिक अनुमान लगाते हैं। जोखिम के घटकों में चूक की संभाव्यता (पीडी) - ऐसी संभाव्यता कि प्रतिपक्षकार एक साल के अंदर चूक करेगा, चूक पर हानि (एलजीडी) - प्रतिपक्षकार द्वारा चूक किए जाने के समय बकाया राशि के प्रतिशत के रूप में व्यक्त की गई हानि की राशि,

बॉक्स V.2
बासेल II मानदंड: मुख्य तत्व

जहां बासेल I फ्रेमवर्क बैंकों के लिए न्यूनतम पूंजी अपेक्षाओं तक सीमित था, वहीं बासेल II समझौता इस दृष्टिकोण का विस्तार कर उसमें 2 अतिरिक्त क्षेत्रों को शामिल करता है, अर्थात पर्यवेक्षणात्मक समीक्षा प्रक्रिया तथा बैंकों के लिए प्रकटीकरण संबंधी बढ़ी हुई अपेक्षाएं। बासेल II के अनुसार बैंकिंग प्रणाली की स्थिरता निम्नलिखित तीन स्तंभों पर निर्भर है जिनकी अभिकल्पना एक दूसरे को प्रबलित करने के लिए की गई है: (i) स्तंभ 1 : न्यूनतम पूंजी अपेक्षाएं - पूंजी अपेक्षाओं की एक व्यापक रू प से नई, जोखिम-पर्याप्त गणना जो (पहली बार) व्यक्त रूप से बाजार और क्रेडिट जोखिम के अलावा परिचालनात्मक जोखिम को शामिल करती है; (ii) स्तंभ 2: पर्यवेक्षणात्मक समीक्षा प्रक्रिया (एसआरपी) - बैंकों में उपयुक्त जोखिम प्रबंधन प्रणालियों की स्थापना तथा पर्यवेक्षणात्मक प्राधिकरण द्वारा उनकी समीक्षा; तथा (iii) स्तंभ 3 : बाजार अनुशासन - बैंकों के लिए प्रकटीकरण संबंधी बढ़ी हुई अपेक्षाओं के कारण बढ़ी हुई पारदर्शिता।

बासेल I की तरह इस फ्रेमवर्क में भी मुख्य रू प से क्रेडिट जोखिम की तरह ध्यान केंद्रित किया गया है। संशोधित फ्रेमवर्क में, न्यूनतम विनियामक संबंधी अपेक्षाओं में न सिर्फ क्रेडिट जोखिम और बाजार जोखिम को अपितु परिचालनात्मक जोखिम को भी हिसाब में लिया जाता है। क्रेडिट जोखिम के उपाय अधिक जटिल होते हैं, बाजार जोखिम के लिए वे उसी तरह के होते हैं, जबकि परिचालनात्मक जोखिम के लिए नए उपाय करने पड़ते हैं। इसके अलावा, बासेल II में स्तंभ 2 की कुछ जोखिमों को शामिल किया जाता है यथा ऋण संकेंद्रण जोखिम और चलनिधि जोखिम।

जोखिमों की संख्या में हुई वृद्धि के अलावा, बैंकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अधिक व्यापक जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क का लक्ष्य प्राप्त करें। जहां बासेल I में प्रत्येक सीमित आस्ति वर्ग के लिए एकल जोखिम भार के आधार पर पूंजी के न्यूनतम स्तर की गणना करने की अपेक्षा की जाती है, वहीं बासेल II के तहत पूंजी संबंधी अपेक्षाएं जोखिम के प्रति अधिक संवेदनशील हैं। क्रेडिट जोखिम भार प्रतिपक्षकार श्रेणी के बजाय प्रत्येक प्रतिपक्षकार की क्रेडिट रेटिंग से प्रत्यक्ष रू प से संबद्ध होते हैं।

बासेल II पूंजी पर्याप्तता संबंधी नियम एक ऐसे 'मेनू' दृष्टिकोण पर आधारित होते हैं जो बैंकों के स्वरू प तथा बाजारों के स्वरू प, जिनमें वे लेनदेन करते हैं, के संबंध में दृष्टिकोणों में अंतरों की अनुमति प्रदान करता है (सारणी 1)। उन्नत दृष्टिकोणों के लिए न्यूनतम अपेक्षाएं तकनीकी तौर पर अधिक मांग करती हैं तथा उनके लिए व्यापक डेटा बेस और अधिक परिष्कृत जोखिम प्रबंधन तकनीक अपेक्षित होते हैं। बासेल II के निर्धारण पूंजी पर्याप्तता से पूंजी दक्षता की ओर संक्रमित हुए हैं जिसका निहितार्थ यह है कि बैंक पूंजी का अधिक गतिशील उपयोग करते हैं जिसमें पूंजी का प्रवाह तेजी से इसके सर्वाधिक दक्ष उपयोग की ओर होगा। बासेल I से भिन्न, बासेल II काफी जटिल है क्योंकि इसमें चुनाव करने का प्रस्ताव है, जिनमें से कुछ में मात्रात्मक तकनीकों का अनुप्रयोग शामिल होता है।

बासेल II - मुख्य विशेषताएं

मद	मुख्य विशेषताएं
स्तंभ 1: पूंजी पर्याप्तता	
ऋण जोखिम 1 सरलीकृत मानकीकृत दृष्टिकोण (एसएसए)	बाह्य क्रेडिट एजेंसी (ईसीए) जोखिम स्कोर पर आधारित सरकारों और बैंकों के लिए अधिक जोखिम खंडों और जोखिम भारों के जरिए बासेल I की तुलना में गुरुतर जोखिम संवेदनशीलता।
ऋण जोखिम 2 मानकीकृत दृष्टिकोण (एसए)	एसएसए की तुलना में अधिक जोखिम खंड । आस्ति वर्गों के लिए जोखिम भार बाह्य क्रेडिट निर्धारण संस्थाओं (ईसीएआइ) अथवा ईसीए स्कोर की रेटिंग पर आधारित होते हैं। बढ़ा हुआ क्रेडिट जोखिम प्रशमन उपलब्ध ।
ऋण जोखिम 3 मूल आंतरिक रेटिंग आधारित दृष्टिकोण (एफ-आइआरबी)	जोखिम घटकों पर आधारित: चूक की संभाव्यता (पीडी), चूक पर हानि (एलजीडी), चूक पर एक्सपोजर (ईएडी), तथा परिपक्वता (एम)। बैंक अपने पीडी अनुमानों तथा अन्य घटकों के लिए पर्यवेक्षणात्मक अनुमानों का उपयोग कर सकते हैं। तनाव परीक्षण अपेक्षित।
ऋण जोखिम 4 उन्नत आंतरिक रेटिंग आधारित दृष्टिकोण (ए-आइआरबी)	पूंजी संबंधी अपेक्षाएं एफ-आइआरबी की तरह निर्धारित होती हैं। बैंक पीडी, एलजीडी, ईएडी, तथा एम के लिए प्रणालियों के पर्यवेक्षणात्मक वैधीकरण के अधीन अपने अनुमानों का उपयोग कर सकते हैं। तनाव परीक्षण अपेक्षित
परिचालनात्मक जोखिम 1 मूल संकेतक दृष्टिकोण	पिछले तीन वर्षों के दौरान औसत सकल वार्षिक आय के 15 प्रतिशत की फ्लैट दर ।
परिचालनात्मक जोखिम 2 मानकीकृत दृष्टिकोण	प्रत्येक व्यवसाय के लिए प्रति व्यवसाय वार्षिक आय के आधार पर प्रति व्यवसाय जोखिम कारक द्वारा गुणा करके प्राप्त परिचालनात्मक जोखिम प्रभार।
परिचालनात्मक जोखिम 3 उन्नत माप दृष्टिकोण	पर्यवेक्षणात्मक अनुमोदन के अधीन बैंकों की आंतरिक जोखिम माप प्रणालियों पर पूरी निर्भरता।
स्तंभ 2 : पर्यवेक्षणात्मक समीक्षा	बैंकों से अपेक्षित है कि वे आंतरिक पूंजी पर्याप्तता आकलन प्रक्रिया (आइसीएएपी) के लिए एक प्रक्रिया तथा पूंजी स्तर बनाये रखने के लिए एक रणनीति तैयार रखें। पर्यवेक्षक बैंकों की आंतरिक पूंजी पर्याप्तता प्रणालियों और अनुपालन का मूल्यांकन करते हैं। अलग-अलग बैंकों के लिए उच्चतर पूंजी पर्याप्तता स्तर का निर्धारण किया जा सकता है, यदि जोखिम प्रोफाइल द्वारा ऐसा अपेक्षित हो। पर्यवेक्षकों द्वारा शीघ्र हस्तक्षेप । तनाव परीक्षण तथा ब्याज दर जोखिम और संकेंद्रण जोखिम का आकलन।
स्तंभ 3 :बाजार अनुशासन	प्रकट की जानेवाली जानकारी में अन्य बातों के साथ साथ इन्हें भी शामिल किया जाता है - समूह में उपलब्ध पूंजी, पूंजी संरचना, ऋण जोखिम के लिए ब्यौरेवार पूंजीगत अपेक्षाएं; आस्ति वर्गीकरण और प्रावधीकरण के ब्यौरे; जोखिम खंडों और जोखिम घटकों के अनुसार संविभाग के ब्यौरे; ऋण जोखिम शमन (सीआरएम) पद्धतियां तथा सीआरएम द्वारा कवर किए गए एक्सपोजर; और परिचालनात्मक जोखिम।

चार्ट V.1 : मानकीकृत दृष्टिकोण का उपयोग कर ऋण जोखिम की गणना

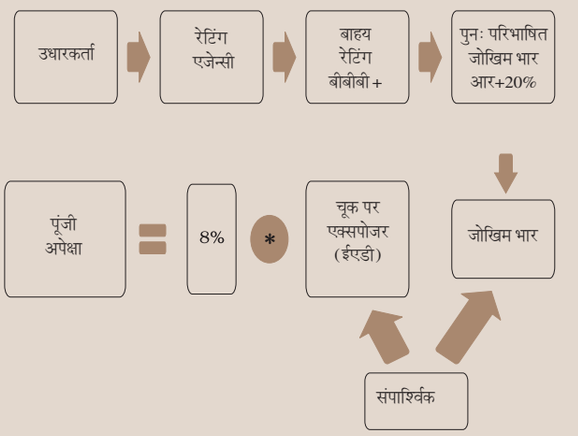

चूक पर एक्सपोजर (ईएडी) - चूक के समय बकाया जमाराशि, तथा प्रभावी परिपक्वता (एम) की माप शामिल हैं। कुछ मामलों में बैंकों से अपेक्षा की जा सकती है कि वे एक या अधिक जोखिम घटकों के लिए आंतरिक अनुमान के विरुद्ध पर्यवेक्षणात्मक मूल्य का उपयोग करें।

5.37 आइआरबी दृष्टिकोण के तहत, बैंकों को अलग-अलग अंतर्निहित जोखिम विशिष्टताओं वाले बैंकिंग बही एक्सपोजरों को आस्तियों के स्थूल वर्गों में वर्गीकृत करना चाहिए, अर्थात, (क) कंपनी, (ख) सरकारी, (ग) बैंक, (घ) खुदरा, तथा (ङ) इक्विटी। चूक की संभाव्यताओं (पीडी) की उपलब्धता प्रत्याशित हानि की गणना की एक आवश्यक पूर्वापेक्षा है। चूंकि अन्य जोखिम मानकों (एलजीडी, ईएडी, एम) के लिए पूर्व परिभाषित पर्यवेक्षणात्मक मूल्यों पर निर्भर रहना ही संभव है, चूक की संभाव्यताओं के बारे में बैंक की आंतरिक गणना आइआरबी दृष्टिकोण के तहत जोखिम वाले सरल ऋण मूल्य की गणना का केंद्रीय संकेतक है। इस प्रकार, ऋण जोखिम के लिए उन्नत दृष्टिकोण न्यूनतम विनियामक पूंजी की गणना के लिए बैंक की आंतरिक प्रणाली द्वारा निर्धारित जोखिम मानकों का उपयोग करता है। मानकीकृत दृष्टिकोण की तुलना में, आइआरबी दृष्टिकोण अधिक जोखिम संवेदनशील है। तथापि, इस प्रकार की पद्धतियां पूंजी की गणना की जटिलता को बढ़ा देती हैं।

जोखिम उपशमन तकनीक

5.38 ऐतिहासिक रूप से बैंक उधारकर्ताओं के दायित्वों के समर्थन के लिए गारंटी तथा प्रतिभूति जैसे विभिन्न तकनीकों का उपयोग कर रहे हैं। हाल के वर्षों में, ऋण की मध्यस्थता को काफी सीमा तक जटिल जोखिम अंतरण लिखतों को बढ़ाकर सुकर बनाया गया है, इन लिखतों में क्रेडिट डेरिवेटिव तथा विभिन्न प्रकार की आस्ति समर्थित प्रतिभूतियां शामिल हैं। एक परिणाम यह है कि बड़ी संख्या में बैंक 'उत्पन्न कर वितरित करें' कारोबारी मॉडल की ओर शिफ्ट हो गए तथा इस प्रकार जोखिम का अंतरण अन्य निवेशकों के प्रति कर दिया गया। बासेल II के तहत पूंजी अपेक्षाओं की गणना करते हुए, ऋण जोखिम को सीमित करने के लिए ऋण जोखिम कम करने संबंधी विभिन्न तकनीकों का प्रयोग किया जा सकता है। मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत, इनमें वित्तीय संपार्श्विकी तथा गारंटी और ऋण डेरिवेटिव शामिल हैं। बासेल II ऋण जोखिम खरीदने और बेचने के लिए प्रयोग किए जाने वाले प्रतिभूतिकरण और ऋण डेरिवेटिव जैसी विकसित हो रही प्रौद्योगिकी का उपयोग कर इन व्यवस्थाओं में निहित जोखिम का बेहतर आकलन करता है। बासेल II जोखिम अंतरण तथा प्रतिभूतिकरण एवं ऋण डेरिवेटिव ढांचे में उपशमन को स्वीकार करने के लिए बेंचमार्क भी तैयार करता है। यह फर्म द्वारा जोखिम का अंतरण किए जाने तथा जोखिम को वस्तुतः प्रतिधारित किए जाने के बीच सीमा-रेखा तैयार करता है। बासेल II ढांचा 'परिचालनात्मक अपेक्षाओं' का सुझाव देता है जिसे आस्तियों के अंतरण, अथवा उनसे संबद्ध जोखिम को स्वीकार करने के लिए, तथा जोखिम-आधारित पूंजी परिकलनों से आस्तियों को निकालने के लिए मूल बैंक द्वारा सक्षम होने के पहले अवश्य पूरा कर लिया जाना चाहिए।

परिचालनात्मक जोखिम के लिए पूंजी प्रभार

5.39 बीसीबीएस ने परिचालनात्मक जोखिम को 'अपर्याप्त अथवा चूक गई आंतरिक प्रक्रियाओं, जनता और प्रणालियों अथवा बाह्य घटनाओं के फलस्वरूप होनेवाली हानि संबंधी जोखिम के रूप में' परिभाषित किया है। इस परिभाषा में विधिक जोखिम शामिल है परंतु रणनीतिक तथा प्रतिष्ठात्मक जोखिम शामिल नहीं है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण परिचालनात्मक जोखिम में आंतरिक नियंत्रणों तथा कंपनी अभिशासन में हुए विकार शामिल हैं। इस प्रकार के विकारों से चूक, कपट,अथवा समय पर कार्रवाई करने में विफलता अथवा किसी अन्य रूप में बैंक के हितों के साथ समझौता किए जाने, उदाहरण के लिए, डीलर, उधारदाता अधिकारियों या अन्य स्टाफ द्वारा उनके अधिकारों का अतिक्रमण किए जाने या अनैतिक अथवा जोखिमपूर्ण तरीके से कारोबार किए जाने के कारण वित्तीय हानियां हो सकती हैं। परिचालनात्मक जोखिम के अन्य पहलुओं में सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली में बड़ी विफलता अथवा बड़े पैमाने पर आग लगना या अन्य दुर्घटनाएं शामिल हैं।

5.40 बैंक का आकार और उसकी जटिलता परिचालनात्मक जोखिम के दो महत्वपूर्ण संकेतक हैं। जैसे-जैसे किसी बैंक में कर्मचारियों, कारोबारी भागीदारों, ग्राहकों, शाखाओं, प्रणालियों और प्रक्रियाओं की संख्या बढ़ती है, इसमें जोखिम की संभाव्यता में भी बढ़ने की प्रवृत्ति होती है। अन्य परिचालनात्मक जोखिम संकेतक है - प्रक्रिया की गहनता अर्थात, किसी बैंक के विरुद्ध दायर किए गए मुकदमों की संख्या। जिन मामलों में कारोबारी परिचालनों को आउटसोर्स किया जाता है (उदाहरण के लिए ऊपर उल्लिखित

प्रोसेसिंग संबंधी कार्यकलाप), उन मामलों में बैंक स्वतः यह नहीं मान सकता कि परिचालनात्मक जोखिमें पूरी तरह से समाप्त हो गयी हैं। इसका कारण यह है कि आउटसोर्सिंग संबंधी सेवा प्रदान करनेवाले पर बैंक की निर्भरता का यह तात्पर्य है कि बादवाले द्वारा वहन की गई जोखिमों का बैंक पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। अतः सेवा स्तरीय करार की विषय-वस्तु और उसकी गुणवत्ता (उदाहरण के लिए, आइएसओ प्रमाणन) तथा आउटसोर्सिंग सेवा प्रदान करनेवाले की विश्वसनीयता भी इस संदर्भ में जोखिम संकेतकों के रूप में कार्य कर सकती है।

5.41 परिचालनात्मक जोखिमों के आकलन के लिए विभिन्न पद्धतियों का उपयोग किया जा सकता है। बासेल II ढांचे में परिचालनात्मक जोखिम के लिए पूंजी की गणना की तीन बड़ी प्रणालियों के बारे में दिशानिर्देश दिया गया है - मूल संकेतक दृष्टिकोण (जो वित्तीय संस्था के वार्षिक राजस्व पर आधारित है), मानकीकृत दृष्टिकोण (जो वित्तीय संस्था के प्रत्येक व्यापक व्यावसायिक स्वरूप के वार्षिक राजस्व पर आधारित है) तथा उन्नत माप दृष्टिकोण (निर्धारित मानकों का अनुपालन करनेवाले बैंक के आंतरिक रूप से विकसित जोखिम माप ढांचे पर आधारित है तथा जिसमें आंतरिक माप दृष्टिकोण (आइएमए), हानि वितरण दृष्टिकोण (एलडीए), परिदृश्य आधारित, तथा स्कोरकार्ड जैसी प्रणालियां शामिल हैं) ।

5.42 मूल संकेतक दृष्टिकोण (न्यूनतम पूंजी अपेक्षाओं की गणना के लिए) परिचालनात्मक जोखिम को मापने की सबसे सरल प्रणाली है। इस दृष्टिकोण में, एक संकेतक, विशेष रूप से पिछले तीन सालों में औसत सकल आय (अर्थात, निवल ब्याज आय और निवल गैर ब्याज आय के जोड़), के प्रति 15 प्रतिशत जोखिम भार लगाया जाता है। मूल संकेतक दृष्टिकोण लागू करने का फायदा प्राथमिक तौर पर इसकी सरलता में निहित है। तथापि, बैंक की परिचालनात्मक जोखिमों और इसकी परिचालनात्मक आय के बीच कोई तात्कालिक हेतुक संबंध नहीं है। जोखिम प्रोफाइल का बेहतर आकलन करने के लिए, यह सलाह दी जाती है कि जोखिमों की पकड़ के लिए अकेले मूल संकेतक दृष्टिकोण पर निर्भर न रहा जाए। उदाहरण के लिए, हानि संबंधी डेटाबेस का उपयोग करते हुए परिणत परिचालनात्मक जोखिमों के व्यवस्थित आंतरिक सर्वेक्षण द्वारा बैंक की जोखिम संबंधी स्थिति की अधिक विशिष्ट गणना की जा सकती है।

5.43 मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत, परिचालनात्मक जोखिम की गणना ऊपर वर्णित जोखिम संकेतक के आधार पर भी अनन्य रूप से की जा सकती है। तथापि, इस मामले में संकेतक की गणना पूरे बैंक के लिए नहीं, अपितु पर्यवेक्षणात्मक प्राधिकरण द्वारा यथापरिभाषित विशिष्ट व्यावसायिक स्वरूप (खुदरा, कंपनी, ट्रेडिंग आदि) के लिए अलग-अलग की जाती है। तदनुसार, मानकीकृत दृष्टिकोण में न सिर्फ 15 प्रतिशत का जोखिम भार, अपितु प्रत्येक व्यावसायिक स्वरूप के लिए परिभाषित विशिष्ट जोखिम भार भी शामिल होता है। इसका अभिप्राय यह है कि मानकीकृत दृष्टिकोण लागू करने में मूल रूप से मूल संकेतक दृष्टिकोण जैसी ही समस्याएं आती हैं। उन्नत माप दृष्टिकोण बैंकों को काफी लचीलापन प्रदान करता है तथा इसमें विशिष्ट प्रणालियां अथवा मान्यताएं निर्धारित नहीं की जातीं। तथापि, इसमें कई गुणात्मक तथा मात्रात्मक मानक विनिर्दिष्ट किए जाते हैं जिन्हें इन दृष्टिकोणों को अपनाने के पहले बैंकों द्वारा पूरा किया जाना होता है। ऐसी पद्धतियों का उपयोग बैंक की जोखिम प्रोफाइल को उपयुक्त रूप से दर्शाने के लिए किया जा सकता है परंतु उनकी अभिकल्पना तथा कार्यान्वयन में उच्च स्तर का प्रयास शामिल होता है। आंतरिक पद्धतियों का उपयोग कर परिचालनात्मक जोखिम के लिए परिमाणात्मक मॉडल वर्तमान में विकसित किए जा रहे हैं।

5.44 जहां बासेल II सम्मिलित विनियामक उद्देश्यों पर आधारित एक अंतरराष्ट्रीय ढांचा है, यह देश-विशिष्ट कार्यान्वयन के अधीन है। अतः बैंकिंग संगठन के आकार और उसकी जटिलता पर निर्भर रहते हुए किसी देश को बहुल जोखिम-आधारित विकल्पों का उपयोग करने का विवेकाधिकार है। चूंकि अंतरराष्ट्रीय समझौता 2004 में जारी किया गया था, अलग-अलग देश इसके द्वारा निर्धारित सिद्धांतों तथा ब्यौरेवार ढांचे पर आधारित राष्ट्रीय नियमों का कार्यान्वयन कर रहे हैं, तथा प्रत्येक देश ने अपने क्षेत्राधिकार के भीतर कुछ सीमा तक राष्ट्रीय विवेकाधिकार का उपयोग किया है। बासेल समिति ने नोट किया कि इसके फलस्वरूप विभिन्न देशों के विनियामकों को क्षेत्राधिकारों के बीच उक्त ढांचा लागू करने में पर्याप्त सुसंगति सुनिश्चित करने के लिए काफी प्रयास करने की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा, बासेल समिति ने इस बात पर बल दिया कि अंतरराष्ट्रीय समझौते में सिर्फ न्यूनतम अपेक्षाएं निर्धारित की गई हैं, जिसके साथ अलग-अलग देश पूंजी नियम के जोखिम माप दृष्टिकोणों की शुद्धता के बारे में संभाव्य अनिश्चितताओं जैसी चिंताओं के समाधान के लिए अतिरिक्त उपाय करने का चुनाव कर सकते हैं।

स्तंभ 2: पर्यवेक्षणात्मक समीक्षा

5.45 एक ओर, स्तंभ 2 (पर्यवेक्षणात्मक समीक्षा प्रक्रिया) की यह अपेक्षा है कि बैंक अपने जोखिम प्रोफाइल के संबंध में तथा अपने पूंजी स्तरों को बनाए रखने की रणनीति के तौर पर अपनी पूंजी पर्याप्तता के निर्धारण के लिए एक आंतरिक प्रक्रिया लागू करें यथा, आंतरिक पूंजी पर्याप्तता निर्धारण प्रक्रिया (आइसीएएपी)। दूसरी ओर, स्तंभ 2 की यह भी अपेक्षा है कि पर्यवेक्षणात्मक प्राधिकरण सभी बैंकों को मूल्यांकन प्रक्रिया के अधीन लाएं तथा मूल्यांकनों पर आधारित आवश्यक पर्यवेक्षणात्मक उपाय लागू करें (बॉक्स V.3)।

5.46 वित्तीय बाजारों की गतिशील वृद्धि तथा जटिल बैंक उत्पादों के उपयोग में वृद्धि ने ऋण संस्थाओं के सामने नई चुनौतियां खड़ी कर दी हैं, जिन्होंने प्रत्येक संस्था की जोखिम स्थिति के परिरोधन तथा लक्षित नियंत्रण के उद्देश्य से प्रणालियों द्वारा कार्य किए जाने की जरूरत पर बल दिया है। बैंकों से अपेक्षित है कि वे उपयुक्त क्रियाविधियों तथा प्रणालियों का उपयोग

बॉक्स V.3
पर्यवेक्षणात्मक समीक्षा प्रक्रिया के सिद्धांत

बासेल समिति ने पर्यवेक्षणात्मक समीक्षा प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित चार मूल सिद्धांतों को परिभाषित किया है।

सिद्धांत 1 : बैंकों के पास उनके जोखिम प्रोफाइल के संबंध में समग्र पूंजी पर्याप्तता के आकलन की प्रक्रिया तथा पूंजी स्तरों को बनाए रखने की रणनीति होनी चाहिए।

सिद्धांत 2 : पर्यवेक्षकों को चाहिए कि वे बैंकों की आंतरिक पूंजी पर्याप्तता संबंधी आकलनों और रणनीतियों तथा निगरानी रखने की उनकी योग्यता की समीक्षा और मूल्यांकन करें तथा यह सुनिश्चित करें कि विनियामक पूंजी अनुपातों के साथ उनका अनुपालन हो। इस प्रक्रिया के परिणाम से संतुष्ट न होने तक पर्यवेक्षकों को उपयुक्त पर्यवेक्षणात्मक कार्रवाई करनी चाहिए।

सिद्धांत 3 : पर्यवेक्षकों को यह आशा करनी चाहिए कि बैंक न्यूनतम विनियामक पूंजी अनुपात के ऊपर कार्य करें तथा उनके पास बैंकों से यह अपेक्षा करने की योग्यता होनी चाहिए कि उनके पास न्यूनतम से अधिक पूंजी रखी जाए।

सिद्धांत 4: पर्यवेक्षकों को बैंक विशेष की जोखिम विशिष्टताओं को समर्थन देने के लिए अपेक्षित न्यूनतम स्तरों के नीचे पूंजी को गिरने से रोकने के लिए आरंभिक चरण में हस्तक्षेप करना चाहिए तथा पूंजी का अनुरक्षण न किए जाने अथवा उसे बहाल न किए जाने पर त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई की अपेक्षा करनी चाहिए।

अनिवार्य रूप से, इनमें बैंकों की आंतरिक प्रक्रियाओं और रणनीतियों तथा उनके जोखिम प्रोफाइल का मूल्यांकन और जरूरत पड़ने पर विवेकपूर्ण तथा अन्य पर्यवेक्षणात्मक कार्रवाई करना शामिल होता है।

संदर्भ :

अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक. 2006. *बासेल II: इंटरनेशनल कन्वर्जेंस ऑफ कैपिटल मेजरमेंट एण्ड कैपिटल स्टैंडर्ड्स : ए रिवाइज्ड फ्रेमवर्क - कंप्रीहेंसिव वर्सन*, बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासेल समिति, जून ।

करें ताकि सभी महत्वपूर्ण जोखिमों पर उचित ध्यान देने के लिए दीर्घावधि में पर्याप्त पूंजी सुनिश्चित की जा सके। इन क्रियाविधियों को संयुक्त रूप में आइसीएएपी कहा जाता है। पद्धतियों का चयन और उनकी उपयुक्तता काफी मात्रा तक अलग-अलग संस्था के व्यावसायिक कार्यकलापों की जटिलता तथा उसके पैमाने पर निर्भर होती है।

5.47 आइसीएएपी लागू करने का मुख्य उद्देश्य उपयुक्त तरीके से जोखिमों से निपटने के लिए अर्थक्षम जोखिम स्थिति सुनिश्चित करना है। विशेषतः, बैंक को उपयुक्त प्रति-उपाय करने के लिए समर्थ बनाने हेतु यथाशीघ्र संस्था को खतरे में डालनेवाली गतिविधियों का पता लगाना महत्वपूर्ण है। आइसीएएपी के दो मूल उद्देश्य हैं। संस्था की जोखिम-आधारित क्षमता को संरक्षित करना आइसीएएपी का मुख्य उद्देश्य है। बैंक की जोखिम धारक क्षमता की गणना करते समय, बैंक कतिपय जोखिम किस सीमा तक ले सकता है इसे निश्चित करना आवश्यक है। इस प्रयोजन के लिए, बैंक द्वारा यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि उपलब्ध जोखिम व्याप्ति पूंजी ली गई जोखिमों को कवर करने के लिए हमेशा पर्याप्त हो। दूसरा, बैंक को इस बात की भी अवश्य समीक्षा करनी चाहिए कि किस सीमा तक जोखिम लेना ठीक होगा, अर्थात जोखिम लेने से उत्पन्न अवसरों का विश्लेषण (जोखिम और प्रतिलाभ का मूल्यांकन) आवश्यक है। इस प्रकार आइसीएएपी एक व्यापक पैकेज है जो कारोबारी परिप्रेक्ष्य से काफी लाभप्रद है।

5.48 जोखिम-धारक क्षमता का विश्लेषण करने के लिए बैंक की सभी महत्वपूर्ण जोखिमों का आकलन करना तथा बैंक की समग्र जोखिम स्थिति ज्ञात करने के लिए उनको जोड़ना एक आवश्यक पूर्वापेक्षा है (बॉक्स V.4)। बैंक पर ली गई जोखिमों के महत्व तथा प्रभाव को वर्णित करना जोखिमों के निर्धारण का प्रयोजन है। बैंकों को दक्ष तथा उपयुक्त तनाव परीक्षण ढांचा लागू करने तथा न सिर्फ विनिर्दिष्ट घटनाओं के, अपितु विभिन्न परिदृश्यों के प्रभाव का आकलन करने की जरूरत है। पहले उपाय में, बैंक को जोखिम संकेतकों का उपयोग करने की जरूरत है ताकि इस बात का आकलन किया जा सके कि उसकी कौन सी जोखिम वस्तुतः महत्वपूर्ण है। दूसरे उपाय में, बैंक को जहां-कहीं संभव हो अपनी जोखिमों को मापने की जरूरत है। प्रभाव अध्ययन के इन परिणामों को पूंजी आयोजना तथा कारोबारी रणनीति में समन्वित किए जाने की जरूरत है। अंततः, बैंक द्वारा अपनी जोखिमों की रक्षा के लिए अपेक्षित आंतरिक पूंजी की गणना किए जाने की जरूरत है।

स्तंभ 3: बाज़ार अनुशासन

5.49 सैद्धांतिक रूप से, ऐसा माना जाता है कि विनियमन, जिसका उद्देश्य बैंकों के बीच विशेष तौर पर पारदर्शिता बढ़ाकर प्रतिस्पर्धा पैदा करना तथा उसे बनाये रखना है, बैंक शोधनीयता की समस्या को दूर करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बैंकिंग क्षेत्र में बाज़ार अनुशासन का वर्णन एक ऐसे निजी प्रतिपक्षकार पर्यवेक्षण के रूप में किया जा सकता है, जो बैंकिंग प्रणाली की सुरक्षा और सुदृढ़ता के संरक्षण में हमेशा पहला विनियामक बचाव रहा है (ग्रीनस्पैन, 2001)। कुछ लेखकों ने बासेल पूंजी पर्याप्तता मानकों की तीव्र स्वीकृति और प्रसार की व्याख्या के रूप में बाज़ार दबाव के प्रति ध्यान आकृष्ट किया है (गेनशेल तथा प्लंपर, 1997)। उनका तर्क यह है कि इन मानकों के कारण पारदर्शिता बढ़ गई है, और इस प्रकार वित्तीय बाज़ार पूंजी की खराब स्थिति वाले बैंकों को 'दंडित' तथा उच्चतर पूंजी स्तरों वाली बैंकिंग प्रणालियों को पुरस्कृत कर सकता है। उच्चतर पूंजी अनुपात वाले बैंक संसाधन जुटाने के लिए पूंजी बाज़ार में जा सकते हैं, जो बदले में बैंकों को उच्चतर पूंजी स्तर बनाए रखने की अनुमति देता है।

5.50 संशोधित ढांचे में बाज़ार अनुशासन का प्रयोजन (जिसके ब्यौरे स्तंभ 3 में दिए गए हैं) न्यूनतम पूंजी अपेक्षाओं (जिसके ब्यौरे स्तंभ 1

बॉक्स V.4
जोखिमों का निर्धारण

निकट भविष्य में वैधीकरण का क्षेत्र बैंकिंग संस्थाओं के लिए मुख्य चुनौती बनकर उभर सकता है। वर्तमान में, कुछ बैंकों के पास सूचीबद्ध वैधीकरण प्रयासों के विस्तार और दायरा दोनों की प्रक्रियाएं होती हैं तथा वे नमूना अनिश्चितता के सभी तत्वों का समाधान करते हैं। नमूना वैधीकरण के संघटकों को चार व्यापक वर्गों में समूहित किया जा सकता है:(क) बैक टेस्टिंग, अथवा इस बात का सत्यापन करना कि प्रत्याशित एवं अप्रत्याशित हानियों का पूर्वानुमान बाद के अनुभव के अनुरूप हो; (ख) तनाव परीक्षण, अथवा विभिन्न आर्थिक परिदृश्यों को देखते हुए नमूना उत्पाद के परिणामों का विश्लेषण करना; (ग) अंतर्निहित मानकों और कल्पनाओं के प्रति ऋण जोखिम अनुमानों की संवदेनशीलता का निर्धारण करना; तथा (घ) यह सुनिश्चित करना कि एक नमूने की स्वतंत्र समीक्षा और पर्यवेक्षण मौजूद हो।

बैकटेस्टिंग

बाजार जोखिम वीएआर मॉडल की बैकटेस्टिंग के लिए लागू की गई पद्धति आंकड़ों की सीमा के कारण ऋण जोखिम मॉडलों को आसानी से अंतरित नहीं की जा सकती है। बाजार जोखिम संशोधन के लिए पूर्वानुमानों तथा वस्तुतः हुई हानियों के न्यूनतम 250 ट्रेडिंग दिनों की अपेक्षा होती है। ऋण जोखिम मॉडल के लिए इसी प्रकार के मानक हेतु कई वर्षों के आंकड़ों की अव्यवहार्य संख्या अपेक्षित होगी जो मॉडलों के दीर्घतर समय खंडों पर निर्भर होगा।

नमूना-बाह्य परीक्षण हेतु आंकड़ों की सीमित उपलब्धता को देखते हुए, अप्रत्याशित ऋण हानि के बैकटेस्टिंग अनुमान निश्चय ही व्यवहार में समस्यापूर्ण होंगे। ऋण जोखिम - अथवा अप्रत्याशित हानि के अनुमानों के वैधीकरण के लिए औपचारिक बैकटेस्टिंग कार्यक्रम का पता लगाना कठिन कार्य है। जहां कहीं पूर्वानुमानों तथा बाद के अनुभव का विश्लेषण किया जाता है, बैंक प्रतिरूपी तौर पर अनुमानित ऋण जोखिम हानियों की तुलना कुछ वर्षों के संबंध में प्राप्त वास्तविक ऋण हानियों की ऐतिहासिक श्रृंखलाओं के साथ करते हैं। तथापि, प्रत्याशित और वास्तविक ऋण हानियों की तुलना अप्रत्याशित हानियों के उस मॉडल की भविष्यवाणी सही होने की समस्या का समाधान नहीं करती है, जिसके प्रति आर्थिक पूंजी आबंटित होती है। जहां बैकटेस्टिंग के बारे में इस प्रकार का स्वतंत्र कार्य सीमित होता है, कुछ साहित्य से यह पता चलता है कि यह सुनिश्चित करना कठिन है कि ऋण जोखिम मॉडलों का उपयोग कर उत्पन्न पूंजीगत अपेक्षाएं पर्याप्त रूप से बड़ा पूंजी बफर प्रदान करेंगी।

बैंक ऋण जोखिम मॉडलों के वैधीकरण के विभिन्न वैकल्पिक साधनों का इस्तेमाल करते हैं, जिनमें तथाकथित 'बाजार आधारित वास्तविकता परीक्षण' यथा पीयर ग्रुप विश्लेषण, प्रतिलाभ दर विश्लेषण, तथा बैंक के अपने मूल्य मॉडलों द्वारा अभिप्रेत स्प्रेडों के साथ बाजार ऋण स्प्रेडों की तुलना करना शामिल हैं। तथापि, इन दृष्टिकोणों में अंतर्निहित मान्यता यह है कि उपयुक्त पूंजी स्तरों (पीयर विश्लेषण के लिए) अथवा ऋण स्प्रेडों (प्रतिलाभ दर विश्लेषण के लिए) की मौजूदा बाजार अवधारणाएं काफी सही होती हैं तथा आर्थिक दृष्टि से सुस्थापित होती हैं।ऐसा न होने पर, इस प्रकार तकनीकों पर निर्भरता से ऋण जोखिम मॉडलों की तुलनात्मकता और सुसंगति, ऐसा मुद्दा जो पर्यवेक्षकों के लिए विशेष महत्व का हो सकता है, के बारे में प्रश्न उठ सकते हैं।

तनाव परीक्षण

तनाव परीक्षणों का उद्देश्य विशिष्ट आर्थिक परिदृश्य विनिर्दिष्ट कर तथा इन परिदृश्यों के प्रति बैंक पूंजी की पर्याप्तता का निर्णय लेकर ऋण जोखिम मॉडलों में मौजूद कुछ प्रमुख अनिश्चितताओं को दूर करना होता है - यथा चूक दरों का अनुमान अथवा जोखिम कारकों का संयुक्त संभाव्यता वितरण - ऐसा करते समय इस संभाव्यता को ध्यान में नहीं रखा जाता है कि ऐसी घटनाएं घटित हो सकती हैं। तनाव परीक्षणों में कई परिदृश्य शामिल हो सकते हैं, जिनमें संकट के समय कतिपय क्षेत्रों का कार्यनिष्पादन अथवा ऋण चक्र की आत्यंतिक बिंदुओं पर हानियों की मात्रा शामिल होती हैं।

सिद्धांत रूप में, तनाव परीक्षण की सुदृढ़ प्रक्रिया वर्तमान बैक-टेस्टिंग पद्धतियों में निहित सीमाओं को देखते हुए बैक-टेस्टिंग के पूरक के रूप में कार्य कर सकती है। तथापि, तनाव परीक्षण के बारे में आदर्श ढांचा अथवा सर्वोत्तम प्रथा का एकल घटक नहीं है, और औद्योगिक व्यवहार में काफी अंतर है। 2004 में वैश्विक वित्तीय प्रणाली पर गठित समिति ने 16 देशों से 64 बैंकों और प्रतिभूति फर्मों को कवर करते हुए एक व्यापक सर्वेक्षण किया (बीआइएस,2005)। सूचित किए गए तनाव परीक्षणों में से 80 प्रतिशत से अधिक ट्रेडिंग पोर्टफोलियो पर आधारित थे। तनाव परीक्षणों के उपयोग ने आपवादिक परंतु सराहनीय घटनाओं की खोज से बढ़कर अनेक प्रकार के अनुप्रयोगों को अपने दायरे में ले लिया है। प्रमुख चुनौतियों में वे चुनौतियां हैं जो तनाव परीक्षण क्रेडिट जोखिम, समन्वित तनाव परीक्षण तथा तनाव की स्थितियों में बाजार की चलनिधि के उपचार से संबंधित होती हैं।

तनावपूर्ण स्थितियों के संबंध में बासेल II में उन्नत व्यापक तनाव परीक्षण फ्रेमवर्क है। बासेल II फ्रेमवर्क के लिए यह अपेक्षित है कि तनाव संबंधी परिदृश्य में बाजार और ऋण जोखिम तथा चलनिधि पर गिरावट के प्रभाव को शामिल किया जाए। जोखिम के आकलन के प्रति इस प्रकार का सुधरा हुआ फर्म-व्यापी दृष्टिकोण अपेक्षित है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बैंकों के पास पर्याप्त पूंजी बफर है जिससे वे कठिन समय का सामना कर सकेंगे।

संवेदनशीलता विश्लेषण

मॉडेल आउटपुट की संवेदनशीलता का परीक्षण प्राचल (पैरामीटर) मूल्यों अथवा महत्वपूर्ण पूर्वधारणाओं से करने की प्रथा भी सामान्य नहीं है। कतिपय मालिकाना मॉडलों के मामले में, कुछ प्राचलों (तथा यहां तक कि संरचनागत) पूर्वधारणाओं की जानकारी उपयोगकर्ताओं को नहीं होती है और इस प्रकार संवेदनशीलता परीक्षण तथा प्राचल आशोधन कठिन हो जाता है।

बीसीबीएस द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार, थोड़े से बैंकों ने यह सूचित किया कि वे कई कारकों पर संवेदनशीलता विश्लेषण करते हैं, जिनमें ये शामिल हैं : (क) प्रत्याशित चूक बारंबारता (ईडीएफ) तथा ईडीएफ की अस्थिरता; (ख) एलजीडी, तथा (ग) आंतरिक रेटिंग श्रेणियों का समनुदेशन (बीआइएस,2000)। तथापि, उत्तर देनेवाले 54 बैंकों के बीच विश्लेषण की गंभीरता में अंतर था। इसके अलावा, उत्तर देनेवाले किसी भी बैंक ने ऋण हानियों के संभाव्यता वितरण के अनुमान में मौजूद संभाव्य चूक की मात्रा को मापने का प्रयास नहीं किया, यद्यपि कुछ ने आंतरिक मॉडल द्वारा उत्पन्न परिणामों की तुलना विक्रेता मॉडल से उत्पन्न परिणामों के साथ की थी।

प्रबंधन निरीक्षण और रिपोर्टिंग

वैधीकरण के गणितीय तथा तकनीकी पहलू महत्वपूर्ण हैं। तथापि, वह आंतरिक वातावरण भी समान रूप से महत्वपूर्ण है, जिसके तहत उक्त मॉडल कार्य करता है। वरिष्ठ प्रबंधक के निरीक्षण की मात्रा, ऋण अधिकारियों की प्रवीणता, आंतरिक नियंत्रण की गुणवत्ता तथा ऋण संस्कृति की अन्य परंपरागत विशेषताएं जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रहेंगी।

संदर्भ:

रिस्कमेट्रिक्स ग्रुप. 1999. *रिस्क मैनेजमेंटः ए प्रैक्टिकल गाइड*।

अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक. 2000.*रेंज ऑफ प्रैक्टिसेज इन बैंक्स इंटर्नल रेटिंग सिस्टम्स,* जनवरी ।

अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक. 2005. *स्ट्रेस टेस्टिंग ऐट मेजर फाइनेंशियल इंस्टिट्यूशन्सः सर्वे रिजल्ट्स एण्ड प्रैक्टिस,* जनवरी ।

में दिए गए हैं) तथा पर्यवेक्षणात्मक समीक्षा प्रक्रिया (जिसके ब्यौरे स्तंभ 2 में दिए गए हैं) की अनुपूर्ति करना है। इसका उद्देश्य यह है कि प्रकटीकरण संबंधी अपेक्षाओं का एक सेट विकसित किया जाए, जो बाजार प्रतिभागियों को आवेदन, पूंजी, जोखिम एक्सपोजर, जोखिम आकलन प्रक्रियाओं की व्याप्ति के बारे में, और इस प्रकार संस्था की पूंजी पर्याप्तता के बारे में प्रमुख जानकारी प्राप्त करने की अनुमति देगा। सिद्धांत रूप में, बैंक के प्रकटीकरण इस बात से सुसंगत होने चाहिए कि वरिष्ठ प्रबंधन तथा निदेशक बोर्ड किस प्रकार बैंक की जोखिमों का आकलन और प्रबंधन करते हैं।

5.51 निर्धारित प्रकटीकरण अपेक्षाओं का अनुपालन न करने पर वित्तीय दंड सहित दंड लगेगा। तथापि, प्रत्यक्ष अतिरिक्त पूंजी अपेक्षाएं कुछ आपवादिक मामलों को छोड़कर शायद ही अप्रकटीकरण के प्रति प्रतिसाद का काम करती हों। सामान्य हस्तक्षेप संबंधी उपायों के अलावा, संशोधित ढांचे में विनिर्दिष्ट उपायों के लिए भी भूमिका की कल्पना की गई है। जहां स्तंभ 1 के तहत न्यूनतर जोखिम भार पाने और/ अथवा विनिर्दिष्ट पद्धति लागू करने के लिए प्रकटीकरण एक अर्हक मानदंड है, वहां प्रत्यक्ष स्वीकृति की जाएगी (न्यूनतर जोखिम भार लगाने अथवा विनिर्दिष्ट पद्धति लागू करने की अनुमति नहीं होगी)।

IV. बासेल II के लाभ, सीमाएं, मुद्दे और चुनौतियां

5.52 बासेल II अपनाने के लिए प्रमुख प्रोत्साहन इस प्रकार हैं (क) यह जोखिम के प्रति अधिक संवेदनशील है; (ख) यह बैंकिंग क्षेत्र में जोखिम की माप और प्रयुक्त जोखिम प्रबंधन तकनीकों में हुए विकास को स्वीकार करता है तथा उन्हें ढांचे के भीतर शामिल करता है; तथा (ग) यह विनियामक पूंजी को आर्थिक पूंजी के निकटतर संरेखित करता है। बासेल II के ये तत्व विनियामक ढांचे को कई बड़े बैंकों में नियोजित कारोबारी मॉडलों के निकट ले जाते हैं। बासेल II ढांचे में, बैंकों की पूंजी अपेक्षाएं तुलनपत्र में अंतर्निहित जोखिमों के अधिक निकट संरेखित होती हैं। बासेल II का अनुपालन करनेवाले बैंक भी बेहतर पूंजी दक्षता प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि ऋण, बाजार परिचालनात्मक जोखिमों की पहचान, माप और प्रबंधन का विनियामक पूंजी राहत पर प्रत्यक्ष असर पड़ता है। परिचालनात्मक जोखिम प्रबंधन के फलस्वरूप प्रणाली और नियंत्रण प्रक्रियाओं की सतत समीक्षा होगी। बेहतर प्रबंधित जोखिमों के लिए पूंजी प्रभार न्यूनतर होगा तथा जोखिम आधारित मूल्यन अपनाने वाले बैंक बेहतर जोखिमों के लिए बेहतर मूल्य (ब्याज दर) का प्रस्ताव कर सकेंगे। इससे बैंकों को न सिर्फ बेहतर कारोबार आकृष्ट करने में अपितु दक्ष जोखिम-प्रतिलाभ मानक द्वारा चालित कारोबारी रणनीति तैयार करने में भी मदद मिलेगी। तथापि, जिस बाजार में मूल्यन बाजार द्वारा नियंत्रित होता है, वहां प्रतिस्पर्धा जोखिम-आधारित मूल्यन पर अभिभावी हो सकती है। जोखिम के स्तर से जोखिम सहन करने की भूख और पूंजी आबंटन का अनुमान लगाने में मदद मिलती है। इस प्रकार उत्पादों का विपणन अधिक केंद्रित/लक्ष्यित रूप में होता है।

5.53 बासेल II के प्रति किए गए अभियान ने बैंकों को उनके जोखिम प्रबंधन तथा जोखिम माप प्रणालियों में आवश्यक सुधार के लिए प्रेरित किया है। बासेल II से आंकड़ों के संग्रहण और उपयोग में सुधार होगा ताकि उन्हें समेकित कर उनके जोखिम संविभाग के बारे में जानकारी की बेहतर समझ हो सके। उदाहरण के लिए, उक्त ढांचे में चूक की संभाव्यता (पीडी), चूक पर एक्सपोजर (ईएडी) तथा चूक पर हानि (एलजीडी)[2] संबंधी अनुमानों के समर्थक आंकड़ों में मूलभूत सुधार की अपेक्षा की गई है, जो आर्थिक चक्र में आर्थिक और विनियामक पूंजी आकलनों को समर्थन देते हैं। इससे आंकड़ों के संग्रहण तथा प्रबंध सूचना प्रणालियों जैसे क्षेत्रों में सुधार को प्रेरणा मिली है। जोखिम प्रबंधन प्रथाओं में सुधार लाने के प्रति प्रोत्साहन सहित इन प्रगतिशील कदमों से और नवोन्मेष लाने तथा जोखिम प्रबंधन तथा आर्थिक पूंजी मॉडेलिंग में सुधार में मदद मिलेगी। बासेल II में जोखिम के प्रबंधन तथा जोखिम कवर करने के लिए पूंजी के आबंटन के लिए वित्तीय क्षेत्र में काफी सीमा तक नवीनतम 'प्रौद्योगिकी' का समावेश किया गया है। इस प्रकार, बैंकों से अपेक्षा की जाएगी कि वे उच्च प्रौद्योगिकी तथा सूचना प्रणालियां अपनाएं जिससे बेहतर आंकड़ा संग्रहण, उच्च गुणवत्तावाले आंकड़ों को समर्थन देने में उन्हें मदद मिलेगी तथा ब्यौरेवार तकनीकी विश्लेषण की गुंजाइश होगी। हाल के वित्तीय उथल-पुथल से ऐसा दिखाई दिया कि ऐसे तकनीकी विश्लेषण की अपनी सीमाएं होती हैं, यथा अपूर्ण आंकड़ा या ऐसी मान्यताएं जिनका परीक्षण व्यावसायिक चक्रों में नहीं किया गया है। अतः जोखिम के मात्रात्मक आकलन के लिए गुणात्मक उपायों और स्वस्थ निर्णय जैसे अनुपूरकों की भी जरूरत होती है।

5.54 बासेल II नियमों को पूरा करने मात्र से आगे जाता है। स्तंभ 2 के तहत, जब पर्यवेक्षक आर्थिक पूंजी का आकलन करते हैं, उनसे आशा की जाती है कि वे बैंकों की प्रणालियों से आगे जाएं। ढांचे के स्तंभ 2 में बैंकरों तथा पर्यवेक्षकों को चर्चा करने की अधिक गुंजाइश होती है, जो अंततः बासेल II के कार्यान्वयन से मिलनेवाला एक महत्वपूर्ण लाभ होगा।

5.55 स्तंभ 3 में बढ़ी हुई पारदर्शिता से बैंकों के लिए बाजार अनुशासन में सुधार भी होना चाहिए, ताकि कुछ मामलों में वे बेहतर कारोबार करने

[2] पीडी, ईएडी तथा एलजीडी ऐसे मानक है जिनका उपयोग एक बैंकिंग संस्था के लिए बासेल II के तहत आर्थिक पूंजी या विनियामक पूंजी की गणना के लिए किया जाता है। चूक की संभाव्यता ऐसी संभावना को करते हैं जिसमें ऋण की चुकौती नहीं की जाएगी तथा उसमें चूक होगी। सामान्यतः ईएडी को अनुमान की उस मात्रा के रूप में देखा जाता है जहां तक प्रतिपक्षकार द्वारा चूक होने की स्थिति में, तथा ऐसे समय पर, प्रतिपक्षकार के प्रति बैंक का एक्सपोजर हो सकता है। एलजीडी ईएडी का वह अंश है जिसकी वसूली चूक होने पर नहीं होगी।

के लिए मजबूर हों। वस्तुतः, बाजार के प्रतिभागी न्यूनतम विनियामक पूंजी अपेक्षाओं द्वारा की गई अपेक्षा - अथवा कभी-कभी उनके अपने आर्थिक पूंजी मॉडलों - की तुलना में अधिक पूंजी रखने की अपेक्षा बैंकों से करके तथा जोखिमों की पहचान, माप और प्रबंधन की विधि के बारे में अतिरिक्त प्रकटीकरण की मांग करके उपयोगी भूमिका निभाते हैं। स्तंभ 1 और 2 के बारे में बाजार में अच्छी समझ होने से स्तंभ 3 अधिक व्यापक होगा तथा बाजार अनुशासन पर्यवेक्षकों और बाजार के लिए अधिक विश्वसनीय साधन बनेगा।

5.56 पूंजी विनियमन के लिए अधिक जोखिम संवेदनशील ढांचा बनाना बासेल II का एक मुख्य उद्देश्य है तथा इससे पर्यवेक्षकों, बैंकों तथा बाजार के अन्य प्रतिभागियों को पूंजी पर्याप्तता का ऐसा उपाय प्राप्त होगा जो एक बड़े बैंक की सही वित्तीय स्थिति को बेहतर तरीके से दर्शाएगा। एक अधिक जोखिम संवदेनशील न्यूनतम पूंजी अनुपात से भी बड़े बैंकों को उधार, निवेश, तथा ऋण जोखिम बचाव संबंधी निर्णयों को लेनदेनों की अंतर्निहित आर्थिकी पर आधारित करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। इसके अलावा, न्यूनतम पूंजी अपेक्षाओं की जोखिम संवदेनशीलता बढ़ाने से बड़े बैंकों को अपनी जोखिम के प्रबंधन और उसकी माप के लिए अधिक प्रोत्साहन मिलना अभिप्रेत है। अंततः,बासेल II न्यूनतम जोखिम आधारित पूंजी अपेक्षाओं को अलग-अलग ऋण एक्सपोजर के स्तर पर निर्धारित करता है तथा ऐसा करने से ऋण की गुणवत्ता में तीव्र अंतर आता है।

5.57 अर्न्स्ट एण्ड यंग द्वारा प्रकाशित सर्वेक्षण के अनुसार[3], जोखिमों का प्रबंधन करने के तरीके के साथ प्रक्रियाओं और प्रणालियों में उल्लेखनीय परिवर्तन होने की आशा है। प्रतिभागियों में से तीन-चौथाई से अधिक को यह यकीन था कि बासेल II से बैंकिंग का प्रतिस्पर्धात्मक आधार बदलेगा। बेहतर जोखिम प्रणाली वाले संगठनों से आशा है कि वे परिवर्तन को आत्मसात करने में मंद गति वालों की लागत पर लाभ उठाएंगे। पचासी प्रतिशत प्रतिभागियों को यकीन था कि आर्थिक पूंजी कुछ,यदि सभी नहीं तो, मूल्यन को निर्दिष्ट करेगी। जोखिम अंतरण लिखतों के अधिक उपयोग के कारण गुरुतर विशेषज्ञीकरण की भी आशा थी। अधिकांश प्रतिभागियों (70 प्रतिशत से अधिक) को यकीन था कि संविभाग जोखिम प्रबंधन अधिक सक्रिय हो जाएगा, जो बासेल II के फलस्वरूप बेहतर एवं अधिक सामयिक जोखिम सूचना की उपलब्धता तथा अलग-अलग पूंजी अपेक्षाओं द्वारा चालित होगा। इससे अन्यों की तुलना में कुछ बैंकों की लाभप्रदता में सुधार हो सकता है तथा क्षेत्र में समेकन की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिल सकता है।

5.58 पूंजी की दी गई राशि के लिए, अधिक जोखिम-संवेदनशील पूंजी अपेक्षाओं से कई सरणियों के जरिए - जिनमें से प्रत्येक संबद्ध जोखिमों के साथ अपेक्षित पूंजी को अधिक घनिष्ठतापूर्वक संरेखित करता है - बैंकिंग प्रणाली की सुरक्षा और सुदृढ़ता में सुधार आ सकता है तथा अपेक्षित मात्रा में पूंजी का प्रावधान हो सकता है जिससे अप्रत्याशित हानियां अवशोषित हो सकती हैं। पहला, बासेल II के तहत अपेक्षित जोखिम से उच्चतर आस्तियां रखने के लिए बैंकों द्वारा न्यूनतर जोखिम आस्तियों की तुलना में अधिक पूंजी रखना अपेक्षित होगा। दूसरा, उच्चतर जोखिम ऋण संविदा अथवा परिचालनात्मक जोखिम के प्रति अधिक एक्सपोजर वाले बैंकों से अपेक्षित होगा कि वे न्यूनतर जोखिम प्रोफाइल वाले बैंकों की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक पूंजी रखें। उदाहरण के लिए, धोखाधड़ी के प्रति अधिक संवेदनशील कारोबार वाले बैंक के सामने उन क्षेत्रों में अपेक्षाकृत उच्चतर पूंजी अपेक्षाओं का सामना कर पड़ सकता है। तीसरा, यद्यपि अधिक जोखिम संवेदनशील पूंजी अपेक्षाओं से सुरक्षा और सुदृढ़ता बढ़ाने में मदद मिलती है, विनियामक पूंजी का स्तर भी अर्थव्यवस्था के प्रति व्यापक जोखिम तथा बैंकिंग प्रणाली की सुरक्षा और सुदृढ़ता के लिए पर्याप्त होना चाहिए, जिसके लिए लगातार विनियामक संवीक्षा जरूरी है।

5.59 हाल में वित्तीय बाजार के उथल-पुथल को देखते हुए, बासेल II पूंजी ढांचा लागू करने तथा पर्यवेक्षण एवं जोखिम प्रबंधन प्रथाओं को सुदृढ़ करने तथा जटिल एवं कम तरल उत्पादों के लिए मूल्यन प्रथा और बाजार पारदर्शिता की सुदृढ़ता में सुधार लाने का महत्व काफी बढ़ गया है। इसके अलावा, यह आवश्यक है कि सुरक्षित एवं स्वस्थ जोखिम प्रबंधन प्रथाओं के आधार पर परिचालित वित्तीय प्रणाली के बीच सुदृढ़ और लचीली मूल फर्मों का होना जरूरी है (बॉक्स V.5)। स्वस्थ वैश्विक पूंजी पर्याप्तता ढांचा तथा साथ ही गुरुतर परिचालनात्मक दक्षता, बेहतर पूंजी आबंटन और सुधरे हुए जोखिम मॉडल एवं रिपोर्टिंग क्षमताओं के उपयोग के माध्यम से शेयरधारक मूल्य में वृद्धि के जरिए इन फर्मों की सुदृढ़ता और लचीलापन सुनिश्चित कर बासेल II इस संबंध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

बासेल II की सीमाएं

5.60 बासेल II ढांचे की कई सीमाएं भी हैं, विशेष रूप से उदीयमान अर्थव्यवस्थाओं में कार्यान्वयन के दृष्टिकोण से। बासेल I की तुलना में बासेल II को अधिक जटिल माना जाता है, जिससे इसको समझना और इसे लागू करना विनियामकों एवं विनियमित संस्थाओं दोनों के लिए एक चुनौती बन जाता है; विशेष रूप से उदीयमान बाजार अर्थव्यवस्थाओं में।

[3] इकॉनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा अर्न्स्ट एण्ड यंग के लिए 'बासेल II: दि बिज़नेस इंपैक्ट' नामक एक ऑनलाइन सर्वेक्षण कराया गया। इस सर्वेक्षण में विश्व भर से बड़े बैंकों में 307 बैंकिंग कार्यपालकों की राय ली गई। प्रतिभागियों में से 40 प्रतिशत यूरोप में, 25 प्रतिशत उत्तरी अमरीका में तथा 24 प्रतिशत एशिया/प्रशांत क्षेत्र में रहते थे।

बॉक्स V.5
हाल की वित्तीय हलचल का बासेल II पर प्रभाव

2007 के मध्य में हुई वित्तीय हलचल ने- जिसे व्यापक तौर पर सब-प्राइम संकट के रूप में जाना जाता है - कुछ प्रमुख वैश्विक वित्तीय संस्थाओं के तुलनपत्रों को प्रभावित किया है तथा उसके फलस्वरूप बाजार में चलनिधि का संकट भी उत्पन्न हुआ है।यह हलचल अपवादात्मक ऋण उछाल तथा वित्तीय प्रणाली में लीवरेज का परिणाम था। लंबे समय तक निरंतर आर्थिक वृद्धि तथा स्थिर वित्तीय स्थितियों के फलस्वरूप उधारकर्ताओं एवं निवेशकों की जोखिम सहने की शक्ति बढ़ गई थी। वित्तीय संस्थाओं ने इसके प्रतिसाद में ऋण जोखिम के प्रतिभूतिकरण के लिए बाजार का विस्तार किया तथा वित्तीय मध्यस्थता के लिए 'उत्पन्न कर वितरित करें' नामक मॉडल आक्रामक रूप से विकसित किया। अमरीकी भूसंपदा बाजार में आई मंदी ने अनेक प्रकार की चूकों को उत्प्रेरित किया और इससे विशेष तौर पर जटिल संरचनावाली प्रतिभूतियों के मामले में संचित हानियां बढ़ गईं।

वित्तीय हलचल का निर्माण तथा उसका प्रकटीकरण बासेल I पूंजी फ्रेमवर्क के तहत हुआ क्योंकि अधिकांश देशों ने बासेल II फ्रेमवर्क का कार्यान्वयन हाल ही में शुरू किया गया है। वस्तुतः, इस वित्तीय हलचल ने बासेल I फ्रेमवर्क की अनेक खामियों, जोखिम के प्रति इसकी संवेदनशीलता के अभाव तथा तेजी से हुए अभिनव परिवर्तनों के प्रति अनमनीयता सहित, को उजागर किया। बासेल I ने एक्सपोजरों को तुलनपत्र से हटाकर विकृत विनियामक प्रोत्साहनों को जन्म दिया तथा बैंक के जोखिम एक्सपोजर के महत्वपूर्ण तत्वों को पूंजी पर्याप्तता संबंधी गणना के भीतर पूरी तरह से शामिल नहीं किया।

इसके विपरीत, बासेल II फ्रेमवर्क ने न्यूनतम पूंजी अपेक्षाओं को बैंकों द्वारा सामना की जा रही जोखिमों के साथ घनिष्ठ रूप से संरेखित कर (स्तंभ 1), बैंक प्रथाओं की पर्यवेक्षणात्मक समीक्षा को सुदृढ़ कर (स्तंभ 2) तथा बाजार प्रकटीकरण में सुधार को प्रोत्साहित कर (स्तंभ 3) बेहतर जोखिम प्रबंधन प्रथाओं के लिए प्रावधान किया।

बासेल I फ्रेमवर्क की तुलना में सुधार होने के बावजूद, वर्तमान बासेल II फ्रेमवर्क में वर्तमान वित्तीय हलचल के संदर्भ में मूल्यांकन किए जाने पर अभी भी कुछ खामियां हैं। पहले स्तंभ के तहत अत्यधिक दर वाले प्रतिभूतिकरण एक्सपोजरों, विशेष रूप से आस्ति समर्थित प्रतिभूतियों (एबीएस) के तथाकथित संपार्श्विकीकृत ऋण दायित्वों (सीडीओ) के उपचार पर पुनर्विचार जरूरी है। वर्तमान हलचल में इस प्रतिभूतिकरण प्रक्रिया की भूमिका तथा इसके लीवरेज की क्षमता और उनके प्रणालीगत प्रभाव की हाल के समय में गहन संवीक्षा की गई है। बैंकों की ट्रेडिंग बहियों में कम तरल, ऋण संवेदनशील प्रोडक्टों में हुई तीव्र वृद्धि को देखते हुए ट्रेडिंग बही के लिए ऋणचूक जोखिम प्रभार शुरू करने की अत्यधिक जरूरत है। इन प्रोडक्टों में विन्यत ऋण आस्तियां तथा लीवरेजप्राप्त उधार शामिल हैं तथा वीएआर-आधारित दृष्टिकोण इस प्रकार के एक्सपोजरों के लिए अपर्याप्त है और उसकी अनुपूर्ति चूक जोखिम प्रभार से किए जाने की जरूरत है। यद्यपि बासेल फ्रेमवर्क के दूसरे स्तंभ के तहत उनके पूंजी कुशन की पर्याप्तता के वैधीकरण के लिए बैंकों के ऋण संविभाग के तनाव परीक्षण की अपेक्षा बैंकों से पहले ही की गई है, तथापि उनके आकस्मिक ऋण एक्सपोजरों, संविदागत और गैर संविदागत दोनों, के परिदृश्य विश्लेषण तथा तनाव परीक्षण के महत्व पर दुबारा बल देने की जरूरत है। स्तंभ 3 में, बासेल II के तहत अपेक्षित प्रकटीकरण के प्रकार को उत्तोलित करने के और भी अवसर हैं।

इस पृष्ठभूमि में, प्रभाव को कम करने तथा वैश्विक वित्तीय प्रणाली में सुधार लाने के लिए कई उपाय सुझाये गए। उनमें से उल्लेखनीय है वित्तीय स्थिरता मंच (एफएसएफ)[1] द्वारा किए गए और जी-7 द्वारा अप्रैल 2008 के आरंभ में अनुप्रमाणित प्रस्ताव, जिनका कार्यान्वयन अगले 100 दिनों में किया जाना है। 2008 के मध्य तक, ऐसी आशा है कि बासेल समिति चलनिधि जोखिम प्रबंधन के बारे में संशोधित दिशानिर्देश जारी करेगी तथा आइओएससीओ से आशा है कि वह क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के लिए अपनी आचार-संहिता को संशोधित करेगा। 2008 के अंत तक अथवा अधिक से अधिक 2009 तक, ऐसी आशा है कि बैंकों के लिए चलनिधि जोखिम का प्रबंधन और पर्यवेक्षण सुदृढ़ करते हुए, स्तंभ 2 के तहत कारगर पर्यवेक्षणात्मक समीक्षा सुनिश्चित करते हुए, पारदर्शिता तथा मूल्यन में वृद्धि करते हुए, विन्यस्त उत्पादों के लिए क्रेडिट रेटिंग की गुणवत्ता में सुधार करते हुए, जोखिम के प्रति प्राधिकरणों की जवाबदेही को सुदृढ़ करते हुए तथा वित्तीय प्रणाली में तनाव के साथ लेनदेन करने हेतु सुदृढ़ व्यवस्थाओं में वृद्धि करते हुए बीसीबीएस बासेल II के स्तंभ 1 के तहत पूंजीगत अपेक्षाओं (उदाहरण के लिए प्रतिभूतिकरण फ्रेमवर्क की कतिपय पहलुओं) को संशोधित करेगा।

संदर्भ:

वित्तीय स्थिरता मंच. 2008. *रिपोर्ट ऑफ दि फाइनेंसियल स्टेबिलिटी फोरम ऑन एनहांसिंग मार्केट एंड इन्स्टिट्यूशनल रेजिलिएंस,* अप्रैल।

ब्यूटर, डब्ल्यू. 2007.'लेसन्स फ्राम द 2007 फाइनेंसियल क्राइसिस' *सीईपीआर डिस्कशन पेपर श्रृंखला* सं. 6596।

नोयेर, सी.2007. ''बासेल II - न्यू चैलेंजेज'', बैंक ऑफ अल्जीरिया तथा अल्जीरियाई वित्तीय समुदाय के समक्ष व्याख्यान, अल्जीयर्स, दिसंबर 16।

वेलिंक, एन.2008. 'बासेल II - मार्केट डेवलपमेंट एंड फाइनेंसियल इन्स्टिट्यूशन रेजिलिएंसी', रिस्क माइंड्स एशिया कांफरेंस - बासेल II इंप्लीमेंटेशन सम्मिट, सिंगापुर में उद्घाटन भाषण, मार्च 4।

ट्रिशे, जे. 2008. ''रिमार्क्स ऑन द रिसेंट टरब्यूलेंसेज इन ग्लोबल फाइनेंसियल मार्केट्स'', न्यूयार्क विश्वविद्यालय, न्यूयार्क में 'ग्लोबल इक्रॉनॉमिक पॉलिसी फोरम 2008' विषयक नीतिगत चर्चा पर प्रमुख संबोधन, अप्रैल 14 ।

[1] यह राष्ट्रीय वित्तीय प्राधिकरणों, जिनमें केंद्रीय बैंक, पर्यवेक्षणात्मक प्राधिकरण तथा राजकोष विभाग, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं, अंतरराष्ट्रीय विनियामक तथा पर्यवेक्षणात्मक समूह और केंद्रीय बैंकों के विशेषज्ञों की समितियां शामिल हैं, के चुने हुए वरिष्ठ प्रतिनिधियों का मंच है।

बासेल II की जटिलता कई उपलब्ध विकल्पों से उत्पन्न होती है। फलस्वरूप, ऐच्छिक रूप से बासेल I अपनाने वाले कई देशों ने भी इन मुद्दों पर काफी सतर्कतापूर्वक विचार किया है। चूंकि संशोधित ढांचे की अभिकल्पना में बैंकों तथा विश्व भर की बैंकिंग प्रणालियों के लिए विकल्प दिए गए हैं, बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासेल समिति (बीसीबीएस) ने यह स्वीकार किया कि सभी गैर-जी10 पर्यवेक्षी प्राधिकारियों के लिए, उनके पर्यवेक्षण को सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता को देखते हुए, निकट भविष्य में इसे अपनाने की ओर अग्रसर होना पहली प्राथमिकता नहीं हो सकती। इसने यह पाया कि कार्यान्वयन के लिए समय सारणी एवं दृष्टिकोण विकसित करते हुए प्रत्येक राष्ट्रीय पर्यवेक्षक से यह प्रत्याशित है कि वह देशी बैंकिंग प्रणाली के संबंध में बासेल II ढांचे के लाभ पर सतर्कतापूर्वक विचार करे। जहां यह सत्य है कि बासेल II ढांचा अधिक जटिल है, साथ ही यह दलील दी जाती है कि यह जटिलता मुख्यतः हाल के समय में विकसित बैंकिंग प्रणाली और संबंधित वित्तों के स्वरूप में अंतर्निहित जटिलता को देखते हुए काफी सीमा तक अपरिहार्य है। जोखिम प्रबंधन प्रणाली अपने आप में कुछ समय से अधिक परिष्कृत हो गई है तथा समान जोखिम भार लागू करना (जैसाकि बासेल I समझौते में हुआ था) अधिक यथार्थ नहीं होगा। इसके अलावा, सीधे कारोबारी मॉडल तथा गैर-जटिल ऋण संविभाग वाले बैंकों के लिए बासेल II ढांचे में मानकीकृत दृष्टिकोण के उपयोग का विकल्प खुला हुआ है, जो उनके पहले से मौजूद मॉडलों की जटिलता में बहुत थोड़ी वृद्धि करता है।

5.61 बासेल II ढांचे में, रेटिंग एजेंसियों को निर्णायक भूमिका दी गई है। तथापि कई उदीयमान देशों में रेटिंग एजेंसियों का विस्तार सीमित है। विभिन्न आस्तियों के लिए विश्वसनीय रेटिंग के अभाव में, बैंकिंग उद्योग बासेल II के लचीलेपन का पूरा दोहन नहीं कर सकेगा तथा अधिकांश ऋण जोखिम में अनरेटेड 100 प्रतिशत वर्ग में समाप्त होने की प्रवृत्ति होगी और फलस्वरूप बासेल I के प्रति पूंजी अपेक्षाओं में थोड़ा बदलाव आएगा। यह तर्क भी दिया जाता है कि मानकीकृत दृष्टिकोण के मामले में, न्यूनतम ग्रेडवाले उधारकर्ता (150 प्रतिशत) की तुलना में अनरेटेड उधारकर्ताओं का जोखिम भार (100 प्रतिशत) कम होगा तथा न्यूनतर ग्रेडवाले उधारकर्ताओं द्वारा अनरेटेड बने रहने को तरजीह दिए जाने के साथ इससे नैतिक खतरों की समस्या उत्पन्न हो सकती है। इससे प्रतिकूल चयन भी हो सकता है। रेटिंग एजेंसियों के निर्णय की गुणवत्ता के बारे में भी चिंता व्यक्त की गई है। विकसित अर्थव्यवस्थाओं में भी हाल के सब-प्राइम संकट ने रेटिंग एजेंसियों की भूमिका संबंधी समस्याओं को रेखांकित किया है।

5.62 मानकीकृत अथवा आइआरबी दृष्टिकोणों के तहत विभिन्न एक्सपोजरों के लिए जोखिम भार/निहित सह-संबंध कतिपय मान्यताओं पर आधारित होते हैं जो, हो सकता है, उदीयमान अर्थव्यवस्थाओं के संदर्भ में लागू न हों। उदाहरण के लिए बंधक उधार के लिए 35 प्रतिशत जोखिम भार पीडी अनुमानों तथा विकसित यूरोपीय/ अमरीकी बाजारों के एलजीडी पर आधारित होता है तथा हो सकता है कि यह पर्याप्त न हो क्योंकि ताइवान, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया जैसे देशों में जमानती भू-संपदा उधार की हानियां कई बार 35 प्रतिशत से अधिक थीं। इस प्रकार, विकासशील देशों में विनियामकों को स्वतंत्र रूप से इस बात का आकलन करना चाहिए कि क्या बासेल II ढांचे की सभी मान्यताएं उनके देशी बाजारों पर लागू होंगी तथा जरूरत पड़ने पर उनमें उपयुक्त आशोधन किया जाना चाहिए।

5.63 बासेल II ढांचे की एक मूल अपेक्षा उच्चतर ऋण जोखिम लेने के लिए उच्चतर पूंजी आबंटन है। ऐसी स्थिति में, ऐसी कुछ चिंताएं हैं कि समाज के गरीब वर्गों तथा छोटे व्यावसायिकों को या तो कोई ऋण नहीं मिलेगा अथवा उन्हें मिलनेवाला ऋण बहुत खर्चीला होगा। विशेष रूप से विकासशील देशों में यह समस्या गंभीर साबित हो सकती है। अतः विकासशील देशों में विनियामक और पर्यवेक्षणात्मक प्राधिकारियों से यह अपेक्षा की गई कि वे इन क्षेत्रों को ऋण की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए अन्य उपाय करें।

5.64 उन्नत बासेल II जोखिम-मॉडेलिंग दृष्टिकोणों में जोखिम के साथ पूंजी के बेहतर संरेखण की संभाव्यता होती है। तथापि, उन्नत दृष्टिकोण अपने आप में सीमाओं से रहित नहीं होते तथा इन दृष्टिकोणों का लाभ प्राप्त करना निम्नलिखित पर निर्भर होता है (i) बैंक की आंतरिक प्रक्रियाओं तथा मॉडलों के विकास और अनुरक्षण संबंधी पर्यवेक्षणात्मक समीक्षा की पर्याप्तता; (ii) विनियामक और बैंक मॉडलों के प्रति निविष्टियों के रूप में प्रयोग किए गए ऋण चूक तथा परिचालनात्मक हानि घटना संबंधी आंकड़ों की पर्याप्तता जिससे पूंजी संबंधी अपेक्षाएं निर्धारित होती हैं; तथा (iii) जोखिम आधारित पूंजी के उपयुक्त स्तर के प्रति विनियामकों का ध्यान। जहां बासेल II के संभाव्य प्रभाव के आरंभिक अनुमानों में न्यूनतम अपेक्षित जोखिम-आधारित पूंजी में कुछ गिरावट दिखाई दी, वहीं विनियामक पूंजी अपेक्षाओं के स्तर तथा व्यवसाय चक्र में इन अपेक्षाओं में अस्थिरता की मात्रा पर बासेल II के संभाव्य प्रभाव के बारे में काफी अनिश्चितता बनी हुई है।

बासेल II के प्रभावी कार्यान्वयन की चुनौतियां

5.65 बासेल II में मौजूद कुछ कमियों के अलावा इसके कार्यान्वयन में, विशेष तौर पर उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में, कई चुनौतियां हैं। दीर्घावधि आंकड़ा श्रृंखला की उपलब्धता एक प्रमुख चुनौती है। अच्छे और विश्वसनीय आंकड़े तथा जानकारी और परिष्कृत आइटी संसाधन बासेल II ढांचे के तहत उचित जोखिम आकलन के लिए महत्वपूर्ण हैं। तथापि, उद्योग संबंधी विशेषज्ञता के स्तर, ऐतिहासिक आंकड़ों के अभाव तथा पर्याप्त प्रौद्योगिकी के अभाव को देखते हुए विकसित देशों में यह एक प्रमुख चुनौती साबित हो सकती है। इन अवरोधों के कारण उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में बैंकों को मानकीकृत दृष्टिकोण अपनाने के लिए

मजबूर होना पड़ता है। इसके अलावा, अपेक्षित प्रौद्योगिकी खरीदने के लिए तथा स्टाफ को प्रशिक्षित करने के लिए मझौले से छोटे बैंकों को जिस लागत का वहन करना पड़ सकता है, वह उनके आकार को देखते हुए काफी अधिक होगा।

5.66 बैंकों को सुदृढ़ तथा दक्ष परिचालनात्मक जोखिम प्रबंधन ढांचा बनाने की जरूरत है क्योंकि स्तंभ 2 ढांचे के तहत इस पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। स्तंभ 2 की सर्वाधिक महत्वपूर्ण चुनौती मानव तथा तकनीकी संसाधन खरीदने और उन्हें अपग्रेड करने से संबंधित है जो स्तंभ 1 के तहत बैंकों के उत्तरदायित्व की समीक्षा के लिए आवश्यक है। चिंता के एक और क्षेत्र में बासेल II के सीमापार कार्यान्वयन में गृह तथा मेजबान पर्यवेक्षकों का समन्वयन; आउटसोर्सिंग संबंधी मसले; आसान तुलनीयता के लिए सामान्य रिपोर्टिंग टेंपलेट; तथा विनियामक द्वारा उपलब्ध कराए जानेवाले और जोखिम घटकों/परिचालनात्मक हानियों के लिए तुलना/स्व-मूल्यांकन हेतु उपयोग किए जाने के लिए बाह्य बेंचमार्क शामिल हैं।

5.67 अंतरराष्ट्रीय तथा देशी लेखांकन मानकों के साथ स्तंभ 3 के तहत पर्यवेक्षणात्मक प्रकटीकरणों को संरेखित करना एक प्रमुख चुनौती के रूप में उभरा है। ये निम्नलिखित से भी संबंधित हैं (i) कथित कारोबारी उद्देश्यों और स्थापित जोखिम प्रबंधन प्रणालियों के लिए जोखिम वहन करने के सामर्थ्य के संदर्भ में रिपोर्टिंग ढांचा/प्रकटीकरण; तथा (ii) सार्वजनिक डोमेन में मौजूद जोखिम तथा जोखिम प्रबंधन प्रणालियों के बारे में जानकारी देना, जिनका उपयोग बैंकों के बीच तुलना के लिए किया जा सकता है। बाजार अनुशासन संभव नहीं है, यदि प्रतिपक्षकारों तथा रेटिंग एजेंसियों के पास बैंकों की जोखिम स्थिति तथा उन स्थितियों के प्रबंधन के लिए प्रयुक्त तकनीकों के बारे में अच्छी जानकारी न हो।

5.68 बासेल II के पूर्ण कार्यान्वयन के लिए पर्यवेक्षणात्मक प्राधिकरणों तथा बैंकों दोनों के स्तर पर कौशल को अपग्रेड करना अपेक्षित होगा। बैंकों से पूरी तरह से विस्तारणीय आधुनिकतम प्रौद्योगिकी का प्रयोग करने, बढ़ी हुई सूचना प्रणाली सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा जोखिम प्रबंधन एवं रिपोर्टिंग के लिए अपेक्षित कोई आंकड़ा तैयार करने के लिए केंद्रीय डेटाबेस का उपयोग करने हेतु क्षमता विकसित करने की अपेक्षा की जाएगी। संशोधित समझौते में सुधरे हुए आंकड़ा मानकों पर बल देना सिर्फ विनियामक पूंजी अपेक्षा मात्र नहीं है अपितु यह जोखिम प्रबंधन प्रथाओं के लिए एक ऐसी नींव है जो बैंकिंग फ्रंचाइजी के मूल्य को सुदृढ़ करेगा।

5.69 ऋण जोखिम मॉडलों की अभिकल्पना और उनका कार्यान्वयन करने में आंकड़ों की सीमाएं मुख्य अवरोध हैं। अधिकतर ऋण लिखतों को बाजार भाव पर नहीं दर्शाया जाता; अतः, ऋण जोखिम मॉडल का विधेयात्मक (predicative) स्वरूप व्यापक ऐतिहासिक अनुभव पर आधारित भविष्य की कीमतों के सांख्यिकीय प्रक्षेपण से प्राप्त नहीं होता। चूक की घटनाओं का कभी-कभी होना तथा ऋण जोखिम मापने में प्रयुक्त दीर्घावधि दीर्घतर कालखंडों के कारण ऋण जोखिम मॉडल का अनुमान लगाने के लिए अपेक्षित आंकड़ों का अभाव रहता है। इस प्रकार, मॉडल मानदंड विनिर्दिष्ट करने में, ऋण जोखिम मॉडलों के लिए सरल मान्यताओं तथा परोक्षी आंकड़ों का उपयोग अपेक्षित होता है। बैंकिंग बही का सापेक्ष आकार - तथा मॉडलयुक्त ऋण जोखिम अनुमान सही न पाए जाने पर बैंक शोधनीयता संबंधी संभाव्य प्रभाव - संरचनागत मान्यताओं तथा मानदंड अनुमानों के प्रति मॉडलों की संवेदनशीलता की बेहतर समझ की आवश्यकता पर बल देते हैं।

5.70 ऋण जोखिम मॉडलों का वैधीकरण बाजार जोखिम मॉडलों के बैकटेस्टिंग की तुलना में भी मूलभूत दृष्टि से अधिक कठिन है। जहां बाजार जोखिम मॉडल प्रतिरूपी तौर पर कुछ दिनों की सीमा लेकर चलते हैं, ऋण जोखिम मॉडल सामान्यतः एक साल अथवा अधिक समय पर निर्भर होते हैं। धारण अवधि के लंबा होने तथा ऋण जोखिम मॉडलों में प्रयुक्त उच्चतर लक्ष्य हानि विभाजक (क्वैंटाइल)[4] मॉडल बिल्डरों को उनके मॉडलों की शुद्धता का आकलन करने में समस्याएं उत्पन्न करते हैं। बाजार जोखिम संशोधन के अनुरूप मात्रात्मक वैधीकरण मानक के लिए अव्यवहार वर्षों के आंकड़े अपेक्षित होंगे जो बहुल ऋण चक्रों में फैले हों।

5.71 बैंकिंग बही का सापेक्ष आकार तथा अधिकांश संस्थाओं में सुसंगत आयोजना सीमा की लंबाई ट्रेडिंग खातों की तुलना में अधिक गुरुतर होती है। अतः, ऋण जोखिम मापने में भूलचूक से बैंक की समग्र सुदृढ़ता का आकलन प्रभावित होने की अधिक संभावना रहती है। इसके अलावा, इस बात की अधिक संभावना है कि उल्लेखनीय हानियां बैंकिंग बही में किसी की जानकारी में आए बिना संचित हो सकती हैं क्योंकि उन्हें बाजार भाव पर दर्शाया नहीं जाता।

5.72 बासेल II के कार्यान्वयन से जुड़ी लागतें, विशेष रूप से सूचना प्रौद्योगिकी और मानव संसाधन संबंधी लागतें, बैंकों और पर्यवेक्षकों दोनों के लिए काफी अधिक होने की संभावना है। बासेल II के अभाव में भी, सुप्रबंधित वित्तीय संस्थाओं तथा विनियामक प्राधिकरणों को उनकी आइटी प्रणालियों तथा जोखिम प्रबंधन प्रथाओं को अद्यतन तथा संशोधित करना होगा ताकि वे बाजार में विकसित हो रही प्रथाओं के साथ चल सकें। तथापि, बासेल II ने मानव संसाधन कौशल के विकास तथा आइटी अपग्रेडेशन के लिए बैंकों तथा पर्यवेक्षकों पर जोर दिया है। इस संदर्भ में, बैंकों द्वारा जिन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है उनके कई पहलू हैं यथा आकलन संबंधी अपेक्षाएं, अंतराल की पहचान तथा उन्हें भरना, प्रतिभाओं की पहचान, उपलब्ध प्रतिभाओं का इष्टतम उपयोग करना, नई प्रतिभाओं को आकृष्ट करना, प्रतिभाओं को प्रतिधारित करना तथा बदलाव प्रबंधन।

[4] ऐसा मूल्य जो आंकड़ों के सेट को समान अनुपात में विभाजित करता है।

5.73 यद्यपि बासेल II का उद्देश्य सामान्य मानक प्राप्त करना है, इसके कार्यान्वयन के लिए घनिष्ठ सहयोग, सूचना की साझेदारी तथा पर्यवेक्षकों के बीच नीतियों का समन्वय भी अपेक्षित है। एक अधिकार क्षेत्र के भीतर बाजारों के विभिन्न खंडों को विनियमित करने के लिए अलग पर्यवेक्षणात्मक निकाय की मौजूदगी से न सिर्फ क्षेत्राधिकार के भीतर अपितु क्षेत्राधिकारों के बीच भी बासेल II के कार्यान्वयन में चुनौतियां उत्पन्न हो सकती हैं । इसका कारण यह है कि जब बाजार के विभिन्न प्रतिभागियों को अलग पर्यवेक्षकों द्वारा विनियमित किया जाता है, तो नीतिनिर्माण और सतर्कता की तुलनीय गुणवत्ता बनाए रखना कठिन हो जाता है। कई विकासशील देशों में सिर्फ बैंक बासेल II की सीमा में आते हैं तथा अन्य वित्तीय सेवा प्रदाता इसमें नहीं आते हैं, इस प्रकार विनियामक अंतरपणन की कुछ गुंजाइश रहती है।

5.74 बैंकिंग पर्यवेक्षण के लिए बासेल मूल सिद्धांत (बीसीपी) पहली बार 1997 में तैयार किए गए तथा, विशेष रूप से जोखिम प्रबंधन और प्रकटीकरण मानदंडों में, बदलते वित्तीय माहौल के अनुरूप कई सुदृढ़ पर्यवेक्षणात्मक प्रथाओं को समाविष्ट करने के लिए अक्तूबर 2006 में उन्हें संशोधित किया गया। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आइएमएफ) के कार्यपालक बोर्ड ने सूचित किया कि सीमित क्षमतावाले देशों में बासेल II को अवधिपूर्व अपनाने से संसाधनों को अधिक तात्कालिक प्राथमिकताओं से अनुचित रूप से हटाया जा सकता है तथा इस प्रकार पर्यवेक्षण को सुदृढ़ बनाने के बजाए उनमें अंततः कमजोरी आएगी। इसके अलावा, उन्होंने यह भी महसूस किया कि देशों को अपनी वित्तीय प्रणालियों, जिनमें संस्थाएं, बाजार तथा मूलभूत संरचना शामिल हैं, को सुदृढ़ करने को प्राथमिकता देनी चाहिए तथा बासेल मूल सिद्धांतों के गुरुतर स्तर के अनुपालन का लक्ष्य प्राप्त करना चाहिए। इसी के साथ, बीसीबीएस द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि जहां विश्व भर में बैंकों तथा बैंकिंग प्रणालियों के लिए विकल्प प्रदान करने हेतु बासेल II की अभिकल्पना की गई है, इसे अपनाने के लिए अग्रसर होना सभी पर्यवेक्षी प्राधिकरणों के लिए, उनके पर्यवेक्षण को सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता के तौर पर, पहली प्राथमिकता नहीं होगी।

5.75 आइएमएफ ने (विश्व बैंक के साथ संयुक्त रूप से) इसके वित्तीय क्षेत्र मूल्यांकन कार्यक्रम के अंग के रूप में देशों से बासेल मूल सिद्धांतों के अनुपालन की समीक्षा की है। 12 उन्नत, 15 संक्रमणशील तथा 44 उदीयमान अर्थव्यवस्थाओं को समाविष्ट करनेवाले 71 गोपनीय मूल्यांकन के दौरान यह पाया गया कि विचाराधीन सभी उन्नत अर्थव्यवस्थाओं ने बाजार जोखिम प्रबंधन संबंधी मूल सिद्धांतों का अनुपालन किया। इसके विपरीत, 66 प्रतिशत उभरती अर्थव्यवस्थाओं तथा 53 प्रतिशत संक्रमणशील अर्थव्यवस्थाओं ने ऐसे सिद्धांतों का अनुपालन नहीं किया। इस स्तर के अनुपालन को देखते हुए, बासेल II ढांचेको लागू करने में उभरती अर्थव्यवस्थाओं के सामने आनेवाली चुनौतियां भयानक हो सकती हैं।

5.76 भारतीय रिज़र्व बैंक बैंकिंग पर्यवेक्षण के संबंध में बासेल मूल सिद्धांतों के कार्यान्वयन के प्रति वचनबद्ध है। 1997 के सिद्धांतों के संबंध में इसकी स्थिति के मूल्यांकन के आधार पर कार्यदलों का गठन कतिपय क्षेत्रों को सुदृढ़ करने के लिए संस्तुति करने हेतु किया गया यथा, बैंकों के लिए जोखिम प्रबंधन प्रणाली, बैंकिंग कानून में संशोधन, गृह तथा मेजबान देश के संबंधों के लिए रूपरेखा का विकास, तथा अंतर-एजेंसी और अंतर-विभाग सहयोग में वृद्धि करना। 2006 में संशोधित नए बीसीपी में कई नए विनियामक मुद्दे शामिल हैं, जो पूंजी पर्याप्तता, जोखिम प्रबंधन, समेकित पर्यवेक्षण तथा पर्यवेक्षणात्मक स्वतंत्रता के अभाव से संबंधित हैं, जो बासेल II ढांचे के घटक हैं। जैसा पहले बताया गया है, भारत के सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक मार्च 2009 के अंत तक बासेल II मानदंडों का कार्यान्वयन करेंगे। उस समय तक कई नए मूल सिद्धांतों का अनुपालन किए जाने की आशा है। वर्तमान में रिज़र्व बैंक कार्यान्वयन हेतु बैंकिंग पर्यवेक्षण पर नए बीसीपी की जांच की प्रक्रिया मे हैं।

बासेल II तथा प्रचक्रीयता

5.77 बैंकों के लिए सुदृढ़ विनियामक और पर्यवेक्षणात्मक युग वित्तीय स्थिरता तथा वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए मौलिक रूप से ज़रूरी है। इसका कारण यह है कि बैंक अधिकांश व्यवसायों और उद्यमों के लिए ऋण के मुख्य स्रोत बने हुए हैं। जहां बासेल II से वित्तीय स्थिरता में सुधार लाना अभिप्रेत है, यह तर्क दिया जाता है कि बैंक की आस्तियों की जोखिम के प्रति उसकी पूंजी अपेक्षा की गुरुतर संवदेनशीलता के जरिए नया बासेल पूंजी ढांचा बैंक उधार को अधिक प्रचक्रीय बना सकता है तथा इस प्रकार प्रतिकूल प्रणालीगत प्रभाव हो सकता है।

5.78 बैंक पूंजी विनियमन के प्रचक्रीय प्रभाव सैद्धांतिक तथा अनुभवजन्य दोनों स्तरों पर चर्चा के विषय बन गए हैं। यह बहस 1999 से अधिक जीवंत बन गया है जब पुराने समझौते में संशोधन ने आकार लेना शुरू किया (बीआइएस,2001)। बैंक पूंजी विनियमन के चक्रीय प्रभाव से उत्पन्न चिंताएं प्राथमिक तौर पर दुहरी हैं। एक ओर, ऐसा विश्वास है कि चूंकि मंदी के दौरान विनिर्दिष्ट प्रावधान तथा बट्टे खाते की राशि में वृद्धि होती है, इससे बैंक की पूंजी कम होगी तथा नए ऋण देने की प्रवृत्ति में कमी आएगी। दूसरा, विशेष रूप से नए समझौते के तहत अधिक सामान्यीकृत चिंता इस बात की है कि आर्थिक मंदी के दौरान उधारकर्ताओं की स्थिति खराब होने के कारण उन्हें बैंकों द्वारा डाउनग्रेड किया जाएगा तथा फलस्वरूप अतिरिक्त पूंजी अलग रखनी पड़ेगी जिससे संभाव्य रूप से पूंजी की कमी बढ़ जाएगी।

5.79 व्यवसाय चक्र के विस्तार प्रायः वित्तीय संस्थाओं की लाभप्रदता में वृद्धि तथा जोखिम लेने और नए कारोबार के लिए आक्रामक रूप से प्रतिस्पर्धा करने संबंधी इन संस्थाओं की अधिक इच्छा द्वारा समर्थित होते हैं। चक्र में मंदी के चरण में, यह प्रक्रिया प्रतिकूल स्थिति में कार्य कर सकती है। लाभप्रदता में गिरावट आने तथा विश्वास कम होने के साथ वित्तीय संस्थाएं जोखिम लेने से पीछे हट सकती हैं तथा जोखिम लेने के

लिए अधिक क्षतिपूर्ति की मांग कर सकती हैं। ऐसा विशेष रूप से तब होता है जब संकुचन के चरण में वित्तीय संस्थाओं का तुलनपत्र उल्लेखनीय रूप से विकृत होता है (बीआइएस,2002)।

5.80 सैद्धांतिक स्तर पर, आर्थिक कार्यकलाप के स्तर पर पूंजीगत अपेक्षाओं के प्रभाव के व्यक्त उपचार के बारे में होल्मस्ट्रॉम तथा तिरोले (1997) ने ऐसे ढांचे के भीतर प्रावधान किया है जो मंदी के समय न्यूनतर शोधनीय अनुपात लागू करने के लिए तर्क प्रस्तावित करता है। उनके निष्कर्षों से यह प्रकट होता है कि ऐसे विश्व में जहां वास्तविक और वित्तीय दोनों क्षेत्र में एजेंटों के पास पूंजी की कमी है, बाजार चालित शोधनीय अनुपात प्रचक्रीय होते हैं, अर्थात वे विस्तार के समय उच्चतर तथा मंदी के समय निम्नतर होते हैं। अधिक सूक्ष्म तौर पर, वे यह दर्शाते हैं कि बैंकों की पूंजी के प्रति ऋणात्मक आघात आर्थिक कार्यकलाप के स्तर को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है तथा पूंजी की कमी द्वारा उत्पन्न निवेश के न्यूनतर स्तर के लिए बाजार-निर्धारित शोधनीयता अनुपातों में कटौती अपेक्षित होती है। स्वभावगत तथा समष्टि आर्थिक आघातों के बीच भेदभाव की कमी बैंक प्रबंधकों के जोखिम लेने संबंधी प्रोत्साहनों को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर अवांछनीय प्रभाव डाल सकती है (देवात्रीपोंत और तिरोले, 1994)। वस्तुतः बैंक प्रबंधक उनके नियंत्रणाधीन स्वभावगत आघातों तथा उनके नियंत्रण के बाहर के समष्टि आर्थिक आघातों दोनों के लिए दंडित किए जाएंगे, तथा इस प्रकार बासेल मानदंड 'मंदी के समय बैंक प्रबंधकों के लिए अत्यधिक कठिन' हो सकते हैं।

5.81 पूंजी अपेक्षाओं की चक्रीयता को बढ़ाने संबंधी बासेल II की संभाव्यता भी अनुभवजन्य तौर पर भलीभांति स्वीकार की गई है (डनिएलसन, आदि, 2001; लोवे, 2002;आयुसो, आदि, 2004)। अनुभव्यजन्य साक्ष्य यह नहीं सुझाता कि अधिक कठिन पूंजी विनियमन लागू करने से कई उदीयमान अर्थव्यवस्थाओं के बीच बैंक ऋण की आपूर्ति में कमी आ सकती है (चूरी आदि, 2001)। बासेल II के तहत पूंजी अपेक्षाओं की चक्रीयता का अनुमान लगाने संबंधी साहित्य से यह प्रकट होता है कि बासेल II का प्रभाव बड़ा तथा आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकता है (कश्यप तथा स्टेन, 2004)। चूक संबंधी जोखिमों के प्रति पूंजी अनुपात का प्रतिसाद मंदी के दौरान उधार देने संबंधी बैंक के प्रोत्साहनों को कम कर सकता है तथा आर्थिक गतिविधि को बदतर बना सकता है। भारतीय संदर्भ में, 1997-2002 की अवधि के लिए राज्य-स्वामित्व वाले बैंकों के आंकड़ों पर आधारित ऋण हानि प्रावधानों की चक्रीयता संबंधी अनुभवजन्य साक्ष्य यह सुझाते हैं कि राज्य-स्वामित्व वाले बैंकों में अनुकूल चक्रीय और आय स्थितियां आने पर, ऋणात्मक स्थितियां आने तक, प्रावधानीकरण को औसतन स्थगित करने की प्रवृत्ति होती है (घोष तथा नाचने, 2003)। इस प्रकार, बासेल II के तहत परिकल्पित पूंजी अपेक्षाएं समष्टि आर्थिक अस्थिरता बढ़ा सकती हैं। तथापि, यह दृढ़कथन विनियमन के एक घटक मात्र के विरुद्ध मोटे तौर पर अलग लिखत के तौर पर मानी गई जोखिम-आधारित पूंजी अपेक्षाओं पर आधारित होता है। प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि क्या जोखिम-आधारित पूंजी मानकों के तहत प्रचक्रीयता अपरिहार्य है अथवा क्या विनियमन की कुछ अन्य ऐसी विशेषताएं हैं जो इसे कम कर सकें(पेन्नाची, 2004)।

5.82 जोखिम आधारित पूंजी अपेक्षाएं प्रचक्रीय स्वरूप की हैं (मंदी में अधिक पूंजी की जरूरत पड़ती है क्योंकि बैंकों के संविभाग में ऋण जोखिम चक्रीय मंदी के दौरान बढ़ती है), इस बात को बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासेल समिति (बीसीबीएस) ने भी स्वीकार किया था। 1999 में बीसीबीएस द्वारा जारी परामर्श पत्र में, वित्तीय स्थिरता मंच द्वारा यह सवाल उठाया गया था कि क्या बीसीबीएस द्वारा चर्चित नई पूंजी के ढांचे की कई विशिष्टताएं अर्थव्यवस्था में चक्रीय घटबढ़ में वृद्धि कर सकती हैं। इसके प्रतिसाद में बीसीबीएस ने पुष्टि की कि जोखिम आधारित पूंजी अपेक्षाएं अनिवार्यतः प्रचक्रीय थीं परंतु इनका समाधान विभिन्न लिखतों द्वारा किया जा सकता था। परामर्श के दौरान, बासेल समिति कहती रही कि स्तंभ 1 के तहत आइआरबी दृष्टिकोण के जोखिम भार की विभिन्न विशिष्टताओं से इसका प्रचक्रीय प्रभाव कम होने की आशा है। उदाहरण के लिए, पीडी का अनुमान लगाने के लिए अधिदिष्ट प्रेषण अवधि कम से कम 5 साल की होती है तथा एलजीडी और ईएडी के लिए यह अवधि 7 साल की होती है तथा शर्त यह होती है कि यदि किसी स्रोत के लिए प्रेषण की अवधि बढ़ जाती है तो बाद वाले का उपयोग किया जाना चाहिए। बासेल II में बैंकों से यह अपेक्षा की गई है कि वे दीर्घावधि औसत पीडी तथा डाउनटर्न एलजीडी का अनुमान लगाएं जिससे काफी सीमा तक व्यवसाय चक्र के संबंध में पूंजी अपेक्षा का घटबढ़ कम हो गया। पात्र प्रावधानों के लिए ज्यादा छूट देने से इस बात की भी आशा है कि चक्रीय मंदी के दौरान, जब बैंकों के संविभाग के अनुपात में ऐसे ऋणों में वृद्धि होती है, चूक किए गए ऋणों की जोखिम भारित आस्तियों का महत्व घट जाएगा। समिति ने यह सिफारिश भी की थी कि राष्ट्रीय पर्यवेक्षक भी आंतरिक मॉडलों का उपयोग बढ़ा सकते हैं जिससे प्रचक्रीयता कम हो जाएगी। चक्रों के जरिए रेटिंग प्रणाली जैसे उपायों से भी उधारकर्ता की रेटिंग पर व्यवसाय चक्र का असर 'फिल्टर आउट' हो सकता है। पर्यवेक्षक भी व्यवसाय चक्र के विस्तार के दौरान स्तंभ 2 के तहत अतिरिक्त पूंजी निर्धारित करते हैं।

देशों के बीच बासेल II का कार्यान्वयन

5.83 बासेल समिति के सदस्य तथा गैर सदस्य दोनों देशों में विश्व भर में बासेल II ढांचे के कार्यान्वयन में प्रगति जारी है। जुलाई 2004 में, बीआइएस ने गैर बासेल समिति सदस्यों के बीच, जिसमें अफ्रीका, एशिया, कैरिबियन, लैटिन अमरीका, मध्य पूर्व तथा गैर बीसीबीएस यूरोप में 115 अधिकार-क्षेत्र शामिल हैं, एक सर्वेक्षण किया; जिसका उद्देश्य बासेल II

संबंधी कार्यान्वयन योजनाओं की पहचान करना तथा गैर बीसीबीएस पर्यवेक्षी समुदाय में तदनुरूप क्षमता-निर्माण की जरूरतों को निर्धारित करना था। प्राप्त हुए 107 प्रतिसादों में से, 88 गैर बीसीबीएस अधिकार-क्षेत्रों ने बासेल II अपनाने के बारे में अपना इरादा दर्शाया। अतः 13 बीसीबीएस देशों को हिसाब में लेते हुए, विश्व भर में 100 से अधिक देशों द्वारा बासेल II लागू किए जाने की आशा थी।

5.84 चुनिंदा देशों के एक सर्वेक्षण से यह प्रकट होता है कि अलग-अलग देशों ने बासेल II मानदंड लागू करने के लिए अलग-अलग समय अनुसूची का अनुसरण किया है। जापान ने 2007 में बासेल II मानदंड लागू किए। कई अन्य अधिकार-क्षेत्रों में, इस ढांचे को लागू करने के लिए आवश्यक मूलभूत संरचना (कानून, विनियमन, पर्यवेक्षी दिशानिर्देश, आदि) या तो उपलब्ध है या उसे उपलब्ध कराया जा रहा है। यह और अधिक देशों को 2008 तथा 2009 में बासेल II लागू करने की दिशा में अग्रसर होने की अनुमति देगा। इस अवधि के दौरान 73 गैर बीसीबीएस अधिकार-क्षेत्रों में बैंकिंग आस्तियों के लगभग 75 प्रतिशत को नियंत्रित करनेवाले 5,000 से थोड़े अधिक बैंकों द्वारा बासेल II में स्विच-ओवर किए जाने की आशा है। गैर बीसीबीएस अधिकार-क्षेत्रों में बासेल II की ओर अग्रसर होने के लिए एक प्रमुख वाहक विदेश नियंत्रित बैंकों अथवा विदेशी बैंकों की स्थानीय शाखाओं द्वारा स्थानीय तौर पर इस ढांचे को लागू करने का इरादा है। चीन, 2010 से बासेल II मानदंड अपनाएगा।

5.85 अलग-अलग देशों ने अलग-अलग दृष्टिकोणों के लिए अपनी संबंधित पसंद दर्शायी है। जहां सिंगापुर ने बैंक के जोखिम प्रोफाइल के अनुरूप कोई दृष्टिकोण चुनने की अनुमति बैंकों को दी है, अधिकांश देशों ने बैंकों द्वारा अनुसरण किए जाने के लिए विशिष्ट दृष्टिकोण निर्धारित किए हैं। स्तंभ 1 - न्यूनतम पूंजी अपेक्षाओं - के लिए मूल आंतरिक रेटिंग आधारित (आइआरबी) दृष्टिकोण की परिकल्पना ऋण जोखिम के लिए पूंजी अपेक्षाओं की गणना करने हेतु सर्वाधिक प्रयुक्त पद्धति के रूप में (बासेल II की ओर अग्रसर बैंकिंग आस्तियों के अनुसार) की गई है। (सरलीकृत) मानकीकृत दृष्टिकोण मूल आइआरबी के ठीक पीछे चलता है। जहां तक परिचालनात्मक जोखिम का संबंध है, ऐसी आशा है कि मूल संकेतक दृष्टिकोण का व्यापक प्रयोग विभिन्न क्षेत्रों के बीच किया जाएगा। ऋण तथा परिचालनात्मक जोखिमों के लिए सर्वाधिक उन्नत पद्धतियों को विभिन्न अधिकार-क्षेत्रों के बीच कुछ मामलों में लागू किए जाने की आशा है (अनुबंध V.1 तथा सारणी 5.2)।

सारणी 5.2 बासेल II के अनुपालन की समय-सूची और दृष्टिकोण - चुनिंदा देश

देश	अनुपालन की तारीख	दृष्टिकोण	
		ऋण जोखिम	परिचालनात्मक जोखिम
1	2	3	4
चीन	2010	..	..
हांगकांग	2007-2008	एसए/एफ-आइआरबी/ ए-आइआरबी	बीआइए/एसए/एएमए
इंडोनेशिया	2009	एसए (2009) एफ-आइआरबी (2010)	बीआइए (2008) एसए/एएमए (2010)
जापान	मार्चांत 2007	एफ-आइआरबी (मार्च 2007) / ए-आइआरबी (मार्च 2008)	बीआइए/एसए(2007)/एएमए (2008)
रिपब्लिक ऑफ कोरिया	2008	एसए/एफ-आइआरबी/ए-आइआरबी	एसए
मलेशिया	2008	एसए (2008) / एफ-आइआरबी (2010) / ए-आइआरबी (2010)	एसए
फिलीपीइन्स	जुलाई 2007	एसए/एफ-आइआरबी (2010) / ए-आइआरबी (2010)	बीआइए/एसए/एएमए
सिंगापुर	1 जनवरी 2008	बैंक की जोखिम प्रोफाइल के अनुरूप कोई दृष्टिकोण	
थाईलैंड	2008 का अंत	एसएसए/एफ-आइआरबी (2009) / ए-आइआरबी (2009)	बीआइए/एसए
यूएसए	2008	एसए / एफ-आइआरबी / ए-आइआरबी	एसए/एएमए
ब्राजील	2006-2011	..	..
यूरोपियन यूनियन	2007-2008	पूंजी अपेक्षा निदेश(सीआरडी) जो बासेल II का मोटे तौर पर पालन करता है	
रूस	2008 (स्तंभ 1) 2009 (स्तंभ 2 तथा 3)	एसएसए	बीआइए
ऑस्ट्रेलिया	2007-2008	एफ-आइआरबी/ए-आइआरबी	एएमए
न्यूजीलैंड	जनवरी 2008	एसए/एफ-आइआरबी/ए-आइआरबी	एसए/एएमए

.. : उपलब्ध नहीं
एसएसए : सरल मानकीकृत दृष्टिकोण
एसए : मानकीकृत दृष्टिकोण
एफ-आइआरबी : मूल आंतरिक रेटिंग आधारित दृष्टिकोण
बीआइए : मूल संकेतक दृष्टिकोण
एएमए : उन्नत माप दृष्टिकोण
ए-आइआरबी : उन्नत आंतरिक रेटिंग आधारित दृष्टिकोण

5.86 जहां तक एशिया-पैसिफिक का संबंध है, बासेल II संबंधी कार्यान्वयन योजनाओं को मोटे तौर पर तीन दायरों में विभाजित किया जा सकता है - पहला, जहां पहले कार्यान्वयन के समय सरलतम दृष्टिकोण तथा सर्वाधिक उन्नत दृष्टिकोण उपलब्ध थे (ऑस्ट्रेलिया, कोरिया, सिंगापुर तथा न्यूजीलैंड); दूसरा, जहां आरंभ में सरलतम दृष्टिकोण उपलब्ध थे तथा उसके बाद एक साल या दो साल के भीतर सर्वाधिक उन्नत दृष्टिकोणों में से कम से कम एक उपलब्ध हो (हांगकांग, जापान, इंडोनेशिया तथा थाईलैंड); तथा तीसरा, जहां आरंभ में सरलतम दृष्टिकोणों की अनुमति होती है तथा सर्वाधिक उन्नत दृष्टिकोणों की उपलब्धता की तारीख की घोषणा अभी की जानी है अथवा वे दो साल से अधिक समय के बाद उपलब्ध होंगे (चीन, भारत, मलेशिया तथा फिलीपीन्स)। इसके अलावा, उक्त व्यापक दायरों के चुनाव को संबंधित बैंकिंग क्षेत्रों में विदेशी बैंकों की हिस्सेदारी की मात्रा के साथ जोड़ा जा सकता है। यह देखा गया है कि बैंकिंग आस्तियों में उल्लेखनीय हिस्सेदारी रखनेवाले विदेशी बैंकों वाली बैंकिंग प्रणालियां (सिंगापुर तथा हांगकांग) उन क्षेत्रों से पहले उन्नत दृष्टिकोण अपनाने की इच्छा दर्शा रही हैं जिन क्षेत्रों में विदेशी बैंक की हिस्सेदारी अधिक नहीं है। बासेल II में अंतरित होने के पहले लंबे समय तक बासेल I में रहनेवाले देशों के मामले में भी इसी तरह की प्रवृत्ति देखी जा सकती है (चीन)(अनुबंध V.1)।

V. पूंजी और जोखिम प्रबंधन : भारतीय अनुभव

5.87 भारत में पूंजी पर्याप्तता को परंपरागत तौर पर वित्तीय प्रणाली की शक्ति के संकेत के रूप में माना गया है। बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 17 के अनुसार, भारत में निगमित प्रत्येक बैंकिंग कंपनी से यह अपेक्षित है कि वह आरक्षित निधि[5] तैयार करे। बासेल I अपनाने के पहले भारत में बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 तथा सरकारी क्षेत्र के बैंकों की कार्यप्रणाली को नियंत्रित करनेवाले संबंधित अधिनियमों में निर्धारित न्यूनतम पूंजी अपेक्षाएं बैंकों के बीच एक मात्र विनियामक पूंजी अपेक्षा थी।

5.88 भारतीय बैंकिंग के राष्ट्रीयकरण-पूर्व चरण में, रिज़र्व बैंक ने पूंजी मानकों की ओर कुछ ध्यान दिया। भारतीय बैंकों के लिए 1950 के 9 प्रतिशत से 1960 में कुल जमाराशियों के प्रति पूंजी (प्रदत्त पूंजी तथा आरक्षित निधि) अनुपात घटकर 4 प्रतिशत हो जाने से रिज़र्व बैंक ने प्रेरित होकर बैंकों को सूचित किया कि वे घोषित लाभ का 20 प्रतिशत अनिवार्य रूप से आरक्षित निधियों में अंतरित करके 6 प्रतिशत के उक्त अनुपात का लक्ष्य बनाएं (जागीरदार, 1997)। तथापि, राष्ट्रीयकरण के बाद की अवधि में, पूंजीकरण के मुद्दे पर कम ध्यान दिया गया तथा सरकारी क्षेत्र के बैंकों के लिए जमाराशि के प्रति पूंजी अनुपात 1990 के दशक के आरंभ में घटकर काफी कम (2 प्रतिशत से कम) रह गया। अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का ऋण के प्रति पूंजी अनुपात, जो 1979 में 0.9 प्रतिशत था, मार्च 1991 के अंत तक बढ़कर 2.0 प्रतिशत हो गया। उक्त अनुपात मार्च1993 के अंत में बढ़कर 3.0 प्रतिशत तथा उसके बाद तेजी से बढ़कर अगले साल 5.1 प्रतिशत हो गया तथा उसके बाद वह लगभग 6.0 प्रतिशत पर स्थिर हो गया (चार्ट V.2)। मार्च 1993 को समाप्त वर्ष और उसके बाद से अनुपात में हुई तीव्र वृद्धि का कारण मार्च1993 को समाप्त वर्ष से पूंजी पर्याप्तता मानदंड लागू करना था।

5.89 यद्यपि बैंकों का सरकारी स्वामित्व जमाकर्ताओं और निवेशकों को काफी आराम देता है, तथापि विनियामक अंतरराष्ट्रीय तौर पर पूंजी पर्याप्तता मानदंड लागू करने के प्रयोजन के लिए सरकारी क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र के बैंकों के बीच अंतर नहीं करते ताकि सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र के बैंकों के बीच एक समान आधार का निर्माण सुनिश्चित किया जा सके। इसके अलावा, सरकारी क्षेत्र के बैंकों के प्रबंधन को उचित प्रोत्साहन देने की जरूरत है ताकि वे एक प्रतिस्पर्धी वातावरण में काम कर सकें। तथापि, सरकारी स्वामित्व से बैंकों की पूंजी स्थिति पर अप्रत्यक्ष अनुकूल असर पड़ता है क्योंकि वित्तीय संकेतकों के उसी स्तर पर रेटिंग एजेंसियां शायद सरकारी क्षेत्र के बैंक को बेहतर रेटिंग

चार्ट V.2 : भारतीय बैंकों का पूंजी तथा लीवरेज अनुपात

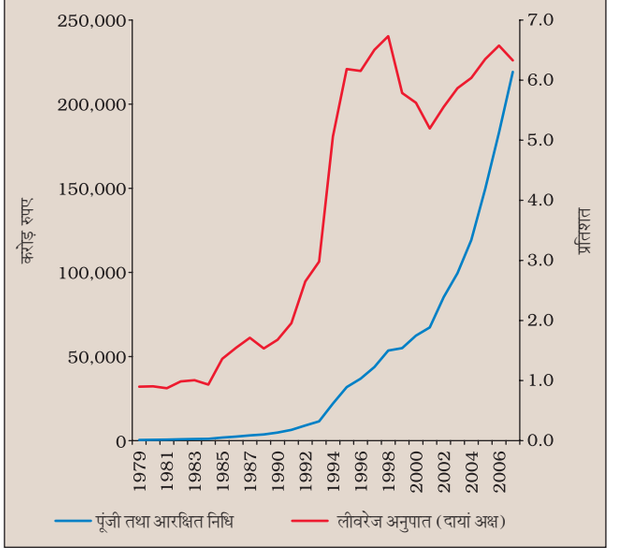

[5] हाल में बैंकों को सूचित किया गया है कि वे हर साल प्रकट किए गए लाभ के कम-से-कम 25 प्रतिशत के समतुल्य राशि आरक्षित निधि में अंतरित किया करें।

प्रदान करेंगी। साथ ही, कई क्षेत्र के ग्राहक अभी भी सरकारी क्षेत्र के बैंकों को जमाराशियां रखने के लिए अधिक सुरक्षित मानते हैं तथा वे अन्य बैंकों द्वारा जमाराशियों पर प्रस्तावित कुछ उच्चतर ब्याज छोड़ने के लिए तैयार रहते हैं।

5.90 सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) को , जिसे अनिवार्य तौर पर विवेकपूर्ण सुरक्षोपाय के रूप में माना जाता है, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 24 से कानूनी स्वीकृति प्राप्त होती है। तरल आस्तियों की परिभाषा में नकदी, सोना अथवा अभारित अनुमोदित प्रतिभूतियां शामिल होती हैं, जो आस्तियों के तत्काल संग्रहण अथवा नकदीकरण की संकल्पना को दर्शाता है। एसएलआर को इसलिए लागू किया गया ताकि बैंकों को उनकी सरकारी प्रतिभूति संबंधी धारिताओं, जो कुल मांग एवं मीयादी देयताओं का कम-से-कम 20 प्रतिशत होता है, का नकदीकरण कर परिवर्तनीय आरक्षित निधि अपेक्षाओं का असर प्रतितुलित करने से रोका जा सके। अतः 1962 में इस अधिनियम में संशोधन कर इसकी धारा 24 में एक नई उपधारा (2क) शामिल कर सभी बैंकों से यह अपेक्षा की गई कि वे भारत में अपनी मांग और मीयादी देयताओं के कम-से-कम 25 प्रतिशत के बराबर तरल आस्तियों की न्यूनतम राशि बनाए रखें, जो अनुसूचित बैंकों के मामले में भारतीय रिज़र्व बैंक की धारा 42 के तहत रखी जानेवाली शेषराशियों से अलग होगी तथा गैर अनुसूचित बैंकों के मामले में बैंककारी विनियमन अधिनियम की धारा 18 के तहत रखी जानेवाली नकद शेषराशियों से अलग होगी । यद्यपि एसएलआर की शुरुआत एक विवेकपूर्ण अपेक्षा के रूप में की गई, यह 1970 तथा 1980 के दशकों में सरकारी घाटे के वित्तपोषण की एक लिखत तथा कुछ सरकारी क्षेत्र की संस्थाओं की अपेक्षा बन गई। तथापि, 1992 में वित्तीय क्षेत्र सुधार शुरू किए जाने के बाद, एसएलआर को क्रमिक रूप से घटाकर अक्तूबर 1997 तक 25 प्रतिशत कर दिया गया तथा तबसे यह अपरिवर्तित बना हुआ है। यद्यपि एसएलआर लागू करने से किसी भी समय उधार देने के लिए बैंकों के पास उपलब्ध मुक्त चलनिधि कम हो जाती है, तथापि यह बैंकिंग प्रणाली को अतिरिक्त कुशन प्रदान करता है। जिस सीमा तक बैंक सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करते हैं, वहां तक पूंजी की उनकी जरूरत कम हो जाती है। इसका कारण यह है कि वाणिज्यिक ऋणों से भिन्न ऐसे निवेशों पर नाममात्र का जोखिम भार (2.5 प्रतिशत) होता है। साथ ही एसएलआर में किए गए निवेशों से आघातों को आत्मसात करने के लिए बैंकों को कुशन मिल जाता है।

5.91 वित्तीय प्रणाली संबंधी समिति (अध्यक्षः श्री एम.नरसिंहम) की रिपोर्ट में यह सुझाव दिया गया है कि बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं को मार्च 1993 तक जोखिम भारित आस्तियों के संबंध में न्यूनतम 4 प्रतिशत का पूंजी पर्याप्तता अनुपात प्राप्त करना चाहिए, जिसमें से टियर 1 पूंजी दो प्रतिशत से कम नहीं होनी चाहिए। वैश्विक मानकों के साथ विनियमनों को क्रमिक रूप से अनुकूल बनाने का सामान्य दृष्टिकोण अपनाते हुए, भारत में अप्रैल 1992 में पूंजी पर्याप्तता संबंधी बासेल मानदंड लागू किए जो 3 साल की अवधि में फैला हुआ था - विदेश में शाखाएं रखनेवाले बैंकों से अपेक्षा की गई कि वे मार्च 1994 के अंत तक जोखिम भारित आस्तियों के प्रति 8 प्रतिशत की न्यूनतम पूंजी अपेक्षा का अनुपालन करें, जबकि अन्य बैंकों से अपेक्षा की गई कि वे इसका अनुपालन मार्च 1996 के अंत तक करें। अक्तूबर 1998 में यह निर्णय लिया गया कि निर्धारित न्यूनतम सीआरएआर को 1 प्रतिशत अंक बढ़ाकर मार्च 2000 को समाप्त वर्ष से 9 प्रतिशत कर दिया जाए। साथ ही, भारत ने बासेल I ढांचे में हुए 1996 के संशोधन के प्रति रेस्पांड किया, जिसमें बैंकों से यह अपेक्षा की गई थी कि वे बाजार जोखिम एक्सपोजरों के लिए पूंजी का रखरखाव करें तथा आरंभ में 2000 तथा 2002 के बीच इन जोखिमों के लिए विभिन्न प्रतिनिधि पूंजी प्रभार निर्धारित करें जिनको जून 2004 में बासेल I ढांचे के तहत अपेक्षित पूंजी प्रभारों द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, जो मार्च 2005 से लागू हुए। भारत कम से कम दो संदर्भों में बासेल I अपेक्षा से एक कदम आगे चला गया है। पहला, भारत स्थित बैंकों से यह अपेक्षित है कि वे 8 प्रतिशत की बासेल की अपेक्षा की तुलना में 9 प्रतिशत सीआरएआर रखें। दूसरा, भारत स्थित बैंकों से अपेक्षित है कि वे 'ट्रेडिंग के लिए धारित' श्रेणियों के अलावा मार्च 2006 को समाप्त वर्ष से 'बिक्री के लिए उपलब्ध' संविभाग पर बाजार जोखिम के लिए भी पूंजी प्रभार रखें।

5.92 बासेल I के कार्यान्वयन में पायी गई मुख्य कठिनाई सामान्यतः भारत में तथा विशेषतः सरकारी क्षेत्र के बैंकों में सभी बैंकों की खराब वित्तीय स्थिति है। इसके अलावा, उस समय भारत में सुविकसित इक्विटी पूंजी बाजार की कमी तथा केन्द्र सरकार की खराब राजकोषीय स्थिति ने भी बैंकों के लिए बासेल I की अपेक्षा के अनुपालन हेतु पर्याप्त पूंजी जुटाना कठिन बना दिया। इस समस्या का समाधान मुख्यतः भारत सरकार द्वारा सरकारी क्षेत्र के बैंकों को पुनःपूंजीकरण बांड जारी कर किया गया। पूंजी पर्याप्तता में सुधार सिर्फ पूंजी के अंतर्वेश के द्वारा नहीं लाया जाना था। लागतें कम करके, लाभप्रदता में सुधार लाकर, एनपीए में कमी करके तथा वसूली में सुधार लाकर आंतरिक उपचय बढ़ाने की ज़रूरत है। इस रणनीति के सफल कार्यान्वयन के लिए कंपनी अभिशासन, कार्य-प्रथाओं, ग्राहक सेवा के प्रति दृष्टिकोण तथा कौशल विकास में समग्र बदलाव की भी अपेक्षा है। ऋण वसूली कानूनों, वित्तीय बाजारों के विकास, मूलभूत सुविधाओं, लेखांकन मानकों तथा प्रतिस्पर्धात्मक दक्षता में सुधार के रूप में बैंकों के परिचालनात्मक माहौल में सुधार लाने की भी ज़रूरत थी।

5.93 रिज़र्व बैंक के निदेशकों के केंद्रीय बोर्ड की एक समिति के रूप में रिज़र्व बैंक के भीतर नवंबर 1994 में गठित वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड (बीएफएस) ने भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में पूंजी पर्याप्तता मानक और

प्रकटीकरण मानदंड स्थापित करने में प्रमुख भूमिका निभायी (ब्यौरे अध्याय III और X में)। बीएफएस का एक प्रारंभिक पहल कैमेल मॉडल; अर्थात कैमेल्स जिसमें बैंकों की पूंजी पर्याप्तता, आस्ति गुणवत्ता, प्रबंधन, आय, चलनिधि और प्रणाली तथा नियंत्रण का मूल्यांकन होता है; के आशोधित स्वरूप पर ध्यान केंद्रित करते हुए बैंक निरीक्षणों की प्रणाली का पुनर्विन्यास करना था। विन्यस्त आरंभिक हस्तक्षेप प्रणाली के रूप में 2003 में शुरू की गई त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) को पूंजी पर्याप्तता अनुपात के साथ जोड़ा गया। तीन मानकों अर्थात पूंजी पर्याप्तता (सीआरएआर), आस्ति गुणवत्ता (निवल अग्रिमों के प्रति निवल अनर्जक आस्तियां) तथा लाभप्रदता (आस्तियों पर प्रतिलाभ) के आधार पर सुधारात्मक कार्रवाइयों की अनुसूची तैयार की गई। प्रत्येक प्रेरक बिन्दु (ट्रिगर पॉइंट) के लिए, अधिदेशात्मक और विवेकात्मक पीसीए का एक सेट निर्धारित किया गया तथा ट्रिगर जोन के तहत आने वाले बैंकों को सूचित किया गया कि वे समय-समय पर आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई करें। बीएफएस दिशा-निर्देश के तहत, 2003-04 के निरीक्षण चक्र के दौरान कुछ चुनिंदा बैंकों में प्रायोगिक आधार पर जोखिम आधारित पर्यवेक्षण (आरबीएस) प्रक्रिया शुरू की गई, जो आरंभ में कैमेल्स/सीएएलसीएस के तहत निरीक्षण की वर्तमान प्रणाली के समानांतर थी। आरबीएस प्रक्रिया के तहत, प्रत्येक संस्था के जोखिम प्रोफाइल पर निर्भर रहते हुए पर्यवेक्षणात्मक संसाधन आबंटित कर तथा पर्यवेक्षणात्मक ध्यान देकर, तथा पर्यवेक्षित संस्था की कारोबारी रणनीति और एक्सपोजर के संबंध में उसमें जोखिम प्रबंधन प्रणाली के औचित्य पर सतत निगरानी रखकर और उसका मूल्यांकन कर बैंकों पर निगरानी रखने की परिकल्पना की गई।

भारत में बासेल II कार्यान्वयन की बड़ी रूपरेखाएं

5.94 वित्तीय क्षेत्र में सभी परिवर्तनों संबंधी सामान्य प्रथा के अनुसार तथा बासेल II में कारगर अंतरण सुनिश्चित करने की दृष्टि से, बासेल II ढांचे की अभिकल्पना और उसके कार्यान्वयन दोनों के लिए एक परामर्शी तथा प्रतिभागितात्मक दृष्टिकोण अपनाया गया था। तदनुसार, एक स्थायी समिति गठित कर उसमें 14 बैंकों (सरकारी, निजी और विदेशी) के वरिष्ठ अधिकारियों तथा रिज़र्व बैंक और भारतीय बैंक संघ (आइबीए) के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया। स्थायी समिति की सिफारिशों के आधार पर, रिज़र्व बैंक ने 15 फरवरी 2005 को भारत में बासेल II के कार्यान्वयन के लिए दिशानिर्देशों का मसौदा जारी किया। दिशानिर्देशों के मसौदे का संशोधन कर उसे अभिमत/प्रतिपुष्टि के लिए 20 मार्च 2007 को जारी किया गया। प्राप्त प्रतिपुष्टि के आधार पर 27 अप्रैल 2007 को कार्यान्वयन के लिए दिशानिर्देशों को अंतिम रूप दिया गया।

5.95 रिज़र्व बैंक द्वारा बासेल II के बारे में जारी अंतिम दिशानिर्देशों अर्थात 'पूंजी पर्याप्तता और बाजार अनुशासन संबंधी विवेकपूर्ण दिशानिर्देश - नए पूंजी पर्याप्तता ढांचे (एनसीएएफ) का कार्यान्वयन' में आरंभ में बीसीबीएस द्वारा जारी संशोधित ढांचे के तहत स्तंभ 1 और स्तंभ 3 की अपेक्षाओं को शामिल किया गया था। स्तंभ 2 संबंधी दिशानिर्देश 26 मार्च 2008 को हाल में जारी किए गए। तदनुसार, भारत में परिचालित विदेशी बैंकों तथा भारत के बाहर परिचालनात्मक उपस्थिति रखनेवाले भारतीय बैंकों ने 31 मार्च 2008 से लागू संशोधित ढांचे के तहत ऋण जोखिम के लिए मानकीकृत दृष्टिकोण (एसए) तथा पूंजी अपेक्षाओं की गणना हेतु परिचालनात्मक जोखिम के लिए मूल संकेतक दृष्टिकोण (बीआइए) अपनाया। अन्य सभी वाणिज्य बैंकों (स्थानीय क्षेत्र बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) से अपेक्षित है कि वे उनके अनुरूप तथा किसी भी स्थिति में 31 मार्च 2009 तक संशोधित ढांचे के तहत इन दृष्टिकोणों को अपना लें। ये बैंक संशोधित ढांचे के तहत बाजार जोखिमों के लिए पूंजी अपेक्षा की गणना हेतु मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण (एसडीए) लागू करना जारी रखेंगे। ऋण जोखिम के लिए मानकीकृत दृष्टिकोण बासेल I ढांचे की तुलना में जोखिम के प्रति अधिक संवेदनशील है तथा बासेल II ढांचे के तहत परिकल्पित उन्नत दृष्टिकोणों की तुलना में इसका कार्यान्वयन और पर्यवेक्षण अधिक आसान है। मानकीकृत दृष्टिकोण को उन्नत दृष्टिकोण की साध्यता का और आकलन करने के लिए विनियामकों को समय देने संबंधी अंतरिम समाधान के रूप में भी देखा जा सकता है। बैंकों से यह अपेक्षित है कि वे विनियामक पूंजी संबंधी अपेक्षाओं की गणना हेतु ऋण जोखिम के लिए आंतरिक रेटिंग आधारित (आइआरबी) दृष्टिकोण तथा परिचालनात्मक जोखिम के लिए उन्नत उपाय दृष्टिकोण (एएमए) की ओर अंतरित होने के लिए रिज़र्व बैंक का पूर्वानुमोदन प्राप्त करें। रिज़र्व बैंक ने कुछ मात्रा में मूलभूत संरचना अपनाने हेतु बैंकों को सूचित किया है जो समय-समय पर समझौते की मांग के बाहर चला जाता है। यह बहुत स्पष्ट कर दिया गया है कि न्यूनतम अनुपालन पर्याप्त नहीं है।

5.96 बासेल II के कार्यान्वयन के लिए भारत ने त्रिमार्गीय दृष्टिकोण अपनाया है। भारत में, 79 वाणिज्य बैंकों के पास बैंकिंग क्षेत्र की कुल आस्तियों का लगभग 78 प्रतिशत; 3,000 से अधिक सहकारी बैंकों के पास 9 प्रतिशत तथा 91 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पास 3 प्रतिशत है। परिचालनों के आकार, जटिलता, वित्तीय क्षेत्र के प्रति सुसंगति, गुरुतर वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करने की आवश्यकता तथा दक्ष सुपुर्दगी प्रक्रिया रखने की जरूरत को ध्यान में रखते हुए, इन संस्थाओं पर लागू पूंजी पर्याप्तता मानदंडों को सख्ती के अलग-अलग स्तरों पर बनाये रखा गया है। पहली ओर, वाणिज्य बैंकों से अपेक्षित है कि वे ऋण और बाजार दोनों जोखिमों के लिए बासेल II ढांचे के अनुसार पूंजी बनाए रखें; दूसरी ओर सहकारी बैंकों से अपेक्षित है कि वे ऋण जोखिम के लिए बासेल I ढांचे के अनुसार तथा बाजार जोखिम के लिए प्रतिनिधि के जरिए

पूंजी बनाए रखें; तीसरी ओर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से न्यूनतम पूंजी अपेक्षा है जो बासेल I ढांचे के अनुरूप नहीं है। फलस्वरूप भारतीय बैंकिंग क्षेत्र के लिए पूर्ण बासेल II ढांचा, अंशतः बासेल I ढांचे पर लघु खंड का एक अंश, तथा गैर बासेल ढांचे का एक अल्पतर खंड प्रणालीगत महत्ववाला एक प्रमुख खंड है। इस प्रकार मार्च 2009 के बाद के परिदृश्य में, बासेल II, बासेल I तथा गैर बासेल संस्थाएं भारतीय बैंकिंग प्रणाली में साथ-साथ कार्य करेंगी। इसी तरह, बासेल II संस्थाओं के बीच भी यह संभव है कि बैंक तीन प्रमुख जोखिमों के लिए पूंजीगत अपेक्षाओं की गणना करने हेतु उपलब्ध बहुल विकल्पों के विभिन्न समन्वयन को लागू करें। फलस्वरूप, बासेल II का कार्यान्वयन उन ढांचों के स्पेक्ट्रम का अंग होगा, जिनके तहत विभिन्न वर्गों के बीच गुणवत्ता में क्रमिक वृद्धि हो सकती है। बैंकों तथा उनकी कारोबारी दार्शनिकताओं के बीच अलग-अलग जोखिम उठाने की क्षमताओं को देखते हुए यह संभव है कि बैंक अपना दृष्टिकोण 'स्वयं चुनें' जो, बदले में, कुल मिलाकर प्रणाली पर स्थिरकारी प्रभाव डाल सकता है (रेड्डी, 2006)।

स्तंभ 1

5.97 बीसीबीएस ढांचे का अनुसरण करते हुए, स्तंभ 1 में तीन प्रकार की जोखिमों अर्थात ऋण जोखिम, बाजार जोखिम और परिचालनात्मक जोखिम के लिए पूंजी प्रभार निर्धारित किया गया है। ऋण जोखिम के लिए अपनाए गए मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत, पात्र बाह्य क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों (सीआरए) अर्थात दिशानिर्देशों में प्रस्तुत नक्शे के अनुसार पूंजी पर्याप्तता के प्रयोजनों के लिए जोखिम भार देने हेतु रिज़र्व बैंक द्वारा मान्यताप्राप्त एजेंसियों द्वारा दी गई रेटिंग मोटे तौर पर ऋण जोखिम पूंजी की माप का समर्थन करेगी। इसके अलावा, तुलनपत्र में मौजूद मदों पर जोखिम भार देने के प्रयोजन के लिए, बैंकों के समस्त निधि आधारित और गैर निधि आधारित दावों को प्रतिपक्ष के अनुसार कतिपय आस्ति शीर्षों यथा देशी प्रभुतासंपन्न, विदेशी प्रभुतासंपन्न, सरकारी क्षेत्र की संस्थाओं तथा कंपनी में वर्गीकृत किया जाना अपेक्षित है।

5.98 बाह्य ऋण रेटिंग मूल्यांकन के लिए चार देशी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों (अर्थात, क्रेडिट एनालिसिस एण्ड रिसर्च लिमिटेड, क्रिसिल लिमिटेड, फिच इंडिया तथा इक्रा लिमिटेड) तथा तीन अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों (फिच, मूडीज तथा स्टैंडर्ड एण्ड पूअर्स) को रिज़र्व बैंक द्वारा प्राधिकृत किया गया है (बॉक्स V.6)।

5.99 कुछ अपवादों को छोड़कर तुलनपत्र बाह्य एक्सपोजरों के प्रति व्यवहार बासेल I ढांचे से मोटे तौर पर अपरिवर्तित बना रहा है। तुलनपत्र बाह्य मदों को बाजार संबद्ध तथा गैर बाजार संबद्ध वर्गों में विभाजित किया जाता है। जहां गैर बाजार संबद्ध तुलनपत्र बाह्य मदों के मामले में ऋण समतुल्य राशि का निर्धारण विनियमन में विनिर्दिष्ट सुसंगत ऋण परिवर्तनकारक से विशिष्ट लेनदेन की संविदाकृत राशि का गुणा करके किया जाता है, बाजार संबद्ध तुलनपत्र बाह्य मद के मामले में, चाहे उन्हें बैंकिंग बहियों में या ट्रेडिंग बहियों में रखा गया हो, ऋण समतुल्य राशि का निर्धारण वर्तमान एक्सपोजर पद्धति द्वारा किया जाना है।

5.100 तुलनपत्र पर मौजूद प्रतिभूतिकरण संबंधी एक्सपोजरों के लिए, बैंकों से यह अपेक्षित है कि वे एक्सपोजरों की मूल राशि (विशिष्ट प्रावधानों को घटाने के बाद) को दिशानिर्देशों में निर्धारित प्रयोज्य जोखिम भार से गुणा करके जोखिम भारित एक्सपोजरों की राशि की गणना करें। श्रेणी-निर्धारित तुलनपत्र बाह्य प्रतिभूतिकरण एक्सपोजरों के लिए, बैंकों से अपेक्षित है कि वे अन्यथा विनिर्दिष्ट न किए जाने पर एक्सपोजरों की मूल राशि (विशिष्ट प्रावधानों को घटाने के बाद) को 100 प्रतिशत ऋण परिवर्तनकारक से गुणा करके ऋण समतुल्य राशि की गणना करें। यदि तुलनपत्र बाह्य एक्सपोजर का श्रेणी-निर्धारण नहीं किया जाता तो गैर श्रेणी-निर्धारित पात्र चलनिधि सुविधा को छोड़कर इसकी कटौती पूंजी से की जानी चाहिए।

5.101 संशोधित ढांचे के तहत बैंकिंग बही एक्सपोजरों के लिए ऋण जोखिम उपशामकों के व्यापक दायरे तथा ट्रेडिंग बही में ओटीसी व्युत्पन्नियों और रिपो के प्रकार के लेनदेनों के लिए प्रतिपक्षकार ऋण जोखिम प्रभारों की अनुमति दी गई है बशर्ते इन तकनीकों से विधिक निश्चितता, प्रलेखीकरण और प्रकटीकरण सहित कुछ सिद्धांत और मानक पूरे हों। तथापि विभिन्न प्रकार की ऋण जोखिम उपशमन (सीआरएम) तकनीकों अर्थात संपार्श्विकीकृत लेनदेनों, तुलनपत्र पर निवल राशि निकालने और गारंटियों के लिए उपचार अलग-अलग होता है।

5.102 भारत में वर्तमान में ऋण आस्तियों की बिक्री के लिए बाजार में प्रतिभागियों की संख्या सीमित होती है। रिज़र्व बैंक ने एआरसी को दिशानिर्देश/निदेश जारी कर भारतीय बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को एआरसी द्वारा जारी प्रलेखों की अनुमति प्रदान की। रिज़र्व बैंक अब तक छः प्रतिभूतिकरण कंपनियों/पुनर्निर्माण कंपनियों (एससी/आरसी) को पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) जारी कर चुका है, जिसमें से तीन ने अपना परिचालन शुरू कर दिया है। जून 2007 के अंत में रिज़र्व बैंक के पास पंजीकृत एससी/आरसी द्वारा अर्जित आस्तियों की कुल राशि का बही मूल्य 28,544 करोड़ रुपए था। इस प्रकार के बाजार की वृद्धि की व्यापक संभावना है, जिससे ऋण जोखिम प्रबंधन के लिए बहुत कारगर साधन उपलब्ध होगा। बासेल II द्वारा चालित बैंकों के पास निकट भविष्य में अपने ऋण संविभागों का बेहतर जोखिम प्रोफाइल होगा। संविभाग में मौजूद असंतुलन से बचाव/मिलान लिखतों के लिए मांग का सृजन होगा, जो भारत में ऋण डेरिवेटिव बाजार का मूल होगा (बॉक्स V.7)।

बॉक्स V.6
भारत में रेटिंग प्रथाओं की स्थिति

विकसित अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में भारत में क्रेडिट रेटिंग अपेक्षाकृत नया है। क्रिसिल नामक पहली क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की स्थापना 1987 में की गई। 1991 से, जब इक्रा नामक भारत की दूसरी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की स्थापना की गई, वाणिज्यिक पत्रों तथा डिबेंचरों के लिए क्रेडिट रेटिंग को अधिदेशात्मक बनाया गया। तब से, कंपनी तथा खुदरा (प्राथमिक तौर पर सावधि जमा राशियां)दोनों स्तरों पर रेटिंगयुक्त जारी किए गए तथा अभिदत्त ऋण के रूप में रेटिंग उद्योग में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

बासेल II फ्रेमवर्क अपनाने के साथ सूचना प्रदाताओं के रूप में, जिसमें वृद्धि हो रही थी, भारत में क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के महत्व पर अधिक ध्यान केंद्रित किया जाने लगा। भारत में रेटिंग एजेंसियों के सामने दो तरह के अवरोध हैं जिनकी वजह से चूक संबंधी उनके आंकड़े प्रभावित होते हैं। पहला, उनके पास रेटिंगयुक्त संस्थाओं का छोटा आधार होता है। दूसरा, उनके पास अंतरराष्ट्रीय रेटिंग संस्थाओं जैसा भौगोलिक विशाखीकरण का लाभ प्राप्त नहीं होता है। भारत में रेटिंग एजेंसियों द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाएं तथा पद्धतियां सामान्यतः अंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजेंसियों के अनुरूप हैं। तथापि, उक्त दो अवरोधक कारकों के बावजूद उनके चूक संबंधी आंकड़े बासेल प्रेरक अनुपातों से मेल न खानेवाले नहीं हैं। देशी रेटिंग एजेंसियों के पास बासेल II के कार्यान्वयन के फलस्वरूप रेटिंग की उच्चतर मांग को पूरा करने के लिए अपेक्षानुसार अपना संसाधन बढ़ाने की सुविधा है। वर्तमान में भारत में रेटिंग निर्गम विशिष्ट है, न कि निर्गमकर्ता विशिष्ट । अतः रेटिंग एजेंसियां भी निर्गमकर्ता की रेटिंग करने के लिए पद्धतियां तैयार कर रही हैं। अतः यह प्रत्याशित है कि भारत में बासेल II के कार्यान्वयन के साथ एक अवधि में रेटिंगयुक्त संस्थाओं का अनुपात बढ़ने की संभावना है - बशर्ते प्रणाली में जोखिम अलग-अलग करने के लिए उपयुक्त आधार मौजूद हो।

ऐसा अपेक्षित है कि रेटिंग की प्रणाली वैधीकरण की प्रक्रिया से होकर गुजरे, जिसमें अपनाई गई आइआरबी प्रणाली के सभी महत्वपूर्ण जोखिम घटकों तथा उसके नियमित परिचालन, भविष्यवाणी करने की शक्ति और समग्र कार्यनिष्पादन के अनुमानों की शुद्धता के आकलन के लिए कार्यकलापों, लिखतों और प्रक्रियाओं का एक औपचारिक सेट हो। वैधीकरण की प्रक्रिया में बैंक को सतत आधार पर रेटिंग प्रणाली द्वारा उत्पन्न परिणामों की विश्वसनीयता का तथा संदर्भ बाजार में विनियामक अपेक्षाओं, परिचालनात्मक जरूरतों और गतिविधियों के साथ उसकी निरंतर संगति का सत्यापन करना होता है। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए परिमाणात्मक और गुणात्मक विश्लेषणों का कार्यनिष्पादन अपेक्षित है, जिसकी व्याप्ति को जांच किए गए संविभागों के प्रकार तथा उसकी व्याप्ति, बैंक की समग्र जटिलता, तथा विश्लेषणाधीन वातावरण की विश्वसनीयता के अनुसार घटाना-बढ़ाना पड़ता है। वैधीकरण संबंधी साधनों और पद्धतियों की आवधिक समीक्षा करने और उन्हें समायोजित करने की जरूरत है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि निरंतर विकसित हो रहे बाजार संबंधी परिवर्तियों तथा परिचालनात्मक स्थितियों के संदर्भ में वे उपयुक्त बने रहें। वैधीकरण की प्रक्रिया में संबद्ध पूर्व अनुमानों की तुलना में वास्तविक जोखिम उपायों की सांख्यिकीय तुलना मात्र शामिल नहीं होती है, अपितु इसमें परिचालनात्मक प्रक्रियाओं, नियंत्रणों, प्रलेखन, आइटी संबंधी मूलभूत संरचना तथा उनकी समग्र सुसंगति के आकलन सहित आइआरबी प्रणाली के सभी घटकों का विश्लेषण भी शामिल होता है। वैधीकरण की प्रक्रिया में रेटिंग प्रणालियों के लिए मात्रात्मक एवं संगठनात्मक अपेक्षाओं के साथ अनुपालन का सत्यापन शामिल होता है। विनिर्दिष्ट तौर पर, इसमें निम्नलिखित शामिल होने चाहिएः (i) अंतर्निहित तार्किक संरचना और जोखिम प्राचल अनुमानों को समर्थन देनेवाले पद्धतीय मानदंडों के विशेष संदर्भ में मॉडल विकास प्रक्रिया का मूल्यांकन; (ii) रेटिंग प्रणाली का कार्यनिष्पादन विश्लेषण; (iii) पैरामीटर के बारे में सोचविचार, बेंचमार्किंग तथा इस बारे में तनाव परीक्षण सत्यापन कि रेटिंग प्रणाली का वास्तविक उपयोग परिचालनों के विभिन्न क्षेत्रों में किया जा रहा है। वैधीकरण के परिणामों को पर्याप्त रूप में प्रलेखित किया जाना चाहिए तथा उसे आंतरिक नियंत्रण कार्यों और नियंत्रक निकायों को आवधिक रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए तथा किसी भी समस्या वाले क्षेत्र का विशिष्ट समाधान ढूंढ़ा जाना चाहिए।

पर्याप्त जानकारी की अनुपलब्धता, विभिन्न प्रकार के उद्योगों में बांड रेटिंग के लिए अलग विभागों की कमी तथा गुणात्मक कारकों का व्यक्तिनिष्ठ विश्लेषण कुछ ऐसी प्रमुख समस्याएं हैं जो भारत में रेटिंग एजेंसियों की कारगर कार्यप्रणाली में अवरोध उत्पन्न करती हैं। व्यक्तिनिष्ठ मानदंडों का वस्तुनिष्ठ परिचालन, उद्योग विशिष्ट जानकारी के लिए स्वतंत्र डेटाबेस विकसित करना, रेटिंग करनेवाले विश्लेषकों के कौशल को सुधारने के लिए वित्तीय विशेषज्ञों द्वारा आवधिक तौर पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों और संगोष्ठियों का आयोजन तथा प्रतिस्पर्धा और दक्षता बढ़ाने के लिए निजी रेटिंग एजेंसियों की स्थापना से रेटिंग प्रणाली की कार्यप्रणाली को सुधारने में काफी मदद मिलेगी।

5.103 जहां तक बाजार जोखिमों का संबंध है, भारत स्थित बैंक अभी भी आंतरिक जोखिम प्रबंधन मॉडल विकसित करने की शैशवावस्था में हैं, अतः बैंकों को शुरुआती तौर पर मानकीकृत पद्धति अपनाने की अनुमति दी गई थी। चूंकि ब्याज दर जोखिम मापने के लिए ड्यूरेशन पद्धति अधिक सही पद्धति है, अतः यह निर्णय लिया गया कि पूंजी प्रभार ज्ञात करने के लिए मानकीकृत ड्यूरेशन पद्धति अपनायी जाए।

5.104 बाजार जोखिमों के लिए न्यूनतम पूंजी अपेक्षाएं दो अलग-अलग परिगणित प्रभारों के रूप में व्यक्त की जाती हैंः (i) प्रत्येक प्रतिभूति के लिए 'विशिष्ट जोखिम' प्रभार जिसकी अभिकल्पना एक अलग प्रतिभूति के मूल्य में प्रतिकूल घटबढ़ के प्रति संरक्षण के लिए की गई है; तथा (ii) संविभाग में ब्याज दर जोखिम के प्रति 'सामान्य बाजार जोखिम', जिसमें विभिन्न प्रतिभूतियों अथवा लिखतों में दीर्घ और अल्प स्थितियों (जिसकी अनुमति डेरिवेटिवों को छोड़कर भारत में नहीं दी जाती है) को प्रतितुलित किया जा सकता है। विशिष्ट जोखिम (ऋण जोखिम के समतुल्य) तथा सामान्य बाजार जोखिम के लिए 9 प्रतिशत पर पूंजी प्रभार निर्धारित किया गया है तथा

बॉक्स V.7
ऋण डेरिवेटिव तथा ऋण जोखिम प्रबंधन

ऋण डेरिवेटिव ऐसी लिखतें हैं, जो अंतर्निहित आस्ति(यों) का स्वामित्व अंतरित किये बिना किसी दायित्व (अथवा दायित्वों के समूह) की सभी ऋण जोखिम या उसके एक भाग का अंतरण करती हैं। यह लक्ष्य सामान्यतः ऋण संदर्भ आस्ति संबंधी जोखिम को अंतरित करके प्राप्त किया जाता है। ऋण डेरिवेटिव के तीन सामान्य प्ररूप हैं - ऋण चूक स्वैप (सीडीएस), कुल प्रतिलाभ स्वैप (टीआरएस) तथा ऋण संबद्ध नोट (सीएलएन)। ऋण डेरिवेटिव का अधिकांश ऋण चूक स्वैप के रूप में होता है, जो एक या अधिक संदर्भित संस्थाओं की डिफाल्ट जोखिम एक पार्टी से दूसरे को अंतरित करने का संविदात्मक करार है। एक पक्षकार, जो सरंक्षण खरीदार होता है, सीडीएस की अवधि के दौरान दूसरे पक्षकार, संरक्षण विक्रेता, को आवधिक शुल्क अदा करता है। यदि संदर्भित संस्था चूक करती है, दिवालिया घोषित करती है अथवा दूसरी ऋण घटना घटित होती है, तो संरक्षण विक्रेता पर विनिर्दिष्ट निपटान प्रक्रिया के जरिए हानि के लिए संरक्षण खरीदार की क्षतिपूर्ति करने का दायित्व आता है। संदर्भित संस्था संविदा का पक्षकार नहीं होती है, तथा खरीदार या विक्रेता के लिए यह जरूरी नहीं होता की वह सीडीएस के लिए संदर्भित संस्था की सहमति प्राप्त करे।

ऋण डेरिवेटिव बाजार उन देशों में अधिक सक्रिय होते हैं, जहां ऋण गुणवत्ता की माप तथा रेटिंग प्रणाली पारदर्शी होती है तथा उसे व्यापक रूप में अपनाया जाता है, यथा उत्तरी अमरीका और यूरोप । इसके अलावा, एशिया तथा मध्य पूर्व में विन्यस्त ऋण उत्पादों की मांग बढ़ रही है। कई देशों में तीव्र गति से हुई वृद्धि तथा ऋण डेरिवेटिव बाजार में व्यापक भागीदारी ने वित्तीय परिदृश्य को पूरा बदल दिया है। ऋण डेरिवेटिवों के लिए बाजार की गतिविधि और वृद्धि ने बैंकों द्वारा ऋण जोखिम के प्रबंधन का तरीका बदल दिया है, उदाहरण के लिए उनमें से सबसे बड़े को इस बात की अनुमति दी गई है कि वह ऋण बही एक्सपोजरों के संकेंद्रण की मात्रा कम करके उसे एक निगम अथवा उद्योग तक सीमित कर दे। ऋण डेरिवेटिवों का महत्व ऋण जोखिम कम करने में बैंकों तथा निवेशकों दोनों के लिए है। उदाहरण के लिए, वाणिज्य बैंक अपने ऋण संविभाग की जोखिम के प्रबंधन के लिए ऋण डेरिवेटिवों का उपयोग कर सकता है तथा एक निवेश बैंक ऋण डेरिवेटिवों का प्रयोग प्रतिभूतियों की हामीदारी करते समय आनेवाली जोखिमों के प्रबंधन के लिए कर सकता है। निवेशक, यथा बीमा कंपनी, आस्ति प्रबंधक, अथवा हेज फंड, ऋण डेरिवेटिवों का प्रयोग अपने ऋण जोखिम एक्सपोजर को वांछित ऋण जोखिम प्रोफाइल के साथ संरेखित करने में कर सकते हैं।

सकारात्मक बात यह है कि अंतरराष्ट्रीय बाजारों में ऋण डेरिवेटिवों ने बैंक तथा बैंकेतर वित्तीय संस्थाओं दोनों को जोखिम-प्रतिलाभ संमिश्र के व्यापक दायरे तक और अंतर्निहित जोखिमों के व्यापक समूह तक पहुंच प्रदान करके तथा कंपनी बांड बाजारों की चलनिधि में वृद्धि करके वित्तीय प्रणाली की दक्षता बढ़ाने में कारगर तौर पर मदद की है। इसके अलावा, निवेशक गुरुतर तनाव की अवधि में विभिन्न क्षेत्रों के बीच जोखिम में कारगर तौर पर अंतर करना जारी रखते हैं। ऋण डेरिवेटिव प्रक्रिया के जरिए दी गई जानकारी पर्यवेक्षण और बाजार पर निगरानी रखने के लिए बहुत उपयोगी होती है।

तथापि, ऋण डेरिवेटिव अपनी तरह की जोखिम प्रबंधन संबंधी चुनौतियां प्रस्तुत करते हैं। ऋण डेरिवेटिव ऋण जोखिम को ऐसे जटिल तरीके से रूपांतरित कर सकते हैं जिसे समझना आसान नहीं होगा। जटिल ऋण डेरिवेटिव जटिल मॉडल पर निर्भर होते हैं, जिससे मॉडल जोखिम उत्पन्न हो जाती है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां निवेशकों के लिए इस जटिलता की व्याख्या करती हैं परंतु उनकी रेटिंग को गलत रूप में समझा जा सकता है जिससे रेटिंग एजेंसी संबंधी जोखिम उत्पन्न हो जाती है। चूक के अनुसरण में ऋण डेरिवेटिव संविदा के निपटान की अपनी जटिलताएं हो सकती हैं, जिससे निपटान जोखिम उत्पन्न हो जाती है। तथापि, उक्त जोखिम के अलावा ऋण डेरिवेटिव खंड में ऋण जोखिम प्रमुख जोखिम बनी रहती है। ऋण डेरिवेटिव लिखतों के प्रयोग से उधारकर्ता-उधारदाता के अंतर्निहित संबंध प्रतिरूपी तौर पर बदल गए हैं तथा इससे उधारदाताओं के बीच नए संबंध स्थापित हो जाते हैं तथा वे रिस्क शेडर तथा नए रिस्क टेकर बन जाते हैं। नए संबंध में,उदाहरण के लिए, असममित जानकारी के कारण बाजार की विफलता की संभावना होती है। हेज फंडों, विशेष तौर पर ऋण-अभिमुख हेज फंडों,की वृद्धि ने बाजार के विकास तथा ऋण जोखिम परिक्षेपण को तीव्र कर दिया है। जहां ऋण डेरिवेटिव बाजार ऋण जोखिम के प्राथमिक अंतरण को अधिकाधिक सुकर बनाते हैं, वहीं द्वितीयक बाजार की चलनिधि कुछ खंडों में अभी भी कम बनी हुई है जिससे बाजार के विघटन की संभावना उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार, ये बाजार पर्यवेक्षकों तथा नीति निर्माताओं का अधिक ध्यान आकृष्ट करते हैं तथा कुछ पर्यवेक्षणात्मक चिंताएं उत्पन्न कर देते हैं।

2007 के सब-प्राइम संकट में ऋण डेरिवेटिवों की भूमिका उल्लेखनीय है। लंबे समय तक कम ब्याज दरों के साथ समष्टि आर्थिक वातावरण, अधिक चलनिधि तथा कम अस्थिरता के कारण वित्तीय संस्थाओं द्वारा जोखिमों का न्यून आकलन किया गया, कई वित्तीय संस्थाओं में ऋण तथा जोखिम प्रबंधन प्रथाएं टूट गईं तथा वित्तीय विनियमन और पर्यवेक्षण की खामियां सामने आईं। बैंक, विशेष रूप से अमरीका में, अधिकाधिक मात्रा में 'उत्पन्न कर वितरित करें' मॉडल की ओर उन्मुख हुए जिसके तहत उन्होंने मानकीकृत बंधकों को समूहित कर प्रतिभूतियों के रूप में उनकी बिक्री की। यद्यपि मूल संविभाग की सर्विसिंग से नकदी प्रवाह पाने में उनकी प्राथमिकता की सतर्कतापूर्वक संरचना करके इन समूहित प्रतिभूतियों में से अधिकांश के लिए अनुकूल क्रेडिट रेटिंग प्राप्त किया गया, तथापि इनमें से कई रियलिटी सब-प्राइम प्रतिभूतियां थीं। अमरीका में मकान की कीमतें गिरने के साथ कई अग्रणी अंतरराष्ट्रीय बैंकों में चूक की घटनाएं शुरू हो गईं। अमरीकी सब-प्राइम बंधक बाजार में देखी गई समस्याएं अन्य प्रकार के उधार यथा लिवरेज्ड ऋण तथा उपभोक्ता ऋण में भी उत्पन्न हो सकती थीं। इसके अलावा, कुछ समस्याएं औद्योगिक देशों तक सीमित नहीं रहेंगी, अपितु वे ऐसी अन्य उभरती अर्थव्यवस्था में भी आ सकती हैं जहां वित्तीय संस्थाएं कमजोर ऋण प्रथाओं के कारण अत्यधिक जोखिम उठाती हैं तथा जहां विनियामक और पर्यवेक्षणात्मक ढांचा अपर्याप्त पाया जाता है।

भारतीय संदर्भ में, यद्यपि डेरिवेटिव लिखतें मुद्रा/विदेशी मुद्रा बाजार में जुलाई 1999 में वायदा दर करार (एफआरए) तथा ब्याज दर स्वैप (आइआरएस) के रूप में लागू की गईं, ऋण डेरिवेटिव अभी भी शुरू किया जाना है। 2007-08 के वार्षिक नीति वक्तव्य में सुविचारित रूप में भारत में ऋण डेरिवेटिव शुरू करने की घोषणा की गई। अंतरराष्ट्रीय वित्तीय बाजारों, विशेष रूप से ऋण बाजारों, में हाल के वित्तीय उथल-पुथल से उत्पन्न कुछ प्रतिकूल गतिविधियों को देखते हुए, तथा जोखिम प्रबंधन प्रणालियों के स्तर एवं ऋण डेरिवेटिव जैसे जटिल उत्पादों पर विनियामक दिशानिर्देशों के संभावित गैर-अनुपालन पर विचार करते हुए, ऐसा व्यापक रूप से महसूस किया गया कि वर्तमान में भारत में ऋण डेरिवेटिव शुरू किए जाने के लिए उचित समय नहीं है। अतः रिजर्व बैंक ने भारत में ऋण डेरिवेटिव शुरू करने संबंधी अंतिम दिशानिर्देश जारी करना स्थगित किए जाने संबंधी अपने निर्णय की घोषणा 19 जून 2008 को कर दी।

संदर्भ:

फिच रेटिंग, 2005. 'ग्लोबल रेटिंग डेरिवेटिव्ज सर्वेः रिस्क डिस्पर्शन ऐक्सिलरेट्स'। *फिच रेटिंग्स स्पेशल रिपोर्ट*, नवंबर।

आइएमएफ, 2006. 'दि इंफ्लुएंस ऑफ क्रेडिट डेरिवेटिव्ज एण्ड स्ट्रक्चर्ड क्रेडिट मार्केट्स ऑन फिनांशियल स्टेबिलिटी'। *ग्लोबल फिनांशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट*।

लांग,डी. 2004. 'क्रेडिट डेरिवेटिव्जः अनलाइजिंग न्यू डेवलपमेंट एण्ड रिस्क्स'। http://www.ppllc.com/OurNews/Articles/2004_07_Garp_CDS.pdf पर उपलब्ध ।

आरबीआइ. 2007. भारत में ऋण डेरिवेटिव्ज लागू करने संबंधी कार्य दल की रिपोर्ट। मई 16 । http://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/PublicationsReport/Pdfs/35293.pdf पर उपलब्ध ।

इसकी गणना बैंकों की सकल इक्विटी स्थितियों के आधार पर की जानी है (बॉक्स V.8)।

5.105 शुरुआती तौर पर भारत स्थित बैंकों से अपेक्षित है कि वे मूल संकेतक दृष्टिकोण का उपयोग कर परिचालनात्मक जोखिमों के लिए अपनी पूंजी अपेक्षाओं की गणना करें। इस दृष्टिकोण के तहत, बैंकों को परिचालनात्मक जोखिम के लिए पूंजी अवश्य रखनी चाहिए जो पिछले तीन वर्षों में सकारात्मक वार्षिक सकल आय के निश्चित प्रतिशत (वर्तमान में 15 प्रतिशत) के औसत के समतुल्य होगी। यदि ऋणात्मक सकल आय परिचालनात्मक जोखिम के लिए बैंक के स्तंभ 1 पूंजी प्रभार को विकृत करती है, तो रिज़र्व बैंक स्तंभ 2 के तहत उपयुक्त पर्यवेक्षणात्मक कार्रवाई पर विचार कर सकता है।

5.106 मूल संकेतक दृष्टिकोण को विनियामक पूंजी ज्ञात करने के लिए (मानकीकृत अथवा वैकल्पिक मानकीकृत दृष्टिकोणों की तुलना में, अथवा परिचालनात्मक जोखिम की गणना करने के लिए (उन्नत प्रबंधन दृष्टिकोण अर्थात एएमए) व्यापक परिकलन अपेक्षित नहीं होता। यद्यपि रिज़र्व बैंक ने शुरुआती तौर पर सिर्फ मूल संकेतक दृष्टिकोण का अधिदेश दिया, बैंकों ने महसूस किया कि परिचालनात्मक जोखिम के लिए विनियामक पूंजी अपेक्षा कम करने का एकमात्र तरीका अंततः एएमए की ओर अंतरित होना है। जहां अलग-अलग बैंकों के लिए 'उच्च फ्रिक्वेन्सी तथा कम तीव्रता' वाली घटनाओं के लिए हानि संबंधी आंकड़े एकत्र करना संभव है जो सांख्यिकीय तकनीक लागू करने के लिए पर्याप्त है, ' कम फ्रिक्वेन्सी तथा उच्च तीव्रता' वाली घटनाओं के लिए ऐसा संभव नहीं हो सकता। अतः, बैंकों के बीच हानि संबंधी आंकड़ों की साझेदारी करने की तीव्र जरूरत महसूस की जाती है।

बॉक्स V.8
भारत में बाजार जोखिमों के लिए पूंजी प्रभार अपनाना

अन्य विकासशील देशों की तरह भारत में विवेकपूर्ण विनियमन के तहत परंपरागत तौर पर मुख्यतः ऋण जोखिम की ओर ध्यान केंद्रित किया जाता है। जहां बैंक और उनके पर्यवेक्षक कई दशकों से अनर्जक ऋणों का सामना कर रहे हैं, वहीं ब्याज दर जोखिम अपेक्षाकृत नई समस्या है। 1980 तथा 1990 के दशक में कई देशों में वित्तीय निरोध में नरमी आई, जिससे शून्य के आस-पास अस्थिरता वाले नियंत्रित ब्याज दर युग की तुलना में इन देशों में ब्याज दरों में कुछ अस्थिरता का अनुभव किया गया। भारत में 1993 के आरंभ से ब्याज दरों पर प्रशासनिक प्रतिबंधों को निरंतर कम किया गया, जिससे ब्याज दरों में अस्थिरता बढ़ गई। कम मुद्रास्फीति, वित्तीय बाज़ारों को खोले जाने तथा घटती हुई अंतरराष्ट्रीय ब्याज दरों के फलस्वरूप 2001-04 के दौरान भारत में ब्याज दरों में उल्लेखनीय गिरावट आई। ब्याज दरों में गिरावट आने से बड़ा निवेश संविभाग रखने वाले बैंकों को ट्रेडिंग संबंधी काफी फायदा हुआ। इस प्रवृत्ति के कारण तथा ऋण संविभाग निपटाने के लिए सुदृढ़ प्रक्रिया बनाने में आने वाली कठिनाइयों के कारण कुछ बैंक आरक्षित निधि अपेक्षाओं से अधिक मात्रा में सरकारी प्रतिभूतियां रखने लगे। तथापि, अक्तूबर 2004 के आरंभ से, जब ब्याज दरें बढ़ने लगीं, इनमें से कुछ बैंकों के सामने अधिक ब्याज दर जोखिम का खतरा पैदा हो गया।

भारतीय बैंकों द्वारा धारित आस्तियों में सरकारी प्रतिभूतियों के अपेक्षाकृत अधिक हिस्से से यह चिंता बढ़ गई। मार्च 2001 के अंत में, भारत में बैंकों की सरकारी बांड धारिताएं अमरीका के मात्र 4.6 प्रतिशत, यू.के. के मात्र 0.3 प्रतिशत तथा यूरो क्षेत्र के 6.9 प्रतिशत की तुलना में आस्तियों का 27.2 प्रतिशत थीं (स्थिर आय बाज़ारों पर अध्ययन दल, 2001)। आरक्षित नकदी निधि अनुपात के अलावा, बैंकों को अपनी जमाराशियों का एक हिस्सा तरल आस्तियों के रूप में रखना पड़ता है, जिसमें अधिकांशतः सरकारी प्रतिभूतियां होती हैं। सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) अक्तूबर 1997 से 25 प्रतिशत पर अपरिवर्तित बना हुआ है।

जहां आस्ति पक्ष में ऋण और अग्रिम तथा देयता पक्ष में जमाराशियों के बीच अवधि संबंधी बेमेल प्रतिरूपी तौर पर बहुत अधिक नहीं हैं, अधिकांश सरकारी बांड स्थिर ब्याज दर वाले हैं तथा उनकी अवधि प्रतिरूपी ऋण संविभाग की तुलना में अधिक है। इस प्रकार ब्याज दरों के घटबढ़ का बैंक के निवेश संविभाग पर सामान्यतः बड़ा प्रभाव पड़ता है।

अंतरराष्ट्रीय तौर पर, बैंक नेमी तौर पर ब्याज दर जोखिम से बचाव के लिए ब्याज दर डेरिवेटिवों का उपयोग करते हैं। भारत में हालांकि रिज़र्व बैंक ब्याज दर जोखिमों से बचाव के लिए वायदा दर करारों तथा ब्याज दर स्वैपों के उपयोग की अनुमति बैंकों को देता है, पर ये बाजार बहुत तरल नहीं हैं।

इस प्रकार ब्याज दर जोखिम भारत स्थित बैंकों के लिए तथा रिज़र्व बैंक के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया। भारत में बाजार जोखिम के लिए पूंजी प्रभार निर्धारित करने के प्रति आरंभिक उपाय के रूप में बैंकों को सूचित किया गया कि वे : (i) समग्र निवेश संविभाग को 2.5 प्रतिशत का अतिरिक्त जोखिम भार दें; (ii) विदेशी मुद्रा तथा सोने पर खुली स्थिति की सीमाओं पर 100 प्रतिशत का जोखिम भार दें; तथा (iii) निवेश संविभाग में एचएफटी तथा एएफएस श्रेणियों के तहत आनेवाले निवेशों के न्यूनतम 5 प्रतिशत तक निवेश घटबढ़ रिज़र्व रखें। मौद्रिक तथा ऋण नीति वक्तव्य में अप्रैल 2002 में यह घोषणा की गई कि बाजार जोखिम के लिए पूंजी प्रभार पर बीसीबीएस मानदंड अपनाना बैंकों के लिए उपयुक्त होगा। तदनुसार, रिज़र्व बैंक ने परामर्शी प्रक्रिया के जरिए जून 2004 में अंतिम दिशानिर्देश जारी किया, जिसमें बैंकों से यह अपेक्षा की गई कि वे दो साल की अवधि में चरणबद्ध रूप में बाजार जोखिमों के लिए पूंजी प्रभार रखें। बैंकों से यह अपेक्षा की गई कि वे एचएफटी श्रेणी में शामिल प्रतिभूतियों, खुली स्वर्ण स्थिति सीमा, खुली विदेशी मुद्रा स्थिति सीमा, डेरिवेटिवों में ट्रेडिंग की स्थितियों तथा 31 मार्च 2005 तक ट्रेडिंग बही एक्सपोजरों से बचाव के लिए निष्पादित डेरिवेटिवों पर बाजार जोखिमों के लिए पूंजी रखें। उक्त के अलावा, बैंकों से अपेक्षा की गई कि वे 31 मार्च 2006 तक एएफएस श्रेणी में शामिल प्रतिभूतियों पर बाजार जोखिम के लिए पूंजी रखें।

सुझावों में ब्रिटिश बैंकर्स असोसिएशन द्वारा स्थापित ग्लोबल ऑपरेशनल लॉस डेटाबेस (जीओएलडी) की तरह भारतीय बैंक संघ (आइबीए) द्वारा आंकड़ा बाजार की स्थापना करना शामिल है।

5.107 बैंकिंग प्रणाली में प्रौद्योगिकी की लीवरेजिंग में हुई वृद्धि की पृष्ठभूमि में, कारोबार निरंतरता योजना (बीसीपी) परिचालनात्मक जोखिम प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण अंग बन गई है। 15 अप्रैल 2005 को रिज़र्व बैंक ने बैंकों को अनुदेश दिया कि वे बीसीपी के बारे में नीति निर्धारित करें (बॉक्स V.9)। हाल ही में प्राकृतिक आपदाओं द्वारा प्रभावित क्षेत्रों में बैंकों द्वारा प्रदान किए जानेवाले राहत उपायों के संबंध में दिशानिर्देश जारी करते हुए रिज़र्व बैंक ने बैंकों को सूचित किया कि वे बीसीपी की रणनीति के रूप में प्राकृतिक आपदाओं के प्रति उन्मुख क्षेत्रों में स्थित लोगों के लिए वैकल्पिक शाखाओं का पता लगाएं। बैंकों को यह भी सूचित किया गया कि वे सिर्फ दुर्घटना सुधार (डीआर) व्यवस्थाओं के बजाए संपूर्ण रूप से व्यापक बीसीपी तैयार करें।

स्तंभ 2

5.108 26 मार्च 2008 को रिज़र्व बैंक द्वारा स्तंभ 2 के बारे में जारी किए गए दिशानिर्देशों में आंतरिक पूंजी पर्याप्तता आकलन प्रक्रिया (आइसीएएपी) तथा पर्यवेक्षणात्मक समीक्षा और मूल्यांकन प्रक्रिया (एसआरईपी) की पहचान स्तंभ 2 के दो महत्वपूर्ण घटकों के रूप में की गई। आइसीएएपी में बैंक की वे प्रक्रियाएं और उपाय शामिल हैं जिनसे निम्नलिखित को सुनिश्चित किया जाता है (क) जोखिमों की उपयुक्त पहचान और माप; (ख) बैंक के जोखिम प्रोफाइल के संबंध में आंतरिक पूंजी का उपयुक्त स्तर; तथा (ग) बैंक में उपयुक्त जोखिम प्रबंधन प्रणाली लागू करना तथा उनका और विकास करना। रिज़र्व बैंक द्वारा शुरू की गई एसआरईपी में बैंक की आइसीएएपी की समीक्षा और मूल्यांकन, बैंक के जोखिम प्रोफाइल का स्वतंत्र मूल्यांकन करना और उपयुक्त विवेकपूर्ण तथा पर्यवेक्षणात्मक कार्रवाई करना शामिल हैं।

5.109 एसआरईपी के तहत, रिज़र्व बैंक एक व्यापक मूल्यांकन के जरिए बैंक की समग्र पूंजी पर्याप्तता का आकलन करेगा जिसमें विनियामक न्यूनतम पूंजी अपेक्षाओं का अनुपालन, बैंक की आइसीएएपी की गुणवत्ता और परिणाम तथा बैंक की जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाओं और नियंत्रण प्रणालियों के पर्यवेक्षणात्मक मूल्यांकन जैसी सभी सुसंगत जानकारी को हिसाब में लिया जाएगा। रिज़र्व बैंक को बैंकों द्वारा हर साल प्रस्तुत आइसीएएपी दस्तावेज के साथ रिज़र्व बैंक को बैंकों से प्राप्त परोक्ष विवरणियों और बैंकों के वार्षिक वित्तीय निरीक्षण

बॉक्स V.9
परिचालनात्मक जोखिम तथा कारोबार निरंतरता योजना

कारोबार निरंतरता योजना (बीसीपी) परिचालनात्मक जोखिम - कारोबारी विघटन तथा व्यवस्थागत विफलता - के एक महत्वपूर्ण क्षेत्र के प्रतिकूल प्रभाव को न्यूनतम करने की एक प्रमुख पूर्वापेक्षा है। यह आवश्यक है कि सभी बैंकों के पास बीसीपी हो ताकि वे गंभीर कारोबारी विघटनों से निपटने के लिए तैयार हों। बीसीपी एक पूर्ण प्रबंधन तथा शासन प्रक्रिया है जो वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा समर्थित होता है तथा संभावित हानियों के प्रभाव की पहचान करने, अर्थक्षमता सुधार रणनीति तथा योजनाएं तैयार रखने के लिए आवश्यक कदम उठाया जाना सुनिश्चित करने और अभ्यास, रिहर्सल, परीक्षण, प्रशिक्षण, रखरखाव और आश्वासन के जरिए उत्पादों / सेवाओं की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए संसाधनपूर्ण होता है।

'डिजास्टर रिकवरी' शब्द का सामान्यत: प्रयोग प्रौद्योगिकी सुधार के प्रयास के लिए किया जाता है। डिजास्टर रिकवरी कारोबार निरंतरता प्रबंधन कार्यक्रम का एक घटक है। प्रौद्योगिकी बहाल करने के अलावा, कारोबार निरंतरता महत्वपूर्ण कार्य करनेवाले लोगों की उपस्थिति तथा महत्वपूर्ण मूलभूत संरचना और प्रक्रियों की बहाली की अपेक्षा भी करती है, ताकि सेवा का न्यूनतम आश्वासित स्तर सुनिश्चित किया जा सके।

एक कारगर बीसीपी को उन व्यापक डिजास्टरों की संभावना को हिसाब में लेना चाहिए जिनसे पूरा क्षेत्र प्रभावित होता है तथा फलस्वरूप होनेवाली हानि अथवा स्टाफ अनभिगम्यता को भी हिसाब में लेना चाहिए । बीसीपी प्रणाली में अन्य बातों के साथ-साथ महत्वपूर्ण कारोबार, समर्थक कार्यों के साथ स्वयं के तथा साझेदारी वाले संसाधन (बीसीपी टेम्पलेट में आइटी निरंतरता योजना टेम्पलेट शामिल होगा) की पहचान; व्यापक कारोबार प्रभाव विश्लेषण पर आधारित संरचनागत जोखिम आकलन; कारोबार प्रभाव विश्लेषण पर आधारित सुधार समय उद्देश्य (आरटीओ) शामिल होते हैं। इसे समय-समय पर उद्योग की सर्वोत्तम प्रथाओं के प्रति बेंचमार्क करके; डिजास्टर के रूप में महत्वपूर्ण एवं सख्त मान्यताओं द्वारा ताकि सर्वाधिक तनावपूर्ण स्थितियों का समाधान करने के लिए उक्त ढांचा परिपूर्ण हो; और आंकड़ा संबंधी हानि से निपटने के लिए प्रत्येक महत्वपूर्ण प्रणाली तथा रणनीति हेतु आंकड़ा हानि के लिए सुधार बिंदु उद्देश्य (आरपीओ) की पहचान द्वारा फाइन-ट्यून भी किया जाए। बीसीपी में वित्तीय प्रणाली के प्रतिभागियों तथा मूलभूत संरचना सेवा प्रदान करनेवालों के बीच बाजार आधारित और भौगोलिक दोनों अंतर-निर्भरताओं पर विचार तथा उनका समाधान भी किया जाना चाहिए। अधिकांश मामलों में, सुधार समय उद्देश्य अब कुछ साल पहले की तुलना में काफी कम हो गया है।

बीसीपी के बारे में जिम्मेदारी निदेशक बोर्ड तथा सर्वोच्च प्रबंधन की है। बोर्ड बीसीपी के बारे में नीति का अनुमोदन कर, महत्वपूर्ण व्यावसायिक कार्यों में प्राथमिकता निर्धारित कर, पर्याप्त संसाधन आबंटित कर, बीसीपी परीक्षण परिणामों की समीक्षा कर तथा बीसीपी का रखरखाव और आवधिक अद्यतनीकरण सुनिश्चित कर अपनी जिम्मेदारी पूरी करता है। महत्वपूर्ण परिचालनों को आउटसोर्स किये जाने पर सर्वोच्च प्रबंधन से यह अपेक्षा की जाती है कि वह संस्था के कारोबार सुधार, आकस्मिकता योजनाओं और परीक्षण परिणामों की पर्याप्तता की वार्षिक समीक्षा करे तथा उसे बोर्ड के समक्ष सेवा प्रदाताओं द्वारा किये गये आवधिक परीक्षण सहित प्रस्तुत करे।

(एएफआइ) सहित रिज़र्व बैंक द्वारा आवधिक रूप से बैंकों के लिए एसआरईपी किया जाना अपेक्षित है। एसआरईपी के जरिए, रिज़र्व बैंक बैंकों के आइसीएएपी की पर्याप्तता और दक्षता तथा उनसे प्राप्त पूरी अपेक्षाओं का मूल्यांकन करेगा। आवधिक समीक्षा के अलावा तदर्थ समीक्षाएं करने तथा किसी बैंक की आइसीएएपी की प्रक्रिया के विशिष्ट पहलुओं पर अभिमत देने के लिए जरूरत पड़ने पर रिज़र्व बैंक स्वतंत्र बाह्य विशेषज्ञ भी नियुक्त कर सकता है। जरूरत समझे जाने पर, एसआरईपी में समय-समय पर बैंक के सर्वोच्च प्रबंधन तथा रिज़र्व बैंक के बीच वार्ता भी शामिल हो सकती है जिसमें बैंकों से यह आशा की जाएगी कि वे उनके द्वारा अपनायी गई आइसीएएपी का बचाव उनके आकार, जटिलता के स्तर, परिचालनों की व्याप्ति और मात्रा तथा परिणामी जोखिम प्रोफाइल/एक्सपोजर के प्रति पूर्णतः जवाबदेह प्रक्रिया के रूप में करें। आम तौर पर बैंकों से यह आशा की जाती है कि वे सभी महत्वपूर्ण जोखिमों को हिसाब में लेते हुए अपने न्यूनतम विनियामक पूंजी स्तरों से अधिक पूंजी रखें। एसआरईपी के तहत, रिज़र्व बैंक इस बात का भी निर्णय करेगा कि क्या बैंक की समग्र पूंजी अंतर्निहित स्थितियां बदलने पर पर्याप्त बनी रहती है।

5.110 रिज़र्व बैंक द्वारा आइसीएएपी की कारगरता का मूल्यांकन अनिवार्य रूप से पूंजी प्रबंधन प्रक्रिया तथा बैंकों द्वारा अपनायी गयी रणनीतियों की समझ पर आधारित होगा। आम तौर पर, अन्यथा उपशमित न की जानेवाली जोखिमों में हुई महत्वपूर्ण वृद्धि के साथ पूंजी में तदनुरूप वृद्धि होनी चाहिए। विलोमतः समग्र पूंजी में कमी (विनियामक न्यूनतम स्तर के ऊपर के स्तर तक) उपयुक्त होगी, यदि जोखिमों में महत्वपूर्ण कमी आई हो अथवा उपयुक्त तौर पर उनका उपशमन किया गया हो। ऐसे आकलन के आधार पर, रिज़र्व बैंक उपयुक्त पर्यवेक्षणात्मक उपाय शुरू करने पर विचार कर सकता है यथा किसी बैंक के जोखिम प्रबंधन और आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाओं में आशोधन अथवा वृद्धि की अपेक्षा करना, जोखिमपूर्ण एक्सपोजरों में कमी करना अथवा पहचान की गई पर्यवेक्षणात्मक चिंताओं को दूर करने के लिए आवश्यक समझी गई अन्य कोई कार्रवाई। इन उपायों में बैंक-विशिष्ट न्यूनतम सीआरएआर का निर्धारण शामिल है जो स्तंभ 1 के तहत विनिर्दिष्ट विनियामक न्यूनतम स्तर की तुलना में संभाव्य रूप से उच्चतर भी हो सकता है यदि तथ्य और परिस्थितियां ऐसी मांग करें। जिन मामलों में रिज़र्व बैंक विनियामक न्यूनतम स्तर की तुलना में उच्चतर सीआरएआर विनिर्दिष्ट करने का निर्णय लेता है, यह संबंधित बैंकों को ऐसा करने के पीछे मौजूद तर्क की जानकारी देगा। जिस प्रकार और जब भारत में बासेल II प्रलेख में परिकल्पित उन्नत दृष्टिकोण अपनाने की अनुमति दी जाएगी, एसआरईपी में उन्नत दृष्टिकोण अपनाने के लिए बैंकों द्वारा पात्रता मानदंडों के निरंतर अनुपालन का मूल्यांकन भी किया जाएगा।

5.111 बासेल II फ्रेमवर्क सभी वाणिज्य बैंकों पर (स्थानीय क्षेत्रीय बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) एकल स्तर (सार्वभौमिक स्थिति) तथा समेकित स्तर दोनों पर लागू है। तदनुसार, बैंकिंग समूह के भीतर प्रत्येक बैंकिंग संस्था के लिए हर स्तर पर एकल आधार पर तथा समेकित बैंक (अर्थात संस्थाओं का एक ऐसा समूह जहां लाइसेंस प्राप्त बैंक नियंत्रक संस्था होता है) के स्तर पर आइसीएएपी तैयार करना अपेक्षित है। यह अपेक्षा भारत स्थित विदेशी बैंकों पर भी लागू होगी तथा उनके आइसीएएपी में उनके भारतीय परिचालनों को ही शामिल करना अपेक्षित होगा। आइसीएएपी की अभिकल्पना और कार्यान्वयन की अंतिम जिम्मेदारी बैंक के निदेशक मंडल की होती है, तथा भारत में शाखा रखने वाले विदेशी बैंकों के मामले में यह जिम्मेदारी मुख्य कार्यपालक अधिकारी की होती है। चूंकि आइसीएएपी एक निरंतर चलनेवाली प्रक्रिया है, यह एक लिखित रिकार्ड है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ पहचान की गई जोखिमें, उन जोखिमों पर निगरानी रखने तथा उनके प्रबंधन का तरीका, बैंक के बदलते हुए जोखिम प्रोफाइल का बैंक की पूंजी की स्थिति पर असर, किए गए तनाव परीक्षणों/परिदृश्य विश्लेषण के ब्यौरे तथा आइसीएएपी के परिणाम पर परिणामी पूंजी अपेक्षाएं बैंकों द्वारा आवधिक रूप से अपने निदेशक मंडल को प्रस्तुत करना शामिल होता है, जो इस बात का आकलन और प्रलेखन करेगा कि क्या बैंक द्वारा लागू की गई आइसीएएपी संबंधी प्रक्रिया से बोर्ड द्वारा परिकल्पित उद्देश्य सफलतापूर्वक प्राप्त होंगे।

5.112 स्तंभ 2 के दिशानिर्देशानुसार, आइसीएएपी को प्रबंधन का तथा बैंक के निर्णय लेने की संस्कृति का अभिन्न अंग होना चाहिए। यह समन्वयन आइसीएएपी का उपयोग विभिन्न कारोबारी इकाइयों में पूंजी के आंतरिक आबंटन से लेकर अलग-अलग ऋण निर्णय प्रक्रिया तथा उत्पादों के मूल्य अथवा विस्तार योजनाओं और बजट जैसे अधिक सामान्य कारोबारी निर्णयों में भूमिका निभाने तक हो सकता है। आइसीएएपी का कार्यान्वयन आनुपातिकता के सिद्धांत द्वारा दिशानिर्दिष्ट होना अपेक्षित है, जिसका निहितार्थ यह है कि यद्यपि बैंकों को उनकी आइसीएएपी की अभिकल्पना करने में परिष्कृत दृष्टिकोणों की ओर अंतरित होने और क्रमिक रूप से उन्हें अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, रिज़र्व बैंक की ऐसी अपेक्षा है कि जोखिम की माप और प्रबंधन के संबंध में आइसीएएपी में अपनाए गए परिष्करण की मात्रा बैंक के व्यावसायिक परिचालनों के स्वरूप, व्याप्ति, पैमाने और उसकी जटिलता की मात्रा के अनुरूप होनी चाहिए।

स्तंभ 3

5.113 बाजार अनुशासन को प्रोत्साहित करने के लिए, रिज़र्व बैंक ने कुछ वर्षों में प्रकटीकरण संबंधी अपेक्षाओं का एक सेट विकसित किया है जो बाजार के प्रतिभागियों को पूंजी पर्याप्तता, जोखिम

एक्सपोजर, जोखिम निर्धारण प्रक्रिया तथा प्रमुख व्यावसायिक मानदंडों के बारे में जानकारी के प्रमुख क्षेत्रों का आकलन करने की अनुमति देता है, जो सुसंगत और समझने योग्य प्रकटीकरण ढांचा प्रदान करता है जिससे तुलनीयता में वृद्धि होती है। बैंकों से यह भी अपेक्षा है कि वे भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आइसीएआइ) द्वारा जारी लेखांकन नीतियों के प्रकटीकरण संबंधी लेखांकन मानक (एएस I) का अनुपालन करें। बीसीबीएस के स्तंभ 3 प्रकटीकरण ढांचे को ध्यान में रखते हुए, बढ़े हुए प्रकटीकरण का लक्ष्य 'लेखाओं पर टिप्पणी' में किए गए प्रकटीकरण की व्याप्ति को बढ़ाकर प्राप्त कर लिया गया है।

5.114 समेकित बैंकों सहित भारतीय बैंकों से यह अपेक्षित है कि वे वार्षिक वित्तीय विवरणियों के साथ हर साल मार्च के अंत में स्तंभ 3 संबंधी सभी प्रकटीकरण, गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों, उपलब्ध कराएं। स्तंभ 3 प्रकटीकरण के प्रति पहुंच बढ़ाने की दृष्टि से, बैंक अपनी वार्षिक रिपोर्टों तथा संबंधित वेबसाइटों दोनों में अपना वार्षिक प्रकटीकरण कर सकते हैं। 100 करोड़ रुपए अथवा अधिक पूंजी निधि वाले बैंकों से यह अपेक्षित है कि वे हर साल सितंबर के अंत में अपने संबंधित वेबसाइटों में एकल आधार पर मात्रात्मक पहलुओं के बारे में अंतरिम प्रकटीकरण करें। गुणात्मक प्रकटीकरण, जिसमें बैंक के जोखिम प्रबंधन संबंधी उद्देशों और नीतियों,रिपोर्टिंग प्रणाली तथा परिभाषाओं का सामान्य सारांश दिया जाता है,वार्षिक आधार पर ही प्रकाशित किया जाना अपेक्षित है। संशोधित घाटे की बढ़ी हुई जोखिम संवेदनशीलता तथा पूंजी बाजारों में बार-बार रिपोर्टिंग संबंधी सामान्य प्रवृत्ति को स्वीकार करते हुए, 500 करोड़ रुपए अथवा अधिक की पूंजी निधियों वाले सभी बैंकों और उनकी उल्लेखनीय सहायक संस्थाओं को उनके संबंधित वेबसाइटों में तिमाही आधार पर अपनी टियर 1 पूंजी, कुल पूंजी, कुल अपेक्षित पूंजी तथा टियर 1 अनुपात और कुल पूंजी पर्याप्तता अनुपात अवश्य दर्शाना चाहिए। स्तंभ 3 के तहत प्रकटीकरण संबंधी अपेक्षा 31 मार्च 2008 को समाप्त रिपोर्टिंग अवधि से उन बैंकों के लिए लागू की गई जो उस तारीख को बासेल II में अंतरित हो चुके थे।

भारत में बासेल II के कार्यान्वयन के लिए किए गए उपाय

5.115 संशोधित ढांचे के प्रति कारगर अंतरण सुनिश्चित करने तथा उनकी प्रणालियों और रणनीतियों को कारगर बनाने का अवसर प्रदान करने की दृष्टि से, रिज़र्व बैंक ने बासेल II के सुविचारित और चरणबद्ध कार्यान्वयन के लिए परामर्श की प्रक्रिया अपनायी। इस संबंध में बीसीबीएस के साथ रिज़र्व बैंक के संबंध की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। रिज़र्व बैंक 1998 में बीसीबीएस के मूल सिद्धांत संपर्क दल का एक सदस्य बना तथा बाद में पूंजी संबंधी मूल सिद्धांत कार्यकारी दल का सदस्य बना। कार्यकारी दल के भीतर, रिज़र्व बैंक बासेल II संबंधी ढांचे के बारे में होनेवाले विचारविमर्शों में सक्रिय रूप से भाग ले रहा है। बीसीबीएस में हुई गतिविधियों के अनुसार,रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग परिचालनों के कई क्षेत्रों को कवर करते हुए समय-समय पर दिशानिर्देश जारी किए ताकि बासेल II के कार्यान्वयन के लिए बैंकिंग प्रणाली को तैयार किया जा सके।

5.116 बासेल II के कार्यान्वयन ने यदि अधिक नहीं तो कम से कम बैंकों की तरह बैंकिंग क्षेत्र के विनियामकों/पर्यवेक्षकों के संसाधनों की मांग बढ़ा दी। अधिक विशिष्ट तौर पर, विनियामकों/पर्यवेक्षकों को अतिरिक्त जिम्मेदारी लेनी है। तदनुसार, रिज़र्व बैंक ने बासेल II के कार्यान्वयन की दृष्टि से कई उपाय शुरू किए। रिज़र्व बैंक ने बासेल II में स्विचओवर करने के लिए बैंकिंग प्रणाली के संसाधनों, पूंजी की स्थिति, कंप्यूटरीकरण की स्थिति, प्रबंध सूचना प्रणाली (एमआइएस) की स्थिति तथा जोखिम प्रबंधन प्रणाली के रूप में उनकी तैयारी का आकलन किया। इस प्रकार के आकलन के आधार पर, एक समयबद्ध रूप में विनिर्दिष्ट दृष्टिकोणों (मानकीकृत या उन्नत) में स्विचओवर करने के लिए एक रोडमैप तैयार करने की योजना बनाई गई। बैंकों को बेहतर कारपोरेट अभिशासन तथा जोखिम प्रबंधन प्रणाली अपनाने और उनके जोखिम प्रोफाइल पर निर्भर रहते हुए न्यूनतम विनियामक पूंजी स्तर से अधिक पूंजी रखने के लिए प्रोत्साहित किया गया। रिज़र्व बैंक ने भी बैंकिंग उद्योग के साथ निरंतर चर्चा की तथा जोखिम प्रबंधन और पूंजी प्रबंधन प्रक्रियाओं में सुधार पर निरंतर आधार पर निगरानी रखी, साथ ही उसने बैंकों को स्टाफ के गुणात्मक और जोखिम प्रबंधन कौशल को सुधारने के लिए भी प्रोत्साहित किया। इसके अलावा, रिज़र्व बैंक ने विनियामक और पर्यवेक्षणात्मक विभागों में तैनात अपने स्टाफ का कौशल भी बढ़ाया ताकि वे बासेल II के तहत अपनी भूमिकाएं कारगर तौर पर निभा सकें। ऐसा उन्नत दृष्टिकोणों के कार्यान्वयन के संदर्भ में कौशल के विकास संबंधी भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए किया गया क्योंकि पर्यवेक्षक को पूंजी संबंधी अपेक्षाओं की गणना करने के लिए बैंकों द्वारा प्रयुक्त जोखिम माप मॉडलों का अनुमोदन करना होगा। मानव संसाधन विकास की प्रगति के लिए, रिज़र्व बैंक के स्टाफ को उसकी अपनी प्रशिक्षण संस्थाओं में तथा विदेश में प्रशिक्षित किया जा रहा है। जोखिम प्रबंधन के क्षेत्रों में विदेशी प्रशिक्षण संस्थाओं द्वारा विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों की व्यवस्था भारत में भी की गई है। स्टाफ सदस्यों को अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों/संगोष्ठियों में भी नियमित रूप से भेजा जाता है ताकि उन्हें नवीनतम गतिविधियों और मुद्दों की जानकारी हो सके। रिज़र्व बैंक के विनियामक और पर्यवेक्षणात्मक विभागों से आहरित 20 अधिकारियों की एक टीम बनाई गई है जिसे 'बासेल II- परियोजना टीम' के नाम से जाना जाता है तथा यह टीम बासेल II के कार्यान्वयन में शामिल विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने के लिए बार-बार बैठकें करती रहती है। टीम का प्रमुख उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि उन्नत दृष्टिकोण लागू करने के लिए बैंकों की तैयारी का मूल्यांकन करने की अपेक्षित क्षमता यथासमय आंतरिक रूप से निर्मित की जाए।

5.117 रिज़र्व बैंक बासेल II के मानदंडों के कार्यान्वयन के संबंध में जारी विनियामक दिशानिर्देशों की निरंतर समीक्षा करता है। निर्धारित अनुसूची के संदर्भ में, भारत में कार्यरत विदेशी बैंकों तथा भारत के बाहर उपस्थिति वाले भारतीय बैंकों ने मार्च 2008 को समाप्त वर्ष के दौरान बासेल II मानदंडों का पहले ही कार्यान्वयन कर लिया है। भारत स्थित अन्य सभी बैंक बासेल II के कार्यान्वयन के लिए तैयारी कर रहे हैं। कुल मिलाकर, परिचालनात्मक समर्थक प्रणालियों तथा अतिरिक्त पूंजी अपेक्षाओं के संदर्भ में संबंधित बैंक मार्च 2009 को समाप्त वर्ष से बासेल II का कार्यान्वयन करने की स्थिति में हैं। कुछ बैंकों ने यथासमय उन्नत दृष्टिकोण लागू करने के लिए तैयारी भी शुरू कर दी है।

5.118 संशोधित ढांचे की ओर कारगर अंतरण सुनिश्चित करने तथा अपनी प्रणालियों और रणनीतियों को कारगर बनाने का अवसर बैंकों को प्रदान करने की दृष्टि से, बैंकों को सूचित किया गया था कि वे 1 अप्रैल 2006 से संशोधित ढांचे को समानान्तर तौर पर चलाएं। समानान्तर तौर पर चलाने के दौरान बैंकों से यह अपेक्षा की गई कि वे सतत आधार पर पूंजी पर्याप्तता - बासेल I ढांचे और बासेल II ढांचे दोनों के तहत - संबंधी विवेकपूर्ण दिशानिर्देश लागू करें तथा दोनों परिदृश्यों के तहत सीआरएआर की स्थिति की गणना करें। बैंकों को सूचित किया गया कि वे समानान्तर चलन के विश्लेषण की एक प्रति अपने निदेशक मंडल के समक्ष रखें तथा उसकी एक प्रतिलिपि रिज़र्व बैंक को प्रेषित करें। साथ ही, बैंकों को यह भी सूचित किया गया कि स्तंभ 1 के तहत उनके द्वारा रखी गई न्यूनतम पूंजी विवेकपूर्ण निचले स्तर के अधीन होगी, जिसका बासेल II ढांचे में न्यूनतम पूंजी अथवा संबंधित बैंकों द्वारा संशोधित बासेल II ढांचा लागू करने के पहले तीन वर्षों के दौरान बासेल I ढांचे में विनिर्दिष्ट न्यूनतम पूंजी अनुपात में से उच्चतर होना अपेक्षित है (बॉक्स V.10)।

5.119 बासेल II ढांचे में राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों के सामने कई क्षेत्रों में विवेक का प्रस्ताव है ताकि वे अपनी बैंकिंग प्रणालियों के अनुकूल ढांचा अपना सकें। भारत में, राष्ट्रीय विवेक की मदों के बारे में निर्णय लेते समय एक वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण अपनाया गया है। ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां रिज़र्व बैंक द्वारा प्रयोग में लाया गया राष्ट्रीय विवेक अधिक रूढ़िवादी स्वरूप का है। पहला, राज्य सरकार द्वारा गारंटी प्राप्त एक्सपोजरों पर 20 प्रतिशत का उच्चतर जोखिम भार लगता है, यद्यपि बासेल ढांचे में शून्य प्रतिशत जोखिम भार की अनुमति दी गई है। दूसरा, सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के प्रति एक्सपोजरों को कारपोरेट एक्सपोजरों के समतुल्य माना जाता है, यद्यपि ढांचे में उन्हें बैंक अथवा सरकारी एक्सपोजरों के समतुल्य माने जाने की अनुमति है। तीसरा, रिज़र्व बैंक को 9 प्रतिशत से अधिक सीआरएआर वाले सभी बैंकों के एक्सपोजरों के लिए 20 प्रतिशत का जोखिम भार लगाने का विवेकाधिकार है। तथापि, यह रियायती जोखिम भार सिर्फ अनुसूचित बैंकों के प्रति एक्सपोजरों पर लागू किया जाता है; गैर अनुसूचित बैंकों के प्रति एक्सपोजरों पर अलग से विचार किया जाता है तथा सीआरएआर 9 प्रतिशत या अधिक होने पर उन पर 100 प्रतिशत जोखिम भार लगाया जाता है। चौथा, यद्यपि बासेल II ढांचे में रिहाइशी बंधकों के लिए 35 प्रतिशत तथा व्यक्तिगत ऋणों के लिए 75 प्रतिशत (खुदरा के अंग के रूप में) के न्यूनतर जोखिम भार की अनुमति है, तथापि भारतीय मामले में रिहाइशी बंधकों के लिए 75 प्रतिशत तथा

बॉक्स V.10
नये पूंजी पर्याप्तता ढांचे की ओर अंतरण: समानांतर चलने वाली प्रक्रिया

समानांतर प्रक्रिया में कई उपाय शामिल हैं। बैंकों से यह अपेक्षित है कि वे निरंतर आधार पर पूंजी पर्याप्तता संबंधी विवेकपूर्ण दिशानिर्देश - चालू दिशानिर्देश तथा संशोधित ढांचे पर दिशानिर्देश दोनों - लागू करें तथा दोनों दिशानिर्देशों के तहत अपने सीआरएआर की गणना करें। दोनों दिशानिर्देशों के तहत बैंक के सीआरएआर का विश्लेषण तिमाही अंतराल पर बोर्ड को सूचित किया जाना चाहिए। उक्त विश्लेषण बोर्ड को सूचित करते समय, बैंकों को संशोधित ढांचे के तहत सुसंगत अन्य अपेक्षाओं के अनुपालन के बारे में व्यापक आकलन भी प्रस्तुत करना चाहिए, जिसमें न्यूनतम निम्नलिखित शामिल हैं: (i) ऋण जोखिम उपशमन तकनीकों के उपयोग के बारे में बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति तथा संपार्श्विक प्रबंधन; (ii) प्रकटीकरण पर व्यापक अनुमोदित नीति; (iii) आंतरिक पूंजी पर्याप्तता निर्धारण प्रक्रिया (आइसीएएपी) के अनुसार पूंजी अपेक्षा सहित आइसीएएपी के बारे में व्यापक अनुमोदित नीति; (iv) नई पूंजी पर्याप्तता ढांचा, अंतर, यदि कोई हो, को पाटने के लिए किए गए पहल तथा इस संबंध में हुई प्रगति के तहत अपेक्षाएं पूरी करने के लिए बैंक की प्रबंध सूचना प्रणाली (एमआइएस) की पर्याप्तता; (v) संशोधित ढांचे के तहत बैंक के सीआरएआर पर विभिन्न तत्वों/संविभागों का प्रभाव; (vi) नई पूंजी पर्याप्तता ढांचे के अनुसार परिगणित सीआरएआर की स्थिति के वैधीकरण के लिए तैयार की गई प्रक्रिया तथा इन वैधीकरण अभ्यासों के आकलन/निष्कर्ष/उसकी सिफारिशें; तथा (vii) उक्त पहलुओं पर अतीत में बोर्ड द्वारा दी गई सलाह/दिशानिर्देश/निदेश के संबंध में की गई कार्रवाई। बोर्ड को प्रस्तुत तिमाही रिपोर्ट की एक प्रति रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

समानान्तर प्रक्रिया से वर्तमान एमआइएस तथा पूरा किए जानेवाले अन्य सुसंगत क्षेत्रों के बीच अंतर की पहचान करने में बैंकों को मदद मिली है ताकि 31 मार्च 2008 से बासेल II ढांचे में कारगर संक्रमण सुनिश्चित किया जा सके। समानान्तर प्रक्रिया में मुख्यत: परिचालनात्मक जोखिम के कारण लगाए जानेवाले अतिरिक्त पूंजी प्रभार की वजह से अधिकांश बैंकों के सीआरएआर में गिरावट आई है। कुछ बैंकों ने ऋण जोखिम के लिए पूंजी प्रभार में गिरावट भी दर्शायी। तथापि, कुल मिलाकर यह गिरावट प्रबंधनीय सीमाओं के भीतर थी तथा संबंधित बैंकों द्वारा बासेल II में कारगर अंतरण में कोई समस्या आने की संभावना नहीं है।

व्यक्तिगत ऋणों के लिए 125 प्रतिशत का उच्चतर जोखिम भार दिया जाता है। यह रिज़र्व बैंक के रूढ़िवादी दृष्टिकोण को दर्शाता है क्योंकि अंतर्निहित जोखिम के वास्तविक स्तर की पूरी जानकारी नहीं होती है।

5.120 बासेल II ढांचे के तहत, ऋण जोखिम के लिए आइआरबी दृष्टिकोण अथवा परिचालनात्मक जोखिम के लिए उन्नत माप दृष्टिकोण (एएमए) अपनानेवाले बैंकों के लिए संक्रमणकालीन व्यवस्था के रूप में बैंकों के लिए पूंजी के निचले स्तरों की संकल्पना का प्रावधान किया गया है। पूंजी का निचला स्तर 1988 के समझौते को लागू करने पर आधारित है, तथा इसे समायोजन कारक लागू करके ज्ञात किया जाता है। 2006 के वर्षांत से आरंभ होनेवाले वर्ष के लिए बुनियादी आइआरबी दृष्टिकोण का उपयोग कर बैंकों के लिए समायोजनकारक 95 प्रतिशत था। 2007 के वर्षांत से शुरू होनेवाले वर्ष के लिए (i) बुनियादी और/अथवा उन्नत आरआरबी दृष्टिकोण, और / अथवा (ii) एएमए का उपयोग करनेवाले बैंकों के लिए समायोजन कारक 90 प्रतिशत था, तथा 2008 के वर्षांत से आरंभ होनेवाले वर्ष के लिए यह 80 प्रतिशत था। बासेल I से बासेल II में अंतरित होनेवाले बैंकों द्वारा उक्त संकल्पना को आशोधित कर उसका उपयोग संक्रमणकालीन व्यवस्था के रूप में किया गया है। बासेल II मानदंड लागू करनेवाले बैंकों द्वारा बनाई रखी गई न्यूनतम पूंजी विवेकपूर्ण निचले स्तर के अधीन है इसकी गणना ऋण और बाजार जोखिमों के लिए बासेल I ढांचे के अनुसार की गई अपेक्षा के संदर्भ में की जाती है। भारत में संशोधित ढांचे को लागू करने के पहले तीन वर्षों के लिए मार्च के अंत की स्थिति के लिए निचला स्तर 100 प्रतिशत, 90 प्रतिशत और 80 प्रतिशत पर निश्चित किया गया है। बैंकों में बासेल II के कार्यान्वयन की गुणवत्ता और निष्ठा के आधार पर पूंजीगत निचले स्तरों की पर्याप्तता और आवश्यकता की आवधिक समीक्षा की जाएगी। यदि पर्यवेक्षणात्मक आकलन में बैंकों द्वारा अनुपालन का संतोषजनक स्तर और गुणवत्ता दिखाई दे, तो पूंजीगत निचले स्तर से उक्त अवधि के पहले भी छूट दी जा सकती है।

5.121 भारतीय संदर्भ में 31 मार्च 2010 तक निर्धारित टियर I पूंजी पर्याप्तता अनुपात 6 प्रतिशत है, जिसकी सिफारिश पूर्ण पूंजी खाता परिवर्तनीयता समिति द्वारा भी की गई थी। 2007 के मार्चांत में टियर I की पूंजी की वास्तविक धारिता भी 6 प्रतिशत से अधिक थी, सिर्फ तीन बैंकों को छोड़कर जिनमें से एक सरकारी क्षेत्र का बैंक तथा दो निजी क्षेत्र के पुराने छोटे बैंक थे।

5.122 भारतीय बैंकों के लिए टियर 1 पूंजी में निम्नलिखित शामिल हैं- (i) प्रदत्त इक्विटी पूंजी, सांविधिक आरक्षित निधि तथा अन्य प्रकटीकृत मुक्त आरक्षित निधि, यदि कोई हो; (ii) आस्तियों के बिक्री आगम से उत्पन्न अधिशेष का प्रतिनिधित्व करनेवाली पूंजी आरक्षित निधियां; (iii) टियर 1 पूंजी में शामिल करने के लिए पात्र नवोन्मेषी शाश्वत ऋण लिखतें जो यथाविनिर्दिष्ट विनियामक अपेक्षाओं का अनुपालन करती हैं; तथा (iv) टियर 1 पूंजी में शामिल करने के लिए समय-समय पर रिज़र्व बैंक द्वारा सामान्य रूप से अधिसूचित किसी अन्य प्रकार की लिखत। टियर 2 पूंजी में निम्नलिखित शामिल हैं (i) पुनर्मूल्यन आरक्षित निधियां; (ii) सामान्य प्रावधान और हानि आरक्षित निधियां ; (iii) संकर ऋण पूंजी लिखतें; तथा (iv) गौण ऋण। टियर 2 पूंजी के अन्य घटकों के साथ ऊपरी टियर 2 लिखतें टियर 1 पूंजी के 100 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगी। न्यूनतर टियर 2 पूंजी में शामिल करने के लिए पात्र गौण ऋण लिखतें सभी कटौतियों के बाद टियर1 पूंजी के 50 प्रतिशत की अधिकतम सीमा के अधीन होती हैं। रिज़र्व बैंक ने 25 जनवरी 2006 को बैंकों को इस बात की अनुमति प्रदान की कि वे नवोन्मेषी शाश्वत ऋण लिखतें (नवोन्मेषी लिखतें), ऋण पूंजी लिखतें, शाश्वत असंचयी अधिमान शेयर तथा मोचनीय संचयी अधिमान शेयर जारी करके पूंजी निधियां जुटा सकते हैं (बॉक्स V.11)। तथापि, बाजार जोखिमों के प्रति बैंकों के एक्सपोजर के एक अंश को पूरा करने के लिए टियर 3 पूंजी की अनुमति भारत में विनियामक पूंजी के एक तत्व के रूप में नहीं दी गई है।

5.123 यह सुनिश्चित करने के लिए कि बैंकों द्वारा उनकी सांविधिक आरक्षित निधियों का आहरण विवेकपूर्ण तरीके से किया जाए तथा उससे विनियामक निर्धारणों का उल्लंघन न हो, सितंबर 2006 में बैंकों को अन्य बातों के साथ-साथ यह सूचित किया गया कि वे सांविधिक आरक्षित निधि अथवा किसी अन्य आरक्षित निधि से किसी राशि का विनियोग करने के पहले रिज़र्व बैंक का पूर्वानुमोदन प्राप्त करें; तथा यह सुनिश्चित करें कि आरक्षित निधियों के इस प्रकार के आहरण को तुलनपत्र की 'लेखा टिप्पणी' में उपयुक्त रूप से प्रकट किया जाए। 18 अप्रैल 2007 को जारी अंतिम दिशानिर्देशों के आधार पर, बैंकों से अपेक्षित है कि वे 31 मार्च 2007 से सार्वजनिक रिपोर्टिंग प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित कारोबारी खंडों को अपनाएं; (क) राजकोष, (ख) कारपोरेट/थोक बैंकिंग, (ग) खुदरा बैंकिंग, तथा (घ) अन्य बैंकिंग परिचालन।

भारतीय बैंकों में जोखिम प्रबंधन प्रथाएं

5.124 बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं के लिए जोखिम प्रबंधन अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि वे 'जोखिम इंजन' हैं; वे जोखिम लेते हैं, उन्हें रूपांतरित करते हैं तथा उन्हें अपने उत्पादों और सेवाओं में अंतःस्थापित करते हैं। जोखिम आधारित प्रथाएं लागू करने, प्रबंधन के दृष्टिकोण से जोखिम और प्रतिलाभ के बारे में संतुलित राय प्रदान करने, प्रतिस्पर्धात्मक लाभ विकसित करने और विनियामक अपेक्षाओं का अनुपालन करने के लिए बैंकों के सामने सशक्त हेतुक हैं। जोखिम प्रबंधन को नियंत्रित करनेवाले व्यापक सिद्धांत वास्तविक और वित्तीय क्षेत्र दोनों में मौजूद संस्थाओं के लिए एक ही प्रकार के हैं। तथापि बैंकों और अन्य वित्तीय मध्यवर्तियों में जोखिम प्रबंधन का महत्व तीन विशिष्ट कारणों से बढ़ जाता है : (i) वे अधिक लिवरेज प्राप्त होते हैं; (ii) उनके पास सार्वजनिक राशि होती है; तथा (iii) भुगतान प्रणालियां बैंकों के माध्यम से परिचालित होती हैं (मोहन, 2007)।

बॉक्स V.11
पूंजी पर्याप्तता प्रयोजनों के लिए बैंकों के पूंजी जुटाने के विकल्पों में वृद्धि

बासेल II ढांचे के तहत, भारतीय बैंकों से अपेक्षित है कि वे अधिक पूंजी अपेक्षाएं रखें क्योंकि उन्हें ऋण तथा बाजार जोखिमों के अलावा परिचालनार्थ जोखिम के लिए भी पूंजी रखने की जरूरत होगी। बासेल II में सहज संक्रमण तथा पूंजी निधियां जुटाने के लिए अतिरिक्त विकल्प प्रदान किये जाने की दृष्टि से, बैंकों को जनवरी 2006 में इस बात की अनुमति प्रदान की गई कि वे टियर I पूंजी में शामिल किए जाने के लिए पात्र नवोन्मेषी शाश्वत ऋण लिखतें (आइपीडीआइ) तथा ऊपरी टियर II पूंजी में शामिल किए जाने के लिए पात्र ऋण पूंजी लिखतें (ऊपरी टियर II लिखतें) जारी करके अपनी पूंजी निधियों में वृद्धि करें। आइपीडीआइ के जरिए बैंक द्वारा जुटाई गई कुल राशि को आरक्षित निधि अपेक्षाओं के प्रयोजन के लिए निवल मांग और मीयादी देयताओं की गणना हेतु देयता नहीं माना जाएगा और इस प्रकार इन पर सीआरआर/एसएलआर की अपेक्षाएं लागू नहीं होंगी।

आइपीडीआइ के जरिए बैंक द्वारा जुटाई गई कुल राशि कुल टियर I पूंजी के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी, तथा पात्र राशि की गणना गुडविल एवं अन्य अगोचर आस्तियों को घटाने के बाद परंतु निवेशों को घटाने के पहले पिछले वित्तीय वर्ष के 31 मार्च को टियर I पूंजी की राशि के संदर्भ में की जानी अपेक्षित है। बैंक कुछ अपेक्षाओं का पालन करने के अधीन रिज़र्व बैंक के पूर्वानुमोदन के बिना विदेशी मुद्रा में आइपीडीआइ/ऊपरी टियर II लिखतें जारी करके अपनी पूंजी निधियां बढ़ा सकते हैं। पहला, विदेशी मुद्रा में जारी आइपीडीआइ /ऊपरी टियर II लिखतों को 25 जनवरी 2006 को जारी लिखतों के अनुसार सभी शर्तें पूरी करनी चाहिए। दूसरा, आइपीडीआइ के मामले में पात्र राशि के 49 प्रतिशत से अधिक राशि विदेशी मुद्रा में जारी नहीं की जा सकती। ऊपरी टियर II लिखतों के मामले में, विदेशी मुद्रा में जारी कुल राशि अक्षत टियर I पूंजी के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए तथा इसकी गणना गुडविल एवं अन्य अगोचर आस्तियों को घटाने के बाद परंतु निवेशों को घटाने के पहले पिछले वित्तीय वर्ष के 31 मार्च को टियर I पूंजी की राशि के संदर्भ में की जानी है। विदेशी मुद्रा में इन लिखतों को जारी करके जुटाई गई राशि प्राधिकृत व्यापारियों द्वारा विदेशी मुद्रा उधार की वर्तमान सीमा के अतिरिक्त है। तीसरा, भारतीय रुपयों में ऊपरी टियर II लिखतों में एफआइआइ द्वारा किया गया निवेश कंपनी ऋण लिखतों में निवेश की सीमा, अर्थात 3 बिलियन अमरीकी डालर, के बाहर है। तथापि, यह सीमा प्रति पंजीकृत संस्था 200 मिलियन अमरीकी डालर की अधिकतम सीमा के अधीन है।

टियर I तथा ऊपरी टियर II पूंजी जुटाने के लिए भारतीय बैंकों को लिखतों का व्यापक चुनाव प्रदान करने की दृष्टि से, अक्तूबर 2007 में बैंकों को भारतीय रुपयों में अधिमान शेयर जारी करने की अनुमति प्रदान की गई, जो टियर I पूंजी के रूप में शाश्वत असंचयी अधिमान शेयर (पीएनसीपीएस) के निर्गम के वर्तमान विधिक प्रावधानों के अधीन है। शाश्वत असंचयी अधिमान शेयरों (पीसीपीएस) मोचनीय असंचयी अधिमान शेयरों (आरएनसीपीएस) तथा मोचनीय संचयी अधिमान शेयरों (आरसीपीएस) की अनुमति ऊपरी टियर II पूंजी के रूप में दी गई। शाश्वत असंचयी अधिमान शेयरों को इक्विटी के समतुल्य माना जाता है, अतः इन लिखतों पर देय कूपन को लाभांश (लाभ और हानि खाते का विनियोग) माना जाता है। ऊपरी टियर II अधिमान शेयरों को देयता माना जाता है तथा उन पर देय कूपन को ब्याज (लाभ और हानि खाते में प्रभारित) माना जाता है। पीएनसीपीएस के निर्गम द्वारा बैंकों द्वारा जुटाई गई कुल राशि को आरक्षित निधि अपेक्षाओं के प्रयोजन के लिए निवल मांग और मीयादी देयताओं की गणना हेतु देयता माना जाता है तथा इस प्रकार इन पर सीआरआर/एसएलआर की अपेक्षाएं लागू नहीं होतीं। ऊपरी टियर II लिखतों के निर्गम के जरिए बैंक द्वारा जुटाई गई कुल राशि को आरक्षित निधि अपेक्षाओं के प्रयोजन के लिए निवल मांग और मीयादी देयताओं की गणना हेतु देयता माना जाता है तथा इस प्रकार इन पर सीआरआर/एसएलआर अपेक्षाएं लागू होती हैं।

5.125 वैश्विक मामलों की तरह भारत स्थित बैंकों को बेहतर जोखिम प्रबंधन मानकों और प्रथाओं के संवर्धन में बहुत विशेष भूमिका निभानी होती है। ऋण जोखिम का मुख्य आधान होने के कारण, उनकी ऋण आस्तियों की गुणवत्ता इस बात पर काफी निर्भर होती है कि उनके ऋणकर्ताओं की जोखिम प्रबंधन नीतियां, प्रक्रियाएं तथा क्रियाविधियां कितनी कारगर हैं। उनके ऋणकर्ता ग्राहकों के बीच भी जोखिम वहन करने की अलग-अलग विशेषज्ञता होगी तथा इस प्रकार बैंकों से अपेक्षित है कि वे जोखिम प्रबंधन के बारे में अपने ग्राहकों को व्यावसायिक सलाह दें। इस प्रकार, जोखिम प्रबंधन में विशेषज्ञता और व्यावसायिक विशेषज्ञता प्राप्त करने के लिए बैंकों के सामने अच्छे व्यावसायिक कारण हैं। तथापि यह तभी संभव होगा जब बैंक स्वयं अपनी जोखिमों के अच्छे प्रबंधक हों (मोहन, 2007)। इस संदर्भ में तीव्रतर ऋण सुपुर्दगी को सुकर बनाने के अलावा ऋण संबंधी निर्णयों की गुणवत्ता बढ़ाने तथा बैंकों की आस्ति गुणवत्ता में सुधार लाने में दक्ष ऋण सूचना प्रणाली की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है । बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के चूककर्ता ऋणकर्ताओं के संबंध में जानकारी के प्रकटीकरण की योजना लागू की गई तथा ऋण मामलों संबंधी जानकारी की साझेदारी को सुकर बनाने के लिए ऋण सूचना ब्यूरो (भारत) लिमिटेड (सिबिल) की स्थापना 2000 में की गई। 2005 के ऋण सूचना अधिनियम के बाद भारत में कुछ और ऋण सूचना कंपनियों की स्थापना की प्रक्रिया को सुकर बनाया गया है।

5.126 1992 में वित्तीय क्षेत्र सुधार लागू करने के बाद जोखिम प्रबंधन प्रथाओं में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। 1999 में रिज़र्व बैंक द्वारा आस्ति-देयता प्रबंधन के बारे में तथा ऋण जोखिम, बाजार जोखिम और परिचालनात्मक जोखिम के प्रबंधन के बारे में विनियामक दिशानिर्देश और दिशानिर्देश टिप्पण जारी करने के बाद उक्त प्रक्रिया में गति आई। संशोधित पूंजी पर्याप्तता दिशानिर्देश लागू करने की घोषणा से जोखिम प्रबंधन संबंधी मुद्दे पर अधिक ध्यान दिया गया। तथापि, अधिकांश

भारतीय बैंकों में जोखिम प्रबंधन अभी भी कारोबारी मुद्दे के बजाए अनुपालन संबंधी मुद्दा है।

5.127 जोखिम प्रबंधन प्रणाली में, जहां विनियामक का प्रमुख उद्देश्य प्रणालीगत स्थिरता सुनिश्चित करना है, वहीं बैंक जोखिम प्रबंधन प्रणाली को अपना जोखिम-प्रतिफल समीकरण सुधारने के साधन के रूप में देखते हैं। भारतीय बैंक परिस्कृत सांख्यिकीय जोखिम मूल्यांकन प्रणाली पर निर्भर रहने के बजाय समष्टि स्तर पर जोखिम का प्रबंधन कर अपनी लाभप्रदता को बनाए रख सके हैं। कुछ निजी क्षेत्र के तथा विदेशी बैंकों को छोड़कर, जोखिम प्रबंधन को जोखिम-प्रतिफल के बीच ट्रेड-ऑफ के रूप में उपलब्ध व्यावसायिक अवसर के रूप में नहीं देखा गया। अधिकांश भारतीय बैंकों ने बासेल II मानकों के अनुपालन संबंधी विनियामक दबाव लागू किए जाने के बाद ही जोखिम प्रबंधन के प्रति विन्यस्त दृष्टिकोण अपनाना शुरू किया। बैंकों ने क्रमिक रूप से जोखिम प्रबंधन के प्रति ऐसी मात्रात्मक तकनीकों और दृष्टिकोणों का उपयोग शुरू किया है, जो आंकड़ा-केंद्रित हैं जिनके लिए पीडी, एलजीडी तथा ईएडी का पूर्वानुमान लगाने हेतु विभिन्न मॉडलों के लिए पर्याप्त ऐतिहासिक आंकड़ों की ज़रूरत होती है तथा ऐसे विश्लेषणात्मक साफ्टवेयर की भी ज़रूरत होती है जो इन मॉडलों को स्ट्रेस-टेस्ट और बैक-टेस्ट कर सके। मात्रात्मक तकनीकों और दृष्टिकोणों का उपयोग शुरू करने वाले बैंकों के लिए यह प्रासंगिक होगा कि उनके जोखिम प्रबंधकों को नियोजित किए जाने वाले जोखिम माप तकनीकों और मॉडलों की क्षमताओं और सीमाओं की स्पष्ट समझ हो।

5.128 अपेक्षित आंकड़ों की अनुपलब्धता जोखिम प्रबंधन[6] के मात्रात्मक दृष्टिकोण लागू करने में एक प्रमुख मसला है। अधिकांश भारतीय बैंकों को जिन तीन प्रमुख मसलों पर कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है, वे इस प्रकार हैं: (i) सभी कार्यकलाप स्वचालित नहीं हैं; (ii) साफ्टवेयर संबंधी समाधान भारतीय बाजार के अनुरूप नहीं हैं; तथा (iii) बचाव/ अंतरण प्रक्रियाओं की कमी। इन अवरोधों के बावजूद, देशी बैंक पृथक साइलो प्रणाली से उद्यमव्यापी समन्वित जोखिम प्रबंधन ढांचे की ओर बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। जहां संगठनात्मक ढांचा लगभग सभी बैंकों पर लागू है, वहीं अधिकांश बैंकों में जोखिम प्रबंधन को बैंक के बीच व्यवसाय एवं रणनीतिक प्रक्रियाओं के साथ समन्वित करने की प्रक्रिया अभी भी शैशवावस्था में है। सरकारी क्षेत्र के अधिकांश बैंक परामर्शी मार्ग अपना रहे हैं।

5.129 जहां संस्थाओं के बीच जोखिम समन्वय पहली प्रमुख उपलब्धि होगी, वहीं दूसरे कदम के लिए विशिष्ट जोखिम क्षेत्र तथा जोखिमों के बीच दोनों स्तरों पर समूह के बीच जोखिम समन्वयन अपेक्षित होगा। अतः बैंकों को इस प्रयास के प्रति काफी संसाधनों का आवंटन करना होगा। भारत में, पर्यवेक्षण के प्रति जोखिम-आधारित दृष्टिकोण भी समन्वित जोखिम-प्रबंधन प्रणालियों के प्रति बैंकों के अंतरण के प्रेरक के रूप में कार्य कर रहा है। अनुपालन जोखिम तथा प्रतिष्ठात्मक जोखिम के प्रबंधन की काफी आवश्यकता भी समन्वित जोखिम-प्रबंधन अथवा उद्यमव्यापी जोखिम-प्रबंधन ढांचे के प्रमुख पहलू हैं (बॉक्स V.12)।

बॉक्स V.12
उद्यमव्यापी जोखिम प्रबंधन

वित्तीय संस्थाओं के लिए उद्यमव्यापी जोखिम प्रबंधन (ईआरएम) के पांच प्रमुख तत्व हैं - जोखिम अभिशासन की प्रक्रिया और प्रथा निर्धारण, परिचालनात्मक जोखिम, बाज़ार जोखिम, ऋण जोखिम और चलनिधि तथा निधीयन। इसके अलावा, आर्थिक पूंजी निर्धारण भी ईआरएम निर्धारण प्रक्रिया का मुख्य घटक है। बाज़ार जोखिम में ट्रेडिंग जोखिम और आस्ति-देयता प्रबंधन (एएलएम) अथवा ब्याज दर जोखिम दोनों के लिए जोखिम प्रबंधन प्रथाओं का निर्धारण किया जाता है। ऋण जोखिम में किसी फर्म की हामीदारी प्रक्रिया, ऋण जोखिम विश्लेषण तथा संविभाग प्रबंधन प्रथाओं का मूल्यांकन किया जाता है। निधीयन और चलनिधि जोखिम के लिए, निधीयन की संरचना, चलनिधि प्रबंधन तथा तनाव परीक्षण प्रथाओं का निर्धारण किया जाता है। ईआरएम का निर्धारण और उसकी रेटिंग करने संबंधी पद्धति ट्रेडिंग जोखिम प्रबंधन (टीआरएम) निर्धारण पद्धति से सुसंगत होती है। ईआरएम मानदंडों में ये शामिल हैं - एक संस्था की जोखिम संस्कृति, उसकी जोखिम सहने की शक्ति, उद्यम स्तर पर जोखिम का समेकन करने की विधि, व्यावसायिक, विधिक और प्रतिष्ठात्मक जोखिम के बचाव के लिए जोखिम प्रकटीकरण संबंधी उसकी गुणवत्ता और प्रथाएं।

जहां आर्थिक पूंजी मूल्यांकन वर्तमान में ईआरएम निर्धारण प्रक्रिया की व्याप्ति के बाहर है, वहीं कुछ बैंकों ने इन विभिन्न प्रकार की जोखिमों को अधिक सुसंगत रूप में मापने के लिए आर्थिक पूंजी मॉडल विकसित किया है।

किसी फर्म की जोखिम प्रबंधन प्रथाओं की गुणवत्ता के बारे में कोई राय बनाने में ईआरएम के प्रत्येक पहलू का सापेक्ष्य महत्व प्रत्येक अलग-अलग फर्म के लिए जोखिम की जटिलता, उसके आकार और दायरे पर निर्भर होगा। कारकों के सेट किसी भी तरह परिपूर्ण अथवा स्थिर नहीं होते। संगठनों की ईआरएम प्रथाएं विकसित होने पर, अधिक संभावना इस बात की है कि ईआरएम निर्धारण कारक भी विकसित होंगे।

संदर्भ:

स्टैंडर्ड एण्ड पूअर. 2006। ''वित्तीय संस्थाओं की उद्यम जोखिम प्रबंधन प्रथाओं का निर्धारण''। http://www2.standardandpoors.com में व्यक्त अभिमत।

[6] 'जोखिम प्रबंधन के वर्तमान परिदृश्य : भारतीय बैंकिंग उद्योग', आइबीए-आइबीएस रिपोर्ट, अप्रैल 2006।

5.130 वैश्विक रूप से, तनाव परीक्षण बैंकों की जोखिम प्रबंधन प्रणालियों का अंग बनता जा रहा है तथा इसका उपयोग वित्तीय परिवर्तियों में कतिपय असंभव परंतु सत्याभासी घटनाओं या गतिविधियों के प्रति संभाव्य सुभेद्यता का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है। भारत में जोखिम प्रबंधन के साधन के रूप में 'तनाव परीक्षण' अपनाने की जरूरत पर अप्रैल 2006 के वार्षिक नीति वक्तव्य में बल दिया गया था तथा उसके बाद सुसंगत दिशानिर्देश जारी किए गए थे। अधिकांश बैंकों ने अपना तनाव परीक्षण ढांचा पहले ही तैयार कर लिया है। बैंकों की कारोबारी रणनीतियों में भविष्यदर्शी तत्व समाविष्ट करने के लिए एक दक्ष तनाव परीक्षण ढांचा जरूरी है। बैंक न सिर्फ विनियामक अपेक्षा के रूप में तनाव परीक्षण के लिए संपर्क करेंगे अपितु वे इसका उपयोग अपनी जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाओं तथा बासेल II के कार्यान्वयन के अभिन्न अंग के रूप में करेंगे। तनाव परीक्षण के परिणामों को जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाओं, कारोबारी रणनीतियों तथा पूंजी आयोजना में उपयुक्त रूप से समन्वित करने की जरूरत है।

5.131 कई भारतीय बैंकों ने अपने शाखा नेटवर्क का पूर्ण कंप्यूटरीकरण किया है तथा उन्होंने अपने राजकोष, विदेशी मुद्रा तथा उधार खंडों को भी समन्वित किया है। इन संस्थाओं के सूचना प्रौद्योगिकी पहल से जोखिम प्रबंधन में उन्हें काफी लाभ मिलता है क्योंकि इससे सही और विश्वसनीय जानकारी का तीव्रतर प्रवाह सुकर होता है। यह प्रधान कार्यालय से शीघ्र निर्णय लेने में भी मदद करता है क्योंकि शाखाएं नेटवर्क का अंग होती हैं तथा लेखों को शाखा के बजाए बैंक से संबंधित माना जाता है।

5.132 भारत के सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने हाल ही में मूल बैंकिंग के जरिए केंद्रीकृत आंकड़ों की ओर अग्रसर होना शुरू किया है। इसकी अनुपूर्ति ऐतिहासिक आंकड़ों तथा विश्लेषणों के निर्माण के लिए डेटा वेयरहाउसिंग/डेटा मार्ट की स्थापना द्वारा की जानी है। सरकारी क्षेत्र के बैंकों के लिए रिक्थ (लिगैसी) के ही मसले हैं जो पूरी संस्था में सुसंगति और समन्वय के लिए आइटी प्रणालियों के साथ आंकड़ों को संरेखित और अपग्रेड करने से संबंधित होते हैं। डेटा वेयरहाउसिंग/डेटा मार्ट की स्थापना में काफी खर्च आता है तथा इसका उपयोग कारोबार में उल्लेखनीय वृद्धि करने तथा लागत घटाने के लिए कारगर तौर पर करना होगा। इस प्रकार लागत को कर्मचारियों के प्रशिक्षण के अलावा आइटी संबंधी खर्च - हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर - पर काफी केंद्रित किए जाने की आशा है। विकसित देशों में कई बैंकों द्वारा अपनी कुल लागत का 40 से 80 प्रतिशत तक बासेल II की अपेक्षाओं के अनुरूप उनकी आइटी प्रणालियों तथा इंटरफेस को अपग्रेड करने पर खर्च किए जाने की आशा है।

5.133 भारतीय बैंकों की शाखाएं प्रौद्योगिकी की विफलता की सूचना तुरंत करती हैं परंतु वे व्यक्ति या प्रक्रियाओं से संबंधित विफलताओं की समान रूप से सूचना नहीं देती हैं। अधिकांश बैंकों ने प्रौद्योगिकी प्रणाली की विफलताओं के संबंध में 'कारोबार निरंतरता योजना' और 'डिजास्टर रिकवरी योजना' को पहले ही शुरू कर दिया है अथवा कम से कम उन्हें अंतिम रूप दे दिया है। कुछ बैंकों ने आइटी प्रणाली के लिए सुरक्षा नीति तैयार की है तथा अन्य बैंक उन्हें तैयार करने के लिए प्रक्रियारत हैं। अधिकांश बैंकों द्वारा सूचना सुरक्षा लेखा-परीक्षा भी की जा रही है। अधिकांश बैंकों ने अपनी कोर बैंकिंग प्रणाली के कार्यान्वयन के अंग के रूप में इन योजनाओं तथा डिजास्टर रिकवरी साइटों की स्थापना की है। बहुत कम बैंकों ने इन योजनाओं की उपयोगिता तथा हर समय उनकी उपलब्धता का परीक्षण करने के लिए उनका दिखावटी (मॉक) परीक्षण किया हैं (बॉक्स V.13)। सभी बैंक यह सूचित करने में एकमत हैं कि वे प्रौद्योगिकी में निवेश पर किसी मीट्रिक माप वाले प्रतिलाभ का उपयोग नहीं कर रहे हैं।

आस्ति-देयता प्रबंधन

5.134 आस्ति देयता प्रबंधन जोखिम प्रबंधन प्रणाली का महत्वपूर्ण घटक है। आस्ति देयता प्रबंधन उस प्रक्रिया को अनिवार्यतः संदर्भित करता है जिससे कोई संस्था अपने तुलनपत्र का प्रबंधन करती है ताकि वैकल्पिक ब्याज दर और तरलता परिदृश्य के लिए अनुमति दी जा सके। आस्ति देयता प्रबंधन मॉडल से संस्थाएं जोखिम को माप सकती हैं और उस पर निगरानी रख सकती हैं तथा उनके प्रबंधन के लिए उपयुक्त रणनीतियां तैयार कर सकती हैं।

5.135 रिज़र्व बैंक ने तुलनपत्र संबंधी तथा तुलनपत्र बाह्य दोनों मदों को हिसाब में लेते हुए समग्र आस्ति देयता बेमेल से निपटने के लिए 1999 में आस्ति देयता प्रबंधन संबंधी दिशानिर्देश जारी किया है। इन दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंकों से परिपक्वता कालखंडों में विभाजित कर उनकी आस्तियों और देयताओं के परिपक्वता पुनर्मूल्यन बेमेलों की गणना कर उनकी चलनिधि और ब्याज दर जोखिम के प्रबंधन की अपेक्षा की गई। 24 अक्तूबर 2007 को चलनिधि जोखिम प्रबंधन संबंधी दिशानिर्देशों को संशोधित किया गया ।

5.136 संशोधित दिशानिर्देशों के अनुरूप , संरचनागत चलनिधि के लिए चौदह दिनों के अल्पावधि कालखंड को तीन में विभाजित किया गया है तथा रिपोर्टिंग की बारंबारता मासिक से पाक्षिक कर दी गई है। बैंकों से अब यह अपेक्षित है कि वे 'परंपरागत अंतराल विश्लेषण' के बदले आस्तियों के समूह के 'आशोधित ड्यूरेशन' की ओर अंतरित हों। ड्यूरेशन अंतराल न सिर्फ ट्रेडिंग बही के लिए अपितु बैंकिंग बही के लिए लागू करना भी अपेक्षित है। इक्विटी के आशोधित ड्यूरेशन का परिकलन भी किया जाना है ताकि ब्याज दर आघातों के प्रभाव का आकलन किया जा सके। जहां इन एएलएम समाधानों में से कुछ परिपक्व न होनेवाली आस्तियों और देयताओं के लिए 'ड्यूरेशन अंतराल विश्लेषण' तथा ' व्यवहार विश्लेषण' का समर्थन करते हैं, वहीं कई बैंक तुलनपत्र अनुरूपण, अंतरण मूल्यन, तथा अंतःस्थापित विकल्पों के लिए बेहतर समर्थन हेतु ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज अप्लिकेशन (ओएफएसए) की ओर जा रहे हैं। रिज़र्व बैंक के लिए जारी हाल के दिशानिर्देशों से बैंकों के पुराने एएलएम समाधानों को प्रतिस्थापित करने में गति मिलने की आशा है।

बॉक्स V.13
बैंकों की जोखिम प्रबंधन रणनीतियों में आइटी अनुप्रयोग

आज के बैंकिंग परिचालन में, विशेष रूप से संचार तथा कारोबार प्रोसेस रि-इंजीनियरिंग के क्षेत्रों में सूचना प्रौद्योगिकी की भूमिका महत्वपूर्ण है। प्रौद्योगिकी में प्रगति के बिना, परिष्कृत बाजार उत्पादों के विकास, कारगर समर्थक इंफ्रास्ट्रक्चर, जोखिमों के नियंत्रण के लिए विश्वसनीय तकनीकों के कार्यान्वयन तथा दूरस्थ और विशाखीकृत बाजारों तक पहुंच की बात नहीं सोची जा सकती थी।

बासेल II दिशानिर्देशों में बैंकिंग परिचालनों में प्रौद्योगिकी के लिए इससे भी बड़ी भूमिका की परिकल्पना की गई है। बासेल II दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन के लिए कई मानकों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी अपेक्षित है। इस प्रकार के मानदंडों के समेकित आंकड़े परिचालनात्मक हानि की घटनाओं, वित्तीय लिखतों, ऋण हानियों तथा सामान्य लेजर संबंधी आंकड़े हो सकते हैं। जो बैंक एक आंतरिक रेटिंग आधारित (आइआरबी) दृष्टिकोण अपनाने का निर्णय लेते हैं, उनसे अपेक्षित है कि वे अपने आंतरिक मॉडलों में प्रतिगमन परीक्षण करने के लिए डेटाबेस तैयार करें। बासेल II का अनुपालन करनेवाली प्रणाली से यह आशा है कि उससे न सिर्फ सभी सुसंगत गणनाएं पूरी की जा सकेंगी तथा गणनाओं को श्रेणीकृत किया जा सकेगा अपितु इससे स्तंभ 1 की विभिन्न पद्धतियों के बीच परिवर्तन भी संभव होगा ताकि लेखा-परीक्षक, विनियामक तथा आंतरिक उपयोगकर्ता आवश्यकतानुसार इन आंकड़ों की लेखा-परीक्षा, पुनरीक्षा कर सकें तथा उसमें संशोधन कर सकें। इस प्रकार बासेल II दिशानिर्देशों के तहत वैकल्पिक परिदृश्यों के बारे में समय श्रृंखला संबंधी आंकड़ों के दक्षतापूर्वक भंडारण और मूल्यांकन का महत्व बढ़ गया है। बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं को या तो अपनी आवश्यकता के अनुरूप सॉफ्टवेयर डिजाइन और विकसित करना होगा अथवा उन्हें सॉफ्टवेयर फर्मों द्वारा उपलब्ध कराए गए सॉफ्टवेयर उत्पादों में उनकी विशिष्ट आवश्यकता के अनुरूप कुछ उपयुक्त परिवर्तन करके निवेश करना होगा।

भारत के मामले में, बैंकों में आइटी क्रांति 1980 के दशक के मध्य में शुरू हुई, जब बैंकों ने उनकी शाखाओं का कंप्यूटरीकरण आरंभ किया। 1990 के दशक के आरंभ तक, अधिकांश बैंकों ने संपूर्ण शाखा स्वचालन (पीबीए) पैकेज आरंभ किया, जो मुख्यतः हार्डवेयर की कीमतों में कटौती तथा उचित कीमतवाले पी.सी.तथा सर्वर की उपलब्धता द्वारा चालित था। जहां तक भारतीय वित्तीय प्रणाली का संबंध है,जून 1999 में वीएसएटी प्रौद्योगिकी का उपयोग कर भारतीय वित्तीय नेटवर्क (इंफीनेट) नामक एक व्यापक क्षेत्र आधारित उपग्रह संचार और स्थलीय लाइन नेटवर्क की स्थापना संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र की एक उल्लेखनीय घटना थी। इस प्रकार बैंकिंग तथा वित्तीय क्षेत्र के लिए इंफीनेट एक दक्ष दूरसंचार ढांचे का अग्रदूत था। यह बैंकिंग क्षेत्र के लिए एक क्लोज्ड यूजर ग्रुप नेटवर्क है। हब तथा नेटवर्क प्रबंधन प्रणाली बैंकिंग प्रौद्योगिकी विकास एवं अनुसंधान संस्थान (आइडीआरबीटी), हैदराबाद में स्थित हैं, जिसका पूर्ण निधीयन रिज़र्व बैंक द्वारा किया गया है। उक्त इंफीनेट, जिसमें आरंभ में सिर्फ सरकारी क्षेत्र के बैंक शामिल थे, बाद में अन्य श्रेणी के सदस्यों की भागीदारी के लिए खोल दिया गया।

इसी तरह, तयशुदा लेनदेन प्रणाली (एनडीएस), केंद्रीकृत निधि प्रबंध प्रणाली (सीएफएमएस) तथा संरचनागत वित्तीय संदेश समाधान (एसएफएमएस) जैसी परियोजनाएं शुरू किए जाने से भुगतान और निपटान प्रणाली को एक तेज गति मिली। सीएफएमएस के दो घटक हैं - केंद्रीकृत निधि जांच प्रणाली (सीएफईएस) तथा केंद्रीकृत निधि अंतरण प्रणाली (सीएफटीएस)। सीएफटीएस, जो 2005-06 से परिचालनरत सीएफएमएस की निधि अंतरण सुविधा है, निधियों का अंतरण रिज़र्व बैंक के एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में अर्थात अधिशेष केंद्र से घाटे वाले केंद्र में इलेक्ट्रॉनिक तौर पर करके रिज़र्व बैंक के पास उनके चालू खाता शेष के बेहतर प्रबंधन में बैंकों की मदद करता है। वर्तमान में रिज़र्व बैंक के 9 कार्यालयों (मुंबई, दिल्ली, चेन्नै, कोलकाता, अहमदाबाद, नागपुर, बंगलूर, हैदराबाद तथा चंडीगढ़) को उक्त प्रणाली के तहत लाया गया है।

2004-05 से कार्यरत तत्काल सकल निपटान (आरटीजीएस) प्रणाली से कुछ मूल्य के लेनदेनों का त्वरित अंतरण सुकर होता है । व्याप्ति तथा लेनदेनों के मूल्य दोनों रूपों में आरटीजीएस प्रणाली का महत्व बढ़ गया है। मार्च 2008 के अंत में, 43,512 बैंक शाखाओं को आरटीजीएस से जोड़ दिया गया था, तथा आरटीजी लेनदेनों का कुल मूल्य 2007-08 के दौरान 48 प्रतिशत बढ़ गया।

इसके अलावा, लगभग सभी भारतीय बैंकों ने बड़े पैमाने पर कोर बैंकिंग समाधान (सीबीएस) अपनाया है। सीबीएस से बैंकों के ग्राहक विशेष शाखा से जुड़े रहने के बजाए बैंक की किसी भी शाखा से अपने लेनदेन कर सकेंगे, तथा इस प्रकार बैंकों द्वारा विभिन्न ग्राहक सेवाओं की बेहतर सुपुर्दगी की जा सकेगी। मार्च 2007 के अंत में, सरकारी क्षेत्र के बैंकों की 45 प्रतिशत शाखाओं को सीबीएस के प्रयोग द्वारा परस्पर संबद्ध किया गया। इंटरनेट बैंकिंग, जिसमें हाल की अवधि में अत्यधिक वृद्धि हुई है, एक ऐसा अन्य क्षेत्र है जिसमें प्रौद्योगिकी की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है।

2007 में मैक्किंसे एण्ड कंपनी द्वारा कराए गए 'आइटी बेंचमार्किंग सर्वेक्षण' कराया गया, जिसमें देखा गया कि सर्वोच्च भारतीय बैंकों की आइटी प्रभावशीलता अंतरराष्ट्रीय तौर पर सर्वोत्तम बैंकों से तुलना किए जाने लायक थी। वर्तमान में भारतीय बैंक प्रौद्योगिकी के तौर पर कुछ सर्वाधिक उन्नत बैंक हैं जिनकी शाखाओं का व्यापक नेटवर्क सुदृढ़ बैंकिंग प्रणाली द्वारा शक्तिसंपन्न है। भारत में अधिकांश बैंकों ने आइटी का प्रयोग उत्कृष्ट व्यावसायिक कार्य-निष्पादन की प्राप्ति के लिए किया है, जो भारत में मुख्यतः लागत संबंधी लाभ, पारंपरिक प्रणालियों को दूर करने पर ध्यान केंद्रित करने, उत्कृष्ट आइटी अभिशासन द्वारा चालित है जिसके लिए प्रायः सक्षम आउटसोर्सिंग की जरूरत होती है। तथापि, एक ओर निजी क्षेत्र के नए तथा विदेशी बैंकों के बीच, तो दूसरी ओर, निजी क्षेत्र के पुराने और सरकारी क्षेत्र के बैंकों के बीच व्यापक अंतर है। तथापि, विदेशी और निजी क्षेत्र के बैंकों ने परिचालनगत रूप से दक्ष बने रहते हुए वृद्धि के संवर्धन की दृष्टि से प्रौद्योगिकी का उपयोग अधिक कारगर तरीके से किया। सर्वेक्षण के निष्कर्षों के अनुसार, जहां विदेशी और निजी क्षेत्र के नए बैंकों ने दैनिक परिचालनों के बजाए नवोन्मेषों पर ध्यान केंद्रित किया, वहीं सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने अनुप्रयोग विकास पर ध्यान केंद्रित किया जो उनकी वर्तमान प्रणालियों के संवर्धन के प्रति अधिक निदेशित था। निजी क्षेत्र के पुराने तथा सरकारी क्षेत्र के बैंकों की नीति के फलस्वरूप उनके कारोबार में कम मूल्यवर्धन हुआ। निजी क्षेत्र के नए बैंकों तथा विदेशी बैंकों ने मूल्ययोजित कार्यकलापों पर अधिक ध्यान केंद्रित किया यथा, एटीएम नेटवर्क के लिए नये इंफ्रास्ट्रक्चर तथा कोर बैंकिंग समाधान, काल सेंटर, इंटरनेट बैंकिंग तथा मोबाइल बैंकिंग सहित ग्राहक सेवा सरणियों का निर्माण। उक्त सर्वेक्षण का यह निष्कर्ष है कि यद्यपि आइटी एवं कारोबार शीर्षों के बीच संरेखण, प्रबंधन प्रक्रियाओं तथा प्रशासनिक ओवरहेड को कारगर बनाने की योग्यता तथा निवेश प्राप्त करने सहित कई आयामों में भारतीय बैंकों को सुदृढ़ प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्राप्त है, तथापि सुधार के कई अवसर मौजूद हैं।

संदर्भ:

मैक्किंसे एण्ड कंपनी, 2007. *इंडियन बैंकिंग :टुवर्ड्स ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेज -इनसाइट्स फ्रॉम इंडस्ट्री बेंचमार्क सर्वेज*।

5.137 ओटीसी डेरिवेटिवों के लिए समर्थन रयूटर्स, म्यूरेक्स तथा सनगार्ड के लिए समाधान में उपलब्ध है। समाधान में स्थित बैंक ओटीसी डेरिवेटिवों के लिए क्रिडेन्स एनालिटिक्स से क्वैड्रिक्स का उपयोग करते हैं। कुछ राजकोष समाधानों में बाजार जोखिम प्रबंधन मॉड्यूल नहीं होता तथा इन डेरिवेटिवों का मूल्यन करने के लिए बहुल थर्ड-पार्टी सॉफ्टवेयर समाधानों का उपयोग किया जा रहा है।

कारपोरेट अभिशासन

5.138 अभिशासन और नियंत्रण बैंकिंग संरचनों में जोखिम प्रबंधन का एक सर्वाधिक मूलभूत पहलू है तथा, इस प्रकार, यह सुदृढ़ वित्तीय प्रणाली की नींव है। काफी सीमा तक जोखिम प्रबंधन की कई विफलताएं कारपोरेट अभिशासन के ध्वंस को दर्शाती हैं, जो हितों के टकराव के खराब प्रबंधन, प्रमुख बैंकिंग जोखिमों की अपर्याप्त समझ, तथा जोखिम प्रबंधन एवं आंतरिक लेखा परीक्षा के लिए प्रक्रिया की खराब निगरानी से उत्पन्न होता है। बैंकों को अपने परिचालनों में उपयुक्त निगरानी और संतुलन का निर्माण करते हुए अच्छी अभिशासन संस्कृति तैयार करनी चाहिए। निगरानी के ऐसे चार महत्वपूर्ण प्ररूप हैं जिन्हें किसी बैंक की संगठनात्मक संरचना में शामिल किया जाना चाहिए ताकि उपयुक्त नियंत्रण और संतुलन सुनिश्चित किया जा सके: (i) निदेशक बोर्ड अथवा पर्यवेक्षी बोर्ड द्वारा निगरानी; (ii) विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रों के दैनंदिन संचालन में शामिल न होनेवाले व्यक्तियों द्वारा निगरानी; (iii) विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रों का प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण; तथा (iv) स्वतंत्र जोखिम प्रबंधन, अनुपालन तथा लेखा-परीक्षा कार्य। इसके अलावा यह महत्वपूर्ण है कि प्रमुख कर्मचारी अपने कार्य के लिए उपयुक्त और उचित हों।

5.139 वरिष्ठ प्रबंधन को जोखिम प्रबंधन में बहुत सक्रिय और सम्मिलित भूमिका निभानी चाहिए। तथापि, यदि जानकारी को ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दोनों रूपों में पर्याप्त रूप में वितरित न किया जाए, तो इससे वरिष्ठ प्रबंधन पूरी संस्था के प्रति मौजूद जोखिमों पर संस्थाव्यापी परिप्रेक्ष्य विकसित करने से निवारित होगा। इसके अलावा फर्म द्वारा किए जानेवाले विभिन्न कार्यकलापों की जोखिम पहले, तनाव के समय सहसंबद्ध हो सकती है तथा, दूसरे, इससे जोखिम एक्सपोजरों का अधिक संकेंद्रण हो सकता है। विशिष्ट तौर पर, कुछ मामलों में वरिष्ठ प्रबंधन को अमरीकी सब-प्राइम बंधकों के प्रति फर्म के प्रच्छन्न संकेंद्रणों की पूरी जानकारी नहीं थी क्योंकि उन्होंने यह महसूस नहीं किया कि उनकी बहियों में सब-प्राइम बंधकों के अलावा बंधक धारक तुलनपत्र - बाह्य वाहनों के जरिए, सब-प्राइम के प्रति एक्सपोजर रखनेवाले प्रतिपक्षकारों पर दावों के जरिए, तथा कुछ जटिल प्रतिभूतियों के जरिए भी एक्सपोजर था। जानकारी वरिष्ठ प्रबंधन तक अवश्य पहुँचनी चाहिए। सर्वोच्च कार्यपालकों को अपनी राय का प्रचार करना चाहिए तथा व्यावसायिक पद्धति का विश्लेषण करना चाहिए। वरिष्ठ प्रबंधकों को जोखिम प्रबंधकों को इस बात के लिए उत्साहित करना चाहिए कि वे न सिर्फ प्रत्येक व्यावसायिक इकाई के भीतर मौजूद जोखिमों को प्रकट करने के लिए गहन कार्रवाई करें अपितु उन जोखिम संकेंद्रणों को भी प्रकट करें जो पूरे फर्म द्वारा किए गए कार्यकलापों से उत्पन्न हो सकते हैं और साथ ही प्रच्छन्न जोखिम - यथा तनाव के समय जोखिम के सहसंबंध से उत्पन्न हो सकनेवाले प्रच्छन्न जोखिम संकेंद्रण - भी प्रकट करें।

5.140 उपयुक्त प्रोत्साहन अच्छे व्यवहार के लिए पुरस्कार तथा अनुपयुक्त व्यवहार के लिए दंड के रूप में होते हैं। नैसर्गिक रूप में, बहुत बड़े संगठन में वरिष्ठ प्रबंधन के लिए प्रत्येक व्यक्ति पर निगरानी रखना कठिन हो जाता है, अतः प्रोत्साहनों को सुसंगत, और संगठन के निम्नतम स्तर तक में व्याप्त करने की जरूरत है। सीमाएं और नियंत्रण सही प्रोत्साहन पैदा करने तथा उपयुक्त संकेत भेजने के उपयोगी साधन हो सकते हैं, परंतु उन्हें निश्चय ही प्रत्येक फर्म की जरूरत के अनुसार अलग-अलग तैयार करने की आवश्यकता है। समस्याएं तब उत्पन्न हो सकती हैं जब प्रोत्साहनों को उचित रूप से विन्यस्त न किया गया हो और उपयुक्त 'जोखिम अनुशासन' का प्रयोग न किया गया हो।

5.141 भारत में हाल के वर्षों में कारपोरेट अभिशासन प्रथाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए अनेक उपाय किए गए हैं। इनमें बैंकों तथा विशाखीकृत स्वामित्व के मालिकों और निदेशकों के लिए 'उपयुक्त और उचित' मानदंड शामिल हैं।

पूंजी का प्रबंधन तथा पूंजी की भविष्य की अपेक्षाएं

5.142 पूंजी के स्तर बनाए रखने के लिए बैंकों पर विनियामक दबाव बैंकों के पूंजी स्तर को बढ़ाने में कमोबेश कारगर रहा है तथा हाल के वर्षों में बैंक विनियामक पूंजी अपेक्षाओं से काफी ऊपर पूंजी का रखरखाव कर रहे हैं, जिसका अभिप्राय यह है कि भारतीय बैंकिंग प्रणाली की सुरक्षा में सुधार हुआ है (बॉक्स V.14)।

5.143 1992 में, जब भारत ने बासेल पूंजी पर्याप्तता मानदंड अपनाने का निर्णय लिया, भारतीय बैंकों, विशेष रूप से सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) का पूंजी स्तर बहुत कम था। आठ प्रतिशत सीआरएआर पूरा करने के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों को समर्थ बनाने हेतु सरकार ने 1993-94 के आरंभ से कमजोर पीएसबी का पुनःपूंजीकरण किया। पुनःपूंजीकरण 1998-99 तक जारी रहा। राष्ट्रीयकृत बैंकों के पूंजी आधार को सुदृढ़ बनाने के लिए सरकार द्वारा कुल 22,092 करोड़ रुपए का अंतर्वेश किया गया। चूंकि सरकार द्वारा पूंजी का अंतर्वेश अपर्याप्त था, सरकार ने अध्याय III में दिए गए ब्यौरे के अनुसार 51 प्रतिशत सरकारी स्वामित्व के अधीन सरकारी क्षेत्र के बैंकों को सीधे पूंजी बाजार से पूंजी जुटाने की अनुमति प्रदान की। तथापि, पूंजी बाजार के दोहन के मार्ग में आनेवाली अनुमानित

बॉक्स V.14
पूंजी अपेक्षाओं के प्रति बैंकों का प्रतिसाद : भारतीय अनुभव

यद्यपि पूंजी विनियमन तथा बैंक व्यवहार संबंधी साहित्य दो दशकों से ज्यादा पुराना है, तथापि भारतीय संदर्भ में पर्याप्त प्रणालीगत तथा संरचनागत कार्य नहीं किया गया है। बैंकों द्वारा पूंजी विनियमन के प्रति प्रतिसाद व्यक्त करने का प्रश्न दो मुद्दों पर निर्भर है। पहला, क्या विनियामक पूंजी संबंधी अपेक्षाएं उस स्तर से अधिक है जिसकी जरूरत कम से कम कुछ बैंकों के लिए है। दूसरा, क्या विनियामक दिशानिर्देशों के नीचे आने के लिए दिए जानेवाले दंड इतने बड़े हैं कि बैंक पूंजी अनुपात बढ़ाने के लिए प्रेरित हों। कई अध्ययनों में 1981 में अपनाए गए सांख्यिकीय मानकों के पूर्व की अवधि में अमरीका में पूंजी विनियमनों की प्रभावशालिता की जांच की गई (पेल्ट्जमैन, 1970; मिंगो, 1975; तथा किमबाल और जेम्स, 1983)। ये परिणाम मिश्रित होने पर भी यह संकेत देते हैं कि विनियामक बैंकों के पूंजी अनुपातों को प्रभावित करने में कारगर नहीं रहे। इन अध्ययनों के परिणामों की व्याख्या करने में एक समस्या यह थी कि किसी बैंक संगठन के लिए विनियामक अपेक्षाएं मामलावार आधार पर की गईं, तथा पूंजी पर्याप्तता का मूल्यांकन करने के लिए प्रयोग किए गए कारकों के बाजार द्वारा प्रयुक्त कारकों के साथ अत्यधिक सहसंबद्ध होने की संभावना थी।

एक सुविदित तथ्य यह है कि अधिकांश बैंकों में या तो दक्षता के कारणों से या पूंजी कुशन के प्रतिकूल घटनाओं या विनियामक दंडों जैसी आकस्मिकताओं के प्रति पूर्वसावधानी साबित होने के कारणों से व्यवहार में विनियामक अपेक्षाओं से काफी अधिक मात्रा में पूंजी रखने की प्रवृत्ति होती है (बैरिओस तथा ब्लैंको, 2003)। कुछ अनुसंधानकर्ताओं का सुझाव है कि अधिक पूंजी होने से कुल पूंजी की अस्थिरता संभाव्य रूप से कम हो सकती है (कूपमैन आदि,2005)। इसके विपरीत, जर्मनी (सोल्ज तथा वेडो, 2005) तथा स्पेन (आयुषो आदि, 2004) में अनुभवजन्य साक्ष्य यह दर्शाते हैं कि पूंजी बफर भी प्रति-चक्रीय होते हैं।

'पूंजी संकट' नामक अभिव्यक्ति को 1990 के दशक के आरंभ में बनाया गया था ताकि पूंजी की कमी के साथ-साथ नए ऋणों की आपूर्ति में संकुचन, जिससे यू.एस. में 1990 के दशक के आरंभ की मंदी के दौरान न्यू इंग्लैंड में बैंक प्रभावित हुए, का वर्णन किया जा सके (बेनकि आदि, 1991; पीक तथा रोजनग्रेन 1995)। पूंजी संकट के फलस्वरूप, कुल बैंक आस्तियों में कमी हो सकती है अथवा वैकल्पिक तौर पर सरकारी बांडों जैसी कम जोखिमपूर्ण आस्तियों के प्रति बदलाव आ सकता है।बासेल समिति द्वारा किए गए आनुभविक अध्ययनों के एक सर्वेक्षण से यह पता चला कि यू.एस. तथा जापान में चक्रीय गिरावट के दौरान बैंक पूंजी में आए दबावों से इन अवधियों के दौरान सीमित उधार दिए गए तथा इसका कुछ समष्टि आर्थिक क्षेत्रों में आर्थिक कमजोरी में योगदान हुआ (बीआइएस,1999)।

भारतीय बैंकों के संबंध में नाचणे आदि(2000) ने कई अन्य परिवर्तियों के साथ विनियामक दबावों के पूंजी परिवर्तनों पर प्रभाव का अध्ययन किया जिनसे बैंकों की पूंजी धारिता प्रभावित होने की आशा है। 1997 की पहली तिमाही से 1999 की चौथी तिमाही तक भारत के सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के आंकड़ों के आनुभविक विश्लेषण के आधार पर, उनका यह निष्कर्ष था कि विनियामक निर्धारणों ने भारतीय बैंकों के पूंजी अनुपात संबंधी चुनावों को अवश्य प्रभावित किया। तथापि, उन्हें अधिक जोखिम से बैंकों द्वारा कम जोखिमपूर्ण आस्ति वर्ग के प्रति कोई उल्लेखनीय बदलाव नहीं दिखाई दिया। जहां तक पीएसबी पर्याप्त रूप से विजातीय नमूना पेश करते हैं तथा भारत में बैंकिंग प्रणाली का एक बड़ा भाग हैं, पीएसबी पर आधारित विश्लेषण ऊपर बताए गए मुद्दों के बारे में मोटे निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त हैं। विशेष रूप से, प्राथमिक प्रश्न यह है कि क्या पर्यवेक्षणात्मक प्राधिकारियों से मिलनेवाले दबाव उस समय बैंक की पूंजी संबंधी गतिशीलताओं को प्रभावित करते हैं जब पूंजी अनुपात विनियामक न्यूनतम स्तर तक पहुंच जाते हैं। उक्त अध्ययन यह सुझाता है कि पूंजी अपेक्षाएं बैंक के व्यवहार को उल्लेखनीय रूप से प्रभावित करती हैं, तथा अन्य कारकों में, लाभ संबंधी परिवर्ती पूंजी अनुपातों को प्रभावित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता हुआ प्रतीत होता है। भारतीय संदर्भ में, निष्कर्ष से इस बात का आश्वासन मिलता है कि बैंक के अपने आंतरिक रूप से बनाए गए पूंजी लक्ष्यों से ऊपर की पूंजी अपेक्षाएं बैंकों के रुख को प्रभावित करती प्रतीत होती हैं। बैंकिंग की स्थिरता के बारे में बढ़ रही चिंताओं को देखते हुए इस तथ्य का महत्व और बढ़ जाता है। सरल शब्दों में, व्यवस्थागत संकट को रोकने में पूंजी का उच्चतर स्तर उपयोगी हो सकता है, जो कि नीति निर्माताओं के पास मौजूद एक महत्वपूर्ण साधन है। तथापि, इस तथ्य को देखते हुए कि बैंक विभिन्न तरीकों से पूंजी विनियमन के प्रति रेस्पांड कर सकते हैं, ऐसे विनियमन तैयार करते समय विनियामकों को इस बारे में स्पष्ट होना चाहिए कि वे किस तरह का रेस्पांस चाहते हैं। इसके अलावा, यदि पूंजी अपेक्षा में वृद्धि करने से अर्थव्यवस्था में ऋण में कमी आती है और/अथवा उत्पादन में कमी आती है, तो विनियामकों को भी सुधारात्मक उपाय करने की जरूरत पड़ेगी।

संदर्भ:

आयुषो, जे.,डी.पेरेज तथा जे.सौरिना.2004. ''आर कैपिटल बफर्स प्रो-साइक्लिकल? एविडेंस फ्राम स्पैनिश पैनल डेटा''। जर्नल ऑफ फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन, 13(2):249-264.

बैरिओस,वी.तथा जे.ब्लैंको. 2003. ''दि इफेक्टिवनेस ऑफ बैंक कैपिटल एडिक्वेसी रेग्युलेशनः ए थियरेटिकल एण्ड इंपायरिकल अॅप्रोच''। जर्नल ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनांस, 27:1935-1958.

बेनकि,बी.,सी.लाउन तथा बी.फ्रीडमैन. 1991. ''दि क्रेडिट क्रंच''। आर्थिक कार्यकलाप पर ब्रूकिंग्स पेपर, 1991 (2): 205-247.

अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक. 1999. ''कैपिटल रिक्वायरमेंट्स एण्ड बैंक बिहेवियर:दि इंपॅक्ट ऑफ दि बासेल एकार्ड'' वर्किंग पेपर, 1.

किम्बाल, डी.तथा सी.जेम्स.1983. ''रेग्युलेशन एण्ड डीटरमिनेशन ऑफ बैंक कैपिटल चैंजेज'', जर्नल ऑफ फाइनांस 38:1651-58.

कूपमैन, एस.,ए. लुकास तथा पी.क्लासेन.2005. ''एंपिरिकल क्रेडिट साइकल्स एण्ड कैपिटल बफर फॉर्मेशन''. जर्नल ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनांस, 29 (12):3159-3179.

मिंगो,जे.1975. ''रेग्युलेटरी इंफ्लुएंस ऑन बैंक कैपिटल इनवेस्टमेंट''. दि जर्नल ऑफ फाइनांस, 30(4):1111-1121.

नाचणे, डी.,ए.नारायण, एस.घोष तथा एस.साहू. 2001. ''बैंक रेस्पांस टू कैपिटल रिक्वायरमेंट्स - थियरी एण्ड इंडियन एविडेंस''. इकोनॉमिक एण्ड पॉलिटिकल वीकली, जनवरी.

पीक,जे.तथा ई.रोसनग्रेन. 1995. ''बैंक रेग्युलेशन एण्ड दि क्रेडिट क्रंच''. जर्नल ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनांस, एल्सवियर, 19 (3-4): 679-692, जून.

पेल्ट्जमैन, एस. 1970. ''कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन कमर्शियल बैंकिंग एण्ड इट्स रिलेशनशिप टू पोर्टफोलियो रेग्युलेशन.'' *दि जर्नल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी,* 78(1):1-26.

स्टोल्ज, एस. तथा एम.वेडो, 2005.''बैंक्स रेग्युलेटरी कैपिटल बफर एण्ड दि बिजनेस साइकलः एविडेंस फॉर जर्मन सेविंग्स एण्ड को-ऑपरेटिव बैंक्स'' *डिस्कशन पेपर सिरीज 2:बैंकिंग एण्ड फाइनेंसियल स्टडीज,* सं.7, ड्यूश बुंडसबैंक, रिसर्च सेंटर.

सारणी 5.3 : सरकारी क्षेत्र के बैंक - पुन:पूंजीकरण

(राशि करोड़ रुपए)

अवधि / वर्ष	सरकार द्वारा अंशदान की गई पूंजी	वापस की गई पूंजी
1	2	3
1985-86 से 1992-93	4,000	–
1993-94	5,700	–
1994-95	4,363*	–
1995-96	850	–
1996-97	1,509	842
1997-98	2,700	138
1998-99	400	–
1999-2000	–	–
2000-01	–	48
2001-02	1,300	176
2002-03	770	386
2003-04	–	110
2004-05	–	88
2005-06	500	–

– : शून्य
* : टियर II पूंजी के एक भाग के रूप में 925 करोड़ रुपए की राशि को छोड़कर।
स्रोत : केंद्रीय बजट एवं रिज़र्व बैंक

आय के प्रति अत्यधिक इक्विटी आधार को देखते हुए, कुछ बैंकों ने सरकार को पूंजी वापस कर दी। वापस की गई कुल राशि 1,789 करोड़ रुपए थी (सारणी 5.3)।

5.144 सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों ने 1993-94 से पूंजी बाजार से बड़े संसाधन जुटाए हैं। कुल मिलाकर, सरकारी क्षेत्र के 16 बैंकों ने 37 इक्विटी निर्गमों से 34,679 करोड़ रुपए की कुल राशि जुटाई, तथा कई पीएसबी ने एक से अधिक बार बाजार से पूंजी जुटाई (सारणी 5.4)।

5.145 निजी क्षेत्र के बैंकों ने भी पूंजी बाजार से पूंजी जुटाई है (सारणी 5.5)। 1995-96 से, निजी क्षेत्र के बैंकों ने 34 इक्विटी निर्गमों के जरिए पूंजी बाजार से 23,330 करोड़ रुपए की कुल राशि जुटाई। सरकारी और निजी क्षेत्र के कुछ बैंकों ने अंतरराष्ट्रीय पूंजी बाजार में एडीआर/जीडीआर के जरिए भी निधियां जुटाई हैं।

5.146 सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा पूंजी बाजार से निधियां जुटाए जाने के कारण सरकार द्वारा धारित इक्विटी कम हो गई। सितंबर 2007 के अंत में आम जनता की नौ बैंकों में शेयरधारिता 40 और 49 प्रतिशत के बीच थी (सारणी 5.6)। सिर्फ दो बैंकों में सरकारी धारिता 90 प्रतिशत से अधिक थी। सरकारी क्षेत्र के तीन बैंकों में, सरकारी धारिता 51 प्रतिशत के नजदीक थी। इन बैंकों में ओरियण्टल बैंक ऑफ कॉमर्स (51.1 प्रतिशत), देना बैंक (51.2 प्रतिशत),तथा आंध्रा बैंक (51.6 प्रतिशत) शामिल हैं।

सारणी 5.4 : सरकारी क्षेत्र के बैंकों के सार्वजनिक निर्गम

(राशि करोड़ रुपए)

वर्ष	इक्विटी	
	निर्गमों की संख्या	राशि
1	2	3
1993-94	2	2,218
1994-95	1	374
1995-96	4	281
1996-97	3	1,705
1997-98	3	491
1998-99	–	–
1999-2000	1	125
2000-01	3	361
2001-02	1	164
2002-03	3	773
2003-04	5	1,104
2004-05	2	3,336
2005-06	6	5,413
2006-07	1	782
2007-08	2	17,552

5.147 इक्विटी निर्गमों के अलावा, बैंकों ने भुनाए गए गौण ऋण के जरिए भी संसाधन जुटाए (टियर II), जो मार्च 2003 के अंत के 18,482 करोड़ रुपए से तेजी से बढ़कर मार्च 2007 के अंत में 63,814 करोड़ रुपए हो गया। सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा पूंजी की स्थिति को सुदृढ़ करने का एक और स्रोत लाभ का पुनर्नियोजन तथा संसाधन सृजन है। एक

सारणी 5.5 : निजी क्षेत्र के बैंकों के सार्वजनिक निर्गम

(राशि करोड़ रुपए)

वर्ष	इक्विटी	
	निर्गमों की संख्या	राशि
1	2	3
1995-96	8	404
1996-97	–	–
1997-98	2	206
1998-99	6	262
1999-2000	3	136
2000-01	–	–
2001-02	–	–
2002-03	1	36
2003-04	–	–
2004-05	4	3,946
2005-06	5	5,653
2006-07	2	284
2007-08	3	12,403

सारणी 5.6 : सरकारी क्षेत्र के बैंकों की स्वामित्व संरचना
(सितंबर 2007 के अंत में)

(प्रतिशत)

बैंक	सरकार / भारिबैंक का हिस्सा	अन्यों का हिस्सा	सीआरए आर
1	2	3	4
राष्ट्रीयकृत बैंक			
ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	51.1	48.9	13.4
देना बैंक	51.2	48.8	11.3
आंध्रा बैंक	51.6	48.4	11.1
बैंक ऑफ बड़ौदा	53.8	46.2	12.9
विजया बैंक	53.9	46.1	11.3
इलाहाबाद बैंक	55.2	44.8	13.0
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	55.4	44.6	11.6
कारपोरेशन बैंक	57.2	42.8	13.8
पंजाब नैशनल बैंक	57.8	42.2	13.1
इंडियन ओवरसीज़ बैंक	61.2	38.8	13.4
सिंडिकेट बैंक	66.5	33.5	12.2
बैंक ऑफ इंडिया	69.5	30.5	12.6
केनरा बैंक	73.2	26.8	13.9
यूको बैंक	75.0	25.0	11.5
बैंक ऑफ महाराष्ट्र	76.8	23.2	13.6
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया	80.2	19.8	12.4
इंडियन बैंक	80.0	20.0	13.9
पंजाब एंण्ड सिंध बैंक	100.0	0.0	13.3
यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	100.0	0.0	13.8
भारतीय स्टेट बैंक तथा उसके सहयोगी			
भारतीय स्टेट बैंक*	59.7	40.3	12.9
स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंण्ड जयपुर	100.0#	–	13.3
स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	100.0#	–	12.9
स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	100.0#	–	11.1
स्टेट बैंक ऑफ इंदौर	100.0#	–	12.8
स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	100.0#	–	12.2
स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	100.0#	–	12.5
स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र	100.0#	–	12.1

* : रिज़र्व बैंक द्वारा एसबीआइ में धारित इक्विटी को अब सरकार को अंतरित कर दिया गया है।
# : एसबीआइ द्वारा सर्वाधिकधारित।
– : शून्य / नगण्य

समूह के रूप में सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने, जिन्होंने 1992-93 तथा 1995-96 के बीच के चार वर्षों में से तीन में निवल हानि उठाई थी, उसके बाद लगातार काफी लाभ कमाया (चार्ट V.3)।

5.148 सुधारोत्तर अवधि में बैंकों की आरक्षित निधियों में तीव्र वृद्धि हुई (चार्ट V.4)।

चार्ट V.3 : बैंकों का निवल लाभ

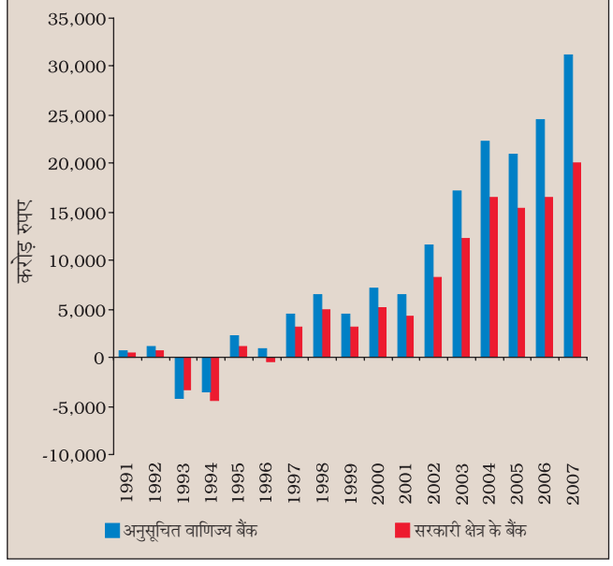

5.149 मार्च 1997 के अंत तथा मार्च 2007 के अंत के बीच अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की जोखिम भारित आस्तियों में 22.4 प्रतिशत की औसत वार्षिक दर से वृद्धि हुई (चार्ट V.5)।

5.150 विशेष रूप से जोखिम भारित आस्तियों में तीव्र वृद्धि हुई तथा मार्च 2003 के अंत और मार्च 2007 के अंत के बीच वे लगभग तिगुनी हो गईं (सारणी 5.7)। काफी सीमा तक, ऋण वृद्धि तथा बाजार जोखिम मानदंड लागू करने के कारण यह वृद्धि हुई। जोखिम भारित आस्तियों में हुई वृद्धि तीव्र ऋण वृद्धि के चरण में बैंकों के तुलनपत्रों

चार्ट V.4 : आरक्षित निधि तथा अधिशेष

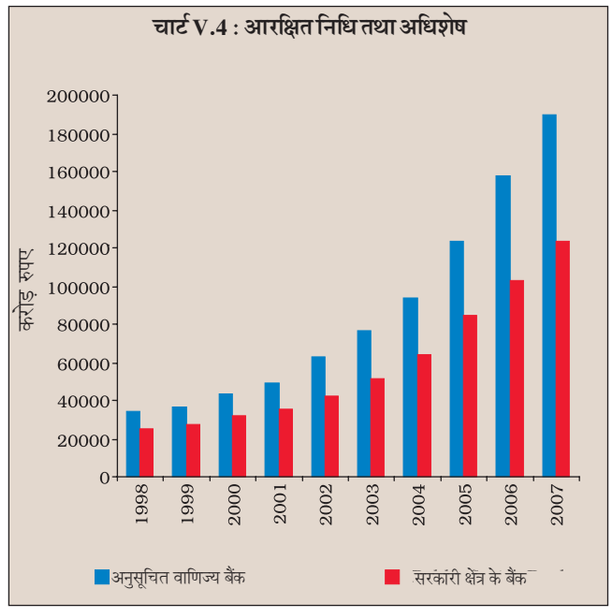

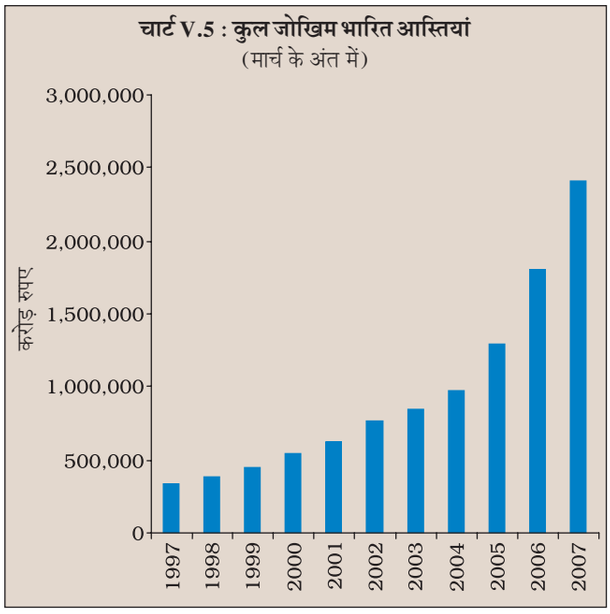

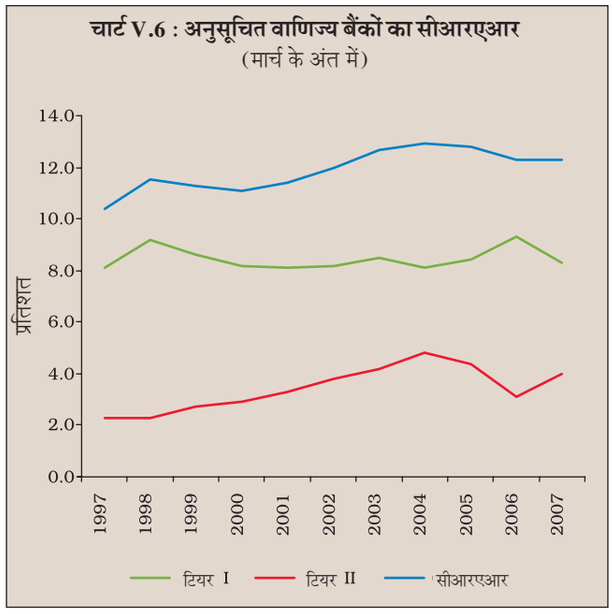

का संरक्षण करने के लिए विवेकपूर्ण उपाय के रूप में अग्रिमों की कतिपय श्रेणियों पर रिज़र्व बैंक द्वारा जोखिम भार में की गई वृद्धि का परिणाम थी।

5.151 जोखिम-भारित आस्तियों में तीव्र वृद्धि के बावजूद, बैंक सीआरएआर बनाए रखने में समर्थ रहे। वस्तुतः, उद्योग का सीआरएआर मार्च 1997 के अंत से 10 प्रतिशत से अधिक तथा मार्च 2002 के अंत से 12 प्रतिशत से अधिक बना रहा (चार्ट V.6)। टियर I पूंजी अनुपात एक वर्ष पहले के 9.3 प्रतिशत से कुछ कम होकर मार्च 2007 के अंत में 8.3 प्रतिशत हो गया। इसका मुख्य कारण आरक्षित निधियों और अधिशेष की अपेक्षाकृत कम वृद्धि था, जबकि प्रदत्त पूंजी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। तथापि, पिछले वर्ष हुई गिरावट के विपरीत टियर II पूंजी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। फलस्वरूप, टियर II सीआरएआर पिछले साल के 3.1 प्रतिशत से बढ़कर 4.0 प्रतिशत हो गया (चार्ट V.6)। वर्ष के दौरान हुई गिरावट के बावजूद, 8.3 प्रतिशत पर टियर I सीआरएआर 4.5 प्रतिशत की वर्तमान अपेक्षा से अधिक था तथा 27 अप्रैल 2007 को रिज़र्व बैंक द्वारा जारी बासेल II के कार्यान्वयन संबंधी अंतिम दिशानिर्देशों में निर्धारित 6.0 प्रतिशत मानदंड से भी अधिक था।

सारणी 5.7 : अनुसूचित वाणिज्य बैंक - पूंजी निधि तथा जोखिम-भारित आस्तियां
(मार्चांत)

(राशि करोड़ रुपए)

मद /वर्ष	2003	2004	2005	2006	2007
1	2	3	4	5	6
क.पूंजी निधि (i+ii)	1,07,058	1,25,249	1,65,928	2,21,363	2,96,191
i) टियर 1 पूंजी	71,416	78,550	1,08,949	1,66,538	2,00,397
जिसमें से:					
प्रदत्त पूंजी	21,594	22,022	25,724	25,142	29,489
आरक्षित निधि	57,648	65,948	91,320	1,41,592	1,63,988
अनाबंटित / प्रेषण योग्य अधिशेष	4,194	4,983	6,937	11,075	20,387
टियर I पूंजी के लिए कटौतियां	11,646	14,403	15,031	11,271	13,573
ii) टियर II पूंजी	35,643	46,699	56,979	54,825	95,794
जिसमें से:					
बट्टागत गौण ऋण	18,482	20,011	26,291	43,214	63,814
ख. जोखिम-भारित आस्तियां	8,44,402	9,69,886	12,96,223	17,97,207	24,12,320
जिसमें से:					
जोखिम-भारित ऋण तथा अग्रिम	5,65,799	6,59,921	9,19,544	12,38,163	17,16,945

स्रोत : बैंकों द्वारा प्रस्तुत परोक्ष विवरणियों पर आधारित।

सारणी 5.8 : पूंजी पर्याप्तता अनुपात : बैंक समूह-वार

(मार्च के अंत में)

(प्रतिशत)

बैंक समूह	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
1	2	3	4	5	6	7	8	9
अनुसूचित वाणिज्य बैंक	11.1	11.4	12.0	12.7	12.9	12.8	12.3	12.3
सरकारी क्षेत्र के बैंक	10.7	11.2	11.8	12.6	13.2	12.9	12.2	12.4
राष्ट्रीयकृत बैंक	10.1	10.2	10.9	12.2	13.1	13.2	12.3	12.4
भारतीय स्टेट बैंक तथा उसके सहयोगी	11.6	12.7	13.3	13.4	13.4	12.4	12.0	12.3
निजी क्षेत्र के पुराने बैंक	12.4	11.9	12.5	12.8	13.7	12.5	11.7	12.1
निजी क्षेत्र के नए बैंक	13.4	11.5	12.3	11.3	10.2	12.1	12.6	12.0
विदेशी बैंक	11.9	12.6	12.9	15.2	15.0	14.0	13.0	12.4

स्रोत : भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति एवं प्रगति पर रिपोर्ट, विभिन्न अंक।

5.152 सभी बैंक समूहों का सीआरएआर आम तौर पर न्यूनतम निर्धारित स्तर से काफी ऊपर रहा है। विदेशी बैंकों का सीआरएआर, जो सामान्यतः अन्य बैंक समूहों से काफी ऊपर बना रहा, मार्च 2006 के अंत के 13.0 प्रतिशत से घटकर उद्योग औसत के अनुरूप मार्च 2007 के अंत में 12.4 प्रतिशत हो गया (सारणी 5.8)।

5.153 अलग-अलग बैंकों के स्तर पर सिर्फ एक बैंक ने मार्च 2007 के अंत में निर्धारित सीआरएआर की अपेक्षा पूरी की, जिसका समामेलन बाद में निजी क्षेत्र के एक बड़े बैंक के साथ कर दिया गया। 2 बैंकों को छोड़कर, जिनका सीआरएआर 9 से 10 प्रतिशत के दायरे में था, सभी बैंकों का सीआरएआर 10 प्रतिशत से ऊपर था (सारणी 5.9)।

5.154 भारत में स्थित बैंकों ने पूंजी संबंधी अपनी अपेक्षाओं का दक्षतापूर्वक प्रबंधन किया। बासेल II का कार्यान्वयन होने पर भारत स्थित बैंकों की पूंजी संबंधी जरूरतें बढ़ने की आशा है। विदेशी बैंकों तथा अंतरराष्ट्रीय उपस्थिति वाले भारतीय बैंकों ने मार्च 2008 को समाप्त वर्ष से बासेल II संबंधी अपेक्षाओं का अनुपालन शुरू कर दिया तथा अन्य अनुसूचित वाणिज्य बैंक 31 मार्च 2009 तक इन मानदंडों को अपनाएंगे। जबसे रिज़र्व बैंक ने 2005 में संशोधित फ्रेमवर्क अपनाने के लिए दिशानिर्देशों का मसौदा पब्लिक डोमेन में रखा, कई एजेंसियों तथा अनुसंधानकर्ताओं ने बासेल I से बासेल II फ्रेमवर्क में संक्रमण के संदर्भ में भारतीय बैंकों की पूंजी अपेक्षाओं का अनुमान लगाया (बॉक्स V.15)। सामान्यतः यह विश्वास किया जाता है कि भारत में अपनाए गए सरलतर दृष्टिकोणों के तहत, यदि परिचालनात्मक जोखिम के तहत अपेक्षित अतिरिक्त पूंजी को ऋण जोखिम के तहत पूंजी राहत द्वारा प्रतितुलित नहीं किया गया, तो संभवतः बैंकों की समग्र विनियामक अपेक्षाएं बढ़ जाएंगी। जहां तक ऋण जोखिम का संबंध है, एक राय में इस बात पर बल दिया जाता है कि बासेल II के स्तंभ 1 के तहत ऋण जोखिम के लिए मानकीकृत दृष्टिकोण का अपनाया जाना बासेल I संबंधी मानदंडों से बहुत अलग होने की संभावना नहीं है क्योंकि बैंकों के अधिकांश ग्राहकों के पास बाह्य रेटिंग अभी भी नहीं होती, जिसके मामले

सारणी 5.9 : सीआरएआर के अनुसार अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का वितरण

(बैंकों की संख्या)

बैंक समूह	मार्च 2007 के अंत में			
	4 प्रतिशत से कम	4-9 प्रतिशत के बीच	9-10 प्रतिशत के बीच	10 प्रतिशत से अधिक
1	2	3	4	5
राष्ट्रीयकृत बैंक*	–	–	–	20
भारतीय स्टेट बैंक तथा उसके सहयोगी	–	–	–	8
निजी क्षेत्र के पुराने बैंक	–	–	2	14
निजी क्षेत्र के नए बैंक	–	–	–	8
विदेशी बैंक	–	–	–	29
कुल	**–**	**–**	**2**	**79**

– : शून्य / नगण्य

* : सरकारी क्षेत्र के अन्य बैंकों के आंकड़ों सहित।

स्रोत : बैंकों द्वारा प्रस्तुत परोक्ष विवरणियों पर आधारित।

बॉक्स V.15
विभिन्न एजेंसियों द्वारा बासेल II के तहत भारतीय बैंकों की पूंजी अपेक्षाओं के अनुमान

बैंकिंग पर्यवेक्षण पर गठित बासेल समिति (बीसीबीएस) ने नया पूंजी पर्याप्तता ढांचा अपनाने के प्रभाव का आकलन करने के लिए पांचवां परिमाणात्मक प्रभाव अध्ययन (क्यूआइएस-5) शुरू किया है। लगभग 50 प्रतिशत बाज़ार हिस्सेदारी (आस्तियों के रूप में) वाले 11 भारतीय बैंकों ने क्यूआइएस-5 में भाग लिया। आरंभिक विश्लेषण से यह संकेत मिला कि इन बैंकों द्वारा ऋण जोखिम के लिए मानकीकृत दृष्टिकोण हेतु तथा परिचालनात्मक जोखिम के लिए मूल संकेतक दृष्टिकोण हेतु बासेल II मानदंड लागू किए जाने पर इन बैंकों का संयुक्त पूंजी पर्याप्तता अनुपात कम होने की आशा थी। यद्यपि नये ढांचे के तहत इनमें से कोई भी बैंक न्यूनतम पूंजी पर्याप्तता अनुपात को भंग नहीं करेगा, तथापि निवल प्रभाव काफी व्यापक होगा।

अर्थव्यवस्था की संभावित वृद्धि को देखते हुए, स्वयं बैंकिंग प्रणाली को नयी पूंजी की काफी ज़रूरत होगी। एक अनुमान से यह पता चलता है कि 2010 तक बैंक ऋण अनुपात जीडीपी के 60 प्रतिशत से बढ़ाकर 80 प्रतिशत करने के लिए, बैंकिंग प्रणाली को जीडीपी के 1 1/4 प्रतिशत तक अतिरिक्त पूंजी की जरूरत पड़ेगी (लाहिरी, 2006)। इतनी बड़ी पूंजी जुटाने के लिए इस क्षेत्र की लाभप्रदता तथा दक्षता में उल्लेखनीय वृद्धि जरूरी होगी।

क्रिसिल द्वारा लगाए गए अनुमान के अनुसार, बासेल II के समग्र प्रभाव से सीआरएआर में 1.6 प्रतिशत अंकों की कमी आएगी। यह ऋण जोखिम के लिए 0.7 प्रतिशत अंक के लाभ, बाजार जोखिम के लिए 1.2 प्रतिशत अंकों की गिरावट तथा परिचालनात्मक जोखिम के लिए 1.1 प्रतिशत अंकों की गिरावट का संयुक्त प्रभाव होगा। क्रिसिल की यह राय है कि प्रस्तावित ढांचे का बैंकिंग क्षेत्र पर सकारात्मक असर पड़ेगा तथा इससे बैंकिंग क्षेत्र के लिए पूंजी की मांग में सामान्य वृद्धि होगी।

इक्रा के अनुमानों के अनुसार, भारतीय बैंकों को बासेल II के तहत परिचालनात्मक जोखिम के लिए पूंजी प्रभार संबंधी जरूरत पूरी करने हेतु 120 बिलियन (12,000 करोड़) रुपए की अतिरिक्त पूंजी की जरूरत पड़ेगी। इस पूंजी का अधिकांश (90 बिलियन रुपए अथवा 9,000 करोड़ रुपए) पीएसबी द्वारा अपेक्षित होगा, इसके बाद नई पीढ़ी के निजी क्षेत्र के बैंकों (11 बिलियन रुपए अथवा 1,100 करोड़ रुपए) तथा पुरानी पीढ़ी के निजी क्षेत्र के बैंकों (7.5 बिलियन रुपए अथवा 750 करोड़ रुपए) का स्थान होगा। इक्रा की राय में, अतीत में आस्ति में हुई वृद्धि तथा वृद्धि की प्रत्याशित प्रवृत्तियों को देखते हुए परिचालनात्मक जोखिम के लिए पूंजी प्रभार की जरूरत में अगले तीन सालों तक 15-20 प्रतिशत वार्षिक की वृद्धि होगी, जिसका अभिप्राय यह है कि बैंकों को मध्यावधि में 180-200 बिलियन रुपए (18,000-20,000 करोड़ रुपए) जुटाने की जरूरत पड़ेगी।

संदर्भ:

लाहिरी, ए. 2006. ''भारत में वित्तीय क्षेत्र सुधार के उपाय तथा अंतरराष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली में उसका प्रभाव''। *एशिया इन द वर्ल्ड* नामक संगोष्ठी कार्यक्रम में किया गया प्रस्तुतीकरण, आइएमएफ/विश्व बैंक की वार्षिक बैठक, सिंगापुर, सितंबर।

में 100 प्रतिशत का जोखिम भार लागू किया जाएगा। तीन प्रकार की जोखिमों से अलग, वास्तविक अर्थव्यवस्था की वृद्धि से जोखिम-भारित आस्तियों की वृद्धि के और इस प्रकार बैंकों की विनियामक पूंजी अपेक्षाओं के प्रभावित होने की आशा है। बासेल II के तहत विनियामक पूंजी अपेक्षा संबंधी एक और व्यापक रूप से चर्चित मुद्दा बढ़ रही पूंजी अपेक्षाओं को पूरा करने में सरकारी क्षेत्र के बैंकों की योग्यता है। इसका कारण यह है कि सरकारी क्षेत्र के बैंकों में सरकार की शेयरधारिता 51 प्रतिशत से कम नहीं हो सकती।

5.155 2007-08 से 2011-12 तक की पांच वर्ष की अवधि में पूंजी संबंधी अपेक्षाएं जानने का प्रयास निम्नलिखित को ध्यान में रखकर किया गया है (i) बासेल II का कार्यान्वयन जिसमें ऋण जोखिम के परिशोधित माप और अतिरिक्त परिचालनात्मक जोखिम का प्रावधान है; तथा (ii) बैंकों के तुलनपत्रों में संभावित वृद्धि। सीआरएआर अनुमान दो परिदृश्यों के तहत लगाए गए हैं। आधारभूत परिदृश्य में, यह कल्पना की गई है कि बैंक 9 प्रतिशत का समग्र न्यूनतम पूंजी अनुपात तथा 4.5 प्रतिशत का टियर-I पूंजी बनाए रखेंगे। दूसरे परिदृश्य में यह कल्पना की गई है कि बैंक 12 प्रतिशत सीआरएआर तथा 6 प्रतिशत टियर-I पूंजी बनाए रखेंगे।

5.156 पूंजीगत अपेक्षाओं के अनुमान के लिए जोखिम भारित आस्तियों का अनुमान अनिवार्यतः अपेक्षित है (बॉक्स V.16)।

5.157 यह मानते हुए कि बैंक 12 प्रतिशत सीआरएआर बनाए रखेंगे, बैंकिंग क्षेत्र के लिए कुल पूंजीगत अपेक्षाएं मार्च 2007 के अंत के 2,96,191 करोड़ रुपए से बढ़कर मार्च 2008 के अंत में 4,07,686 करोड़ रुपए तथा मार्च 2012 के अंत में 8,64,935 करोड़ रुपए होने का अनुमान है (सारणी 5.11)। इस प्रकार, अगले 5 वर्षों में बैंकिंग क्षेत्र को 5,68,744 करोड़ रुपए की अतिरिक्त पूंजी की जरूरत पड़ेगी। प्रत्येक साल के लिए अनुमानित पूंजी अपेक्षाओं को लगभग 1 लाख करोड़ रुपए पर उचित रूप में वितरित किया गया है, वर्ष 2011-12 इसका अपवाद है जब पूंजी की अपेक्षा में 1,39,802 करोड़ रुपए की तीव्र वृद्धि होने का अनुमान है। यदि सीआरएआर को 9 प्रतिशत पर बनाए रखा जाना है, तो पूंजी संबंधी अपेक्षाओं में उल्लेखनीय गिरावट होगी (सारणी 5.10)। सभी बैंक समूहों से यह अपेक्षा होगी कि वे मुख्यतः बासेल II के तहत परिचालनात्मक जोखिम शामिल किए जाने के कारण पहले साल (अर्थात 2007-08) से ही अपने पूंजी स्तर को बढ़ाएं।

5.158 12 प्रतिशत सीआरएआर पर कुल पूंजीगत अपेक्षाओं में से, 3,69,115 करोड़ रुपए (कुल बैंकिंग क्षेत्र का 64.9 प्रतिशत) सरकारी

बॉक्स V.16
भारत में बैंकों के लिए पूंजी अपेक्षाओं का अनुमान - प्रणाली

बासेल II के तहत की गई अपेक्षा के अनुसार, ऋण, बाजार तथा परिचालनात्मक जोखिम के लिए जोखिम भारित आस्तियों (आरडब्ल्यूए) में हुई वृद्धि को ध्यान में रखते हुए पूंजी संबंधी अपेक्षाएं (समग्र तथा टियर I दोनों) तैयार की गई हैं। इसके लिए, बदले में, ऋण के विस्तार का अनुमान लगाना जरूरी था, जिसके लिए निम्नलिखित प्रणाली अपनायी गई है। यह माना गया कि वास्तविक जीडीपी में 9 प्रतिशत की वृद्धि होगी (जो ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के लिए योजना आयोग द्वारा लक्ष्यित वृद्धि थी)। अनुमानित वास्तविक जीडीपी वृद्धि के आधार पर, मुद्रा की मांग के आय संबंधी लचीलेपन तथा मुद्रास्फीति का उपयोग करके एम3 में वृद्धि ज्ञात की गई। मुद्रा में स्थिर वृद्धि का अनुमान लगाते हुए (अरिमा मॉडल के आधार पर परिकलित) अवशेष के रूप में जमाराशियां ज्ञात की गईं। जमाराशियों से, निवल मांग और मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) का पता लगाया गया। सीआरआर तथा एसएलआर के रूप में होनेवाले पूर्वक्रयों को एनडीटीएल से घटाने के बाद ऋण ज्ञात किया गया। ऋण से जोखिम भारित आस्तियों का अनुमान उनके बीच स्थिर संबंध की कल्पना करते हुए लगाया गया।

प्रक्षेपणों के लिए पूर्वानुमान

1) एम3 का प्रक्षेपण

9 प्रतिशत वास्तविक जीडीपी वृद्धि के आधार पर एम3 में 18.5 प्रतिशत वृद्धि का अनुमान लगाया गया। मुद्रा के लिए मांग का आय लचीलापन 1.5 अनुमानित था और मुद्रास्फीति की दर 5 प्रतिशत होने का पूर्वानुमान लगाया गया।

2) जनता के पास मौजूद मुद्रा का पूर्वानुमान

बॉक्स-जेनकिन्स के अरिमा मॉडल के ढांचे के भीतर, जनता के पास मौजूद मुद्रा के बारे में मासिक श्रृंखलाओं के लिए स्व-सहसंबंध (एसीएफ) तथा आंशिक स्व-सहसंबंध (पीएसीएफ) कार्यों की जांच (नैसर्गिक लघुगणक रूपांतरित) चार विभिन्न रूपों में की गईः (i) पहला अंतर मौसमी समायोजन के बिना ; (ii) पहला अंतर मौसमी समायोजन के साथ; (iii) वार्षिकीकृत वृद्धि दर मौसमी समायोजन के बिना; तथा (iv) वार्षिकीकृत वृद्धि दर मौसमी समायोजन के साथ। यह निश्चित किया गया कि जनता के पास मौजूद मुद्रा की मासिक श्रृंखलाओं को उसकी मौसमी दृष्टि से समायोजित वार्षिकीकृत वृद्धि दर के रूप में उपयुक्त रूप से मॉडल किया जा सकता है। इस रूप में, एसीएफ में कम होकर शून्य होने की प्रवृत्ति दिखाई दी, जबकि पीएसीएफ पहले चरण के बाद तेजी से कट-ऑफ हो जाता था। इसमें यह सुझाया कि एक मौसमी चल औसत मीयाद (एसएमए) के साथ पहली स्व-प्रतिगामी (एआर) प्रक्रिया सर्वोत्तम अरिमा मॉडल थी। मुद्रा परिवर्ती के लिए अनुमानित अरिमा मॉडल ने यह दर्शाया कि पांच वर्ष की अवधि में मासिक वृद्धि दर का गतिशील पूर्वानुमान 12.7 प्रतिशत की इसकी वार्षिक वृद्धि दर के संरचनात्मक घटक के आसपास रहेगा।

3) ऋण का प्रक्षेपण

अवशिष्ट कुल जमाराशि ज्ञात करने के लिए समग्र मुद्रा आपूर्ति से जनता के पास मुद्रा में अनुमानित वृद्धि को कम किया गया। जमाराशियों से, निवल मांग और मीयादी देयताएं दोनों के बीच स्थिर संबंध के आधार पर ज्ञात की गईं । एनडीटीएल से, सीआरआर तथा एसएलआर अपेक्षाओं के कारण किए गए पूर्वक्रयों को घटाया गया तथा शेष राशि को ऋण के रूप में लिया गया।

4) बढ़ी हुई जोखिम-भारित आस्तियों का प्रक्षेपण

i) परिचालनात्मक जोखिम के लिए जोखिम-भारित आस्तियों को शामिल करके ऋण जोखिम तथा बाजार जोखिम के लिए जोखिम-भारित आस्तियों (मार्च 2007 के अंत के वास्तविक आंकड़ों के आधार पर) को बढ़ा दिया गया है। मार्च 2007 के अंत में, जोखिम-भारित आस्तियां बकाया ऋण का 1.4 गुना थीं।

ii) 2006-07 के लिए ऋण के प्रति जोखिम-भारित आस्तियों का अनुपात प्रक्षेपित ऋण पर बाद के वर्षों के लिए लगाया गया ताकि जोखिम-भारित आस्तियों का अनुमान लगाया जा सके।

5) अलग-अलग बैंकों के लिए प्रक्षेपण

2006-07 के लिए बैंकिंग क्षेत्र की कुल जोखिम-भारित आस्तियों में अलग-अलग बैंकों के लिए आरडब्ल्यूए के बाजार अंश को कुल आस्तियों में उनके अंश के आधार पर ज्ञात किया गया तथा अगले पांच वर्षों में वही अंश लागू किया गया।

क्षेत्र के बैंकों द्वारा, 23,319 करोड़ रुपए (कुल का 4.1 प्रतिशत) निजी क्षेत्र के पुराने बैंकों द्वारा, 1,13,180 करोड़ रुपए (कुल का 19.9 प्रतिशत) निजी क्षेत्र के नए बैंकों द्वारा तथा 63,131 करोड़ रुपए (कुल का 11.1 प्रतिशत) विदेशी बैंकों द्वारा अपेक्षित होगा। चूंकि बैंक अपेक्षित स्तर से काफी ऊपर टियर I पूंजी रख रहे हैं, अतः 2007-12 की अवधि के दौरान बैंकिंग क्षेत्र के लिए टियर I पूंजी अपेक्षाएं बढ़कर 2,33,564 करोड़ रुपए होने का अनुमान था, तथा इस स्थिति में शेष राशि टियर II पूंजी से प्राप्त होगी। अगले 5 वर्षों के लिए टियर I पूंजी की अपेक्षाएं सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा 1,55,569 करोड़ रुपए, निजी क्षेत्र के पुराने बैंकों द्वारा 8,178 करोड़ रुपए, निजी क्षेत्र के नए बैंकों द्वारा 49,278 करोड़ रुपए तथा विदेशी बैंकों द्वारा 20,540 करोड़ रुपए होने का अनुमान था। विदेशी बैंकों तथा निजी क्षेत्र के नए बैंकों को 9 प्रतिशत सीआरएआर प्राप्त करने के लिए मार्च 2008 को समाप्त वर्ष के लिए अतिरिक्त पूंजी की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि उनकी मौजूदा पूंजी निधियां टियर I संबंधी अपेक्षाएं पूरी करने के लिए पर्याप्त होंगी। तथापि, उन्हें टियर II पूंजी निधियां जुटाना पड़ सकता है।

5.159 2007-08 के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों की टियर I पूंजी अपेक्षाएं 12 प्रतिशत सीआरएआर पर कम होने का अनुमान है। तथापि, अगले 5 वर्षों में हर अगले साल उनमें वृद्धि होगी (सारणी 5.11)।

5.160 जहां तक राष्ट्रीयकृत बैंकों की पूंजी अपेक्षाओं का वित्तपोषण करने का संबंध है, यह देखा गया कि विगत 5 वर्षों में टियर I पूंजी अपेक्षा में हुई वृद्धि अधिकतर लाभ के विनियोजन द्वारा पूरी की गई, जबकि टियर II पूंजी में हुई वृद्धि प्रमुखतया बट्टाकृत गौण ऋण के जरिए पूरी की गई।

सारणी 5.10 : जोखिम-भारित आस्तियां तथा पूंजी अपेक्षाएं - परिदृश्य I के अंतर्गत अनुमान (9 प्रतिशत सीआरएआर)

(करोड़ रुपए)

मार्चांत / बैंक समूह	अनुमानित जोखिम-भारित आस्तियां	परिदृश्य II (पूंजी अपेक्षा - 9 प्रतिशत समग्र तथा 4.5 प्रतिशत टियर I)			
		अनुमानित पूंजी अपेक्षा	अनुमानित टियर I पूंजी अपेक्षा	कुल पूंजी में अपेक्षित वृद्धि	टियर I पूंजी में अपेक्षित वृद्धि
1	2	3	4	5	6
अनुसूचित वाणिज्य बैंक					
2008	33,97,383	3,05,764	1,52,882	20,024	799
2009	42,39,008	3,81,511	1,90,755	69,541	8,821
2010	50,61,643	4,55,548	2,27,774	93,070	25,829
2011	60,41,344	5,43,721	2,71,860	1,09,604	40,031
2012	72,07,788	6,48,701	3,24,350	1,22,830	50,964
सरकारी क्षेत्र के बैंक					
2008	22,12,938	1,99,164	99,582	7,786	430
2009	27,61,143	2,48,503	1,24,251	46,582	5,866
2010	32,96,979	2,96,728	1,48,364	48,225	17,832
2011	39,35,122	3,54,161	1,77,080	57,433	27,124
2012	46,94,903	4,22,541	2,11,271	68,380	33,893
निजी क्षेत्र के पुराने बैंक					
2008	1,38,005	12,420	6,210	1,254	370
2009	1,72,192	15,497	7,749	2,582	388
2010	2,05,609	18,505	9,252	2,931	522
2011	2,45,405	22,086	11,043	3,550	1,065
2012	2,92,787	26,351	13,175	4,239	1,655
निजी क्षेत्र के नए बैंक					
2008	6,69,855	60,287	30,143	3,771	0
2009	8,35,796	75,222	37,611	14,430	2,353
2010	9,97,993	89,819	44,910	14,598	6,626
2011	11,91,159	1,07,204	53,602	17,385	8,632
2012	14,21,144	1,27,903	63,951	20,699	10,349
विदेशी बैंक					
2008	3,76,586	33,893	16,946	3,827	0
2009	4,69,876	42,289	21,144	7,428	214
2010	5,61,062	50,496	25,248	7,786	849
2011	6,69,658	60,269	30,135	9,301	3,209
2012	7,98,953	71,906	35,953	11,177	5,067

2006-07 में कुल टियर I पूंजी का 86.0 प्रतिशत आरक्षित निधियों से प्राप्त हुआ (सारणी 5.12)। अतः यह संभव है कि अगले 5 वर्षों में बैंक अपनी टियर I पूंजी अपेक्षाएं अधिकतर आरक्षित निधियों के जरिए पूरी कर सकें।

5.161 कुछ बैंकों के लिए गुंजाइश भी उपलब्ध है क्योंकि इन बैंकों में सरकार की शेयरधारिता 51 प्रतिशत की न्यूनतम अपेक्षा से काफी अधिक थी। राष्ट्रीयकृत बैंकों को उपलब्ध कुल गुंजाइश 2,637 करोड़ रुपए की थी, जिसका अर्थ यह हुआ कि राष्ट्रीयकृत बैंक 5,171 करोड़ रुपए तक बाजार से जुटा सकते थे तथा फिर भी उनकी सरकारी शेयरधारिता 51 प्रतिशत रहती (सारणी 5.13)। तथापि, 20 राष्ट्रीयकृत बैंकों (आइडीबीआइ सहित) में से, यह गुंजाइश काफी मात्रा तक (100 करोड़ रुपए से ऊपर) सिर्फ छः बैंकों को उपलब्ध थी।

5.162 चूंकि अगले 5 वर्षों में बैंकों की पूंजी अपेक्षाओं का एक बड़ा हिस्सा आंतरिक संसाधनों अर्थात, आरक्षित निधियों तथा अधिशेष में वृद्धि, से पूरा होने का अनुमान है, अतः बैंकों से यह अपेक्षित होगा कि वे पूंजी के अवशिष्ट छोटे हिस्से के लिए ही पूंजी बाजार का दोहन करें।

सारणी 5.11 : जोखिम-भारित आस्तियों में वृद्धि तथा पूंजी अपेक्षाएं - परिदृश्य II के अंतर्गत अनुमान (12 प्रतिशत सीआरएआर)

(करोड़ रुपए)

मार्चांत / बैंक समूह	अनुमानित जोखिम-भारित आस्तियां	परिदृश्य II (पूंजी अपेक्षा - 12 प्रतिशत समग्र तथा 6 प्रतिशत टियर I)			
		अनुमानित पूंजी अपेक्षा	अनुमानित टियर I पूंजी अपेक्षा	कुल पूंजी में अपेक्षित वृद्धि	टियर I पूंजी में अपेक्षित वृद्धि
1	2	3	4	5	6
अनुसूचित वाणिज्य बैंक					
2008	33,97,383	4,07,686	2,03,843	1,13,617	17,273
2009	42,39,008	5,08,681	2,54,341	1,00,407	41,697
2010	50,61,643	6,07,397	3,03,699	98,220	47,189
2011	60,41,344	7,24,961	3,62,481	1,17,083	57,943
2012	72,07,788	8,64,935	4,32,467	1,39,802	69,462
सरकारी क्षेत्र के बैंक					
2008	22,12,938	2,65,553	1,32,776	71,418	11,510
2009	27,61,143	3,31,337	1,65,669	65,785	28,740
2010	32,96,979	3,95,637	1,97,819	64,300	31,443
2011	39,35,122	4,72,215	2,36,107	76,577	38,289
2012	46,94,903	5,63,388	2,81,694	91,174	45,587
निजी क्षेत्र के पुराने बैंक					
2008	1,38,005	16,561	8,280	4,845	900
2009	1,72,192	20,663	10,332	4,058	956
2010	2,05,609	24,673	12,337	3,986	1,417
2011	2,45,405	29,449	14,724	4,747	2,142
2012	2,92,787	35,134	17,567	5,661	2,763
निजी क्षेत्र के नए बैंक					
2008	6,69,855	80,383	40,191	23,362	4,444
2009	8,35,796	1,00,296	50,148	19,913	9,713
2010	9,97,993	1,19,759	59,880	19,464	9,732
2011	11,91,159	1,42,939	71,470	23,180	11,590
2012	14,21,144	1,70,537	85,269	27,598	13,799
विदेशी बैंक					
2008	3,76,586	45,190	22,595	13,993	419
2009	4,69,876	56,385	28,193	10,651	2,288
2010	5,61,062	67,327	33,664	10,470	4,597
2011	6,69,658	80,359	40,179	12,579	5,923
2012	7,98,953	95,874	47,937	15,369	7,313

परिदृश्य I के तहत लगाए गए अनुमानों के अनुसार, सरकारी क्षेत्र के बैंकों को टियर I पूंजी अपेक्षाओं के लगभग 30 प्रतिशत की जरूरत होगी जिसे अगले 5 वर्षों में आरक्षित निधियों एवं अधिशेष में हुई वृद्धि से इतर संसाधनों से जुटाना होगा ताकि 4.5 प्रतिशत की न्यूनतम टियर I पूंजी अपेक्षा पूरी की जा सके। यह अपेक्षा परिदृश्य II के तहत बढ़कर लगभग 40 प्रतिशत होने का अनुमान है, जिसमें सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा पूरी की जानेवाली टियर I पूंजी अपेक्षा 6.0 प्रतिशत होना अनुमानित है। इस अपेक्षा को नवोन्मेष शाश्वत ऋण लिखतों (आइपीडीआइ) तथा शाश्वत असंचयी अधिमान शेयरों (पीएनसीपीएस) के तहत उपलब्ध गुंजाइश का उपयोग करके पूरा किया जा सकता है। इसके अलावा, कुछ बैंक, जहां सरकार की शेयरधारिता 51 प्रतिशत से अधिक है, बाजार से पूंजी जुटाने के लिए उपलब्ध गुंजाइश का उपयोग कर सकते हैं।

5.163 बैंकों को टियर I पूंजी के 40 प्रतिशत तक नवोन्मेष शाश्वत ऋण लिखतों तथा शाश्वत असंचयी अधिमान शेयरों (15 प्रतिशत आइपीडीआइ तथा 25 प्रतिशत पीएनसीपीएस; बैंक 40 प्रतिशत की पूरी सीमा का उपयोग पीएनसीपीएस के लिए कर सकते हैं तथा इस मामले में वे आइपीडीआइ से पूंजी नहीं जुटा सकेंगे) से पूंजी जुटाने की भी अनुमति है। मार्च 2007 के

सारणी 5.12 : पूंजी का संयोजन - राष्ट्रीयकृत बैंक

मद / वर्ष	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
	राशि करोड़ रु. में					संबंधित जोड़ में हिस्सा (प्रतिशत)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
क. पूंजी निधि (I+II)	44,676	55,483	75,422	97,749	129,089	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
i) टियर 1 पूंजी	28,066	32,827	46,050	72,172	84,190	62.8	59.2	61.1	73.8	65.2
जिसमें से:										
क)प्रदत्त पूंजी	13,140	13,640	14,423	11,444	11,381	46.8	41.6	31.3	15.9	13.5
ख)आरक्षित निधि	21,172	25,291	37,984	61,233	72,400	75.4	77.0	82.5	84.8	86.0
ग)अनाबंटित / प्रेषणयोग्य अधिशेष	741	763	1,748	2,729	3,417	2.6	2.3	3.8	3.8	4.1
घ)टियर I पूंजी के लिए कटौतियां	6,986	6,866	8,105	3,234	3,006	24.9	20.9	17.6	4.5	3.6
ङ)शेयर प्रीमियम (वर्ष के दौरान)	383	940	3,040	5,004	696	1.4	2.9	6.6	6.9	0.8
ii) टियर II पूंजी	16,610	22,656	29,372	25,577	44,899	37.2	40.8	38.9	26.2	34.8
जिसमें से:										
क) बट्टागत गौण ऋण	9,452	10,764	14,444	20,157	27,936	56.9	47.5	49.2	78.8	62.2
ख)निवेश घर-बढ़ आरिक्षित निधि	4,121	8,827	10,751	72	–	24.8	39.0	36.6	0.3	0.0

अंत में राष्ट्रीयकृत बैंकों के लिए इन लिखतों के तहत 33,676 करोड़ रुपए की कुल गुंजाइश थी (सारणी 5.14)। तथापि, कुछ बैंकों द्वारा इन लिखतों के तहत पहले से जुटाई गई पूंजी की मात्रा तक उक्त गुंजाइश कम हो जाएगी। इस प्रकार, 12 प्रतिशत सीआरएआर पर अगले 5 वर्षों के दौरान

सारणी 5.13 : सरकारी इक्विटी तथा उपलब्ध गुंजाइश - राष्ट्रीयकृत बैंक

(मार्च 2007 के अंत में)

(करोड़ रुपए में)

बैंक	सरकारी / भारिबैं की शेयरधारिता (प्रतिशत)	कुल प्रदत्त पूंजी	सरकार द्वारा धारित कुल प्रदत्त पूंजी	51 प्रतिशत से अधिक सरकार की धारिता	सरकारी इक्विटी को 51प्रतिशत तक घटाकर पूंजी जुटाने का विकल्प
1	2	3	4	5	6
राष्ट्रीयकृत बैंक		**11,381**	**8,441**	**2,637**	**5,171**
इलाहाबाद बैंक	55.2	447	247	19	37
आंध्रा बैंक	51.6	485	250	3	6
बैंक ऑफ बड़ौदा	53.8	366	197	10	20
बैंक ऑफ इंडिया	69.5	488	339	90	177
बैंक ऑफ महाराष्ट्र	76.8	431	331	111	218
केनरा बैंक	73.2	410	300	91	178
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया	100.0	1,124	1,124	551	1,080
कारपोरेशन बैंक	57.2	143	82	9	17
देना बैंक	51.2	287	147	1	1
आइडीबीआइ लि.	52.7	724	382	12	24
इंडियन बैंक	80.0	830	664	241	472
इंडियन ओवरसीज़ बैंक	61.2	545	333	56	109
ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	51.1	251	128	0	0
पंजाब एण्ड सिंध बैंक	100.0	743	743	364	714
पंजाब नैशनल बैंक	57.8	315	182	21	42
सिंडिकेट बैंक	66.5	522	347	81	159
यूको बैंक	75.0	799	600	192	376
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	55.4	505	280	22	44
युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	100.0	1,532	1,532	751	1,472
विजया बैंक	53.9	434	234	13	25

सारणी 5.14 : अपेक्षित पूंजी (2007-08 से 2011-12) तथा उपलब्ध गुंजाइश - राष्ट्रीयकृत बैंक

(करोड़ रुपए में)

बैंक	9 प्रतिशत पर अपेक्षित पूंजी में कुल वृद्धि	12 प्रतिशता पर अपेक्षित पूंजी में कुल वृद्धि	4.5 प्रतिशत पर अपेक्षित टियर - I पूंजी में कुल वृद्धि	6 प्रतिशत पर अपेक्षित टियर I पूंजी में कुल वृद्धि	सरकारी इक्विटी को घटाकर उपलब्ध गुंजाइश	आइपीडीआइ तथा अधिमान शेयरों के अंतर्गत उपलब्ध गुंजाइश
	मार्च 2007 के अंत से मार्च 2012 के अंत तक				मार्च 2007 के अंत में	
1	2	3	4	5	6	7
राष्ट्रीयकृत बैंक	**1,51,509**	**2,45,041**	**56,109**	**1,02,875**	**5,171**	**33,676**
इलाहाबाद बैंक	6,302	10,233	2,344	4,310	37	1,421
आंध्रा बैंक	4,899	7,721	1,091	2,502	6	1,257
बैंक ऑफ बड़ौदा	13,142	20,945	4,097	7,998	20	3,043
बैंक ऑफ इंडिया	13,647	21,633	6,155	10,148	177	2,330
बैंक ऑफ महाराष्ट्र	3,687	5,915	1,844	2,958	218	600
केनरा बैंक	14,670	24,485	6,873	11,780	178	3,140
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया	8,579	13,242	3,705	6,037	1,080	1,316
कारपोरेशन बैंक	4,706	7,654	759	2,233	17	1,465
देना बैंक	2,759	4,367	1,326	2,130	1	435
आइडीबीआइ लि.	11,600	19,498	3,819	7,768	24	3,211
इंडियन बैंक	3,763	6,407	344	1,666	472	1,449
इंडियन ओवरसीज़ बैंक	7,226	11,982	2,781	5,159	109	1,741
ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	7,308	11,864	1,725	4,002	0	2,043
पंजाब एण्ड सिंध बैंक	1,738	2,850	480	1,036	714	475
पंजाब नैशनल बैंक	16,211	26,159	5,015	9,989	42	3,963
सिंडिकेट बैंक	7,735	12,311	3,679	5,966	159	1,274
यूको बैंक	6,746	10,689	3,372	5,344	376	1,017
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	9,093	14,877	3,648	6,540	44	2,011
युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	3,629	5,817	1,397	2,491	1,472	754
विजया बैंक	4,068	6,394	1,655	2,818	25	733

राष्ट्रीयकृत बैंकों की 1,02,875 करोड़ रुपए की अनुमानित टियर I पूंजी अपेक्षाओं की तुलना में बैंकों के पास पहले से ही 38,847 करोड़ रुपए तक की गुंजाइश है तथा उनकी टियर I पूंजी बढ़ने पर आइपीडीआइ तथा पीएनसीपीएस के तहत अधिक गुंजाइश उपलब्ध होगी। सर्वाधिक महत्वपूर्ण यह है कि अतीत में बैंक बड़ी मात्रा तक लाभ के विनियोजन पर निर्भर रहे(मार्च 2007 के अंत में टियर I पूंजी अपेक्षाओं का लगभग 86 प्रतिशत आरक्षित निधियों द्वारा पूरा किया गया जैसा कि पहले बताया गया है, तथा यह संभव है कि भविष्य में बैंक ऐसा करना जारी रखें।

VI. भावी दिशा

5.164 बासेल II में एक नए जोखिम के प्रति संवेदनशील ढांचे को परिभाषित किया गया है, जिसमें तीन परस्पर प्रबलित करनेवाले ऐसे स्तंभ हैं जो वित्तीय प्रणाली की सुरक्षा और सुदृढ़ता में अंशदान कर सकते हैं। यद्यपि भारतीय बैंकिंग क्षेत्र को समर्थक संस्थागत एवं विनियामक वातावरण से लाभ मिला है जैसाकि उनके स्वस्थ और स्थिर वित्तीय प्रोफाइल में प्रतिबिंबित होता है, कुछ कमजोरियों का समाधान, विशेष रूप से बासेल II मानकों को लागू करने की चल रही प्रक्रिया को देखते हुए, अभी भी करने की जरूरत है।

5.165 भारत ने वर्तमान में ऋण जोखिम के लिए मानकीकृत दृष्टिकोण तथा स्तंभ 1 के तहत मूल संकेतक दृष्टिकोण अपनाया है। बैंकों तथा रिज़र्व बैंक दोनों के द्वारा पर्याप्त कौशल विकसित किए जाने के बाद, कुछ बैंकों को बासेल II ढांचे के तहत उपलब्ध उन्नत दृष्टिकोणों के प्रति अंतरित होने की अनुमति दी जा सकती है। बैंकों तथा रिज़र्व बैंक दोनों में क्षमता निर्माण, विशेष रूप से उन्नत दृष्टिकोण अपनाने के संबंध में, एक गंभीर चुनौती है। इसके अलावा, कई अन्य मुद्दों का समाधान करने की भी जरूरत है ताकि बासेल II के लाभ को अधिकतम करना सुनिश्चित किया जा सके।

बैंकों में बासेल II का कार्यान्वयन

5.166 जहां तक पूंजी पर्याप्तता मानदंडों का संबंध है, वाणिज्यिक बैंक, सहकारी बैंक तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अलग-अलग स्तरों पर रखे गए हैं। वित्तीय प्रणाली में गैर बासेल संस्थाओं [आरआरबी तथा सहकारी संस्थाएं यथा राज्य सहकारी बैंक (एसटीसीबी) और जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक (डीसीसीबी)] का एक छोटा हिस्सा है, अतः प्रणालीगत परिप्रेक्ष्य से वह महत्वपूर्ण नहीं है। तथापि, बासेल II के कार्यान्वयन के

प्रति त्रिपक्षीय दृष्टिकोण, जिसे भारत में अपनाया गया है, बैंकिंग प्रणाली के भीतर विनियामक अंतरपणन के लिए गुंजाइश छोड़ सकता है। गैर बासेल संस्थाएं जनता से जमाराशियां स्वीकार करती हैं, जमा बीमा का लाभ उठाती हैं तथा भुगतान प्रणाली का अंग हैं। अतः आगे चलकर नीतिगत उद्देश्य यह होना चाहिए कि विनियामक अंतरपणन की गुंजाइश कम की जाए तथा साथ ही एक नाजुक संतुलन बनाए रखा जाए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इससे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में संबंधित विनिर्दिष्ट भूमिकाएं निभाने अर्थात, गुरुतर वित्तीय समावेशन की प्राप्ति, विकासात्मक भूमिका निभाने, तथा उपेक्षित क्षेत्रों को ऋण सुपुर्दगी की वाहिकाओं के रूप में कार्य करने से गैर बासेल संस्थाओं को अवरुद्ध न किया जाए। विनियामक अंतरपणन कम करने के पहले उपाय के रूप में, यह महसूस किया जाता है कि गैर बासेल संस्थाओं को बासेल I मानदंड के अधीन लाया जाए। शहरी सहकारी बैंक (यूसीबी) ऋण जोखिम के लिए पहले से ही बासेल I के तहत हैं। आरआरबी तथा ग्रामीण सहकारिताओं जैसे अन्य बैंकों को उस समय नए प्रोडक्ट और कारोबार शुरू करने के लिए अधिक लचीलापन प्रदान किया जाए जब वे बासेल I के अनुपालन का निर्णय करें। ग्रामीण सहकारिताओं के लिए पुनःपूंजीकरण और सुधार के पैकेज का कार्यान्वयन किया जा रहा है, जिसके तहत केंद्र और राज्य सरकारों से प्राप्त बजट समर्थन के जरिए पुनःपूंजीकरण किए जाने के अलावा बासेल I की पूंजी अपेक्षाएं चरणबद्ध तौर पर पूरी करने पर विचार किया जा रहा है। इसके अलावा, ग्रामीण सहकारी ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए तथा यह सुनिश्चित करने के लिए, कि इन बैंकों द्वारा वित्तीय अनुशासन बनाए रखा जाए और शीघ्र चेतावनी प्रक्रिया लागू की जाए ताकि कम हो रही पूंजी की समस्याओं का समाधान काफी पहले किया जा सके, भी पहल किए जा रहे हैं। अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के लिए बासेल II मानदंडों को लागू करने का अनुभव प्राप्त करने के बाद, अन्य बैंकों के लिए बासेल II मानदंड लागू करने के बारे में दृष्टिकोण बनाने की जरूरत होगी। इन बैंकों द्वारा बासेल II मानदंडों का अनुपालन किए जाने पर उनके साथ वाणिज्य बैंकों जैसा व्यवहार किए जाने की जरूरत होगी।

5.167 बासेल II के कार्यान्वयन के बाद उत्पन्न होनेवाला एक और संभावित परिदृश्य वित्तीय क्षेत्र के प्रतिस्पर्धी घटकों अर्थात बैंकिंग, प्रतिभूति और बीमा क्षेत्रों के बीच विनियामक युग में असममिति है। बासेल II वाणिज्य बैंकिंग क्षेत्र के साथ, तीन व्यापक खंडों विशेष रूप से बैंकिंग और बीमा क्षेत्र के बीच विनियामक अंतरपणन की कुछ गुंजाइश मौजूद रहेगी। संयुक्त मंच[7] ने इस दिशा में कुछ पहल किए हैं,जिनका अनुसरण आगे किया जाना है ताकि वित्तीय मध्यस्थता के कारोबार के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा करनेवाले तीनों क्षेत्रों के बीच विनियामक भार के स्तर में कुछ समता प्राप्त की जा सके।

प्रचक्रीयता का शमन

5.168 बासेल II के कार्यान्वयन का प्रतिकूल परिणाम बैंकों का प्रचक्रीय व्यवहार हो सकता है। अतः भारत की समष्टि अर्थव्यवस्था पर इसके प्रतिकूल प्रभाव से रक्षा करने की जरूरत है। इस प्रकार का एक उपाय अधिक तनावपूर्ण आर्थिक स्थितियों के आधार पर पूंजी रखना है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि आर्थिक गिरावट की अवधि में बैंक पर्याप्त पूंजी रखें। बासेल II में तनाव परीक्षण की अपेक्षा निहित होती है जिसमें बैंकों को अपने संविभागों का अनुसरण करना चाहिए ताकि यह समझा जा सके कि आर्थिक चक्र, विशेष रूप से गिरावट की स्थितियों में, किस प्रकार जोखिम आधारित पूंजी अपेक्षाओं को प्रभावित करते हैं। साथ ही, त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) ढांचे के तहत जो पर्यवेक्षणात्मक कार्रवाइयों को घनिष्ठ तौर पर, अन्य बातों के साथ-साथ, बैंक के पूंजी अनुपात के साथ जोड़ता है, रिज़र्व बैंक से यह अपेक्षा है कि वह बैंकों के विरुद्ध उनके जोखिम आधारित पूंजी अनुपात में गिरावट होने पर अधिकाधिक कड़ी सुधारात्मक कार्रवाई करे। इसका प्रयोजन यह सुनिश्चित करना है कि वित्तीय रूप से संकटग्रस्त बैंकों की समस्याओं को दूर करने के लिए समय पर विनियामक कार्रवाई की जाती है। अतः निर्धारित अनुपात के काफी ऊपर न्यूनतम पूंजी अपेक्षाएं बनाए रखने के लिए बैंकों के पास सुदृढ़ प्रोत्साहन है जैसाकि कई बैंकों ने अतीत में किया है। यह आशा है कि भविष्य में बैंक अपनी विनियामक पूंजी की स्थिति का प्रबंधन इस रूप में करेंगी ताकि आर्थिक गिरावट के दौरान वे पर्याप्त रूप में पूंजीकृत बने रहें ताकि उन्हें पूंजी चुकाने की जरूरत न पड़े। इससे यह सुनिश्चित होगा कि बैंकों की पूंजी अपेक्षाकृत स्थिर रहेगी जबकि अपेक्षित पूंजी और वास्तविक पूंजी के बीच कुशन में आर्थिक चक्र के दौरान बदलाव आएगा।

उन्नत दृष्टिकोण लागू करने के पूर्व के रक्षोपाय

5.169 रिज़र्व बैंक ने पहले ही संकेत दिया है कि उचित समय पर उन्नत दृष्टिकोणों की अनुमति दी जाएगी। पर्याप्त लागत तथा उन्नत दृष्टिकोणों की जटिलता तथा उनसे जुड़ी अनिश्चितताओं और जोखिमों को देखते हुए, इस प्रकार के दृष्टिकोणों की अनुमति देने के पहले पर्याप्त रक्षोपाय करने की जरूरत है। पहला, बासेल II मॉडल द्वारा उत्पन्न पूंजी अपेक्षाओं की उपयुक्तता अंशतः बैंकों द्वारा प्रयोग की गई आंकड़ा निविष्टियों की पर्याप्तता पर निर्भर होती है। बैंकों को अपने मॉडलों पर विचार करने के लिए तनावपूर्ण आर्थिक अवधि संबंधी आंकड़ों की भी जरूरत होगी। तथापि, इन आंकड़ा पर्याप्तता संबंधी चुनौतियों का तथा सभी संविभागों के लिए उन्नत दृष्टिकोणों का उपयोग करने संबंधी बैंक की योग्यता पर उनके प्रभाव का समाधान करने के लिए, रिज़र्व बैंक को यह

[7] बैंकिंग,प्रतिभूति और बीमा क्षेत्रों के लिए सामान्य मुद्दों, वित्तीय संगुटों के विनियमन सहित, से निपटने के लिए बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासेल समिति (बीसीबीएस), प्रतिभूति आयोगों के अंतरराष्ट्रीय संगठन (आइओएसओ) तथा बीमा पर्यवेक्षकों के अंतरराष्ट्रीय संघ (आइएआइएस) के पर्यवेक्षण में 1996 में संयुक्त मंच की स्थापना की गई।

निर्णय लेना होगा कि जब कतिपय संविभागों की जोखिमों का आकलन करने के लिए पर्याप्त आंकड़ा सीमित हो तो उन्नत दृष्टिकोणों के प्रति जाने की अनुमति देने के लिए क्या बैंकों की पहचान की जाए और कैसी की जाए। सीमित आंकड़ों की उपलब्धता तथा उन्नत दृष्टिकोणों का अनुसरण करने के लिए बैंकों को अनुमति देने के पूर्व आर्थिक गिरावट की स्थितियों को एलजीडी अनुमानों में समाविष्ट करने के उद्योग के अनुभव के अभाव का समाधान करने की जरूरत होगी। दूसरा, जहां उन्नत दृष्टिकोण अधिक दक्ष रूप में पूंजी के उपयोग की अनुमति देते हैं, यह संभव है कि 9 प्रतिशत का निर्धारित अनुपात बैंकों द्वारा जारी रखने के बावजूद पूंजी की अपेक्षाओं में उल्लेखनीय गिरावट आए। इस प्रकार यदि बैंक जोखिम भारित आस्तियों के संबंध में 9 प्रतिशत का न्यूनतम निर्धारित अनुपात बनाए भी रखें, तो भी बैंकों द्वारा रखी जानेवाली पूंजी की कुल मात्रा उन्नत दृष्टिकोणों के तहत उल्लेखनीय रूप से कम हो सकती है। अतः शायद यह वांछनीय होगा कि न्यूनतम लीवरेज अनुपात (कुल आस्तियों की तुलना में पूंजी) निर्धारित किया जाए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि बैंकों द्वारा धारित पूंजी माप संबंधी दृष्टिकोणों से निरपेक्ष उसके परिचालनों के कुल आकार के किसी अनुपात में है। कुछ लोग यह तर्क दे सकते हैं कि इससे जोखिम के प्रति संवेदनशील पूंजी अपेक्षाओं को विनिर्दिष्ट करने का प्रयोजन पूरा नहीं होगा। तथापि, लीवरेज अनुपात तथा जोखिम-संवदेनशील अनुपात को पूरक के रूप में देखा जाना चाहिए। जिस तरह से जोखिम संवेदनशील अनुपात सामान्य लीवरेज अनुपात की कमजोरी को प्रतितुलित करता है, उसी तरह लीवरेज अनुपात में जोखिम आधारित अनुपात की कमजोरियों को प्रतितुलित करने की संभाव्यता है। उदाहरण के लिए, बासेल II ढांचे के तहत आनेवाले कुछ बैंक कृषि तथा एसएमई क्षेत्रों को उधार नहीं देंगे क्योंकि उन्हें जोखिमपूर्ण माना जाता है तथा बैंक सिर्फ कम जोखिमवाला संविभाग पसंद करेंगे। ऐसे मामलों में जोखिम संवदेनशीलता को कुछ कम करके लीवरेज अनुपात जोखिमपूर्ण माने गए क्षेत्रों को उधार देने के लिए बैंकों को प्रोत्साहित कर सकता है। कम जोखिम प्रोफाइल वाले बैंकों के लिए लीवरेज अनुपात जोखिम संवदेनशील बासेल II अपेक्षाओं की तुलना में उच्चतर हो सकता है। यहां यह भी नोट किया जाए कि अमरीका में ऐतिहासिक रूप से लीवरेज अनुपात (तुलनपत्र वाली आस्तियों के प्रति सामान्य पूंजी अनुपात) अपनाया गया है तथा इसने बासेल I के बाद भी लीवरेज अनुपात लागू करना जारी रखा और उसका कहना है कि बासेल II के तहत भी बैंक लीवरेज अनुपात के अधीन बने रहेंगे। रिज़र्व बैंक ने बैंकों को सूचित किया है कि उनके द्वारा रखी जानेवाली न्यूनतम पूंजी विवेकपूर्ण निचले स्तर के अधीन होनी चाहिए। तथापि, ऐसी अपेक्षा संशोधित बासेल II ढांचे के पहले तीन साल के दौरान ही की जाएगी। बैंकों को एक बार कुछ लीवरेज अनुपात के भी अधीन लाए जाने पर, यह सुनिश्चित होगा कि उनके द्वारा रखी गई पूंजी कतिपय स्तर के नीचे न जाए। तीसरा, उन्नत दृष्टिकोण लागू करने में रिज़र्व बैंक को मुद्दों की बढ़ी हुई जटिलता से निपटना होगा। रिज़र्व बैंक को बैंकों द्वारा अपनाए गए मॉडलों के वैधीकरण सहित अधिकाधिक जटिल मुद्दों पर निर्णय लेना होगा। लचीलेपन की अनुमति दिए जाने के कारण सभी बैंकों में सुसंगत तौर पर बासेल II संबंधी अपेक्षाओं को लागू करना भी एक चुनौती होगी। इस चुनौती से सफलतापूर्वक निपटने के लिए, मात्रात्मक तकनीकों पर ध्यान केंद्रित करते हुए उपयुक्त मानव संसाधन कौशल विकसित करना जरूरी होगा। इस प्रकार, उन्नत दृष्टिकोणों के साथ आगे बढ़ने पर संभाव्य रूप से कुछ जोखिमें आ सकती हैं, प्रस्तावित रक्षोपाय तथा लीवरेज अनुपात विनिर्दिष्ट करने से संभाव्य ऋणात्मक प्रभावों को कम करने में मदद मिलनी चाहिए।

रेटिंग एजेंसियों की भूमिका

5.170 भारत में अपनायी गयी ऋण जोखिम के लिए मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत, संविभाग के बाह्य रेटिंग मूल्यांकन द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका अदा की जानी होगी। रेटिंग के सीमित प्रवेश तथा विभिन्न आस्तियों के लिए विश्वसनीय रेटिंग के अभाव को देखते हुए, भारतीय बैंकिंग उद्योग बासेल II के लचीलेपन का पूर्ण दोहन करने में समर्थ नहीं होगा। हाल के सब-प्राइम बंधक ऋण संकट में रेटिंग एजेंसियों की भूमिका की भी जांच की जा रही है। रेटिंग की वास्तविक व्याप्ति के बारे में भी कुछ भ्रम उत्पन्न हो गया है। जहां रेटिंग एजेंसियां ऋण जोखिम के आकलन के लिए भी स्वयं को जिम्मेदार मानती हैं, कई निधि प्रबंधक, विशेष रूप से अल्पावधि निवेश निधि, यह आशा कर सकते हैं कि रेटिंग द्वारा उनके निवेशों से संबंधित सभी जोखिमों (उल्लेखनीय रूप से तरलता जोखिम) को शामिल किया जाएगा। दूसरी गलतफहमी रेटिंग संरचनागत उत्पादों के लिए रेटिंग एजेंसियों द्वारा उपयोग किए गए माप से उत्पन होती है, जो प्रस्तुतीकरण में परंपरागत बांड उत्पादों से मिलता-जुलता है। एक सीडीओ को तथा एक कंपनी बांड को एएए रेटिंग देने के परिणाम एक समान नहीं होते हैं। एक संरचनागत उत्पाद के लिए एएए रेटिंग की संभाव्य अस्थिरता, विशेष रूप में, परंपरागत उत्पाद की तुलना में अधिक गुरुतर होती है (उसी परिमाण के आघात के लिए, अन्य सभी बातें समान होने पर)। संरचनागत उत्पादों का निर्माण सह-संबंधों और लीवरेज के आधार पर होता है। यदि एक अधिक जोखिमपूर्ण श्रृंखला चूक द्वारा प्रभावित होती है, तो दूसरी श्रृंखलाओं का मूल्य (तथा रेटिंग) भी उनके गौण स्तर में कमी के जरिए संसर्ग द्वारा प्रभावित होगा। इन्हें ध्यान में रखते हुए अन्य बातों के साथ तीन क्षेत्रों में संभावित सुधारों के बारे में भविष्य में विचार किया जा सकता है। पहला, रेटिंग की पद्धतियों में तथा प्रतिभूतिकरण की प्रक्रिया में रेटिंग एजेंसियों की समग्र भूमिका में अधिक पारदर्शिता होनी चाहिए। दूसरा, बांड तथा संरचनागत उत्पादों की रेटिंग के लिए उपयोग किए गए माप में उल्लेखनीय अंतर किया जाना चाहिए ताकि या तो संरचनागत उत्पादों के लिए अन्य रेटिंग पैमाना अपनाकर (उदाहरण के लिए अन्य चिह्न के साथ) अथवा विशेष रूप से बाजार या चलनिधि तनाव के समय में इसकी अस्थिरता पर क्रेडिट रेटिंग में अतिरिक्त माप शामिल कर रेटिंग के महत्व में अंतर किया जा सके। इसके अलावा, तरलता जोखिम के लिए भी विशिष्ट रेटिंग की खोज की जरूरत है, हालांकि इस प्रकार के अभ्यास में कठिनाइयां हैं। रेटिंग एजेंसियों के कार्यकलापों में

हितों के संभाव्य टकराव संबंधी मुद्दे भी उठाए गए हैं क्योंकि उन्हें उन्हीं संस्थाओं द्वारा भुगतान किया जाता है जिनकी वे रेटिंग करते हैं। अतः रेटिंग एजेंसियों की प्रोत्साहन संरचना को बदलने की जरूरत है।

जोखिम प्रबंधन प्रणालियों का निरंतर अपग्रेडेशन

5.171 यद्यपि भारत स्थित बैंक रिज़र्व बैंक के विनियामक पहलुओं के निदेश के अनुसार बासेल II ढांचे के तहत अपनी जोखिम प्रबंधन प्रणालियों को अपग्रेड कर रहे हैं, सुदृढ़ जोखिम प्रबंधन प्रस्तावों के कार्यान्वयन को अपने आप में उद्देश्य नहीं माना जाना चाहिए अपितु इसे ऐसे साधन के रूप में देखा जाना चाहिए जिसके द्वारा बैंकों में बदलते हुए वातावरण के अनुरूप जोखिम प्रबंधन प्रणालियों को निरंतर अपग्रेड किया जा सके। हाल के उथल-पुथल से इसका महत्व स्पष्ट तौर पर दिखाई देता है, जिसने ऋण, बाजार चलनिधि तथा निधीयन चलनिधि जोखिमों के बीच ऐसी अंतःक्रियाओं को सामने लाया जिसकी आशा कई विनियमित वित्तीय संस्थाओं ने नहीं की थी। मूल्यन, जोखिम प्रकटीकरण और लेखांकन होने पर, हाल के उथल-पुथल ने जटिल उत्पादों की पारदर्शिता और उनके मूल्यन की कमियों को उजागर कर दिया है। इसने संबंधित तुलनपत्र बाह्य संस्थाओं के समेकन के लिए सिद्धांतों और प्रथाओं के बारे में चिंताएं भी उत्पन्न कर दी हैं। बैंकिंग में कई जोखिम प्रबंधन संबंधी चुनौतियां अंतर्निहित हैं जिनके लिए सतर्कतापूर्वक पहचान और ध्यान दिया जाना अपेक्षित है। सर्वाधिक मूल जोखिम प्रबंधन चुनौतियों में से एक जोखिमों के संकेंद्रण से संबंधित है। शताब्दियों से जोखिम प्रबंधन तकनीक विकसित होने के साथ बैंकर जोखिम संकेंद्रणों की पहचान, उनकी माप तथा उनके प्रबंधन में अधिक दक्ष हो गए, परंतु संकेंद्रणों द्वारा प्रस्तुत मूल समस्या - कि हानियां एक ही समय में हो सकती हैं - अभी भी मौजूद है, सामान्य तौर पर उसके गैर अनुकूल परिणाम हैं। सामान्य समय में जोखिम संकेंद्रण छुपे हुए हो सकते हैं तथा तनाव के समय ही वे स्वयं प्रकट होंगे जब सामान्य समय में कम अथवा ऋणात्मक सहसंबंध रखनेवाले कार्यकलाप या लिखतें चलनिधि के लिए मांग में बाजारव्यापी वृद्धि के साथ अचानक सहसंबद्ध बन जाती हैं, जैसाकि हाल के वित्तीय बाजार संकट में देखा गया।

चलनिधि जोखिम प्रबंधन को सुदृढ़ करना

5.172 कारगर चलनिधि जोखिम प्रबंधन सामान्यतः वित्तीय तनाव की अवधि के दौरान एक चुनौती के रूप में उस समय उभरता है, जब कई बाजार कम तरल होकर कुछ संस्थाओं के लिए उनका निधीयन कठिन बना देते हैं। हाल के महीनों में, चलनिधि जोखिम प्रबंधन से जुड़ी कुछ प्रमुख चुनौतियां अमरीकी सब-प्राइम संकट तथा यू.के. में नॉर्दन रॉक बैंक के संदर्भ में प्रकट हो गईं। सुदृढ़ पूंजी आधारवाले बैंकों को भी चलनिधि की समस्या का अनुभव हुआ क्योंकि उनके पास सुदृढ़ चलनिधि जोखिम प्रबंधन प्रणाली नहीं थी।

5.173 बासेल II के तहत यद्यपि चलनिधि जोखिम स्तंभ 1 जोखिम जैसी व्यक्त नहीं मानी जाती, यह कहा जाता है कि बैंक के स्तंभ 2 आकलन में चलनिधि जोखिम सहित संस्था के सामने मौजूद जोखिमों के सभी रेंज को कवर किया जाना चाहिए। चलनिधि आघातों से उत्पन्न संभाव्य आस्ति विस्तार के लिए पर्याप्त तनाव और परिदृश्य परीक्षण बाजार के प्रतिभागियों को उनके जोखिम प्रोफाइल के बारे में बताने के लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। बीसीबीएस ने हाल के संकट द्वारा पहचानी गई कमजोरियों के आकलन की प्रक्रिया पहले ही शुरू कर दी है ताकि चलनिधि जोखिम प्रबंधन और पर्यवेक्षण के लिए वैश्विक मानक तैयार किए जा सके तथा उसे अन्य जोखिम प्रबंधन क्षेत्रों के साथ अधिक घनिष्ठतापूर्वक समन्वित किया जा सके।

प्रौद्योगिकी की भूमिका

5.174 बासेल II ढांचे का वित्तीय संस्थाओं के आइटी इंफ्रास्ट्रक्चर पर उल्लेखनीय असर है क्योंकि बैंक प्रबंधनों से यह अपेक्षा है कि वे अपने उद्यमों की कारोबारी जरूरतों को उन्हें समर्थित करनेवाली प्रौद्योगिकियों के साथ संरेखित करें। बासेल II अपेक्षा पूरी करने संबंधी आरोह्यता अथवा अनुकूलनीयता का आकलन किए बिना कुछ बैंकों द्वारा मूल बैंकिंग समाधान का कार्यान्वयन चिंता का क्षेत्र हो सकता है। बैंकों के लिए इस संबंध में यह सुनिश्चित करने की चुनौती है कि वे प्रौद्योगिकी में अपने निवेश से अधिकतम लाभ उठा सकें तथा प्रौद्योगिकी को असमन्वित रूप से तथा टुकड़ों में अपनाने; अनुपयुक्त /असंगत प्रौद्योगिकी अपनाने; तथा पुरानी प्रौद्योगिकी अपनाने के कारण होनेवाले व्यर्थ के खर्च को बचा सकें। प्रौद्योगिकी के अलावा, मानव संसाधन के कौशल के वर्तमान स्तरों को भी बैंक स्तर पर अनुपूर्त/ अपग्रेड करना अपेक्षित होगा।

पर्यवेक्षणात्मक कौशल बनाना

5.175 बासेल II के कार्यान्वयन में रिज़र्व बैंक के सामने मानव पूंजी संबंधी कई चुनौतियां हैं। यद्यपि बासेल II के कार्यान्वयन के पर्यवेक्षण के लिए उसी प्रकार के कौशल की जरूरत पड़ती है जैसी हर प्रकार के जोखिम प्रबंधन पर्यवेक्षण के लिए जरूरी होता है, तथापि अतिरिक्त मात्रात्मक कौशल आवश्यक होगा। पर्यवेक्षणात्मक स्टाफ को आंतरिक नियंत्रण समीक्षा, आर्थिक पूंजी, परिचालनात्मक जोखिम तथा क्रेडिट रेटिंग के वैधीकरण सहित कई क्षेत्रों में प्रशिक्षित करना जरूरी होगा। रिज़र्व बैंक ने बासेल II मानदंडों की अपेक्षा के अनुरूप मानव संसाधन कौशल विकसित करने के लिए पहले ही कई उपाय शुरू कर दिए हैं। आगे चलकर, मानव संसाधन कौशल संबंधी अपेक्षाओं की निरंतर समीक्षा करने तथा समय पर उपाय करने की जरूरत पड़ेगी।

सामान्य रिपोर्टिंग टेम्पलेट

5.176 स्तंभ 2 के तहत, बैंक उन आंतरिक जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाओं को विकसित करने में अगुवाई करते हैं जो विनियामक तथा आर्थिक पूंजी के सुदृढ़ अनुमानों का समर्थन करती हैं। स्तंभ 2 के तहत, रिज़र्व बैंक

द्वारा आइसीएएपी प्रलेख में निर्धारित सामान्य रिपोर्टिंग टेंपलेट बैंकों के बीच आसान तुलनीयता सुनिश्चित करेंगे। भविष्य में जोखिम घटकों/परिचालनात्मक हानियों की तुलना/स्व-मूल्यांकन के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा बाह्य बेंचमार्क भी उपलब्ध कराया जा सकेगा।

गुरुतर पारदर्शिता

5.177 जैसे-जैसे बैंक पूंजी बाजारों से अधिकाधिक पूंजी जुटाएंगे, बढ़ी हुई पारदर्शिता तथा बाजार अनुशासन के जरिए स्तंभ 3 अधिक महत्वपूर्ण हो जाएगा। बैंक वैधीकरण और बारंबारता सहित अपने प्रकटीकरण की उपयुक्तता के आकलन के लिए एक प्रणाली बनाने की प्रक्रिया में हैं। इसके अलावा, उल्लिखित कारोबारी उद्देश्यों के संदर्भ में बैंकों से यह अपेक्षा की गई है कि वे रिपोर्टिंग ढांचा/प्रकटीकरण की अभिकल्पना करें तथा जोखिम एवं जोखिम प्रबंधन प्रणालियों के बारे में पब्लिक डोमेन पर जानकारी प्रस्तुत करें। रिज़र्व बैंक द्वारा इस जानकारी का उपयोग बैंकों के बीच तुलना के लिए किया जा सकता है।

गृह मेजबान मुद्दों का समन्वय

5.178 कई देशी बैंक अंतरराष्ट्रीय रूप से सक्रिय हैं। भारत में कई विदेशी बैंक भी कार्यरत हैं। विभिन्न देशों में पर्यवेक्षकों की चिंताओं एवं उनके उद्देश्य में अंतर के कारण बासेल II के कार्यान्वयन से गृह-मेजबान समन्वयन की चुनौती उपस्थित हो सकती है। जहां मेजबान देश के पर्यवेक्षकों को उन अंतरों को समायोजित करने की लागत का सामना करना पड़ता है जिसमें विदेशी बैंक बासेल II का कार्यान्वयन करेंगे, वहीं बैंक तथा गृह देश के पर्यवेक्षकों को मेजबान पर्यवेक्षकों की घुसपैठ, उनके सवालों तथा विशेष नियम की चिंता होती है (बेरनांके, 2004)। इस स्वरूप के जटिल कार्य के प्रबंधन का आदर्श समाधान पर्यवेक्षकों के बीच पारस्परिक सहयोग के जरिए प्राप्त हो सकता है। वस्तुतः उन्होंने अलग-अलग बैंकों के स्तर पर विशेष रूप से स्तंभ 1 (न्यूनतम पूंजी अपेक्षाओं) संबंधी गृह-मेजबान कार्यान्वयन मुद्दों का समन्वय करने में काफी प्रगति की है। बीसीबीएस में समझौता कार्यान्वयन दल (एआइजी) अब स्तंभ 2 (पर्यवेक्षणात्मक समीक्षा प्रक्रिया) पर ध्यान केंद्रित कर रहा है तथा यह स्तंभ 3 (बाजार अनुशासन) पर भी कार्य शुरू करेगा। 'पर्यवेक्षणात्मक परिषद' जैसी चल रही पर्यवेक्षणात्मक व्यवस्थाओं के साथ बासेल II के द्विपक्षीय और बहुपक्षीय रूप में विभिन्न देशों के बीच कार्यान्वयन से पर्यवेक्षकों के बीच अधिक प्रभावी सहयोग तथा सूचनाओं का आदान-प्रदान संभव है। तथापि, आगे चलकर गृह मेजबान समन्वयन मसलों से समय-समय पर तनाव उत्पन्न हो सकते हैं तथा उनसे उपयुक्त रूप में निपटना एक चुनौती होगी (अध्याय X भी देखें)।

VII. सारांश

5.179 बासेल I ने कई सालों से विनियामकों तथा बैंकों की भलीभांति आवश्यकता पूरी की है तथा कई छोटी संस्थाओं की जरूरत इससे पूरी हो रही है। तथापि, बड़े और जटिल बैंकिंग संगठनों के लिए, यह अंतर्निहित जोखिमों के साथ अपेक्षित विनियामक पूंजी को पर्याप्त रूप में संरेखित करने में अधिकाधिक विफल रहा है। बासेल II उन्नत जोखिम प्रबंधन तकनीकों के जरिए अंतर्निहित जोखिमों के साथ पूंजी अपेक्षाओं को संरेखित कर तथा जोखिम प्रबंधन के प्रति अधिक अनुशासित दृष्टिकोण विकसित करने के लिए बैंकों को प्रोत्साहित कर विनियामक पूंजी ढांचे में मूलभूत बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है। अतः बासेल II से बैंकिंग प्रणाली की सुरक्षा और सुदृढ़ता के संवर्धन में मदद मिलेगी। तथापि, हाल में हुए वित्तीय बाजार के उथल-पुथल को देखते हुए, बासेल II के ढांचे में कई आशोधनों का सुझाव दिया गया है। इन उपायों का मूल्यांकन भविष्य में संकट को रोकने की उनकी योग्यता के रूप में किए जाने की जरूरत है। प्रत्यक्ष विनियामक हस्तक्षेपों यथा अधिक पूंजी का अधिदेश देने की आर्थिक लागत हो सकती है, तथा इस संदर्भ में पूंजी बीमा का प्रस्ताव रखा गया है, जिसमें अधिक पूंजी का अंतरण संकटग्रस्त बैंकिंग फर्मों के तुलनपत्रों में करना संभव होगा (कश्यप,रंजन तथा स्टेन, 2008)।

5.180 रिज़र्व बैंक ने भारत में परिचालित विदेशी बैंकों तथा विदेशी उपस्थिति वाले भारतीय बैंकों के मामले में मार्च 2008 को समाप्त वर्ष से ऋण जोखिम के लिए मानकीकृत दृष्टिकोण तथा परिचालनात्मक जोखिम के लिए मूल संकेतक दृष्टिकोण के उपयोग की घोषणा की है। ऐसी आशा है कि अन्य बैंक मार्च 2009 तक बासेल II को अपना लेंगे। बासेल II मानदंडों में कारगर अंतरण सुनिश्चित करने के लिए उपाय शुरू किए गए। वस्तुतः जिन बैंकों को मार्च 2008 को समाप्त वर्ष से इस प्रकार के मानदंड लागू करने थे, उन्होंने सफलतापूर्वक पहले ही ऐसा कर लिया है। अन्य बैंकों के लिए समानांतर उपाय किए जा रहे हैं। चूंकि बैंकों को परिचालनात्मक जोखिम के लिए पूंजी बनाए रखना होगा, पूंजी की समग्र अपेक्षाएं बढ़ने की आशा है, भले ही ऋण जोखिम के लिए अपेक्षित पूंजी में गिरावट हों। वर्तमान में भारत के अधिकांश बैंक निर्धारित स्तर की तुलना में उच्चतर पूंजी पर्याप्तता अनुपात पर कार्य कर रहे हैं। अतः, निकट भविष्य के लिए बासेल II की अपेक्षाएं पूरी करना कोई मुद्दा नहीं होगा। तथापि, आगे चलकर पूंजी अपेक्षाओं को पूरा करना, विशेषतः सरकारी क्षेत्र के बैंकों के लिए, एक प्रमुख चुनौती होगी।

5.181 अगले पांच वर्षों में (मार्च 2008 के अंत से मार्च 2012 के अंत तक) बैंकों द्वारा 12 प्रतिशत सीआरएआर बनाए रखे जाने की कल्पना करते हुए कुल पूंजी अपेक्षाओं में 5,69,129 करोड़ रुपए की वृद्धि होने का अनुमान है। सरकारी क्षेत्र के बैंकों की कुल पूंजी अपेक्षाओं में 3,69,254 करोड़ रुपए की वृद्धि का अनुमान है। तथापि, अतीत में पूंजी अपेक्षाओं के 85 प्रतिशत से अधिक को आरक्षित निधियों से पूरा किया गया था तथा यह संभव है कि भविष्य में बैंक ऐसा करना जारी रखें। इसके अलावा, सरकारी इक्विटी को कम करने तथा नवोन्मेष लिखतों (आइपीडीआइ) तथा अधिमान शेयरों के तहत निधियां जुटाने के लिए भी बैंकों के पास कुछ गुंजाइश है।

5.182 बासेल II के कार्यान्वयन से कार्यान्वयन संबंधी कई चुनौतियां सामने आएंगी। इसके अलावा, आगे चलकर कई अन्य मसलों का समाधान करना पड़ेगा। भारत ने त्रिस्तरीय विधि का अनुसरण किया है, जिसके द्वारा वाणिज्य बैंकों, सहकारी बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को पूंजी पर्याप्तता मानदंडों के मामले में विभिन्न स्तरों पर रखा जाता है। यद्यपि प्रणालीगत दृष्टिकोण से इससे कोई चिंता उत्पन्न नहीं होती, फिर भी यह विनियामक अंतरपणन को जन्म देता है। अतः गैर बासेल संस्थाओं को बासेल I मानदंडों के अधीन लाने की जरूरत है। बाद में, वाणिज्यक बैंकों के मामले में बासेल II ढांचे के कार्यान्वयन से प्राप्त अनुभव के आधार पर अन्य बैंकों के लिए बासेल II मानदंड लागू करने के बारे में राय बनायी जा सकती है। बैंकों का प्रचक्रीय व्यवहार बासेल II मानदंडों की एक गंभीर घटना है, इस प्रकार के व्यवहार को कम करने के लिए, बैंकों के लिए वांछनीय है कि वे निर्धारित न्यूनतम स्तर से अधिक पूंजी रखें ताकि गिरावट के दौरान विभिन्न क्षेत्रों को उनके उधार पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े तथा बाजार से पूंजी जुटाना उनके लिए कठिन न हो। रिज़र्व बैंक ने पहले ही संकेत दिया है कि बैंकों को उचित समय पर उन्नत दृष्टिकोणों की ओर बढ़ने की अनुमति दी जा सकती है। उन्नत दृष्टिकोण जोखिम के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं, अतः उनसे वित्तीय स्थिरता के संवर्धन में मदद मिलेगी। तथापि, ऐसे दृष्टिकोणों के साथ अनिश्चितताएं तथा जोखिम भी जुड़ी हुई हैं। अतः यह जरूरी है कि उन्नत दृष्टिकोणों को अपनाने के पहले पर्याप्त रक्षोपाय किए जाएं। इनमें मानव संसाधन कौशल विकसित करना तथा लीवरेज अनुपात निर्धारित करना शामिल हैं ताकि रखी गई पूंजी में उल्लेखनीय गिरावट न आए। रेटिंग एजेंसियों से संबंधित कुछ मुद्दों का समाधान करने की भी जरूरत है। रेटिंग एजेंसियों के कार्यकलापों में हितों के संभावित टकराव के मुद्दे भी उठाए गए हैं। यद्यपि बैंकों ने जोखिम प्रबंधन प्रथाएं अपनायी हैं, आगे चलकर ऐसी प्रणाली को बदलती मांग के अनुरूप निरंतर अपग्रेड करना होगा। बैंकों के परिचालन में प्रौद्योगिकी की प्रमुख भूमिका बनी रहेगी। इस संबंध में बैंकों के सामने यह सुनिश्चित करने की चुनौती है कि वे प्रौद्योगिकी में अपने निवेश का अधिकतम लाभ उठाएं तथा ऐसे फालतू खर्च को टालें जो प्रौद्योगिकी के असमन्वित और टुकड़ों में अपनाए जाने, अनुपयुक्त/असंगत प्रौद्योगिकी अपनाने तथा पुरानी प्रौद्योगिकी अपनाने के कारण उत्पन्न हो सकता है। अतः बैंकों को यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि उनके द्वारा अपनायी गयी प्रौद्योगिकी उनकी अपेक्षाओं के लिए उपयुक्त है तथा कम खर्चीली है। बासेल II मानदंड के कार्यान्वयन से गृह मेजबान समन्वय मुद्दों पर तनाव उत्पन्न हो सकता है तथा ऐसे तनावों को कम करना एक चुनौती होगी।बासेल II में बासेल I की तुलना में, जो समय बीतने के साथ अधिकाधिक अपर्याप्त होता गया, उल्लेखनीय सुधार हुआ है। पूंजी को अपेक्षाओं के प्रति संवेदनशील बनाकर बासेल II मानदंडों से बैंकिंग प्रणाली की सुरक्षा और सुदृढ़ता के संवर्धन की आशा है। तथापि, इसकी कुछ खामियों के प्रति उपयुक्त सुरक्षोपाय करके ही इसका पूरा लाभ उठाया जा सकेगा।

अनुबंध V.1: बासेल II का कार्यान्वयन: विभिन्न देशों की स्थिति

देश	कार्यान्वयन की स्थिति
आस्ट्रेलिया	आस्ट्रेलियन प्रूडेन्शियल रेगुलेशन अथॉरिटी (एपीआरए)ने व्यापक औद्योगिक समेकन के पश्चात वर्ष 2005 में बासेल II विवकपूर्ण मानकों को अंतिम रूप दिया। वर्तमान में आस्ट्रेलिया में जमा लेनेवाली ज्यादातर प्राधिकृत संस्थाएं (एडीआइ) बासेल II ढांचे के अंतर्गत उपलब्ध मानकीकृत दृष्टिकोणों का इस्तेमाल कर रही हैं। इन एडीआइ के लिए रिपोर्टिंग की अपेक्षाएं मोटे तौर पर पिछली पूंजीगत रिपोर्टिंग अपेक्षाएं ही हैं, जिनके साथ परिचालनात्मक जोखिम एवं प्रतिभूतिकरण जैसे क्षेत्रों में अपेक्षाओं में कुछ वृद्धि की गई है। दिसंबर 2007 में, एपीआरए ने उन एडीआइ की सूची की घोषणा की, जिन्हें बासेल II फ्रेमवर्क के अंतर्गत उपलब्ध उन्नत दृष्टिकोण 1 जनवरी 2008 से अपनाने के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया है। तत्पश्चात फरवरी 2008 में एपीआरए ने नए बासेल II पूंजी पर्याप्तता युग के अंतर्गत एडीआइ के लिए अपनी रिपोर्टिंग अपेक्षाओं को जारी किया। इन दिशानिर्देशों में ऋण जोखिम, बाजार जोखिम, परिचालनात्मक जोखिम के लिए एवं बासेल II के उन्नत दृष्टिकोणों, बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम, का उपयोग करने के लिए एपीआरए द्वारा अनुमोदित एडीआइ के लिए न्यूनतम विनियामक पूंजी की गणना के ब्यौरे दिए गए हैं।
ब्राजील	दिसंबर 2004 में बांको सेंट्रल डो ब्रासिल ने ब्राजील में बासेल II के कार्यान्वयन के लिए एक अनुसूची जारी की। यह पांच चरणीय प्रक्रिया 2011 में अपने चरम पर होगी।
चीन	व्यापक समुद्रपारीय परिचालनों के साथ बड़े चीनी बैंकों जैसे कि इंडस्ट्रियल एण्ड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना को वर्ष 2010 तक नए मानकों का कार्यान्वयन करना होगा। बैंक अंतिम तिथि तीन वर्षों तक बढ़ाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। यह सूचित किया गया था कि चीनी विनियामक बड़े स्थानीय उधारदाताओं को उन्नत आंतरिक रेटिंग आधारित प्रणाली (ए-आइआरबी) शुरू करने पर भी दबाव डाल रहे हैं।
यूरोपियन यूनियन	यूरोपियन यूनियन ने ईयू पूंजी अपेक्षा निदेश (सीआरडी) के माध्यम से बासेल II फ्रेमवर्क पहले ही लागू कर दिया है। कई यूरोपियन बैंकों ने नई प्रणाली के अनुसार अपना पूंजी पर्याप्तता अनुपात बताना पहले से ही आरंभ कर दिया है। सभी ऋण संस्थाएं वर्ष 2008 तक इस फ्रेमवर्क को अपना लेंगी।
हांग कांग	हांग कांग स्थित बैंकों ने बासेल II नियमों को द्विचरणीय कार्यक्रम के अंतर्गत लागू करना आरंभ कर दिया है जो वर्ष 2007 के आरंभ से जनवरी 2008 तक चला। पूंजी एवं प्रकटीकरण नियम 1 जनवरी 2007 से प्रभावी हुए। वर्ष 2007 में, हांग कांग मॉनीटरी अथॉरिटी (एचकेएमए) ने चार प्राधिकृत संस्थाओं (एआइ) को अनुमोदन दिया ताकि वे और उन्नत दृष्टिकोण अपना सकें। एचकेएमए ने परिचालनात्मक जोखिम के लिए मानकीकृत दृष्टिकोण अथवा वैकल्पिक मानकीकृत दृष्टिकोण अपनाने के लिए आवेदनों की समीक्षा के लिए एक संरचनात्मक प्रक्रिया भी स्थापित की थी। स्तंभ 2 के तहत स्थानीय एआइ के बारे में पर्यवेक्षणात्मक समीक्षा प्रक्रिया का पहला दौर 2007 में पूरा हुआ। एचकेएमए वर्ष 2008 में बासेल II आवेदनों पर कार्रवाई करना जारी रखने की योजना बना रहा है। बासेल II को स्वीकृत करने के पश्चात जोखिम प्रबंधन प्रथाएं बढ़ाने के लिए एक समीक्षा भी विचाराधीन है।
इंडोनेशिया	बैंक ऑफ इंडोनेशिया वर्ष 2009 से मानकीकृत, आंतरिक रेटिंग आधारित एवं उन्नत दृष्टिकोण को लागू करेगा। इन दृष्टिकोणों को कालान्तर में चरणबद्ध ढंग से लाया जाएगा। प्रयोग किए जाने वाले दृष्टिकोणों पर निर्णय पर्यवेक्षक के अनुमोदन से अलग-अलग बैंकों द्वारा लिया जाएगा। यदि बैंक ने पहले से ही आंतरिक रेटिंग आधारित अथवा उन्नत दृष्टिकोण का प्रयोग कर लिया है तो प्रयुक्त दृष्टिकोण की जगह मानकीकृत दृष्टिकोण लाए जाने की अनुमति बैंक पर्यवेक्षक के अनुमोदन के बिना नहीं होगी।
जापान	मार्च 2007 के अंत से बासेल II को वित्तीय सेवा एजेंसी (एफएसए) द्वारा कार्यान्वित किया गया था। मार्च 2007 के अंत में एफएसए ने कुल 23 समूहों एवं 19 वित्तीय संस्थाओं द्वारा एफआइआरबी दृष्टिकोण अपनाने को अनुमोदित किया था। परिचालनात्मक जोखिम को मापने के लिए वित्तीय संस्थाओं को निम्नलिखित तीन विकल्पों में से उनके लिए सबसे बेहतर दृष्टिकोण चुनने की अनुमति है : मूल संकेतक दृष्टिकोण, मानकीकृत दृष्टिकोण तथा उन्नत माप दृष्टिकोण। जो वित्तीय संस्थाएं मानकीकृत दृष्टिकोण अथवा उन्नत माप दृष्टिकोण को अपनाना चाहती हैं, उनसे अपेक्षा है कि वे विनियामक प्राधिकारियों से पूर्व अनुमोदन प्राप्त कर लें। मानकीकृत दृष्टिकोण के संबंध में एफएसए ने मार्च 2007 में 22 समूहों तथा 45 वित्तीय संस्थाओं को उसके प्रयोग हेतु अनुमोदन दिया है। परिचालनात्मक जोखिम के संबंध में उन्नत माप दृष्टिकोण मार्च 2008 के अंत में कार्यान्वित करना तय है।
मलेशिया	अप्रैल 2007 में बैंक नेगारा मलेशिया ने बैंकिंग संस्थाओं तथा बीमाकर्ताओं के लिए संशोधित पूंजी रूपरेखा के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इस संशोधित पूंजी रूपरेखा को प्रायोगिक आधार पर अप्रैल 2007 के प्रारंभ में कार्यान्वित किया गया था। बैंकिंग संस्थाओं के लिए संशोधित पूंजी फ्रेमवर्क बासेल II के अंतर्गत मानकीकृत दृष्टिकोण पर आधारित है, जो 1 जनवरी 2008 से प्रभावी है। जिन बैंकिंग संस्थाओं ने मजबूत आंतरिक रेटिंग मानकों को विकसित करने में उल्लेखनीय सुधार दर्शाया है, उन्हें मानकीकृत फ्रेमवर्क के अनुपालन के बिना 2010 में आइआरबी दृष्टिकोण अपनाने का लचीलापन प्रदान किया जाएगा। बीमाकर्ताओं के लिए संशोधित पूंजी फ्रेमवर्क 1 जनवरी 2009 से लागू होगा । जिन बीमाकर्ताओं के पास उक्त फ्रेमवर्क पहले अपनाने की क्षमता है, उन्हें 2008 में उक्त फ्रेमवर्क में माइग्रेट करने का लचीलापन प्रदान किया जाएगा।
न्यूजीलैंड	स्थानीय रूप से निगमित न्यूजीलैंड के बैंकों से अपेक्षित है कि वे 2008 की पहली तिमाही से बासेल II अपेक्षाओं के आधार पर पूंजी रखें। बैंक, मान्यताप्राप्त होने पर, बासेल II के तहत अपनी पूंजी अपेक्षाओं की गणना के लिए आंतरिक मॉडल दृष्टिकोण का उपयोग कर सकते हैं, अन्यथा उन्हें मानकीकृत दृष्टिकोण अपनाना होगा। न्यूजीलैंड में शाखाओं के रूप में पंजीकृत बैंकों के लिए, बासेल II गतिविधियों का निहितार्थ केवल प्रकटीकरण के लिए होगा।
फिलीपीन्स	जून 2006 में बैंगको सेन्ट्रल एनजी फिलीपिनास (बीएसपी) के मॉनिटरी बोर्ड ने जोखिम -आधारित पूंजी पर्याप्तता फ्रेमवर्क में प्रमुख संशोधनों के लिए अनुमोदन प्रदान किया, ताकि वर्तमान बासेल I - अनुपालित फ्रेमवर्क को 1 जुलाई 2007 से नए बासेल II मानकों के साथ संरेखित किया जा सके। तदनुसार वैश्विक/ वाणिज्यिक बैंकों

अनुबंध V.1: बासेल II का कार्यान्वयन: विभिन्न देशों की स्थिति *(समाप्त)*

देश	कार्यान्वयन की स्थिति
	(यूबी/केबी) ने 2007 से ऋण जोखिम के लिए मानकीकृत दृष्टिकोण तथा परिचालनात्मक जोखिम के लिए मूल संकेतक अथवा मानकीकृत दृष्टिकोण का अनुपालन शुरू किया है। 2010 तक, ये बैंक ऋण जोखिम के लिए एफ-आइआरबी अथवा ए-आइआरबी तथा परिचालनात्मक जोखिम के लिए उन्नत माप दृष्टिकोण की ओर मुड़ सकते हैं। थ्रिफ्ट बैंकों (टीबी) तथा ग्रामीण /सहकारी बैंकों के लिए बासेल II के कार्यान्वयन की स्थिति कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में है।
रिपब्लिक ऑफ कोरिया	अनुसूचित किए गए अनुसार देशी बैंकों के लिए बासेल II का कार्यान्वयन 2008 में शुरू हुआ। 18 देशी बैंकों में से एक बैंक (कूकमिन) ने आइआरबी दृष्टिकोण के प्रयोग के लिए विनियामक अनुमोदन प्राप्त किया है, अन्य 17 बैंकों को मानकीकृत दृष्टिकोण शुरू करना है। इंडस्ट्रियल बैंक ऑफ कोरिया तथा कोरिया डेवलपमेंट बैंक, दोनों भी , 2009 में आइआरबी दृष्टिकोण के प्रयोग के लिए विनियामक अनुमोदन के लिए कार्यरत हैं।
रूस	रू स में 2008-09 में बासेल II का कार्यान्वयन किए जाने की आशा है, 2008 में स्तंभ I का तथा 2009 में स्तंभ II, तथा III का कार्यान्वयन परिकल्पित था। इस निर्धारित समय के भीतर, ऋण जोखिम के लिए विनियामक पूंजी की गणना के प्रयोजन के लिए स्तंभ I के ढांचे के भीतर सरलीकृत मानकीकृत दृष्टिकोण का तथा परिचालनात्मक जोखिम के लिए मूल संकेतक दृष्टिकोण का कार्यान्वयन किए जाने की आशा है। ऋण जोखिम के लिए अंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजेंसियों की रेटिंग पर आधारित मानकीकृत दृष्टिकोण अपनाने की संभावना तथा उपयुक्तता का मूल्यांकन किया जा रहा है।
सिंगापुर	मॉनिटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर (एमएएस) द्वारा सिंगापुर के लिए दिसंबर 2007 में बासेल II के दिशा निर्देश जारी हुए। एमएएस द्वारा 1 जनवरी 2008 से सिंगापुर में निगमित सभी बैंकों के लिए बासेल II फ्रेमवर्क लागू कर दिया गया है। दिशानिर्देशों के अनुसार, जो बैंक स्तंभ I के अंतर्गत आते हैं, उन्हें विशिष्ट दृष्टिकोण को स्वीकार करना अपेक्षित नहीं है, किंतु प्रत्येक बैंक से प्रत्याशित है कि वह जोखिम प्रोफाइल के साथ मेल खानेवाले दृष्टिकोण को स्वीकार करे। बासेल II नियमों की शुरुआत के बाद सिंगापुर में 6 प्रतिशत तथा 10 प्रतिशत के क्रमशः न्यूनतम टियर I तथा कुल पूंजी पर्याप्तता अनुपात को नहीं बदला गया।
थाईलैंड	थाईलैंड में एआइआरबी दृष्टिकोण को छोड़कर सभी दृष्टिकोणों के लिए 2008 के अंत में बासेल II पूंजी प्रभार का प्रारंभ प्रत्याशित है। अपनी जोखिम प्रोफाइल, आकार तथा जटिलताओं के अनुसार बैंक उचित ऋण जोखिम पूंजी परिकलन दृष्टिकोण चुनने के लिए स्वतंत्र हैं। जो बैंक उन्नत दृष्टिकोण अपनाएंगे जैसे कि एफ-आइआरबी दृष्टिकोण तथा ए-आइआरबी दृष्टिकोण, वे पूर्वापेक्षाओं तथा बैंक ऑफ थाईलैंड (बीओटी) के अनुमोदन के अधीन होंगे। बीओटी केवल रिटेल बैंकों को सरलीकृत मानकीकृत दृष्टिकोण (एसएसए) के प्रयोग की अनुमति देता है। बीओटी वर्तमान में परिचालनात्मक जोखिम पूंजी परिकलन के लिए उन्नत माप दृष्टिकोण (एएमए) अपनाने की अनुमति नहीं देता क्योंकि इस क्षेत्र के जोखिम माप तकनीक को आगे स्थानीय डेटा के साथ वैध किया जाना होता है। इसके साथ ही बीओटी इस बात पर भी विश्वास करता है कि ऋण जोखिम के लिए आइआरबी दृष्टिकोण अपनानेवाले बैंकों के पास कम से कम परिचालनात्मक जोखिम के लिए एसए स्वीकार करने के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हों। अतः आइआरबी बैंकों को परिचालनात्मक जोखिम के लिए मूल संकेतक दृष्टिकोण (बीआइए) के प्रयोग की अनुमति नहीं दी गई है।
यूएसए	यूएस में प्रारंभ में बासेल I फ्रेमवर्क तथा बासेल II फ्रेमवर्क के बीच मध्यस्थ के रू प में बासेल IA प्रस्तावित किया गया था। बासेल I की तुलना में बासेल IA अधिक जोखिम संवदेनशील हो सकता था, किंतु बासेल II के अंतर्गत उन्नत दृष्टिकोण की तरह जटिल नहीं। तथापि 20 जुलाई 2007 को विभिन्न यूएस बैंकिंग विनियामकों (दि फेडरल रिज़र्व, दि ऑफिस ऑफ दि कंट्रोलर ऑफ दि करेन्सी और दि ऑफिस ऑफ थिफ्ट सुपरविजन तथा दि फेडरल डिपॉजिट इन्शुरेन्स कारपोरेशन) के बीच हुए समझौते से प्रस्तावित बासेल IA को हटाने तथा उसके स्थान पर बासेल II मानकीकृत दृष्टिकोण को अनुमति देने का निर्णय किया गया। छोटे बैंक, जो बासेल II उन्नत अथवा बासेल IA को अपनाना नहीं चाहते, बासेल I के अधीन परिचालन जारी रख सकते हैं। दि फेडरल रिज़र्व बोर्ड ने यूनाइटेड स्टेट्स के बड़े, अंतरराष्ट्रीय रू प में सक्रिय बैंकिंग संगठनों (न्यूनतम 250 बिलियन डॉलर कुल आस्ति अथवा न्यूनतम 10 बिलियन डॉलर विदेशी एक्सपोजर वाले तथाकथित ''कोर'' बैंकिंग संगठन) जिनके लिए बासेल II अधिदेशात्मक होगा, के लिए नए जोखिम आधारित पूंजी अपेक्षाओं के अनुपालन हेतु अंतिम नियम भी अनुमोदित किए हैं। इन नियमों के अनुसार, कोर बैंकिंग संगठनों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपनी सकल जोखिम प्रोफाइल के संबंध में अपनी समग्र पूंजी पर्याप्तता के मूल्यांकन के लिए कठोर प्रक्रियाएं अपनाएं तथा अपनी जोखिम प्रोफाइल तथा पूंजी पर्याप्तता संबंधी जानकारी को सार्वजनिक करें। सुरक्षा के रूप में, नियमों में यह सुझाव दिया गया है कि बैंकिंग संगठन बासेल II फ्रेमवर्क के अंतर्गत परिचालन शुरू करने से पहले समातंर रूप से कार्य करते हुए संतोषजनक रूप से चार तिमाहियों की अवधि पूरी कर लें। सफल समांतर कार्य करने के बाद, बैंकिंग संगठन को तीन संक्रमण अवधियों (प्रत्येक न्यूनतम एक वर्ष रहने वाली), जिसके दौरान जोखिम आधारित पूंजी अपेक्षाओं में संभाव्य कमियां न्यूनतम हों, से गुजरते हुए प्रगति करनी होगी। ये संक्रमण आधार बैंकिंग संगठनों की जोखिम आधारित पूंजी अपेक्षाओं में अधिकतम संचयी कटौतियों को प्रथम संक्रमण आधार अवधि के दौरान 5 प्रतिशत तक, द्वितीय संक्रमण आधार अवधि के दौरान 10 प्रतिशत तक तथा तृतीय संक्रमण आधार अवधि के दौरान 15 प्रतिशत तक सीमित रखेंगे। बैंकिंग संगठन को चाहिए कि वे प्रत्येक संक्रमण आधार अवधि में जाने तथा तृतीय संक्रमण आधार अवधि की समाप्ति पर पूर्णतया बासेल II में जाने के लिए प्राथमिक फेडरल रेग्युलेटर का अनुमोदन प्राप्त कर लें। फेडरल बैंकिंग एजेंसियां द्वितीय संक्रमण वर्ष की समाप्ति के बाद एक अध्ययन को प्रकाशित करेंगी, जो किसी ठोस कमी के लिए नए फ्रेमवर्क की जांच करेंगी। एजेन्सियां एक प्रस्तावित नियम जारी करना चाहती हैं जो नॉन कोर बैंकिंग संगठनों को, जिनके लिए बासेल II उन्नत दृष्टिकोण को अपनाना अपेक्षित नहीं है, बासेल II के अंतर्गत एक मानकीकृत दृष्टिकोण अपनाने का विकल्प प्रदान करेंगी। प्रस्तावित नियम को, कोर बैंकिंग संगठनों के बासेल II के अंतर्गत प्रथम संक्रमण अवधि वर्ष में जाने से पहले, अंतिम रूप दिए जाने की आशा है।

स्रोत : संबंधित विनियामकों की वेबसाइटें तथा फरवरी 2008 के अंत तक उपलब्ध न्यूज रिपोर्टें।